UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Board Sec/AR 2017-18/ 97 /2018 July 6, 2018

Corporate Relations Cell Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001	**Listing Department** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Sir,

Sub: Annual Report of the Bank for the financial year 2017-18

We enclose herewith the Annual Report of the Bank for the financial year 2017-18. The Bank held its 9th Annual General Meeting on July 6, 2018 at which the same was adopted.

The submission may please be taken on record in terms of Regulation 34(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-2018

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
युनाइटेड टावर, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700 001
www.unitedbankofindia.com

United Bank of India
Head Office
United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001
www.unitedbankofindia.com

विषय-सूची

- निदेशक मंडल 2
- मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधकगण 3-4
- बैंक का संक्षिप्त इतिहास और संकल्प 5
- कार्यनिष्पादन की एक झलक 6-7
- शेयरधारकों को संदेश 8-9
- निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण 10-30
- कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट 31-40
- आचार संहिता की घोषणा 41
- सीईओ-सीएफओ का प्रमाण-पत्र 42
- कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र 43
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 44-45
- 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र 46-47
- अनुसूची 1 - अनुसूची 12 48-55
- 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा 56-57
- अनुसूची 13 - अनुसूची 18 58-90
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण 91-92
- बासेल - III मानदंडों के अन्तर्गत पीलर-3 का प्रकटीकरण 93-132

CONTENTS

- Brief History & Vision Statement of the Bank 1
- Performance at a glance 2-3
- Message to Shareholders 4-5
- Director's Report & Management Discussion and Analysis 6-25
- Corporate Governance Report 26-35
- Code of Conduct Declaration 36
- CEO-CFO Certificate 37
- Auditors' Certificate on Corporate Governance 38
- Independent Auditors' Report 39-40
- Balance Sheet as on 31st March 2018 41-42
- Schedule 1 - Schedule 12 43-49
- Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2018 50
- Schedule 13 - Schedule 18 51-82
- Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2018 83-84
- Pillar - 3 Disclosure under Basel - III Norms 85-125

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS

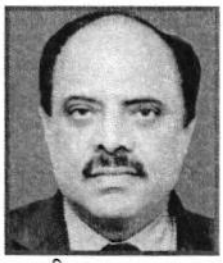

श्री पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri Pawan Bajaj
Managing Director & CEO

श्री अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashok Kumar Pradhan
Executive Director

श्री समीर कुमार खरे
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
Shri Sameer Kumar Khare
Govt. of India Nominee Director

श्री अर्णब राय
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
Shri Arnab Roy
RBI Nominee Director

श्री एस. सूर्यनारायण
शेयरधारक निदेशक
Shri S. Suryanarayana
Shareholder Director

श्री दिनेश सिंह
सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत
अंशकालिक-गैर कार्यालयीन निदेशक
Shri Denesh Singh
Part-time Non-Official Director
under Chartered Accountant Category

श्री सिद्धार्थ प्रधान
अंशकालिक-गैर कार्यालयीन निदेशक

Shri Sidhartha Pradhan
Part-time Non-official Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी /CHIEF VIGILANCE OFFICER

श्री अरुण कुमार वर्मा
Shri Arun Kumar Verma

महाप्रबंधकगण की सूची / LIST OF GENERAL MANAGERS

श्री नरेश कुमार कपूर
Shri Naresh Kumar Kapoor

श्री संजय कुमार
Shri Sanjay Kumar

श्री मानस धर
Shri Manash Dhar

मो. आब्दुल वाहिद
Md. Abdul Wahid

श्री उमेश कुमार राय
Shri Umesh Kumar Roy

श्रीमती सुनंदा बसु
Smt. Sunanda Basu

श्री बाला राजू कुंतिला
Shri Bala Raju Kuntilla

श्री विनय गंदोत्रा
Shri Vinay Gandotra

श्री गौरी प्रसाद शर्मा
Shri Gauri Prosad Sarma

श्री सुभाशीष बिश्वास
Shri Subhasis Biswas

श्री राकेश चंद्र नारायण
Shri Rakesh Chandra Narayan

श्री विनोद कुमार बब्बर
Shri Vinod Kumar Babbar

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी एवं निदेशक मंडल के सचिव :

श्री बिक्रमजीत सोम

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इनटाइम प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क
एल बी एस मार्ग, विखरोली (पश्चिम)
मुंबई - 400 083

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक :

मेसर्स अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसियेट्स
मेसर्स मुखर्जी विश्वास एंड पाठक
मेसर्स दिनेश जैन एंड एसोसियेट्स
मेसर्स एसबीए एसोसियेट्स

पंजीकृत कार्यालय का पता :

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
युनाइटेड टावर
11 हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट
www.unitedbankofindia.com
ईमेल
investors@unitedbank.co.in

बैंक का संक्षिप्त इतिहास

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक समृद्ध इतिहास है - एक छोटा सा बैंक, कोमिल्ला बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, (1914 में स्थापित किया गया था) जिसका तीन अन्य बैंको के साथ विलयन हुआ था अर्थात, कोमिल्ला यूनियन बैंक लिमिटेड (1922 में स्थापित), हुगली बैंक लिमिटेड (1932 में स्थापित) और बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1918 में स्थापित) जो 18 जुलाई 1950 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में परिणत हुआ। बैंक का मुख्यालय 4, क्लाइव घाट स्ट्रीट, (वर्तमान में एन.सी.दत्त सरणी), कोलकाता-700 001 में था, जोकि बाद में 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700 001 के वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया। 19 जुलाई, 1969 को 13 अन्य बैंकों के साथ इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। बाद में कटक बैंक लिमिटेड, तेजपुर औद्योगिक बैंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड और नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को इस बैंक के साथ विलय कर दिया गया।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की क्षमता क्रमशः बढ़ती गई। राष्ट्रीयकरण के समय 1969 में 174 शाखाओं का नेटवर्क और 259 करोड़ रुपये के व्यवसाय से शुरू करके बैंक के अब 2057 शाखाओं / कार्यालयों के साथ कुल व्यवसाय रु 1.98 लाख करोड़ से अधिक है। पूर्वी पाकिस्तान में परिचालित शाखाओं को 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप उन्हें बंद कर दिया गया। बैंक ने 2010 में ढाका, बांग्लादेश और बाद में यांगून, म्यामार में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करके अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार किया है। बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन, वैदेशिक बैंकों के साथ विदेशी संवाददाता के माध्यम से विस्तार नेटवर्क के द्वारा समर्थित है।

युनाइटेड संकल्प

हमारा संकल्प व्यावसायिकता, विश्वास एवं पारदर्शिता के वातावरण में, समष्टि अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्वों के उच्चतम मानकों को अपनाकर, समस्त स्वत्वाधारियों की अपेक्षाओं और अपने कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए, हमारे देश के एक व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता पर केंद्रीभूत, गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितैषी, प्रगामी, आर्थिक रूप में सुदृढ़, अखिल भारतीय बैंक के रूप में उभरना है।

सारतः, सर्वोत्कृष्टता की प्राप्ति ही, हमारे बैंक का आंतरिक दर्शन और प्रेरणा स्रोत होगा।

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- 31 मार्च, 2018 तक बैंक के कुल व्यवसाय में रु198018 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 31 मार्च, 2018 कुल जमा राशि रु 2387 करोड़ की वृद्धि होकर रु 129326 करोड़ हो गई।
- 31 मार्च, 2018 तक कासा के अंश में 48.44% का सुधार हुआ, 31 मार्च 2017 से 4.26% की वृद्धि दर्ज की गई।
- खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में 17% की वृद्धि हुई जिसमें आवास ऋण पोर्टफोलियो में 21.62% की वृद्धि हुई और कार ऋण में 29.28% की वृद्धि हुई।
- एमएसएमई अग्रिम में 16.64% की वृद्धि रेकॉर्ड की गई।
- 2018 की चौथी तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में रु 2.31% की वृद्धि हुई और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय द्वारा संचालित गैरब्याज आय में 39.34% की बढ़ोतरी हुई।
- पिछले वर्ष के इसी तिमाही की तुलना में सभी विषमताओं के अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में परिचालनगत लाभ में 14.53% की वृद्धि हुई।
- एनआईएम में, मार्च 2017 में 1.63% से मार्च 2018 में 2.30% का सुधार हुआ।
- बेसेल-III मानक के अंतर्गत उपर्युक्त नियामक आवश्यकताओं में बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखा है। 31 मार्च 2018 तक सीआरआर टियर-1 में 9.87% एवं सीईटी 1 अनुपात में 8.39% के साथ 12.62% पर बना रहा।

कार्यनिष्पादन की एक झलक

राशि करोड़ ₹ में

मानदंड	2015-16	2016-17	2017-18
शाखाओं की संख्या	2011	2053	2057
कुल व्यवसाय	187813	197442	198018
प्रतिशत वृद्धि	5.58	5.13	0.29
कुल जमा	116401	126939	129326
प्रतिशत वृद्धि	6.97	9.05	1.88
कुल अग्रिम	71412	70503	68692
प्रतिशत वृद्धि	3.39	-1.27	-2.57
सीडी अनुपात	61.35	55.54	53.12
निवेश	44934	53355	51201
कुल आस्तियाँ	129432	141053	144749
परिचालनगत लाभ	1812	1553	1024
शुद्ध लाभ	-282	220	-1454
पूँजी	1319.52	1812.00	3013.64
का			
ईक्विटी शेयर पूंजी	839.52	1394.00	3000.00
शेयर आवेदन राशि (लंबित आवंटन)	480.00	418.00	13.64
रिजर्व और अधिशेष	4999.67	5931.46	5661.59
पूँजी पर्याप्तता अनुपात			
सीआरएआर %	10.08	11.14	12.62
टीयर 1%	7.93	8.94	9.87
सीईटी 1%	7.74	8.46	8.39
कुल स्टाफ	14981	14962	14814
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	12.37	13.04	13.22

शेयरधारकों को संदेश

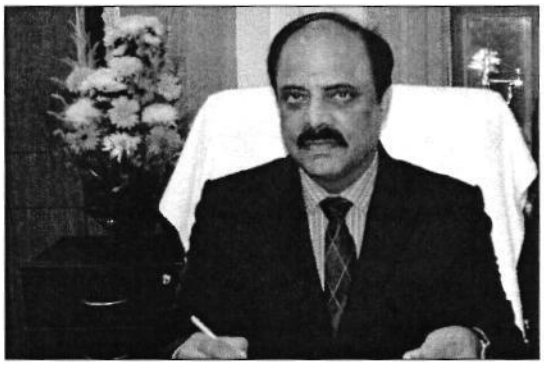

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, इसे आप पिछले बारह महीनों के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। यह प्रशंसनीय रहा है कि देश और विदेश में एक चुनौतीपूर्ण वातावरण होते हुए भी हम अपने सैद्धवादी, सर्तक तथा राजस्व उन्मुख बैंक बनने के दृष्टिकोण के साथ अडिग रहे, जो वैश्विक भागदौड़ के परिणामों, स्थानीय चुनौतियों, औद्योगिक मंदी और बैंकिंग असफलताओं के कारण हुई क्षति से उभर रहा है। युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया लगातार कंपनी अभिशासन के उच्चतम मानक का अनुपालन करता है और इसे विनियामक विवशता के बजाय एक नैतिक आवश्यकता के रुप में मानता है।

संरचनात्मक परिवर्तन तथा अल्पकालिक समस्याएं

भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार दिनांक 01 जुलाई, 2017 को अत्यधिक विलंब से लागू किया गया सबसे विवादास्पद माल एवं सेवा कर का प्रारम्भ होना है । यह एक सर्वव्यापी कर सुधार है जिसका लक्ष्य विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये जानेवाले विविध करों में अंतर्निहित अक्षमता को अलग करते हुए एक एकीकृत सामान्य बाजार का सृजन करना है। परिवर्तन के इस समय में अस्थायी अवरोधों की वजह से शुरुआती गड़बड़ियां भी साथ थीं। हालांकि, धीरे-धीरे उभर रहे नियमों तथा प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के साथ इसमें सुधार किया गया। हमारी टीम ने हमारी जानकारी तथा आईटी भागीदारों और सरकार के साथ मिलकर काम किया ताकि उभरने वाली समस्याओं को कम किया जा सके।

विशेष रुप से बैंकिंग क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन जिसने लगभग सभी बैंकों की चौथी तिमाही को बुरी तरह से प्रभावित किया, वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के माध्यम से तनावग्रस्त आस्तियों का संकल्प संशोधित फ्रेमवर्क का आदेश देना था। नियामक ने इन्सोलवेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 (आईबीसी) के साथ तनावग्रस्त आस्तियों को सिंक्रनाइज़ करने और इसके समाधान हेतु एक सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत जेनरिक फ्रेमवर्क की शुरुआत करने का प्रयास किया है। नये फ्रेमवर्क का उद्देश्य तनाव को पहले पहचान कर उसकी रिपोर्टिंग करना, एक समाधान योजना बनाना तथा आईबीसी के तहत समयबद्ध रुप से बैंकरप्सी की कार्रवाई पूरी करना है। परिपत्र में पहले लागू किए गए सभी पुनर्गठन की योजनाओं जैसे सीडीआर, एस4ए और एसडीआर को निष्क्रिय कर दिया तथा उन सभी खातों को इस परिपत्र के तहत शामिल किया गया। चौथी तिमाही में बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आस्ति गुणवत्ता के मुद्दे इस परिपत्र के लिए प्रमुख रुप से जिम्मेदार हैं । दूसरी तरफ, इससे पूरे बैंक में आस्ति गुणवता की सही स्थिति उजागर हो गई।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए):

आप जानते हैं कि उच्च निवल एनपीए, निम्नतम लिवरेज अनुपात तथा 31 मार्च, 2017 तक पूंजीकरण की आवश्यकता के कारण 10 अन्य सार्वजनिक बैंकों के साथ हमारा बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पीसीए फ्रेमवर्क के तहत शामिल है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि नियामक कार्रवाई किसी भी प्रकार से नियमित व्यवसायिक गतिविधियों का निर्वाह करने में बैंक की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर रही है । बल्कि, यह लाभ प्रतिधारण पूंजीगत वृद्धि, क्रेडिट विविधीकरण और लागत नियंत्रण पर ध्यान देकर बैंक के हित की रक्षा कर रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि पीसीए लागू होने से पहले मेरी नियुक्ति से, हमनें इन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखा है ।

बैंकिंग सुधार:

आपको यह जानकारी होगी कि केन्द्र सरकार ने मीडिया में व्यापक रुप से प्रचारप्रसार करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक अति आवश्यक सुधार कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है, यह बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तरदायी और जिम्मेदार बैंक बनने के लिए सुधार एजेंडा के प्रति प्रतिबद्ध बनाने की परिकल्पना करता है, जिसका लक्ष्य है संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (इंएएसई), जिसमें ग्राहक की प्रतिक्रिया, उत्तरदायी बैंकिंग, क्रेडिट ऑफटेक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उदर्यामित्र के रुप में (एमएसएमई पर लक्ष्यित) बनाना, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को मजबूत बनाने तथा ब्रांड पीएसबी के लिए कार्मिक का विकास करते हुए उसके परिणाम (एचआर) को सुनिश्चित करना। सुधार ऐजेंडाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए बैंक ने रणनीतिगत इक्विटी निवेशों, बैंक के परिचालन के लिए अनावश्यक संपदा की बिक्री, गैरमूल संपत्तियों में किसी भी नए निवेश से बचते हुए, भारत सरकार के अनुमोदन के बगैर लाभांश का वितरण नहीं करने तथा समग्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बैंक के भीतर शाखाओं का समेकन आदि के जरिए लाभ अर्जित करने का कार्य प्रारम्भ किया है । मैं पुष्टि करता हूँ कि हम सुधार ऐजेंडा का कड़ाईपूर्वक पालन कर रहे हैं।

सुधार ऐजेंडा के एक भाग के रुप में, बैंक को रु 2634 करोड़ राशि की सामान्य इक्विटी (टियर 1) पूंजी (सीईटी 1) प्राप्त हुई है जो केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा समकक्ष राशि के समकालिक निवेश की एवज में था। इस कार्य से चौथी तिमाही में अतिरिक्त स्लिपेज के बावजूद बैंक को एक सराहनीय पूंजी पर्याप्तता की रिपोर्टिंग करने में मदद मिली ।

टर्नअराउंड:

2014-15 के बाद से इस बैंक का लाभ छिटपुट रहा है। हालांकि 2014-15 तथा 2016-17 में लाभ अर्जित करते हुए, बैंक ने 2015-16 और 2017-18 में हानि की रिपोर्टिंग भी की है। वित्तीय परिणामों की कुछ झांकिया निम्नलिखित हैं-

बैंक ने

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु1454.45 करोड़ की राशि की निवल हानि हुई है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारम्भ किए गए तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित फ्रेमवर्क के कारण मार्च 2018 में बड़े पैमाने पर आस्ति गुणवत्ता में गिरावट हुई जो चौथी तिमाही के फिसलन का 65% है;

- बैंक ने 31 मार्च, 2018 तक सकल एनपीए बैंक के सकल अग्रिम का 24.10% की रिपोर्टिंग की है जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानीकरण आवश्यकताओं में लगभग 100% की वृद्धि हुई है;

इन विफलताओं के होते हुए भी मुझे विश्वास है कि प्रदर्शन से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है।

- बैंक ने करीब 50% कासा का रखरखाव करना प्रारम्भ किया है; इस बार वर्षवार 4.27% की वृद्धि करते हुए 48.44% कासा की रिपोर्टिंग करना कोई अपवाद नहीं था;
- खुदरा पोर्टफोलियो में 17% की वृद्धि हुई जिसमें आवास ऋण पोर्टफोलियो में 21.62% तथा वाहन ऋण पोर्टफोलियो में 29.28% की वृद्धि हुई है;
- एमएसएमई अग्रिम में 16.64% की वृद्धि हुई है;
- निवल ब्याज आय में 2.31% तथा गैरब्याज आय में 39.34% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;
- सभी बाधाओं के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में परिचालनगत लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 14.53% की वृद्धि हुई है;
- एनआईएम में मार्च 2017 में 1.63% और दिसम्बर 2017 में 1.51% से मार्च 2018 में 2.30% का उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसे मैं सराहनीय उपलब्धि के रुप में मानता हूं
- आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी के सराहनीय परिपत्र की वजह से बैंक का मानक आस्ति पुनर्गठन पोर्टफोलियो जो एक वर्ष पहले रु5513 करोड़ का था वह मार्च 2018 तक रु479 करोड़ तक हो गया, जिससे मैं मानता हूं कि हम सभी को बहुत बड़ी राहत मिली है;
- 30 खाते जिसमें बैंक का कुल रु5951 करोड़ का निवेश है उसे एनसीएलटी को संदर्भित किया गया था। एक खाते का हाल ही में समाधान किया गया जिसमें रु628.42 करोड़ के बकाया शेष की एवज में रु488.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। यह आशा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक अधिक से अधिक खातों का समाधान किया जा सकता है जिससे सकल और निवल एनपीए में कमी आएगी और बैंक के मुनाफे में सुधार होगा;

सुधार, की भावना का सम्मान करते हुए हमने अपनी व्यवसाय योजना मंत्रालय को प्रस्तुत की है जिसे यदि अनुमोदित किया जाता है तो चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही तक बैंक को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। टर्नअराउंड योजना में जिस बात पर विचार किया गया है वह है पूंजी आवश्यकता के समग्र एक इष्टतम स्तर पर आरडब्ल्यूए का रखरखाव करना, कॉरपोरेट निवेशों को कम करना और खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई (राम) पोर्टफोलियों पर ध्यान देना, इसके समग्र अग्रिम पोर्टफोलियो में अधिक स्थिरता बनाए रखने के क्रम में श्रेणीकृत खातों के कॉरपोरेट अग्रिम को सीमित करना, वसूली उपायों को बढ़ाना, गैरब्याज आय में वृद्धि तथा सभी स्तरों पर लागत को नियंत्रित करना।

पुरस्कार और उपलब्धियां:

2017-18 के दौरान, बैंक को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कुछ निम्नलिखित हैं-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (लघु श्रेणी) में एसएचजी लिंकेज में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरसेटी की गतिविधियो में दूसरे सर्वश्रेष्ठ बैंक का सम्मान;
- केडिट लिंकेज के जरिए महिला एसएचजी गतिविधियों को उत्कृष्ट समर्थन प्रदान करने हेतु आन्ध्रदधारा, पश्चिम बंगाल द्वारा सम्मान;
- ऐसोचेम द्वारा सामाजिक बैंकिंग सर्वोत्तम पुरस्कार 2017;
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन करने के लिए स्कॉच पुरस्कार;

पावतियां:

मैं केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, भारतीय रिज़र्व बैंक, पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न मुद्दों के विभिन्न बिन्दुओं पर की गई सहायता तथा दिए गए दिशानिर्देशों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और बीमा नियामक और विकास प्राधिकारी के प्रति उनकी सहायता और समयोचित सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्येक ग्राहक जिन्होंने हमपर अपना विश्वास बनाए रखा तथा प्रत्येक कर्मचारी सदस्य जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बैंक को उभारा तथा मुझे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया उन सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद।

भारत के विकास की कहानी और आगे बढ़ना:

आगे बढ़ते हुए, मुझे लगता है कि अनिश्चितता जारी रहेगी। हालांकि, हम जीएसटी कार्यान्वयन के प्रभाव को धीरेधीरे शांत करने, तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी आरबीआई के परिपत्र के प्रभाव को कम करने, कई राज्यों में आगामी चुनाव तथा सामान्य चुनाव की वजह से अर्थव्यवस्था में होने वाली अस्थिरता की स्थिति को कम करने में सक्षम हैं। लेकिन, मुझे विश्वास है कि अस्थिरता के बीच नए अवसरों को प्राप्त करने तथा एकाग्रता और दृढ़ता के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाने की हमारी क्षमता से हमें अधिक उद्देश्य और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

भवदीय,

ह/-

पवन बजाज

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डी आई एन: 03291906

28 मई, 2018, कोलकाता

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

यह निदेशक मंडल सहर्ष बैंक की 68 वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18) का लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन विवेचना और विश्लेषण

1. आर्थिक वातावरण

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2017 को भविष्य में धारणीय संवृद्धि के लिए मैक्रोआर्थिक मानदंड़ में मजबूती पहचान बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक पहलों के लिए जाना गया। वैश्विक अनुकूल वातावरण के बावजूद इस वर्ष के पहले भाग में वृद्धि हेतु सामना करना पड़ा। हालांकि, वर्ष 2017 की शुरुआत में देखी गई कमजोरी, वर्ष 2018 के आतेआते समाप्त हो गई ऐसा प्रतीत होता है। वर्तमान में, यह अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादन, शेयर बाजार सूचकांक, स्वतः बिक्री और निर्यात में इजाफा होने के संकेतकों के साथ वसूली के मार्ग पर जाता हुआ प्रतीत होती है। हमारा मानना है कि वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए भारत की आर्थिक वातावरण उत्साहवर्धक है तथा वित्तीय वर्ष 18-19 में और मजबूत होने की उम्मीद है।

वर्ष 2018 के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां इस बात पर आधारित है कि कैसे बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव, साथ ही उच्च राजकोषीय घाटे के साथ बढ़ते कर्ज के बोझ में यह अर्थव्यवस्था अपनी वसूली को बनाए रखती है। इस पहल की स्त्रोत उपभोक्ता मांग और निजी निवेश के पुनर्जीवित करने में निहित है।

बैंकों में अशोध्य ऋण

बैंकिंग क्षेत्र में समग्र जोखिम संबंधित परिसंपत्ति की गुणवत्ता के कारण बढ़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) अथवा अशोध्य ऋणों का परिमाण 8.4। लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इसमें से अधिकांश भाग ऊर्जा, लोहा, सड़क और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में दिया गया ऋण है ।

भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए में संशोधन किया गया है और उसमें धारा 35एए और 35एबी जोड़ दिया है। इस अध्यादेश के फलस्वरूप "भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंकिंग कंपनी या कंपनियों को यह निदेश जारी करे कि ऋण न चुका पाने की स्थिति में वह अपने किसी चूककर्ता को इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) 2016" के तहत दिवालिया घोषित करने के संकल्प की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है ।

यह अध्यादेश भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार भी देता है कि वह क्षेत्र (सेक्टर) से संबन्धित निगरानी नामिका (ओवरसाइट पैनेल) बनाए जो ऋण की पुनर्व्यवस्था के मामले की जांच करने वाली किसी एजेंसी द्वारा बैंकरों के खिलाफ परवर्ती कार्रवाई से सुरक्षा दे सके। इससे पहले सरकार ने इन्सोल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड बनाया था ताकि कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, और व्यक्तिगत तौर पर चूककर्ताओं के खिलाफ एक समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन एवं दिवालिया घोषित किए जाने संबंधी कानूनों को मजबूत किया जा सके और उसमें संशोधन किया जा सके। इसका लक्ष्य था उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना, ऋण की उपलब्धता और हितधिकारियों के हित में संतुलन बनाए रखना ताकि आस्तियों का मान अधिकतम बना रहे।

सरकार ने हाल ही में उत्तरदायी और जिम्मेदार बैंकिंग के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा की घोषणा की है, जो समझदारी एवं स्वच्छ उधार, बेहतर ग्राहक सेवा, बढ़ी हुई क्रेडिट उपलब्धता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर फोकस सुनिश्चित करने के लिए सहक्रियाशील दृष्टिकोण को समाहित करता है।

ये सही दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं जिनसे समान्यतः सभी बैंकों और विशेषकर हमारे बैंक में अनर्जक आस्तियों को कम किया जा सकेगा ।

कृषि :

2016-17 में 275.1 मिलियन टन की तुलना में 2017-18 के दौरान अनाज का उत्पादन 277.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। । मार्च 2017 के 40.7 मिलियन टन की तुलना में । मार्च 2018 तक एफसीआई के पास चावल और गेहूं का कुल स्टॉक 47.9 मिलियन टन था। 2017-18 के खरीफ विपणन सत्र दौरान । मार्च 2018 तक चावल की खरीद 30.। लाख टन थी, जबकि 2017-18 के रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं की खरीद 30.8 मिलियन टन थी।

उद्योग :

आईपीपी में फरवरी 2017 में 1.2% की वृद्धि के मुकाबले फरवरी 2018 में 7.1% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4.7% की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-फरवरी 2017-18 की अवधि के लिए आइआईपी की संचयी वृद्धि 4.3% रही। नवंबर 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान विनिमाण क्षेत्र की वृद्धि में मजबूती रही।

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2.0% की वृद्धि के मुकाबले में नवंबर-फरवरी 2017-18 के दौरान विनिर्माण उत्पादन की औसत वृद्धि 9.1% हुई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, सभी क्षेत्रों, अर्थात् प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, बुनियादी / विनिर्माण ढांचे, उपभोक्ता स्थायी सामान और उपभोक्ता गैरस्थायी सामानों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। विशेष रूप से, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र का उत्पादन, अर्थव्यवस्था की निवेश गतिविधि के लिए फरवरी 2018 में 20% प्रॉक्सी रहा जो बढ़कर 27 महीने ऊंचा रहा।

मुद्रास्फीति:

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त मुद्रास्फीति (सीपीआईसी) फरवरी 2018 में 4.4% से घटकर मार्च 2018 में 4.3% हो गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2018 में 3.3% से घटकर मार्च 2018 में 2.8% हो गई, मुद्रास्फीति में गिरावट मांस और मछली, अंडे, दूध और उत्पादों, सब्जियों और चीनी और कन्फेक्शनरी में रहीं। फरवरी 2018 में 6.9% के तुलना में सीपीआई ईंधन और लाईट मुद्रास्फीति घटकर मार्च 2018 में 5.7% हो गई। 2015-16 में 4.9% और 2016-17 में 4.5% के तुलना में 2017-18 के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का (अनंतिम) औसत 3.6% रहा।

भारत का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

मार्च 2018 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2.5% पर बनी रही, जैसा कि पिछले महीने (फरवरी 2018) में बताया गया था। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (खाद्य वस्तुएं खाद्य उत्पादों) फरवरी 2018 में 0.1% से घटकर मार्च 2018 में (-) 0.1% हुआ। मार्च 2018 में विनिर्मित उत्पादों के लिए मुद्रास्फीति 3.0% थी, जैसा की फरवरी 2018 में भी रहा और फरवरी 2018 में 3.9% की तुलना में गैर खाद्य विनिर्मित उत्पाद (कोर) घटकर मार्च 2018 में 3.5% रह गया । 2016-17 में 1.7% की तुलना में 2017-18 में औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2.9% (अनंतिम) रही।

पूंजी बाजार:

मार्च 2017 की समाप्ति में 370.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2018 तक 424.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार में 54.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ था।

2016-17 की इसी तिमाही में 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.4%) की तुलना में भारत की चालू खाता घाटा (सीएडी) 2017-18 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर दिसंबर) में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 2.0%) रहा संचयी आधार पर, 2017-18 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान सीएडी 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.9%) था, जबकि 2016-17 की इसी अवधि के दौरान 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.7%) था।

धन और ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 16 फरवरी 2018 तक भारत में परिचालन में मुद्रा रुपये 17.78 ट्रिलियन रहा, जो विमुद्रीकरण के पहले परिचालन में रुपये 17.94 ट्रिलियन का 98.94% था।

सेंट्रल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 98.96% नोट्स (मूल्य द्वारा) जिन्हें अमान्य कर दिया गया था जून 2017 के समाप्ति तक आरबीआई द्वारा लौटा दिया गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा की वृद्धि

मार्च 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा की वृद्धि 6.7% (वर्ष वार आधार पर) के तुलना में पिछले वर्ष की इसी तिथि के दौरान 11.3% रिकार्ड दर्ज की गई थी। बैंक क्रेडिट के मामले में, एक साल पहले इसी अवधि में 4.5% के तुलना में मार्च 2018 में विकास 10.3% रहा। एससीबी द्वारा सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश की वृद्धि पिछले वर्ष इसी अवधि में 17.4% के तुलना में मार्च 2018 तक 10.0% रहा।

पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 6.9% की वृद्धि के मुकाबले मार्च 2018 तक सालाना (वर्षवार) आधार पर मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि 9.6% रहा। मुद्रा आपूर्ति के घटकों के संबंध में, लोगों के पास मुद्रा की वृद्धि एक साल पहले इसी अवधि के दौरान (-) 20.8% के तुलना में मार्च 2018 में 39.2% वृद्धि रहा। एक साल पहले इसी अवधि में बैंकों के पास मीयादी जमा में 6.2% वृद्धि दर्ज की गई थी जिसकी तुलना में मार्च 2018 का वृद्धि दर 10.2% रहा।

विदेशी व्यापार

मार्च 2018 में यूएस डॉलर के संदर्भ में व्यापार निर्यात और आयात का मूल्य में वृद्धि दर क्रमश: 0.7% और 7.1% रहा। मार्च 2017 के तुलना में मार्च 2018 के दौरान तेल आयात और गैर तेल आयात में क्रमश: 13.9% और 5.0% की वृद्धि हुई।

मार्च 2018 में व्यापार घाटा का मूल्य 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 2016-17 में 108.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2017-18 के दौरान व्यापार घाटा 156.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

भविष्य की संभावनाएं

मुद्रास्फीति के संतुलित स्तर जैसे अनुकूल संकेत, औद्योगिक क्षेत्र की पूर्वानुमानित वृद्धि, जीएसटी में अधिक स्थिरता की उम्मीद, निवेश स्तरों में अपेक्षित वसूली की उम्मीद, और चल रहे संरचनात्मक सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि, कुछ देशों के संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के साथ कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से देश की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। विकास क्षमता और नकारात्मक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, सरकार उम्मीद करती है कि 2018-19 के दौरान भारत को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.0% से 7.5% के बीच रहेगी।

वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के अंतर्गत गुणवत्ता आस्ति और हानि आस्तियों की वसूली के क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई। पूंजी की समस्या और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक का अग्रिम बैंक के जोखिम भारित आस्तियों के आधार पर प्रतिबंधित था । विकास, लाभप्रदता, दक्षता, उत्पादकता, और शोधन क्षमता के मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक निम्नप्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक के परिचालन लाभ 1552.89 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1024.06 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज करते हुए, 528.83 करोड़ रुपये (34.05%) का ह्रास दर्ज किया गया। अधिक एनपीए तथा एनसीएलटी संदर्भित खातों में उच्चतम प्रावधानीकरण के कारण बैंक को मूल रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु 219.51 करोड़ की निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु1454 करोड़ की निवल हानि का सामना करना पड़ा। प्रति कर्मचारी सकल लाभ मार्च, 2017 को रु10.38 लाख से कम होकर मार्च, 2018 को रु 6.91 लाख हो गया है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2017	मार्च 2018
निधियों की लागत	6.12	5.38
निधियों पर प्रतिफल	7.70	9.29
जमाराशि की लागत	6.00	5.30
अग्रिम पर प्रतिफल	8.95	7.35
निवेश पर प्रतिफल	7.76	7.62
एडब्ल्यूएफ का % के रूप में विस्तार	1.57	1.07
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	1.60	1.66
एडब्ल्यूएफ के परिचालन व्यय*	1.91	1.92
औसत आस्तियों पर लाभ (आरओएए)	0.16	-1.04
इक्विटी पर लाभ	4.38	-33.06
प्रति कर्मचारी व्यापार (रुपए करोड़ में)	13.04	13.22
प्रति कर्मचारी लाभ (रुपए लाख में)	10.38	6.91
प्रति शाखा लाभ (रुपए लाख में)	75.64	49.78
प्रति शेयर बही मूल्य	32.94	14.64

*एडब्ल्यूएफ-औसत कार्यशील निधि

आय और व्यय विश्लेषण

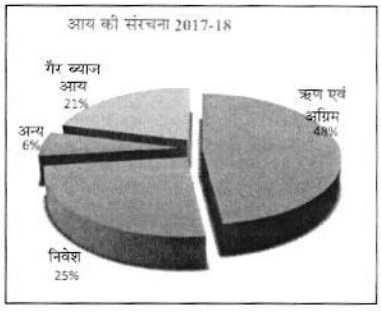

बैंक के ब्याज आय में वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु 9427.91 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु8341.62 करोड़ की कमी हुई है । अग्रिम में ब्याज आय वृद्धि का मुख्य कार्य होने के कारण, ब्याज दर प्रभारित किया गया । बैंक ने अपने ग्राहकों को दर में कटौती का लाभ प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपने एमसीएलआर में तीन बार कटौती किया । गैरब्याज आय वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु2186.62 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु2214.56 करोड़ होकर उसमें रु27.94 करोड़ की वृद्धि हुई है । अग्रिमों पर प्रतिफल में मार्च 2017 के 8.95% की तुलना में मार्च 2018 में 7.35% की गिरावट हुई है।

ब्याज व्यय में 2016-17 में रु 7500.18 करोड़ की तुलना में 2017-18 में रु 6848.75 करोड़ रुपये के ह्रास के साथ रु651.43 करोड़ हुआ । सभी कोष्ठकों में खुदरा मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर के ह्रास के साथ कम ब्याज व्यय सुनिश्चित किया गया । जमा की लागत 2016-17 में 6.00% से कम होकर 2017-18 में 5.30% हो गया । परिचालनगत लाभ में मार्च 2017 में रु2561.46 करोड़ से मार्च 2018 में रु 2683.37 करोड़ की वृद्दि हुई है ।

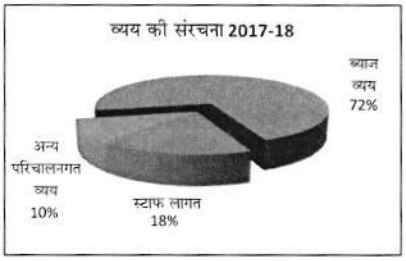

व्यापार वृद्धि

जमाराशि

बैंक की जमाराशि में 31 मार्च, 2018 तक 1.88% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु129326 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। 31 मार्च, 2018 तक बैंक की बचत जमा राशि में 6.64% की वृद्धि करते हुए रु52744 करोड़ तक पहुंचा। कुल जमा राशि में कासा जमा का अंश 31 मार्च, 2018 तक 48.44% हुआ। बैंक की खुदरा मीयादी जमाराशि में 0.21% की वर्षवार वृद्धि के साथ रु 63923 करोड़ हुआ। थोक जमाराशि का शेयर आगे मार्च 2017 के 2.42% से घटकर मार्च 2018 तक 2.13% हो गया।

बैंक का ग्राहक आधार मार्च 2018 तक 3.70 करोड़ तक हो गया।

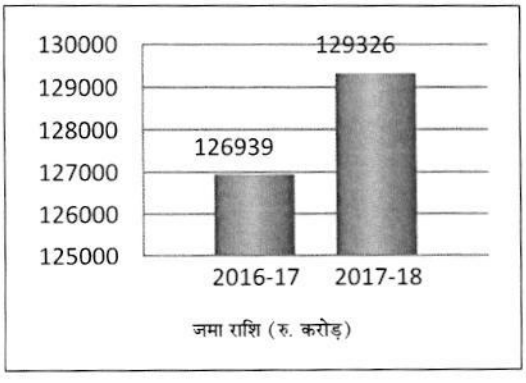

अग्रिम

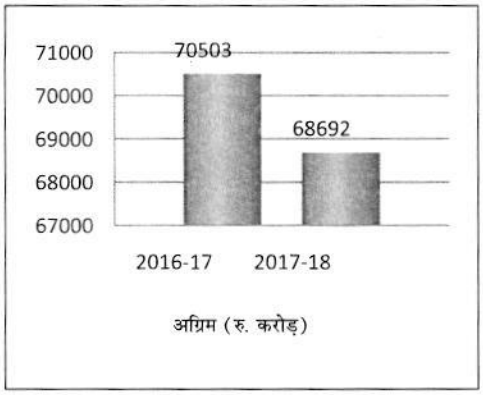

बैंक का सकल अग्रिम 31 मार्च, 2018 तक रु1811 करोड़ (2.57%) तक घटकर रु68692 करोड़ हो गया। ऋणजमा अनुपात 31 मार्च, 2018 को 53.11% हो गया। बैंक ने एएनबीसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के लिए निर्धारित 40% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। खुदरा ऋण उत्पादों के गहन विपणन के परिणाम स्वरूप आवास ऋण में वृद्धि के साथ खुदरा अग्रिम में काफी वृद्धि हुई।

बैंक का गैर खाद्य ऋण रु69890 करोड़ से घटकर रु 68111 करोड़ हो गया, जबकि खाद्य ऋण 31 मार्च, 2017 को रु 613 करोड़ से कम होकर 31 मार्च, 2018 के अंत तक रु 581 करोड़ हो गया है।

कुल व्यवसाय

चालू वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक बैंक का कुल कारोबार रु198018 करोड़ तक पहुंच गया।

प्रति कर्मचारी करोबार के आधार पर उत्पादकता, 31 मार्च, 2017 को रु 13.04 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 तक रु13.22 करोड़ हो गई है।

खुदरा ऋण परिचालन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अन्य क्षेत्रों में से खुदरा ऋण बैंक का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। बैंक ने खुदरा ऋण के अंतर्गत विकास के प्रमुख भागीदार के रूप में आवास ऋण और बंधक ऋण पर ध्यान देते हुए खुदरा ऋण की मंजूरी के लिए विशेष जोर दिया है। बैंक के कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का यह 77.16% है।

कार्यनिष्पादन:

- खुदरा ऋण के निजीकृत क्षेत्र में 23.32% की वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2017 के रु9189 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018को रु 11332 करोड़ होते हुए रु2143 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- आवास ऋण क्षेत्र में 22.01% की वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 के रु7061 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को रु8615 करोड़ हो गया।
- वाहन ऋण में 29.21% की वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 के रु606 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को रु783 करोड़ हो गया।
- बंधक ऋण में 20.56% की वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 के रु107 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को रु129 करोड़ हो गया।
- अन्य खुदरा ऋण में 26.84% की वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 के रु1423 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को रु1805 करोड़ हो गया।

बैंकएश्योरेंस व्यवसाय

बैंक अपने बैंकएश्योरेंस के माध्यम से जीवन और गैरजीवन बीमा कंपनियां दोनों के कॉरपोरेट ऐजेंट के रूप में 09.02.2004 से बीमा व्यवसाय में शामिल है। ओपन आर्किटेक्चर मॉडल संबंधी आईआरडीएआई के शर्तानुसार बैंक ने जीवन और गैरजीवन के प्रत्येक वर्टिकल में एकल बीमा कंपनी के साथ परिचालन करने के लिए 01.04.2016 से प्रभावी कॉरपोरेट ऐंजेसी फ्रेमवर्क के तहत बीमा कारोबार की मांग हेतु आईआरडीएआई से पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। बैंक ने लाइफ पॉलिसियों की मांग के लिए भारतीय जीवन बीमा कंपनी के साथ तथा सामान्य बीमा पॉलिसियों की मांग के लिए बजाज एलाइंज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ कॉरपोरेट ऐजेंसी करार किया है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बीमा व्यवसाय से रु10.96 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है जिसमें से जीवन बीमा व्यवसाय से रु4.61 करोड़ तथा गैरजीवन बीमा व्यवसाय से रु6.35 करोड़ की राशि शामिल है।

ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन:

बैंक का निवेश पोर्टफोलियो 4.04% की कमी दर्ज करते हुए 31.03.2017 के रु53355 करोड़ से घटकर 31.03.2018 तक रु51201 करोड़ हो गया है । एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो 31.03.2017 के रु38166 करोड़ से घटकर 31.03.2018 तक रु 33900 करोड़ हो गया है । पोर्टफोलियो संशोधन की अवधि में पिछले वर्ष के 3.90 की तुलना में मार्च 2018 तक 4.66 तक वृद्धि हो गई । बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) की संशोधित अवधि मार्च 2017 के 2.55 से बढ़कर मार्च 2018 में 2.80 हो गई ।

बैंक ने 3.86% की कमी दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 16-17 के रु1502 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान ट्रेजरी के घरेलु क्षेत्र से रु1444 करोड़ का कुल व्यापार लाभ अर्जित किया है । वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान निवेश पर औसतन लाभ 7.54% तथा वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान निवेश पर प्रतिफल 7.62% था।

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी मुद्रा कुल कारोबार रू 20346.78 करोड़ का हुआ, जिसमें निर्यात के तहत रु4621.77 करोड़, आयात के तहत रु4622.56 करोड़ और धनप्रेषण के तहत रु11102.45 करोड़ शामिल है।

31.03.2018 तक बैंक का बकाया निर्यात ऋण रू 1254.92 करोड़ रहा। बैंक ने वर्ष 2016-17 में रु143 करोड़ की तुलना में 2017-18 में रू134.75 करोड़ का विनिमय लाभ प्राप्त किया।

बैंक की वैदेशिक अवस्थिति दो देशों जैसे; म्यांमार और बांगलादेश में है । ढाका, बांगलादेश और यांगून, म्यांमार में एकएक प्रतिनिधि कार्यालय है । इंडोम्यांमार का व्यापार हमारे बैंक के जरिए किया जाता है। बांगलादेश के सत्ताईस (27) बैंकों द्वारा यूएसडी और यूरो मुद्रा में इकतालीस (41) वोस्ट्रो खाते और म्यांमार के इक्कीस (21) बैंकों द्वारा यूएसडी, यूरो और आईएनआर मुद्रा में तीस (30) वोस्ट्रो खाते हमारे बैंक में परिचालित किए जा रहे हैं।

बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन 620 संवाददाता संबंधों के माध्यम से व्यापक नेटवर्क के जरिए समर्थित है एवं वैदेशिक बैंकों में 7 मुद्राओं में खोले गए 16 नोस्ट्रो खाते विदेशों में परिचालित हैं।

अन्य सेवाएं

मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग द्वारा बासेल अनुपालित अतिरिक्त टियर बांड संबंधी बैंक के मुद्दे की देखरेख दो ट्रेंचों में की गई है जिसमें 10.11.2017 और 27.12.2017 के लिए क्रमश: रु490 करोड़ तथा रु100 करोड़ की राशि शामिल है। 23.08.2017 को रु500 करोड़, 27.09.2017 को रु150 करोड़ और 10.11.2017 को रु340 करोड़ की राशि के तीन ट्रेंचों में बैंक ने बासेल अनुपालित टियर 2 बांड को एकत्रित किया है। बैंक ने 27.04.2017 रु100.00 करोड़ राशि के टियर 2 बांड तथा 19.06.2017 को रु575 करोड़ राशि के टियर 2 बांड को भी रिडीम किया है।

बैंक ने निर्गम, डिबेंचर न्यासी तथा मर्चेंट बैंकर में बैंकर पर सेबी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित किया है जिसके तहत यह विनियामक मानदंडों के अनुसार परिभाषित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जारी रखता है।

सरकारी व्यवसाय

सरकारी लेनदेन विभाग विभिन्न प्रकार के सरकारी व्यवसाय संबंधी कार्य करता है जैसा कि नीचे दिया गया है:

- अधिकृत शाखाओं द्वारा फिजिकल मोड के माध्यम से तथा बैंक की सभी शाखाओं द्वारा ई मोड (इन्टरनेट बैंकिंग) के माध्यम से केन्द्र सरकार के राजस्व का संग्रहण; जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी, सीबीईसी, सेवा शुल्क और सीमा शुल्क)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद सभी शाखाओं को ऑफ लाइन तथा ऑन लाइन दोनों तरिकों से संग्रह करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया । सभी शाखाओं द्वारा सीबीईसी (कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि) का संग्रहण ।
- राज्य के राजस्व एवं विभिन्न राज्यों के करों का संग्रहण करना (ऑन लाइन तथा ऑफलाइन, दोनों) ।
- लघु जमाओं यथा सरकारी भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिकों की जमा योजना, सुकन्या समृद्धि खाता, सौवरेन गोल्ड बौंड्स की विभिन्न शृंखला,जमा बौंड्स की सरकारी जमाओं का संग्रहण ।
- सरकारी निधियों का संचालन(विभागीयकृत मंत्रालयों का खाता,विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार राजकोष परिचालन ।
- केन्द्र सरकार,राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वायत्त संगठनों यथा, ईएफपीओ, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट,दामोदर वैली कॉरपोरेशन,डब्लूबीएसईडीसीएल आदि के विभिन्न प्रकार के पेंशनों का वितरण ।
- पेंशनरों के लिए पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए) के प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के प्राधिकार स्थल के रूप में वृद्ध आयु वार्षिकी/पेंशन पाने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों के नामांकन हेतु नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एवं अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया गया ।
- समयसमय पर सरकार द्वारा घोषित सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन ।
- पेंशनरों में आवश्यक सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए बैंक में वेबसाइट ऑनलाईन पेंशनर्स शिकायत पोर्टल पर एवं पेंशन संवितरण करने वाली शाखाओं में पेंशनर्स चार्टर प्रदर्शित किया गया है।बैंक के बेबसाइट में पेस्लीप कस्टमाइज्ड किया गया है। बैंक ने पेंशनरों के लिए डिजिटल की सुविधा की भी शुरूआत की है जहां पेंशनर शाखा में गए बिना ही डिजिटली अपना वार्षिक तौर पर अपना लाइफ प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, अगर उनका खाता आधार के साथ संयुक्त है । लगभग 95% पेंशन खाता असम एवं मेघालय राज्य को छोड़कर अधारयुक्त कर दिया गया है एवं पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाणपत्र का डिजीटलाइजेशन, जीवन प्रमाण काफी प्रचलन में है ।
- (2017-18) इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी व्यवसाय पर अर्जित अभिकरण कमीशन की राशि नीचे दी गई है

व्यापार का प्रकार	अर्जित कमीशन (टीओसी) (रु करोड़)
	2017 - 18
कर	2.83
पेंशन	20.22
ट्रेजरी	2.89
पीपीएफ, एससीएसएस, एसएसए, एपीवाई, बांड और एसडीएस	0.82
डीएमए	2.15
कुल	**28.91**

आस्ति गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन

अनुशासनहीन ऋणकर्ताओं के अनुवर्तन, दबावग्रस्थ आस्तियों के मानेटरिंग एवं मुश्किल खातों में लगातार अनुवर्तन के बावजूद बैंक एनपीए के बढ़ते वृद्धि को नहीं रोक पाई, जो रू16552 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया,जो कि सकल अग्रिम का 24.10% है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के वसूली हेतु बड़ा कदम उठाकर सीमित अवधि को सरल बनाते हुए 25 लाख से कम के बकाया के साथ एनपीए के एकबारगी निपटान (ओटीएस) हेतु प्रस्ताव दिया था। आम जनता में जागरूकता लाने हेतु बैंक ने कदम उठाते हुए चूक उधारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संदर्भ में आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है ,पिछले वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कुल एनपीए अनुपात 15.53% की तुलना में 31.03.2018 तक 24.10% है। निरपेक्ष संदर्भ में 31.03.2018 तक बैंक का सकल एनपीए अनुपात रु 16552 करोड़ रहा।

31.03.2017 तक बैंक के कुल एनपीए 10.02% की तुलना में 31.03.2018 को 16.49% रहा। निरपेक्ष संदर्भ में 31.03.2018 को कुल एनपीए रू10316 करोड़ रहा। 12.02.2018 को जारी आरबीआई दिशानिर्देशों में संशोधन के कारण वित्तीय वर्ष 2016-2017 में बैंक के नए स्लिपेज रू 3533.08 की तुलना में 2017-18 में रू 8606.26 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष के दौरान नकदी वसूली रू 501.35 करोड़ और उन्नयन रू 197.05 करोड़ था । बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2018 को 53.48% रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों में रू 100 करोड़ की वसूली की गई।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक वसूली नीति है जो कि वसूली और एनपीए के कटौती जैसा कि एकबारगी भुगतान (ओटीएस), प्रभारित आस्तियों की बिक्री, आस्ति विनिर्माण कंपनियों (एआरसी) को बिक्री इत्यादि के लिए सभी प्रकार से व्यापित है। बैंक ने वर्ष के दौरान कम मूल्य वाले एनपीए खाते जिसमें बकाया शेष रू 25 लाख तक था,के लिए बकाया को वसूली हेतु सरल दिशानिर्देश लागू किया । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने रू 441 करोड़ का एनपीए एआरसी को बिक्री करने को तरजीह दी है।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आईबीसी-2016 के अंतर्गत बहुत सारे मामले को एनसीएलटी को भेजा है,जहां हमारा निवेश रू 5951 करोड़ है। यह आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हमारा बैंक इन मामलों के निर्णय से अच्छी खासी रकम प्राप्त होगी।

पूंजी एवं आरक्षित

31 मार्च, 2018 को बैंक का निवल मालियत रु4398 करोड़ निर्धारित किया गया था। बैंक की कुल चुकता पूंजी रु 3000 करोड़ था । सरकार की बैंक में शेयरधारिता मार्च, 2018 में 93.13% रही ।

(रु करोड़)

पूंजी की संरचना	मार्च 2018	मार्च 2017
	बासेल-III मानदण्ड	बासेल-III मानदण्ड
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	63543	71198
टीयर I पूंजी	6271	6368
जिसमें से सीईटी I पूंजी	5331	6023
टीयर I अनुपात (%)	9.87	8.94
जिसमें से सीईटी I अनुपात (%)	8.39	8.46
टीयर 2 पूंजी	1748	1563
कुल पूंजी	8019	7931
सीआरएआर (%)	12.62	11.14

मार्च, 2018 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल III के मानदण्डों के तहत 12.62%, टीयर I के अनुपात के साथ 9.87% एवं सीईटी I अनुपात 8.39% निर्धारित किया गया । बैंक के पास व्यवसाय वृद्धि की गति को समर्थन करने हेतु पूंजी बढ़ाने के लिए टीयर 1 और टीयर 2 विकल्पों के तहत पर्याप्त हेडरूम उपलब्ध है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा:

बैंक के जोखिम सीमा के निर्धारण को समग्रतः जिम्मेदारी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन पर है । बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंक ने एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबीओडी) है । यहां बैंक के विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की कुछ अन्य आंतरिक समितियां भी हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों की रणनीतिक प्रबंधन के लिए एक निर्णय लेने योग्य समिति है । एल्को की वर्ष में 14 बार बैठकें हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को समीक्षा को गई जैसे, ब्याज दरों के परिदृश्य, जमा और अग्रिम दोनों के लिए उत्पाद मूल्य, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं के अपेक्षित परिपक्वता रूप रेखा, बैंक नीधियों की मांग, बैंक के आधार दर का पुनर्निधारण, बैंक के नकद प्रवाह, लाभ योजना और समग्र तुलनपत्र प्रबंधन ।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) पर बैंक की परिचालन जोखिम की निगरानी करने और एक स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिकल्पन एवं निर्वाह द्वारा परिचालन जोखिम के निवारण हेतु मूल्यांकन एवं आवश्यक कदम उठाने का दायित्व है । यह सुनिश्चित करती है कि परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के मानदंडों, नीतियों एवं दिशानिर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जा रहा है। परिचालन जोखिम दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श करने के लिए ओआरएमसी की 11 बार बैठकें हुई ।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक के व्यापक आधार पर ऋण नीति, प्रक्रिया और विश्लेषण, प्रबंध और नियंत्रण ऋण जोखिम से संबंधित विभिन्न ऋण जोखिम के पहलुओं की निगरानी करता है । परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श करने के लिए वर्ष के दौरान समिति की 07 बार बैठकें हुई ।

जोखिम प्रबंधन की नीतियां:

विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और स्तंभ जोखिमों, पर चर्चा करने और ऐसे जोखिमों, जिसमें बैंक की संभावनाएं हैं, को पहचानने, प्रबंधित करने एवं उसके निवारण हेतु, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। इस प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा ऋण नीति, आईसीएएपी पर नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय लाइन मैपिंग नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, निवेश नीति, प्रकटीकरण नीति, ऋण लेखा नीति, तनाव परीक्षण नीति, और ऋण जोखिम निवारण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति आदि प्रमुख नीतियां विकसीत एवं अनुमोदित की गई हैं।

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम से निपटने के लिए, बैंक ने एक ऋण नीति तैयार की है जिसमें ऋण जोखिम संबद्ध समस्त परिचालन क्षेत्रों को शामिल करते हुए ऋण प्रबंधन के नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित हैं । यह नीति बैंक को अपने ऋण संविभाग में एक नियमित और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित ऋणगत निर्णयों के द्वारा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को वृद्धि करने के लिए सक्षम बनाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुयोजन में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, समूह उधारकर्ताओं, प्रवेश स्तरीय निवेश मानदंड, पर्याप्त निवेश सीमा, बेंचमार्क वित्तीय अनुपात,

उधारकर्ता मानकों, उद्योगों के लिए निवेश सीमा / अधिकतम सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों, मूल्यांकन वर्ग आदि विभिन्न प्रकार की विवेकाधिकार सीमा का निर्धारण किया है । वर्ष के दौरान इस प्रकार के सीमाओं को बोर्ड द्वारा समीक्षित किया गया है ।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक / बैंक के बोर्ड द्वारा तय की गई निवेश सीमा/अधिकतम सीमा के भीतर बैंक के विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए छमाही आधार पर विभिन्न निवेश मानदंडों का विश्लेषण किया गया है।

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन कार्य से स्वतंत्र अपने ऋण मूल्यांकन कार्य का निर्धारण किया है । ऋण खातों का आंतरिक जोखिम मूल्यांकन, ऋण प्रस्तावों का आंकलन एवं उधारकर्ता के मूल्यांकन करने वाले एक सॉफ्टवेयर आधारित मूल्यांकन मॉडल के माध्यम से किया जाता है ।

बैंक ने वर्ष के दौरान, बैंक के ऋण संविभाग पर विशेष उद्योग/क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रणनीतियों को अपनाने और संकेन्द्रण जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, त्रैमासिक अंतराल पर ऋण संविभाग विश्लेषण का आयोजन किया ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भी एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और चार वर्षों की समय सीमा के लिए स्थिरता दर, उन्नयन दर, निम्न कोटि निर्धारण दर एवं चूक दर का विश्लेषण करने के लिए छमाही अंतराल पर अपने उधारकर्ताओं का मूल्यांकन स्थानानंतरण विश्लेषण करने का कार्य शुरू किया है एवं संविभाग की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए, बैंक ने नकदी, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और बैंक की इक्विटी जोखिम को मापने, निगरानी एवं प्रबंध करने पर जोर दिया है । व्यापार बही में बाजार जोखिम की निगरनी एवं प्रबंधन उसके उपयुक्त नियत्रंण प्रणाली द्वारा की जाती है । बाजार की स्थिति, वित्त पोषण पैटर्न, अवधि, प्रतिपक्ष सीमा और विभिन्न संवेदनशील मानकों को भी नियमित आधार पर बैंक द्वारा निगरानी किया जाता है । उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), उपार्जन पर जोखिम (आएआर), निवल एक दिवसीय खुली स्थिति सीमा (एलओओपीएल) और संशोधित अवधि सीमा का भी बाजार जोखिम के प्रबंधन में उपयोग किया जाता है ।

बैंक, नियमित आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरणों और शेयर अनुपातों के माध्यम से तुलन पत्र के सभी मदों की चलनिधि जोखिम को मापती एवं निगरानी करती है । बैंक, ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्टों के माध्यम से इसके ब्याज दर जोखिम की भी निगरानी करता है ।

बैंक ने राजकोष कार्यों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु अपनी निवेश नीति का प्रतिपादन एवं समीक्षा किया है । बैंक ने चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि से निपटने के लिए एक आस्ति देयता प्रबंधन नीति को भी लागू किया है । इन नीतियों में प्रबंधन कार्य, प्रक्रिया, विवेकसम्मत जोखिम सीमा, समीक्षा व्यवस्था और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल है । इन नीतियों की समयसमय पर वित्तीय एवं बाजार की स्थिति में परिवर्तन होने के क्रम में समीक्षा की जाती है ।

बैंक के निवेश संविभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के स्वचालित गणना के साथ चल रहे आधार पर अपने निवेश एवं राजकोष संविभाग की निगरानी के लिए बैंक के पास एकीकृत राजकोष प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) सॉफ्टवेयर है।

परिचालनगत जोखिम:

प्रभावी ढंग से एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है । विभिन्न उत्पादों, गतिविधियों और विभिन्न व्यवसाय श्रेणी में आय की संगणना के लिए बैंक ने व्यवसायिक ऋंखला संगणना नीति भी तैयार की है ।

बैंक के परिचालनगत जोखिम की निगरानी करने का दायित्व परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का है। ओआरएमसी द्वारा बैंक द्वारा अपनाई गई प्रणाली, प्रक्रिया, नए उत्पाद तथा परिचालन जोखिम लॉस इवेन्ट डाटा की भी समीक्षा की जाती है और आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपाय करने हेतु यह सुझाव देता है ।

बासेल-III अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी की श्रृंखला में 31 मार्च, 2009 से बैंक ने बासेल ढांचे का सफलता के साथ ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेत दृष्टिकोण (बीआईए) और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) का माइग्रेट किया है ।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसरण में प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2013 से बासेल पूंजी नियामक शर्तों का अनुसरण किया है। बैंक द्वारा तिमाही अंतराल में बासेल II और बासेल III, दोनों के तहत, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना किया जाता है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के स्तंभ 2 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के तहत सभी वस्तु जोखिम,जिससे बैंक प्रभावित है एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया,जिसे उन जोखिमों के प्रबंधन एवं समाप्त करने के लिए लागू किया गया है तथा उन जोखिमों के अनुरूप पूँजी पर्याप्तता अनुपात के साथ मूल्यांकन हेतु एक नीति तैयार की है।

आईसीएएपी नीति के साथ, बैंक वार्षिक आधार पर आईसीएएपी दस्तावेज तैयार करता है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक सत्यापन और अनुमोदन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है । वर्ष 2016-17 के लिए बैंक के आईसीएएपी दस्तावेज आरबीआई को प्रस्तुत किया गया है।

बैंक ने दोनों बासेल II और बासेल III के नियमों के तहत अपनी पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा की और अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। बैंक ने आईसीएएपी को तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी की आवश्यकता और निगरानी के लिए समीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और बैंक के तनाव परीक्षण नीति के अनुसार बैंक ने लिक्विडिटी रिस्क, ब्याज दर जोखिम, निवेशों मुद्रा जोखिम और ऋण जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों पर त्रैमासिक अंतराल पर तनाव परीक्षण विश्लेषण का आयोजन किया और पूंजी पर्याप्तता और मुनाफे का आकलन भी किया।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए, बैंक ने सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, आईबीए, आईडीआरबीटी, सीएबी आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए जोखिम प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण/सेमिनार के लिए नियमित आधार पर अपने अधिकारियों को मनोनीत किया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 31 मार्च, 2018 तक बैंक द्वारा रु 33428 करोड़ ऋण दिया गया है जो कि एएनबीसी का 45.52% है। बैंक ने एमएसएमई के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान, माइक्रो उद्यम,इसके अलावा अन्य संभाव्य अवसरों प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों यथा एसएचजी ऋण सहबद्धता,केसीसी,लघु चाय संवर्धक को वित्तपोषण,खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के वित्तपोषण, दुग्ध उत्पादन की बड़ी इकाईयों को वित्तपोषण, मुर्गी पालन, नियंत्रित हालत में (ग्रीन हाउस / पाली हाउस) सब्जी और फूल, कृषि आदि के लिए अग्रिम प्रदान है।

कृषि ऋण:

बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रु8651 के लक्ष्य के मुकाबले रु7494 करोड़ संवितरित कर 86.62% का लक्ष्य प्राप्त किया है। 31मार्च 2018 को कृषि क्षेत्र को ऋण रु12584 रहा, जो एएनबीसी के निर्धारित 18% लक्ष्य के मुकाबले में 17.13% है। वर्ष 2017-18 में लघु एवं सीमांत किसानों को रु6234 करोड़ ऋण दिया गया जो एएनबीसी की निर्धारित 8% लक्ष्य के मुकाबले 8.49% है।

कमजोर वर्ग के लिए ऋण:

31 मार्च 2018 को कमजोर वर्ग का ऋण रु9369 करोड़ हो गया है और जो 12.76% की निर्धारित एएनबीसी के लक्ष्य के मुकाबले में 10% है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऋण:

31 मार्च 2018 को बैंक का अल्पसंख्यक समुदाय का ऋण रु5074 करोड़ हो गया है जो शर्त के अनुरूप पीएसएल के 15.01% है ।

किसान क्रेडिट कार्ड:

केसीसी के दायरे नये किसानों को लाने हेतु बैंक ने अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 01.01.2018 से 17.03.2018 के दौरान अनेकों विशेष शिविरों एवं एक कृषि ऋण अभियान का आयोजन किया । वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 70980 नया केसीसी जारी किया जिसका ऋण सीमा रु454 करोड़ रहा। 31 मार्च 2018 को कुल बकाया केसीसी की संख्या 581562 रहा, जिसमें कुल बकाया राशि रु2807.42 करोड़ रहा। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी केसीसी धारकों को सक्षम रूपे आधारित एटीएम कार्ड जारी करने के संबंध में, बैंक ने केसीसी धारकों(एन.पी.ए.केसीसी को छोड़कर) को 31.03.2018 तक 5.54 लाख एटीएम कार्ड जारी किया है, इस तरह सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर समस्त परिचालित केसीसी को रूपे केसीसी में पूर्ण परिवर्तित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया।

स्वयं सहायता समूह:

31 मार्च 2018 को बैंक का 104668 स्वयं सहायता समूहों के साथ क्रेडिट लिंकेज है, जिसमें कुल बकाया राशि रु770.76 करोड़ है। एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल के निर्णय के अनुसार प्रथम ग्रेडिंग के स्वयं सहायता समूह को 1.50 लाख की प्रारंभिक क्रेडिट सीमा प्रदान करते हुए बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम को लागू किया है । राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की सहायता से बैंक ने समुदाय आधारित वसूली तंत्र (सीबीआरएम) में भाग लेना शुरू किया है, जिससे शाखाओं में बैंक सखी / बैंक मित्र को रखा गया है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक दायित्व:

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में, बैंक ने निम्नलिखित गतिविधियों में कार्य शुरू किया है:

युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (युबीआरएसईटीआई)

बैंक ने अब तक 16 आरसेटी, पश्चिम बंगाल(6), असम(8) और त्रिपुरा(2) राज्यों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संभावित उद्यिमयों को प्रशिक्षण देने के लिए गठित की है। सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम जैसे पीएमईजीपी, लाइफ एमजीनरेगा आदि को आरसेटी सक्रिय रूप से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों चला रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, इन संस्थानों ने 8875 उम्मीदवारों के निर्धारित लक्ष्य से 10548 ग्रामीण युवाओं / महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 69% प्रशिक्षुओं ने आर्थिक उद्यम की स्थापना कर स्वयं को स्थापित कर लिया है। ये संस्थान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद उन्हें सहारा देते हुए हमारे बैंक की शाखाओं से ऋण की व्यवस्था करते हैं ताकि वे स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम हो सके।

एफएलसीसी

समाज के गरीब वर्ग को वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श सेवाओं का विस्तार प्रदान करने के लिए बैंक ने पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में 38 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, इन एफएलसी नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बाहरी गतिविधियों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना भी शामिल है।

युनाइटेड बैंक सामाजिकआर्थिक विकास फाउंडेशन (युबीएसईडीएफ)

बैंक के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य तथा समाज के कमजोर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए, 30 मार्च 2007 को युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन (युबीएसईडीएफ) का स्थापित किया गया था । बैंक ने 31.03.2018 तक अपने सीएसआर गतिविधियों के लिए 87 विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में रु294.42 लाख की कुल राशि का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हेल्थ केयर,लाईब्रेरी रूम निर्माण,ईस्लेटों का वितरण,सामजिक गतिविधियों के लिए कंबल एवं गाडियां आपूर्ति के तहत प्रस्तावों को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस साल में, बैंक ने 7 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों द्वारा समाज हेतु रु24.04 लाख संवितरित किया है।

एमएसएमई

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एम एस एम ई के अन्तर्गत बैंक का अग्रिम 31.03.2018 तक बढकर रू12598 करोड़ हो गया। समग्र रूप से 2017-18 में वर्षवार बैंक के एमएसएमई संविभाग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे युक्तिसंगत माना जा सकता है ।

एमएसएमई, बैंक के ऋण क्षेत्रों में से एक प्रमुख क्षेत्र होने के कारण बैंक के एमएसएमई संविभाग को समुन्नत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहल किए गए-

- टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक छूट प्रणाली) प्लेटफार्म के साथ बैंक ने अपना पंजीकरण करवाया एवं बीजकों के फैक्टरिंग के माध्यम से व्यवसाय परिचालन की शुरूआत की ।
- एक संपर्क प्रबंधक को प्रत्येक 180 एम एस एम ई विशेषीकृत शाखाओं में पदनामित किया गया,जिन्हें शाखा के 20 शीर्षस्थ एमएसएमई खातों के देखरेख का दायित्व सौंपा गया
- बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकों की उपस्थिति में एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने हेतु देश के विभिन्न भागों में अनेकों एमएसएमई ग्राहक बैठक आयोजित किए गए।
- एमएसएमई संविभाग को की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एमएसएम ऋण पर कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रथम बार शाखा प्रबंधकों के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- मुद्रा श्रेणी के अंतर्गत बैंक ने रू10.00 लाख तक के एमएसई क्षेत्र के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए एवं सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज के तहत रू10.00 लाख से उपर रू200 लाख तक के ऋण को प्रोत्साहित किया।
- बैंक ने सही मायने में लक्ष्य समूह अ.जा./अ.ज.जा एवं महिला उद्यिमयों को "स्टैंड अप इंडिया" योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध कराया है।

  इसके अलावा वर्ष 2017-18 के दौरान रू1710 करोड़ की नई संस्वीकृति के माध्यम से मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक ने पूरी तरह लक्ष्य को प्राप्त किया। एमएसएमई ऋण में सर्वोत्कृष्ट निष्पादन हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को निम्नलिखित अवार्ड प्राप्त हुआ ।
- नई दिल्ली में 49 वीं एसकेओसीएच समिट में "प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमएमवाई)" के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु एसकेओसीएच मुद्रा निष्पादन अवार्ड ।
- बैंक को प्रोत्साहन योजनाओं में विजेता (उभरता श्रेणी) सर्वोत्तम बैंक का एवार्ड प्राप्त हुआ एवं विगत वित्तीय वर्ष में इनके निष्पादन हेतु चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा इंको-तकनीकी सेवी बैंक अवार्ड रनर अप (उभरता श्रेणी) प्राप्त हुआ।
- एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा (एस्सोचाम) द्वारा बैंक को मध्यम वर्ग के अंतर्गत सरकारी योजनाओं के वर्ग में रनरअप अवार्ड और मध्यम बैंक श्रेणी के अंतर्गत सर्वोत्तम सामाजिक बैंक श्रेणी में रनर अप पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

अग्रणी बैंक प्रभाग

अग्रणी बैंक योजना की शुरूआत आरबीआई द्वारा दिसबंर 1969 में की गई थी। अग्रणी बैंक योजना की शुरूआत व्यक्तिगत बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) को आवंटित किए गए जिलों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए की गई थी।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। ऐसा माना जाता है कि, 43 जिलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल में 11 जिले, असम में 16 जिले, मणिपुर में 8 जिले और त्रिपुरा में 8 जिले शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा राज्य का अग्रणी बैंक होने के नाते, अग्रणी बैंक योजना में शामिल दोनों राज्यों के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसोपी) के निर्माण एवं अंतिम रुप देने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों,सरकारी योजनाओं,नाबार्ड, राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बैंक सक्रिय रुप से कार्यरत है।

एसएलबीसी की आयोजित 124वीं बैठक में त्रिपुरा के माननीय मुख्य मंत्री, श्री विपल्व कुमार देव उपस्थित थे।

राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के चर्चा के स्तर को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के एसएलबीसी बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार, माननीय वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य के लिए संयोजक के रूप में वार्षिक ऋण योजना के सफल क्रियान्वयन, निगरानी के लिए जिम्मेवार है, विभिन्न प्रायोजित योजना अर्थात डीएवाईएनआरएलएम, डीएवाईएनयूएलएम, प्रधान मंत्री योजना, स्टैंड अप योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना एवं अटल पेंशन योजना। इसके अलावा, बैंक दोनों राज्यों में विभिन्न बैंक शाखाओं पर आधार सीडिंग केंद्र स्थापित करने का साधन था और विभिन्न तरह के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा डिजिटल बैंकिंग को प्रसारित करने में सहायता की।

वित्तीय समावेशन

डिजिटल भुगतान और मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, अब इस सुविधा के द्वारा वंचित लोगों और क्षेत्रों में उन्नत उत्पाद वितरित किया जा सकता है। फिनटेक एक अभूतपूर्व गति से वित्तीय समावेशन का चेहरा बदल रहा है।13250 गांवों में जहां बैंकिंग सेवा नहीं थी, ऐसे गांवों में 4252 बैंक मित्र की बड़ी बीसी नेटवर्क द्वारा नवीनतम और उत्तम प्रौद्योगिकी के माध्यम से वंचित लोगों को उनके दरवाजे पर विभिन्न बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया जा रहा है।

2017-18 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है।

1. बैंक मित्रों ने 31 मार्च, 2017 से बचत बैंक जमा में 31 मार्च, 2018 तक 944.87 करोड़ रुपये की वृद्धि कर 1365.66 करोड़ रुपये का संग्रहण किया, जिससे इस अवधि के दौरान 420.79 करोड़ रुपये (44.53% वृद्धि वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में एसबीएफआईएस खातों की संख्या 93.19 लाख से बढ़कर 103.37 लाख हो गई, जिससे 10.92% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई।

2. एफआई आवर्ती जमा (आरडीएफआईएस) योजना ने संख्या के संदर्भ में 193.66% (31.03.2018 को 31886 खाते) और 31.03.2018 को 555.92 लाख रुपये संदर्भ में 597.86% की वृद्धि दर्ज की है।

3. युनाइटेड जेएलजी सूक्ष्म वित्तपोषण के अंतर्गत नगण्य एनपीए के साथ कुल संस्वीकृति में 31.03.2018 तक 142.42 करोड़ रुपये (वर्ष दर वर्ष 5.50% की वृद्धि) की वृद्धि।

4. बैंक ने नई आरंभ की गई "युनाइटेड समृद्धि" योजना पर ध्यान केंद्रित किया जिसके अंतर्गत 29 87 व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान किए गए और पोर्टफोलियो 31.03.2017 को 1.26 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2018 तक 45.69 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने नए भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ट एमएसएमई क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ "युनाइटेड समृद्धि" योजना को नए रूप में भी आरंभ किया हैं।

5. बैंक ने वर्ष दर वर्ष प्रमुख पीएमजेडीवाई योजना के तहत निरंतर प्रगति की, जिसमें 31.03.2018 को खातों की संख्या 1.21 करोड़ तक बढ़ी और 31.03.2017 तक जमा 7414.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2018 को 10670.24 करोड़ रुपये हो गई, जिससे 43.92% योई की वृद्धि दर्ज की गई।

6. 31.03.2018 को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत शुद्ध पंजीकरण 3.80 लाख तक बढ़ गया, जबकि प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत पंजीकरण 31.03.2018 तक 20.26 लाख हो गया । पीएमजेजेबीवाई के तहत एलआईसी के साथ बैंक द्वारा दर्ज 1860 दावों में से 1760 को 31.03.2018 को निपटाया गया था और पीएमएसबीवाई के मामले में, 282 दावों में से 151 एनआईसी द्वारा निपटाए गए थे।

7. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत, शुद्ध पंजीकरण 31.03.2018 को 97075 पर था।

8. 31.03.2018 को 132.95 लाख सक्रिय कासा खातों आधार दर्ज किया गया (31.03.2017 तक 87.85 लाख से ऊपर) । इसके अलावा, 31.03.2018 को यूआईडीएआई के सीआईडीआर के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की संख्या 110.02 लाख थी, जो इस व्यवसाय में सबसे अधिक है।

9. बैंक द्वारा बैंक मित्र प्वाइंट और शाखाओं में सफलतापूर्वक किए गए प्रमुख परियोजनाओं में से एक आधार सेवाओं के लिए पंजीकृत उपकरण का कार्यान्वयन था। 31.03.2018 तक, बैंक 6500 से अधिक पंजीकृत उपकरणों के माध्यम से आधार आधारित सेवाएं प्रदान कर रहा था।

10. बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान भीम (BHIM) आधार पे मर्चेंट पीओएस की भी शुरूआत की और 31.03.2018 तक 2027 टर्मिनलों की स्थापना की।

    बैंक ने 31.03.2018 को यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार के रूप आधार नामांकन और अद्यतन के क्षेत्र में प्रवेश किया और बैंक और आरआरबी की 282 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र लागू किया। बैंक ने आधार नामांकन परिचालक और पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए 564 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित और उना प्रमाणीकरण पूरा किया है।

11. वित्तीय समावेशन के तहत बैंक के निष्पादन के कारण समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए:

- स्कॉच पुरस्कार (10 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में): 2017-2018 की अवधि के दौरान "प्रधान मंत्री जन धन योजना" को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए "युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को फाइनैंशियल इंक्लूजन गोल्ड पुरस्कार" मिला।
- स्कॉच पुरस्कार (9 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में): प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत रोजगार सृजन के लिए मुद्रा परफॉर्मेंस पुरस्कार मिला।
- भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का मंडल सीआईएमएसएमई (2016-17 के लिए):

क) "प्रचार-प्रसार संबंधी योजनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार" (उभरती हुई श्रेणी) का विजेता।

ख) "इको टेक्नोलॉजी सेवी बैंक अवॉर्ड" (उभरती हुई श्रेणी) के तहत दूसरा स्थान।

- एसोसिएटेड चेंबर दि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम (वर्ष 2016-17 के लिए):

क) मध्यम बैंक श्रेणी के तहत "सरकारी योजनाओं" के लिए दूसरा स्थान

ख) मध्यम बैंक श्रेणी के तहत "सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक" के लिए दूसरा स्थान

वित्तीय समावेशन पहल बाकी भागीदारी जो नेतृत्व, विशेषज्ञता, अनुभव और वित्त पोषण को एक साथ लाती है। वित्तीय समावेशन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए, व्यापक सामूहिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए बैंक सामूहिक रूप से फिनटेक का लाभ उठा रहा है।

संगठन एवं सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क :

27.01.2017 को आयोजित बैठक में बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड नोट संख्या बीईडी / 06 / 2017-18 द्वारा) ने 250 सामान्य शाखाओं के उद्घाटन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) 2017-18 को मंजूरी दी थी।

इसके अलावा 07.03.2017 को आयोजित बैठक में (बोर्ड नोट सं. बीईडी / 08 / 2017-18 द्वारा), 5000 से अधिक की जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों,जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा नहीं है वहां 39 ईट और मोर्टार शाखाओं के उद्घाटन के लिए मंजूरी दी थी।

चूंकि, बैंक पर लगाए गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के कारण बैंक को शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, 250 सामान्य शाखाएं और बैंक रहित गांवों में 39 शाखाएं खोलने की पूर्व अनुमति के लिए आरबीआई को आवेदन जमा किया गया है। हालांकि, आरबीआई ने आज तक नई शाखाएं खोलने के लिए अनुमति नहीं दी है ।

पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान आरबीआई ने उसी वर्ष 51 शाखाएं खोलने की अनुमति दी थी और 46 शाखाएं खोली गई। शेष पांच (5) शाखाओं में से, तीन (3) शाखाएं वर्ष 2017-18 के दौरान खोली गई हैं जिसमें से बाकी 2 शाखाएं मणिपुर के टौसम और सिक्किम के मंगशीला में (जिसे बाद में आरबीआई अनुमति के कारण पूर्वी सिक्किम में पेंलॉन्ग के साथ स्थानांतरित कर दिया गया) खोली जानी बाकी हैं।

टौसम में प्रस्तावित शाखा को खोला नहीं जा सका है क्योंकि मणिपुर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इमारत और बुनियादी ढांचे का निर्माण अभी बाकी है। पेंलॉन्ग में शाखा हेतु परिसर का चयन उत्तर बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शुरू किया गया है और इसे खोलने की प्रक्रिया शाखा प्रगति पर है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 24.05.2017 को मेरठ में एक खुदरा ऋण केंद्र खोला था और 22.06.2017 को पंजाब के लुधियाना में संपर्क कार्यालय जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016-17 में अनुमति दी गई थी। चूंकि रायपुर क्षेत्र के तहत इंदौर में संपर्क कार्यालय को आरबीआई अनुमति की वैधता अवधि के भीतर खोला नहीं गया था, इसलिए इसका लाइसेंस 09.01.2018 को समाप्त हो गया है।

31.03.2018 तक बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 2057 है। इसके अलावा बैंक के 36 क्षेत्रीय कार्यालय, 5 कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, 5 विस्तार काउंटर, 3 संपर्क कार्यालय और 2 वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय बांग्लादेश के ढाका में और म्यांमार के यांगून में है।

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान खोली गई शाखाएं और कार्यालय

क्रम सं.	शाखा/कार्यालय का नाम	क्षेत्र	राज्य	आरंभ तिथि	शाखा / कार्यालय का प्रकार
1	मुकुंदपुर	कलकत्ता (दक्षिण)	पश्चिम बंगाल	17.05.2017	सामान्य शाखा
2	टिफ्रा	रायपुर	छत्तीसगढ़	22.06.2017	सामान्य शाखा
3	हाइलैंड पार्क	बेहला	पश्चिम बंगाल	23.06.2017	सामान्य शाखा
4	खुदरा ऋण केंद्र, मेरठ	मेरठ	उत्तर प्रदेश	24.05.2017	खुदरा ऋण केंद्र
5	संपर्क कार्यालय लुधियाना	चंडीगढ़	पंजाब	22.06.2017	संपर्क कार्यालय

कुल शाखा नेटवर्क का जनसंख्या समूहवार संरचना:

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2017	31.03.2018
महानगर	372 (18.12%)	375 (18.23%)
शहरी	481 (23.43%)	481 (23.38%)
अर्ध शहरी	423 (20.61%)	424 (20.62%)
ग्रामीण	777 (37.84%)	777 (37.77%)
कुल	**2053**	**2057**

कुल शाखा नेटवर्क की भौगोलिक स्थितिवार संरचना:

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2017	31.03.2018
पूर्वी क्षेत्र	1180 (57.47%)	1182 (57.46%)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	364 (17.73%)	364 (17.70%)
पश्चिमी क्षेत्र	88 (4.29%)	88 (4.28%)
उत्तरी क्षेत्र	126 (6.14%)	126 (6.13%)
दक्षिणी क्षेत्र	139 (6.77%)	139 (6.76%)
केन्द्रीय क्षेत्र	156 (7.60%)	158 (7.67%)
कुल	**2053**	**2057**

बैंक में 240 विशेष शाखाएं हैं, जो विशिष्ट ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं

विशिष्ट शाखाओं की श्रेणियाँ	31.03.2018
• एमएसएमई	180
• आस्ति वसूली प्रबंधन	4
• खुदरा केंद्र	24
• कॉर्पोरेट वित्त शाखा	4
• सेवा शाखा	19
• महिला शाखा	5
• ट्रेजरी शाखा	1
• केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र	1
• नकदी प्रबंधन सेवा केंद्र	1
• आवक चेक प्रसंस्करण केंद्र	1
कुल	**240**

31.03.2018, तक देश भर में कुल 2057 शाखाओं में से 885 (43.02%), 85 अल्पसंख्यक केंद्रित जिले (एमसीडी) में अवस्थित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत शामिल किया गया है और बेहतर ग्राहक सेवा एवं प्रभावी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, सरकारी व्यवसाय मॉड्यूल, आस्ति देयता प्रबंधन, धन शोधन निवारण और लैंडिंग ऑटोमोन प्रसंस्करण प्रणाली आदि जैसे अन्य कई अन्य अनुप्रयोगों का भी कार्यान्वयन किया गया है। बैंक की सभी शाखाओं में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से इंटरबैंक धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है । यह सुविधा हमारे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग मंच पर भी उपलब्ध है। बैंक स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से I 'ए' श्रेणी की एडी शाखा और 41 'बी' श्रेणी की एडी शाखाओं द्वारा सीमापार धन प्रेषण करता है। कोर बैंकिंग प्रणाली को एसएफएमएस प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सीधे पूर्ण प्रसंस्करण (एसटीपी) का उपयोग करके देशी साख पत्र (एलसी) और देशी बैंक गारंटी का परिचालन किया जा सके। धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए, अपनी सभी शाखाओं में बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट नेटवर्क आर्किटैक्चर को नेक्स्ट जेनेरेान के एमपीएलएस प्रौद्योगिकी के लिए नवीनीकृत कर दिया है और उच्च उपलब्धता एवं बेहतर प्रर्दान के लिए नेटवर्क बैंडविड्थ का उन्नयन भी किया है। केबल कटने की स्थिति में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बैंक ने वीसैट को समर्पित बैंडविड्थ और हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी के साथ 3 जी का उपयोग करके शाखाओं में बैक अप कनेक्टिविटी का उपयोग किया है। प्राइमरी लिंक के आउटेज के मामले में और इसके विपरीत होने की स्थिति बैंक निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सेकेंडरी एमएलपी कनेक्टिविटी लागू करने की प्रक्रिया।

बैंक अपने कोर बैंकिंग और अन्य अनुप्रयोगों के साथ-साथ डेटा केंद्र के बुनियादी ढांचे के लिए भी सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखा परीक्षा करता है। इसमें कुछ अंतराल पर बाह्य सामना करने वाले अनुप्रयोगों के लिए वीएपीटी (वल्नेराबिलिटी एसेसमेंट एंड पेनेट्रेान टेस्टिंग) शामिल है। बैंक अपने व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) के तहत आवधिक डीआर (आपदा रिकवरी) अभ्यास का आयोजन करता है।

हमारी दूसरी तकनीक पहल के हिस्से के रूप में, निम्नलिखित प्रणाली स्थापित किए गए हैं।

एनपीसीआई की कनेक्टिविटी एनएसीएच और एपीबीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होस्ट से होस्ट की शुरूआत कर, सभी लेनदेन की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय भुगतान केंद्र समाधान कार्यान्वित किया गया है। इस मंच में मैनेडेट प्रबंधन सेवाएं भी सक्षम किया गया हैं। भविष्य में, सभी कॉर्पोरेट संग्रह और भुगतान सेवाओं और आईएमपीएस गेटवे को इस केंद्रीकृत केंद्र में एकीकृत किया जाएगा।

बैंक ने सार्वजनिक निधि प्रबंधन सेवा (पीएफएमएस) प्लैटफॉर्म का विस्तार किया है और केन्द्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं के लिए डीबीटी भुगतान का संवितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस प्लैटफॉर्म पर दो मंत्रालयों के लिए भी विभागीय मंत्रालय संबंधी खातों का भी संचालन किया जा रहा है।

बैंक ने ग्रीन इनिशिएटिव के एक भाग के रूप में, पेपररहित प्रणाली से बोर्ड स्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए बोर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम (बीआईएस) को कार्यान्वित किया है। विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों की समस्त कार्यसूची और कार्यवृत्त इस पोर्टल में अपलोड किए जाते हैं।

आवश्यक सूचना की सुलभ और त्वरित उपलब्धता के लिए एमआईएस सोल्यूशन को एक नए सोल्यूशन और आर्किटैक्चर के साथ नवीनीकृत कर दिया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से विनियामक रिपोर्टों को भी स्वचालित किया जा रहा है ।

बैंक के पास एक इंट्रानेट पोर्टल है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सूचना का आदान-प्रदान करने, ज्ञान प्रबंधन और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है।

चयनित शाखाओं में पासबुक मुद्रण, नकद जमा और चेक जमा जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सेल्फ सर्विस कियोस्क स्थापित किया गया है। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए खाते में हुए लेनदेन को देखने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पासबुक (युनाइटेड ई पासबुक) सुविधा की शुरूआत की है।

बैंक ने विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों को रोकने के लिए नेक्स्ट जेनेरेशन के कुछ उपकरण लगाए हैं और पेशेवर एजेंसियों को एंटीफ़िशिंग, एंटीफार्मिंग, एंटीट्रोजन और एंटीमैलवेयर परिचालित सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

आईएस सुरक्षा परिचालनों के लिए केंद्रीकृत सूचना सुरक्षा स्थिति और कमांड सेंटर की केंद्रीकृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक ने सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) का कार्यान्वयन किया है।

केंद्रीयकृत भुगतान केंद्र

बैंक ने सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से ई लेनदेन की भारी मात्रा को संभालने के लिए प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीयकृत भुगतान हब (सीपीएच) स्थापित किया है। केन्द्रीकृत भुगतान हब ने 03.11.2014 से अपना कार्य आरंभ किया है।

यह विभाग निम्नलिखित सेवाएं दे रहा है:

ए) एनएसीएच डेबिट

बी) एनएसीएच केडिट

सी) एपीबीएस (आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम)

डी) डेस्टिनेशन बैंक के रूप में एनपीसीआई का मैनडेट मैनेजमेंट सिस्टम

ई) प्रायोजक बैंक के रूप में एनपीसीआई का मैनडेट मैनेजमेंट सिस्टम

एफ) डीबीटीएल (एलपीजी ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)

जी) डेस्टिनेशन बैंक के रूप में ईसीएस डेबिट

एच) आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का लेखा समाधान

आई)डिजिधन भुगतान

जे) सीएमएस (नकदी प्रबंधन सेवाएँ)

i. सीएमएस भुगतान सेवाएं
   1. कॉर्पोरेट थोक भुगतान
   2. जीईपीजी (सरकारी ई पेमेंट गेटवे)

ii. सीएमएस संग्रह सेवाएं
   1. इंडो नेपाल धन प्रेषण सेवाएं
   2. केन्द्रीय अधिदेश (मैंडेट) आधारित डायरेक्ट डेबिट सेवा
   3. कॉर्पोरेट कैश एवं चेक संग्रह सेवा

iii. एएसबीए (अवरुद्ध राशि समर्थित ऐप्लिकेशन)
   1. कोर एएसबीए
   2. सिंडिकेट एएसबीए
   3. ई एएसबीए (इंटरनेट बैंकिंग /नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा)

मानव संसाधन: विवरण

कर्मचारियों की कुल संख्या में अधिकारी 51.42%, लिपिक 28.64% और अधीनस्थ कर्मचारी 10.70% हैं । महिला कर्मचारियों की संख्या 3390 है यह बैंक की कुल कर्मचारियों की संख्या का 22.24% है।

वर्ष 2017-18 में बैंक ने 207 प्रोबेशनरी अधिकारियों,18 फील्ड स्तर के कृषि अधिकारी,10 विधि अधिकारी,05 मानव संसाधन अधिकारी,03 राजभाषा अधिकारी एवं 314 लिपिकों की भर्ती की है । भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों को भरकर प्रभावी ढंग से उत्तराधिकार योजना प्रक्रिया और श्रम शक्ति प्रबंधन को संगठन के सुचारूरूप से चलाने के लिए किया गया था।

प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

बैंकिंग क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के महत्व को महसूस किया गया और इसके लिए एक अगली कड़ी के रूप में बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में निम्नलिखित कदम उठाए:

i. **आंतरिक प्रशिक्षण:** स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, कोलकाता और अन्य चार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 2549 कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ii. **बाह्य प्रशिक्षण:** समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बाह्य पेशेवर प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 112 कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराया।

ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने त्वरित सेवा प्रदान कर, विविधतापूर्ण प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पाद /सेवाएँ उपलब्ध करवाते हुए, ग्राहकों की पूछताछ /सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई करके तथा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण कर, ग्राहकों के प्रति मैत्रिभाव बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीसीएसबीआई द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है तथा देश भर के सभी शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को भी भेजा गया है। ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्राहक सेवा विभाग में एक टॉल फ्री संपर्क सुविधा प्रदान की गई है ताकि ग्राहक अपनी शिकायतों /सुझावों को दर्ज करा सकें। टॉल फ्री सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहती है। एटीएम संबंधी मामलों में ग्राहकों की आसानी के लिए प्रधान कार्यालय में अलग से टॉल फ्री संपर्क सुविधा प्रदान की गई है, जो 24_x7 उपलब्ध रहती है। बैंक ने अपने वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और स्थिति का पता लगा सकते हैं।

शिकायतों के शीघ्र और निष्पक्ष निपटान के लिए उपयोगी प्रोद्योगिकी द्वारा बैंक ने एक पोर्टल की शुरूआत किया है जिसे व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली [सीसीएमएस] नाम दिया गया है। इस प्रणाली के तहत शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतें को पावती रियल टाइम आधार पर दी जाती है और अंतिम निवारण होने तक पोर्टल पर भी निपटारा / निपटान की स्थिति अपलोड की जाती है। ग्राहक सीधे सीसीएमएस पोर्टल पर शिकायतें लोड कर सकता है जो सीसीएमएस के आउटस्टैंडिंग डाटाबेस में प्रणाली से स्वतः जोड़ लिया जाता है।

व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली [सीसीएमएस] से प्रत्येक शिकायत की स्थिति की खोज खबर रखने तथा एक विशेष अवधि में बैंक द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों पर व्यापक दृष्टि रखने में सहायता मिलती है। शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु संबंधित शाखा /क्षेत्रीय कार्यालय /प्रधान कार्यालय के विभाग के साथ तुरंत आवश्यक अनुवर्ती उपाय किए जाते हैं। इस प्रणाली से ग्राहक सेवा विभाग के प्राधिकारियों को शिकायत की प्रकृति का वर्गीकरण करने में तथा यह जानने में सहायता मिलती है कि शिकायत किन उत्पादों और सेवाओं से संबंधित है। डेटा विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि सेवा के जिस क्षेत्र में कोई कमी पाई जाती है तो उसमें सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए बैंक प्रबंधन को सहायता करना।

विभिन्न स्रोतों, जैसे मेल एवं डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों को सीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करना होता है। सीसीएमएस पोर्टल पर सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का समेकन करने से प्रबंधन को शिकायतों का विश्लेषण करने, उनके प्रकार और क्षेत्र की पहचान करने तथा उनके निवारण में लगने वाले समय के बारे में पता चलता है। इस तरह के विश्लेषणात्मक अध्ययन का लक्ष्य है, ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार करना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उत्पादों और सेवाओं में सांधन अपेक्षित है और प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दामोदरन समिति की शिफारिश के अनुसार हमारे बैंक ने आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति 07/12/2015 को ग्राहकों के विश्वास स्तर को बढ़ाने के लिए किया है।

कोलकाता स्थित शाखाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय के प्राधिकारियों ने गुप्त दौरे किए जिसमें अतिरिक्त रूप से सजावट सफाई, अनुशासन, समय की पाबंदी तथा बैंक और ग्राहकों के पारस्परिक हितरक्षा हेतु निवारक सतर्कता से संबंधित मामले भी शामिल किए गए।

बैंक के उत्पादों और सेवाओं से भली भाँति अवगत कराने तथा शीघ्र एवं उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के संबंध में बैंक के युवा अधिकारियों को शिक्षित करने के अलावे जून 2015 में एक क्वेस्ट नामक अप्लिकेान की शुरूआत की गई है। क्वेस्ट एक ऐसा अप्लिकेान है जिसके द्वारा बैंक के सभी पंचाट कर्मचारी और अधिकारी परिचालन बैंकिंग से संबंधित संदेह समाशोधन कर सकते हैं। उस पूछताछ का उत्तर प्रधान कार्यालय के चयनित प्राधिकारियों द्वारा 24 घंटे के अंदर दिए जाते हैं। प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया शुरू से ही नियमित रूप से चल रही है और क्वेस्ट पर प्राधिकारियों की अनुक्रिया उत्साहजनक और अत्यंत सकारात्मक रही है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राहक शिकायत निवारण की 99.47% रही। वर्ष के अंत में 721 शिकायतों का निपटान बाकी था जिनमें से 53 शिकायतें एक माह से अधिक की थीं।

एडीसी से संबंधित शिकायतों का निपटान निर्धारित अवधि के अंदर कर लिया गया है । वित्तीय वर्ष मार्च,18 के अंत तक, भारत सरकार के पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर 933 दर्ज शिकायतों में से, 919 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है और 31.03.2018 को 14 निवारण के लिए लंबित था।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक की आंतरिक लेखा नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और बैंक द्वारा नियामक अनुपालन सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के साथ प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता वाले परामर्श प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा सभी परिचालन इकाइयों का सतत आधार पर आंतरिक निरीक्षण किया जाता है। बैंक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) करता है जिसमें आरबीआईए के दायरे में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की परीक्षा और मूल्यांकन शामिल होगा।

लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग की संगठन संरचना में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), कार्यपालकों की लेखा समिति (एसीई), लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग (सात क्षेत्रीय निरीक्षण इकाइयों सहित (आरआईयू) के साथ लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय और कार्यपालकों की क्षेत्रीय लेखा परीक्षा समिति की रिपोर्टिंग शामिल है। आंतरिक निरीक्षकों / बाहरी लेखा परीक्षकों (सीए फर्म) की टीम बोर्ड अनुमोदित लेखापरीक्षा और निरीक्षण नीति के अनुसार फील्ड स्तर पर बैंक की शाखाओं / कार्यालयों का लगातार निरीक्षण कर रही है, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में शामिल जोखिम की पहचान, माप और शमन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और मानदंडों के कार्यान्वयन और अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन कर रही है। बैंकिंग प्रणाली और गतिशील वैश्विक आर्थिक माहौल के बदलते परिदृश्य के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिए, निरीक्षण प्रक्रिया अद्यतन की जाती है और समय समय पर बैंकिंग प्रणाली में बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बनाकर चलने के उद्देश्य से समय समय पर बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा नीति को अद्यतन किया जाता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाएं जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, स्नैप ऑडिट, राजस्व लेखा परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंधन लेखा परीक्षा की जाती है ।

शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की जाती है एवं संभावित जोखिम जैसे क्षेत्रों का आंतरिक नियंत्रण बैंक को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए आरबीआई द्वारा प्रणाली आधारित ऑनलाइन की शुरुआत) नवम्बर, 2016 से ही किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान 2057 शाखाओं में सं 1707 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

बैंक के दिशानिदशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शाखाओं /कार्यालयों में सटीकता, प्रामाणिकता और आंतरिक प्रणालियों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा समवती लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान 31.03.2018 तक कुल जमाराशि का 50% कुल अग्रिम का 77% और कुल व्यवसाय का 60% को शामिल करते हुए बैंक की 503 शाखाओं की समवती लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है ।

शाखाओं में ऋण वितरण प्रक्रिया में अंतर को चयन करते हुए ऋण लेखा परीक्षा को एक प्रभावी निगरानी संयत्र के रुप में अपनाया गया है तथा अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर को पूरा करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं । वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के 31 मार्च, 2018 तक ऋण लेखा परीक्षा द्वारा कुल ऋण संविभाग का 74.19% पूरा किया गया ।

प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण नेटवर्किंग और विभिन्न सुपुर्दगी माध्यमों की विस्तृत विविधता के माध्यम से बैंकिंग के दायरे, पहुंच और कवरेज को बढ़ाया है। बैंकों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने से, आईटी वातावरण के भीतर जटिलताओं ने काफी तकनीकी संबंधित जोखिमों को जन्म दिया है। इन तकनीकी जोखिमों को कम करने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की जा रही है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

बैंक सभी ग्राहकों के मामले में केवाईसी मानदंडों के कड़े अनुपालन के लिए उचित उपाय करता है और एएमएल (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) मानकों के कार्यान्वयन हेतु लेनदेन की कड़ी निगरानी करता है।

केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

- बैंक ने उचित प्रक्रियाएं स्थापित करके एक प्रभावी एएमएल कार्यक्रम तैयार किया है और इसका सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), गैरलाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर) और नकली मुद्रा नोट रिपोर्ट (सीसीआर) समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में एफआईयूआईएनडी के साथ फाइल की जाती हैं।
- हमारे आंतरिक वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से ऑफ़साइट निगरानी के लिए दैनिक अलर्ट की शुरुआत की गई है और हमारे एएमएल सेल द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। वर्तमान में, 13 प्रकार के अलर्ट पैरामीटर पर दैनिक अलर्ट उत्पन्न किए जाते हैं।
- निरंतर आधार पर अनेक एसटीआर और एफआईयूआईएनडी, वित्त मंत्रालय द्वारा विमुद्रीकरण के दौरान यथा अपेक्षित विभिन्न रिपोर्टों के विषय में एएमएल सेल द्वारा पूरी तरह से ध्यान रखा गया।
- सभी ग्राहकों से पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्राप्त किए जा रहे हैं । इन दस्तावेजों को सीबीएस प्रणाली में रखा जा रहा है।
- सभी ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण और उनके प्रोफाइल अद्यतन का कार्य सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है।
- बैंक ने पैन, पासपोर्ट और आधार संख्या के आधार पर सभी अलग-अलग ग्राहकों के लिए यूनिक ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- हमारे बैंक का समग्र केवाईसी अनुपालन 99% से अधिक है।
- सीकेवाईसीआर पोर्टल में केवाईसी डेटा अपलोड करना शुरू कर दिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप समय समय पर सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करते हुए शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक ने आवश्यक कदम उठाया है। इसके अलावा, समय बीतने के साथ ही शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर मजबूत करने की आवश्यकता है। हलांकि, समय की आवश्यकता को समझते हुए हमारे बैंक द्वारा शाखाओं को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण/ सेवा निम्नांकित है:

(क) सीसीटीवी की स्थापना सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से स्थापित कर शाखाओं की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। शाखाओं में सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है। सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को पहले से ही सीसीटीवी प्रणाली से लैस किया जा चुका है। करेंसी चेस्ट एवं नन करेंसी चेस्ट शाखाओं सहित कुल शाखाओं की संख्या 1978 सभी शाखाओं में चौबीसों घंटा निगरानी के लिए पहले से ही सीसीटीवी प्रणाली से लैस किया जा चुका है।

शेष शाखाएं और कार्यालयों को भी समय के साथ निश्चित रूप से सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस किया जाएगा।

अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को एकीकृत सुरक्षा समाधान (आईएसएस) के तहत लाया गया है, जिसे संकट के समय नियंत्रण निगरानी और करेंसी चेस्ट के अंदर की गतिविधियां को सीधे लालबाजार पुलिस नियंत्रण कक्ष से चौबीसों घंटा देखा जा सकता है।

(ख) स्वच्छ नोट नीति का कार्यान्वयन- भारतीय रिजर्व बैंक के क्लीन नोट पॉलिसी को नन सीसी शाखाओं में लागू करने के क्रम में शाखाओं के काउंटर पर ही जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की पहचान करने के लिए शाखा में (1+1) पॉकेट डेस्क टॉप प्रमाणक सह सॉर्टर से लैस किया गया है। यह शाखाओं को जारी करने योग्य नोट एवं नहीं जारी करने योग्य करेंसी नोटों को छांट कर स्वयं काउंटर एवं एटीएम के माध्यम से भी प्रचार कर ग्राहकों और जनता के बीच पुनर्वितरण करने में सक्षम करता है।

हमारी 1176 नन सीसी शाखाएं पहले से ही (1+1) पॉकेट डेस्क टॉप प्रमाणक सह सॉर्टर से लैस किए गए हैं । शेष शाखाओं को भी समय के साथ निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से (1+1) पॉकेट डेस्क टॉप प्रमाणक सह सॉर्टर से व्यवस्थित किया जाएगा।

(i) सभी करेंसी चेस्ट शाखाएं पहले से ही हेवी ड्यूटी नोट सॉर्टिंग मशीनों से लैस किए हुए हैं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदशों के अनुपालन में शाखाओं से संबंधित क्रियाकलाप, एफआईसीएन डिटेक्शन की वास्तविक समय का रिपोर्टिंग, गंदे /विच्छेदित नोटों का न्यायनिर्णयन, सिक्कों एवं नये नोटों का वितरण हेतु बैंक ने अपना सॉफ्टवेयर, एसडीएमएस (सुरक्षा डेटा प्रबंधन प्रणाली) विकसित किया गया है।

(ग) शाखाओं का नकद प्रबंधन- अतिरिक्त नकद प्रबंधन से संबंधित नियमित (एमआईएस) के साथ शाखाओं के दिन प्रतिदिन नकद होल्डिंग की क्लोज निगरानी के लिए बैंक अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक दिन शाखाओं का अतिरिक्त नकद होल्डिंग रिपोर्ट स्वत: जेनरेट होता है और प्रत्येक शाखा की अतिरिक्त नकद की स्थिति को बारीकी से निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की सुविधा हेतु अतिरिक्त नकद होल्डिंग शाखाओं और शाखा की अतिरिक्त नकदों की राशि का विवरण के साथ प्रत्येक क्षेत्रीय प्रमुख को स्वत: ई मेल द्वारा भेजी जाती है।

(घ) शाखाओं से अतिरिक्त नकदी उठाने और जरूरतमंद शाखाओं को नकद देने के उद्देश्य से निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) की रेमिटेंस टीम जिसमें ड्राइवर सहित 1 कैश वैन, 2 आर्म गार्ड और 1 कैश संरक्षक मैजूद होते हैं, किराए पर लिया जाता है । 27 सीसी शाखाओं में पीएसए की रेमिटेंस टीमों की कार्यनिष्पादन की स्वीकृति प्राप्त की गई । अब तक 25 सीसी शाखाओं में पहले से ही पीएसए रेमिटेंस टीम उपलब्ध कराई गई हैं।

परिसर

खरीद:

- पहला तल, हिन्दुस्तान हॉउस, 28, अल्टामांउट रोड, मुबंई 400026 में 153 वर्ग फुट के गैरेज समेत, बिल्ट अप एरिया 3857 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 2755 वर्ग फुट के 3 बीएचके फ्लैट की खरीद से संबंधित पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है।

चल रहे कार्य:

- परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट्स के रूप में बीएसएनएल (पीएसयू) के माध्यम से स्ट्रक्चरल सुदृढ़ीकरण /रिट्रॉफ़िटिंग और हेड ऑफिस बिल्डिंग की बाहरी मरम्मत और पेंटिंग ।
- परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट्स के रूप में बीएसएनएल (पीएसयू) के माध्यम से मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल में बैंक की जमीन पर आवासीय भवन सह जी+1 कार्यालय के साथ मिजोरम यूनिवर्सिटी शाखा एवं आरबीआई 'बी' श्रेणी के करेंसी चेस्ट का निर्माण ।
- बैंक की जी+3 बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल (आंशिक) में व्यवस्थित आरसेटी के मौजूदा व्यवस्था का नवीनीकरण और राजपुर, 24परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल में 1600 वर्गफुट (लगभग) के सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का नया निर्माण।
- परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट्स के रूप में बीएसएनएल (पीएसयू) के माध्यम से कोलकाता (साल्टलेक में) बैंक की जमीन पर कार्यालय भवन जी+6 में डाटा सेंटर, क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा और ई लाउंज का निर्माण।
- परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट्स के रूप में बीएसएनएल (पीएसयू) के माध्यम से त्रिपुरा क्षेत्रीय कार्यालय के आवास हेतु अगरतला में बैंक की जमीन पर बी+जी+3 कार्यालय भवन, अगरतला शाखा में आरबीआई का 'एएए' श्रेणी के करेंसी चेस्ट का निर्माण।
- युबीआई प्रधान कार्यालय सहित ओसीएस स्ट्रीट शाखा में पूर्व एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और टर्माइट कंट्रोल प्रदान करने के लिए वार्षिक अनुबंध और सामान्य कीट नियंत्रण सेवाएं।
- बर्दवान, क्षेत्रीय कार्यालय और कोक ओवन शाखा प्रत्येक में 20 किलोवाट सोर संयंत्र और आरसेटी, राजपुर में 10 किलोवाट सौर संयंत्र से जुड़ा फोटो वोल्टिक ग्रिड की स्थापना।
- डाटा सेंटर के लिए 630 ए का चेजओवर सहित 800 ए का 2 एमसीसीबी की पुनः प्राप्ति।

निर्माण:

- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉनस्लटेंट के रुप में बीएसएनएल (पीएसयू) के माध्यम से सीबीडी-79, इंटरनेश्नल फाइनेर्नाशयल हब, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में स्थित बैंक की जमीन पर बाउंडरी वाल का निर्माण ।

उन्नयन:

- युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय के परिसर में संस्थापित वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉफ्टनिंग प्लांट का 3(तीन) वर्षो के लिए ओवरहालिंग और मरम्मत के साथ-साथ दैनिक आधार पर उनका परिचालन और रख रखाव ।
- आतिथि मकान/ ट्रांजिट आवास के उपयोग के लिए नियमों एवं दिशानिर्देशों को बनाया गया।
- प्रधान कार्यालय बिल्डिग, सेंट्रल रिकोर्ड/ आरसेंटी बिल्डिग, राजपुर, कोलकाता, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय बिल्डिग और मनिकतला शाखा बिल्डिग का रचनात्मक लेखापरीक्षा।
- बैंक के प्रधान कार्यालय बिल्डिंग की 5वीं तल में सर्वोच्च कार्यपालकों के उपयोग के लिए एक वर्ष की वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक एएमसी सहित डिजिटल ईपीएबीएक्स की स्थापना।
- अक्षय ऊर्जा एलईडी लाइट फिटिंग्स या रेट्रोफिट लैंपो से पारंपरिक लाइट फिटिंग्स का चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन।
- 16 वीं मंजिल के पुनर्निर्मित हिस्से में उच्च विद्युत वाहक क्षमता वाले तांबा तारों से एल्यूमीनियम तारों का परिवर्तन।

राजभाषा का कार्यान्वयन

- प्रधान कार्यालय में हिंदी प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम के नियमित प्रशिक्षण में 39 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में प्रत्येक तिमाही में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला और यूनिकोड आधारित कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका युनाइटेड दर्पण के अंकों का विमोचन किया गया। बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों का राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधी निरीक्षण किया गया।
- बैंक ने दिनांक 21.02.2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोजगार सृजन एवं देश के सामाजिक, आर्थिक विकास का एक प्रभावी साधन विषय पर अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने हमारे बैंक पर विश्वास जताते हुए कृष्णनगर और पुरुलिया नाराकास का संयोजक का कार्य भार दिया।
- 14 सितम्बर, 2017 को हिन्दी दिवस समारोह और तदुपरांत हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं और सेमिनार का आयोजित किया गया।
- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2017 में राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया गया । उक्त समिति ने कार्यनिष्पादन की सराहना की। हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से कछार क्षेत्रीय कार्यालय को पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा, सफलता पूर्वक राजभाषा नीति के कार्यन्वयन हेतु विभिन्न शाखाएं जैसे आगरा, हल्दवानी, हरिद्वार, बरेली, कोटा और बीकानेर को भी अपने संबंधित नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

- बैंक के 4 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं पश्चिम बंगाल में बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (बीजीबीबी), असम में असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीबीबी), त्रिपुरा में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक(टीजीबी), और मणिपुर में मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) है । दिनांक 31.03.2018 तक बैंक की शाखाओं का कुल नेटवर्क 1168 है ।
- दिनांक 31.03.2018 को कुल जमा रू 29174.32 करोड़ एवं अग्रिम रू12455.55 करोड़ सहित उनका कुल व्यवसाय रू 41629.88 करोड़ था । उनके द्वारा अर्जित कुल हानि रू 117.26 करोड़ रहा, केवल त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा रु 44.27 करोड शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। औसत सकल एनपीए 18.89% रहा ।

सभी आरआरबी सीबीएस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और रूपे कार्ड/ एनएसीएच/ पीएफएमएस/ एनइसीएस/ पीओएस के माध्यम से एनईएफटी, आरटीजीएस, एईपीएस/एटीएम के लिए सक्षम हैं । उनके पास लॉकर, एएलएम, फिक्सड एसेट मॉड्यूल, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण एवं इंकेवाईसी इत्यादि तकनीकि परिचालित उत्पाद हैं।

युनाइटेड डीमैट:

"युनाइटेड डीमैट" की अन्तर्गत के अंतर्गत सीडीएसएल और एनएसडीएल प्लैटफॉर्म पर बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका उद्देश्य डिपॉजिटरी वातावरण के अंतर्गत परेशानी मुक्त, त्वरित और सटीक लेनदेन प्रदान करना है। इसके कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:

- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका
- अंतरण के समय बिना किसी स्टैंप ड्यूटी के प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- कागज के शेयरों की तुलना में सुरक्षित (खराब सुपुर्दगी, नकली प्रतिभूतियों, देरी, चोरी आदि की कोई भी संभावना नहीं)
- प्रतिभूतियों के अंतरण से कागजी कार्यवाही कम होगी
- डीमैट खाते में स्वत: जमा

- कॉर्पोरेट कार्यों और कॉर्पोरेट लाभों के वितरण से उत्पन्न प्रतिभूतियों और निधि का शीघ्र जमा होना;
- एक एकल डीमैट खाते के माध्यम से इक्विटी और ऋण लिखत दोनों में निवेश किया जा सकता है।
- सबसे आसान माध्यम से ऑनलाइन
- धारिता और लेनदेन का आवधिक विवरण
- ग्राहक खाता विवरण बदलने की सुविधा के साथ-साथ नामांकन, यथा आवश्यक परेशानी मुक्त प्रेषण शामिल है।
- डीमैट खाते में आइपीओ आवंटित किए गए शेयरों का सीधा जमा होना और संबद्ध बैंक खाते में डिविडेंड का जमा होना।
- एक ही डीमैट खाते के माध्यम से इक्विटी और ऋण लिखत दोनों में ही निवेश किया जा सकता है। यहां तक कि म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स, सार्वभौमिक गोल्ड बॉन्ड, बीमा पॉलिसी आदि को डीमैट फॉर्म में उसी डीमैट अकाउंट में रखा जा सकता है।

शेयर लेनदेन के सभी पहलुओं पर डीमैट सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे:

- डीमैट खाता खोलना
- प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री
- डिमटेरियलाइज़ेान और रीमटेरियलाइज़ेान
- म्यूचुअल फंड यूनिट का डिस्टेटमेंटाइजेान एंड रिस्टेटमेंटाइजेान / मोचन
- गिरवी / गैर गिरवी / जब्ती
- फ्रीज और अनफ्रीज़ करना
- ट्रांसमिशन और ट्रांस्पोजीशन

यूकनेक्ट बैंक की ायर ट्रेडिंग सेवाएं

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए "यूकनेक्ट ट्रया" उत्पाद के माध्यम से ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड (केएसएल) के साथ है। इन उत्पादों में एएसबीए में आईपीओ एप्लीकेान के माध्यम से निवेश, व्यापार, एक्सपोज़र, मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग, एएसबीए के माध्यम से आईपीओ आवेदन की विशेष सुविधा है। व्यवस्थित निवश, बाजार आदश और भविष्य में आदो 365 दिनों के लिए वैध रहेंगे । यह सभी सुविधाएं एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करायी गयी है। निवेशकों को मोबाइल ऐप के उपयोग द्वारा एवं डीलर के माध्यम से अपने ट्रेडों को ऑनलाइन, ऑफ़लाइन उपयोग करने की सुविधा है। इक्विटी के अलावा निवेशक हमारे उत्पादों के माध्यम से बॉन्ड, ईटीएफ और एमएफ में भी व्यापार कर सकते हैं। निवेशकों को पुरस्कार विजेता अनुसंधान दल से अनुसंधान रिपोर्ट और ट्रेडिंग टिप्स भी मिलेगी।

वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम

बैंक हमेशा सुविधा आधारित बैंकिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार सभी लोकप्रिय एवं नवीनतम वैकल्पिक बैंकिंग चेनल की शुरूआत किया गया है। वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए बैंक के वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम उत्पाद / सेवाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

माध्यम	वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल/ उपयोगकर्ता आधारित	वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल/ उपयोगकर्ता आधारित
एटीएम	2176	2140
ई जोन	14	26
डेबिट कार्ड	100.52 लाख	125.14 लाख
इंटरनेट बैंकिंग	4.75 लाख	5.21 लाख
मोबाइल बैंकिंग	3.17 लाख	5.14 लाख
पीओसी	956	3720
केडिट कार्ड	अप्रयोज्य	3775

'बैंक नियमित रूप से नए उत्पादों के विकास के लिए और परिचालन सुविधा के लिए प्रक्रिया में सुधार करते हुए, अपने प्रणाली में नियमित उन्नयन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित नए पहल शुरू किए गए हैं:

- असफल /अनप्राधिकृत डिजिटल लेनदेन को कैप्चर करने के लिए ग्राहक फेसिंग माइक्रो पोर्टल का विकास किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन सूचक संदेश में इसे शामिल किया है।
- रीसाइक्लर अनुकूलित और परिचालित किया गया, 239 ऐसी मशीनें स्थापित की गई जिनमें से 183 एसीआर मोड पर परिचालित हैं और शेष को कॉन्फ़िगर्ड किया जा रहा है तथा जल्द ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा जो शाखाओं के नकद काउंटरों पर भीड़ को कम करेगा।

- एमपीओएस एक एंड्रॉइड आधारित कार्ड स्वाइपिंग मशीन पेश की गई।
- आधार संख्या के आधार पर भुगतान करने के लिए यूपीआई बढ़ाया गया।
- ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से मॉमेंट कार्ड आवेदन को आसान बनाया गया।
- जीएसटी संग्रह मॉड्यूल को इंटरनेट बैंकिंग में सक्षम बनाया।
- बैंक ने एनपीसीआई के भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को देश में एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली के लिए क्रियान्वित किया है, जो कि विभिन्न प्रकार के भुगतान मोड वाले एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों के लिए अंतर संचालित बिल भुगतान सेवाएं और भुगतान रसीद की शीघ्र पुष्टीकरण प्रदान करता है।
- बैंक एटीएम के माध्यम से बैंक के डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन की शुरूआत की गई।
- डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा को अक्षम और सक्षम करना।
- पुराने 750 एटीएम के प्रतिस्थापन परियोजना पूरी की गई।
- कॉरपोरेट पीओएस मॉडल, उच्च पैमाने वाले व्यापारियों को प्राप्त करने के लिए शुरुआत की गई।
- जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता के रूप में भारत क्यूआर वी 4 दोनों शुरु की गई।
- कैश केडिट खाते में फंड के इंटरबैंक हस्तांतरण के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा पेश की गई।
- बैंक ने सत्य सत्यजीत रे द्वारा निर्मित, प्रतिष्ठित बंगाली स्लेथ "फेलुदा" के चित्रों सहित विशेष डेबिट कार्ड की शुरुआत की गई।
- संबंधित संग्रह प्रणाली और स्वयं सेवा पोर्टल के साथ केडिट कार्ड उत्पाद की शुरुआत की गई।

उपर्युक्त नए उत्पादों / सुविधाओं की शुरूआत के साथ, बैंक का ईमोड आधारित लेनदेन बढ़कर 76% हो गया है। सहकर्मी समूह के बीच एटीएम लेनदेन करने के मामले में बैंक शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और उसकी सुदृढ़ नीतियों के अनुपालन एक लिए बैंक ने अनुपालन विभाग का गठन किया है । अनुपालन के मुद्दों को पहचान करने के लिए समन्वय करना, उनका आकलन करना और अनुपालन जोखिम का निवारण करना, भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित जोखिम न्यूनीकरण योजना का अनुपालन सुनिश्चित करना उक्त विभाग का मुख्य कार्य है ।

बोर्ड ने बैंक के लिए अनुपालन नीति तैयार की है । कार्यकलापवार विभिन्न क्षेत्र अर्थात जमा एवं सेवाओं, अग्रिम, केवाईसी एएमएल, बीसीएसबीआई कोड और अनुपालन मुद्दों की पहचान की जाती है और उसके उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं । अनुपालन कार्यों से सम्बंधित जिम्मेदारी की भूमिका को बैंक के हर स्तर पर परिभाषित किया गया है । निम्नलिखित के माध्यम से नियामक एवं सांविधिक अनुपालन मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है:

- स्वयं प्रमाणन
- नामांकित अनुपालन अधिकारियों एवं प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से रैंडम जांच करना
- भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / आईबीए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में प्रधान कार्यालय के कार्यात्मक विभागों से पावती भेजना और निर्देशों का अनुपालन करना
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुपालन नियमों के विवरणों के साथ शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तिमाही विवरण भेजना

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत नियमित रूप से कानून, नियमों और दिशा निर्देशों के लागू होने वाले सभी प्रावधानों के अनुपालन से सम्बंधित विनियामक विवरण भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक को प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों को समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में सुनिश्चित करने हेतु एमडी एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशकों द्वारा समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

पुरस्कार / सम्मान:

स्कॉच ऑर्डर ऑफ़ मेरिट: बैंक को नई दिल्ली में 8-9 सितंबर 2017 को 49वें स्कॉच साइबर सुरक्षा पुरस्कार में सूचना सुरक्षा हेतु भारत में शीर्ष 30 साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए "स्कॉच ऑर्डर ऑफ़ मेरिट 2017" प्राप्त हुआ ।

स्कॉच मुद्रा निष्पादन पुरस्कार: बैंक को नई दिल्ली में 8-9 सितंबर 2017 को 49वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत रोजगार सृजन के लिए "स्कॉच मुद्रा निष्पादन पुरस्कार" प्राप्त हुआ।

"सर्वोत्कृष्ट राजभाषा श्री" सम्मान: केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने 22 दिसंबर, 2017 को भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता में बैंक में राजभाषा नीति एवं नियमों के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए "सर्वोत्कृष्ट राजभाषा श्री" सम्मान से सम्मानित किया।

एसोचैम सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2017: दिनांक 17.02.2018 को होटल ललित मुंबई में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, श्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में एसोचैम द्वारा 13 वां वार्षिक "सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2017" आयोजित किया गया था।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिष्ठित "सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2017" प्राप्त किया:

1. "सरकारी योजना में भागीदारी (मध्यम आकार बैंक)" में विजेता

2. "कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ सोशल बैंक (मध्यम आकार बैंक)" में उपविजेता

3. "कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण (मध्यम आकार बैंक)" में उपविजेता

कर्मचारी शेयर खरीद योजना:

संभाव्य एवं गतिशील कर्मचारियों को प्रेरित करने और बैंक की इक्विटी पूंजी को बढ़ाने के लिए अनुभवी कर्मचारियों की पहचान एवं पुरस्कृत करने उद्देश्य से वर्ष, 2017-18 के दौरान बैंक ने सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 (सेबी इंएसपीएस विनियमन) के तहत एक नई योजना 'युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 (योजना)' बनाई है, जिसमें कोई प्रतिबद्धता या संशोधन शामिल नहीं हैं, जिससे बैंक के पात्र कर्मचारी के लिए एक या अधिक भागों में अधिकतम 5,00,00,000 इक्विटी शेयर तक प्रदान करने के लिए बैंक सक्षम है, जो 27 फरवरी, 2018 को आयोजित असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

बैंक ने उचित समय पर इस योजना के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन पर सेबी ईएसपीएस विनियमों के संदर्भ में प्रकटीकरण किया जाएगा।

लाभांश:

अर्जित हानि के संदर्भ में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

लाभांश वितरण नीति:

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के विनियमन 43ए के संदर्भ में बैंक ने लाभांश वितरण मानदंड, मात्रा और तरीके को अभिशासित करने के लिए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। यह लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट : http://www.unitedbankofindia.com/ uploads/ dividend_ distribution_ policy.pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी अभिशासन:

कंपनी अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट अलग खंड में शामिल है।

कृते निदेशक मंडल

ह/-
पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डी आई एन 03291906

दिनांक: 28 मई 2018
कोलकाता

कंपनी अभिशासन पर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2017-18

1. परिचय :

यह बैंक कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) सहित अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य लोगों, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नीति प्रायणता संबंधी सर्वश्रेष्ठ चलन को अपनाया है जिसका लक्ष्य है इस संस्थान के पणधारियों के अंतर्निहित मान को श्रीवृद्धि करना।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नजरिया :

इस बैंक में कंपनी अभिशासन का आधारभूत नजरिया बैंक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से निर्देशित होना और प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा मूल्यसृजन करना है। बैंक की नीतियों और उन नीतियों पर अमल करना केवल सांविधिक जरुरत ही नहीं बल्कि इस संस्था को परवर्ती स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का मान रखना भी है। बेहतर अभिशासन प्रथाओं ने व्यवसायिक परिचालनों के बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त अधिक प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने, कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और इसके व्यवहार, गतिविधियों और नीतियों में पारदर्शिता को बढ़ाने में बैंक को सक्षम बनाया है।

इस बैंक ने कंपनी अभिशासन को एक वंसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके बदौलत कोई संगठन एक सुपरिभाषित नैतिक स्तर बरकरार रखने के लिए निर्देशित और नियंत्रित होता है और साथ ही अपनी धन उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ाता है। बोर्ड समग्र रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है कि कंपनी अभिशासन शर्तों का अनुपालन करते समय बैंक की कार्रवाई, आस्तियां और संसाधन को प्राप्त करने के लिए कंपनी अभिशासन की प्रक्रिया की संरचना की गई है। बैंक एक ओर शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत सचेष्ट है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कॉरपोरेट विकास की जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। यह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में नैतिक मूल्यों, वित्तीय अनुशासन और अखंडता के उच्च मानकों को पहचानता है। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कॉर्पोरेट उत्कृष्टता की घोषणा करना चाहता है-

- स्थापित सिद्धांतों की सीमा में राष्ट्र के कानूनी ढांचे के भीतर शेयरधारकों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखकर,
- बोर्ड की प्रक्रिया तथा कार्यपालक प्रबंधन के साथ बोर्ड के संपर्क के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरणी।
- पारदर्शी कंपनी रणनीति की संरचना, प्रभावी नीति, दक्ष प्रक्रिया, कठोर नैतिक मानको, सटीक विधिक जिम्मेदारियां तथा समग्र पेशवर दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधा और सेवाएं देकर।
- कर्मचारियों, ग्राहकों और वृहत्तर रूप में समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उद्घोषणा करके,
- वस्तुत: सक्रिय और पूर्वाग्रहमुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करके।

बैंक स्वयं को पणधारकों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है । यह अभिस्वीकृति उसके धन का सृजन करके और उसको अभिरक्षता करते हुए देता है। सुरक्षा, सम्मान, उत्कृष्टता और टीम वर्क स्थायी कार्य-निष्पादन के मौलिक कारक है।

3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे "अधिनियम" के रूप में कहा गया) और राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके आगे "योजना" कहा गया) के अनुसरण में किया गया है।

3.1 31 मार्च, 2018 तक निदेशक मंडल की संरचना :

बोर्ड में 2 कार्यपालक और 5 गैरकार्यपालक निदेशक हैं। कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक होती है। केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामांकितों को छोड़कर गैरकार्यपालक निदेशक 3 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामांकित भारत सरकार की संतुष्टि तक कार्यालय से जुड़े रहते हैं। शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। शेयरधारक निदेशकों का चयन केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के बहुमत के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के गठन की जरूरत पड़ने पर परिवर्तित किया जा सकता है ।

नाम	वर्ग	डीआईएन	बोर्ड की बैठक अवधि के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठक उपस्थित	पिछली एजीएम में उपस्थित	अन्य निदेशकत्व	इस बैंक समेत समिति की सदस्यता	इस बैंक समेत समिति की अध्यक्षता
श्री पवन बजाज	कार्यपालक निदेशक	03291906	9	9	हां	1	0	0
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	07748272	9	9	हां	1	2	0
श्री समीर कुमार खरे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	07103204	5	5	अप्रयोज्य	1	1	0
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	02849115	9	8	नहीं	1	1	0
श्री दिनेश सिंह	गैर कार्यालयीन निदेशक (सीए श्रेणी)	08038875	2	2	अप्रयोज्य	1	1	1
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैर कार्यालयीन निदेशक	06938830	2	2	अप्रयोज्य	2	1	0
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	00739992	9	8	हां	1	1	1

- अन्य निदेशकत्व में सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ चाहे वो सूचीबद्ध हो या नहीं निदेशकत्व शामिल हैं और सभी अन्य कंपनियाँ अर्थात निजी लिमिटेड कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियाँ इसमें शामिल नहीं हैं। समिति सदस्यतामें केवल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संपर्क समिति ही शामिल है।
- बोर्ड का कोई भी सदस्य 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं है अथवा 05 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है।
- किसी भी निदेशक के बीच परस्पर संबंध नहीं है।
- 2017-18 के दौरान बोर्ड की 9 बैठकें दिनांक 21.04.2017, 18.05.2017, 07.07.2017, 12.08.2017, 06.09.2017, 13.11.2017, 06.12.2017, 12.02.2018 और 27.03.2018 को आयोजित हुई।
- निदेशकों में से श्री एस.सूर्यनारायण के पास बैंक के 200 शेयर हैं।
- निदेशकों के परिचय के लिए वेबलिंक : http://www.unitedbankofindia.com/uploads/BOD_new.pdf

3.2 वर्ष के दौरान निदेशकत्व में हुए परिवर्तन का ब्योरा (कालक्रम के अनुसार):

परिवर्तन	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यालय में कार्यग्रहण/ कार्यालय छोड़ने की तारीख	बोर्ड की बैठकें अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थित
कार्यग्रहण	श्री समीर कुमार खरे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017	5	5
	श्री दिनेश सिंह	गैर कार्यालयीन निदेशक	27.12.2017	2	2
	श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैर कार्यालयीन निदेशक	27.12.2017	2	2
कार्यमुक्त	श्री के.वी.राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	30.08.2017	4	4
	श्री अशोक कुमार डोगरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017	4	4

3.3 बोर्ड बैठक की प्रक्रिया:

बोर्ड बैठक की सूचना बहुत पहले दी जाती है। आम तौर पर बोर्ड की बैठक प्रधान कार्यालय, कोलकाता में आयोजित की जाती है। इसके एजेंडा और अन्य कागजात पहले भेज दिए जाते हैं ताकि प्रभावी चर्चा हो सके और निर्णय लिए जा सके। बोर्ड की बैठक में निदेशकगण चर्चा करने और निर्णय लेने में समुचित समय लेते हैं।

बोर्ड के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करते हैं और बोर्ड तथा समिति की बैठक के संचालन, रिपोर्ट के समेकन, प्रस्तुति और एजेंडा के वितरण के लिए वे जिम्मेदार होते हैं। बोर्ड तथा बोर्ड समिति की सभी बैठकों में कंपनी सचिव उपस्थित रहते हैं और कंपनी अभिशासन सिद्धांत का अनुपालन में मदद करते हैं तथा कार्यवृत्त की रेकॉर्डिंग सुनिश्चित करते हैं।

औपचारिक बोर्ड की बैठक के अलावा, बोर्ड की बैठक के बाहर भी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा अन्य गैरकार्यपालक निदेशकों के बीच पारस्परिक चर्चा होती है।

3.4 निदेशक अभिष्थापन प्रक्रिया:

निदेशकों को अपेक्षित ब्रोशर, दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां, अन्य पठन सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे बैंक के काम के माहौल, परिचालन पद्धति और व्यवहार से परिचित हो सके। विभिन्न कार्यक्षेत्र में बैंक के कार्य-निष्पादन को अद्यतन बनाने के लिए बोर्ड को आवधिक रूप से प्रस्तुति की जाती है। सीएएफआरएएल, एनआईबीएम आदि विभिन्न संगठनों द्वारा परिचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशकों को नामित किया जाता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड की विभिन्न बैठकों में बोर्ड के सामने बैंक के परिचालन और कार्यक्षेत्र तथा बैंक की नीतियों, बैंक के लिए प्रयोज्य नियामक परिवेश और संबंधित मामलों के संबंध में प्रस्तुति की जाती है।

3.5 बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया:

शेयरधारक निदेशक के अलावा सभी निदेशकगण केन्द्रीय सरकार की संतुष्टि में नियुक्त और कार्यालय में कार्य करते हैं। अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक निदेशकों का चयन किए जाते हैं। तदनुसार बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से बोर्ड मूल्यांकन का कार्य नहीं किया जाता है।

4. सेबी के अधीन बोर्ड की समितियां (दायित्व का सूचीबद्ध करना और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 (इसके बाद लिस्टिंग रेगुलेशनके रूप में उल्लिखित):

विभिन्न सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों के तहत बोर्ड समितियों का गठन, बोर्ड द्वारा परिभाषित भूमिकाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और इसके तहत अभिशासन प्रथा के एक भाग के रूप में बोर्ड प्रतिनिधित्व करता है। बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किया जाता है और नोटिंग करने के लिए बोर्ड की बैठक में उसे प्रस्तुत किया जाता है।

4.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। बैंक ने मूल रूप से 26 जून, 1995 को अपनी एसोबो का गठन किया है, जो समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की बैठक आमतौर पर एक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए और एक साल में कम से कम छह बार आयोजित की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा समिति की संरचना और वर्ष 2017-18 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है।

नाम	पदनाम	दिनाक से / तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थित
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	08.01.2018 तक	5	5
श्री के.वी.राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	30.08.2017 तक	3	3
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	06.09.2017 तक	4	4
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	पूरा वर्ष	7	6
श्री अशोक कुमार डोगरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017 तक	3	3
श्री समीर कुमार खरे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017 से	4	4
श्री दिनेश सिंह	गैरकार्यालयीन निदेशक (सीए) (समिति के अध्यक्ष)	08.01.2018 से	2	2

- वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 7 बैठकें दिनांक 18.05.2017, 13.06.2017, 12.08.2017, 13.11.2017, 06.12.2017, 12.02.2018, और 20.03.2018 को आयोजित की गई।
- श्री अशोक कुमार प्रधान, कार्यपालक निदेशक ने आमंत्रित सदस्य के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित रहे, जब तक कि 06.09.2017 से प्रभावी बैठक में उनकी नियुक्ति सदस्य के रुप में हो जाती है।
- लेखा परीक्षा समितियों की बैठकों में मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के प्रमुख तथा कंपनी सचिव उपस्थित रहे।
- शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बैंक की विगत वार्षिक आम बैठक में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

4.1.1. **लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-**

- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना, वित्तीय परिणामों का प्रकटीकरण; एवं वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रेषण सुनिश्चित करना ।
- प्रबंधन के साथ आवधिक और वित्तीय विवरणियों की समीक्षा तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता तथा आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्य की समीक्षा करना।
- संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में संगामी लेखा परीक्षकों, राजस्व लेखा परीक्षकों, आंतरिक निरीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा करना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता दिखने/होने पर नियंत्रण-तंत्र को मजबूत करने हेतु अर्थोपाय सुझाव देना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा अर्हताओं, यदि कोई हो, एलएफए आर आदि पर विचार करके लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में हुए परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर, आवधिक खातों और रिपोर्टों के अंतिम रुप दिए जाने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के कार्यनिष्पादन पर विचार-विमर्श एवं विश्लेषण करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की निगरानी करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस), भारतीय रिज़र्व बैंक या उनके द्वारा समनुदेशित अन्य एजेंसी द्वारा संचालित विशेष लेखा परीक्षा, यदि कोई हो, के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करना ।
- विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना ।
- जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों का पता लगाना ।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों, संगामी एवं राजस्व लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करना तथा उसपर अनुवर्तन करना ।
- समिति मुख्यत: निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती है:-
  - क) अंतर शाखा समायोजन लेखा
  - ख) अंतर शाखा खातों एवं नोस्ट्रो खातों में असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बही-संतुलन संबंधी बकाया कार्य
  - घ) जालसाजी एवं
  - ङ) हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र

4.2. नामांकन समिति

4.2.1. अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकत्व के लिए चुनाव हेतु लड़ रहे शेयरधारक के संबंध में बैंक की नामांकन समिति का गठन मुख्य रूप से उपयुक्त एवं अनुकूल स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। चूंकि वर्ष 2017-18 में चुनाव नहीं किया गया, इसलिए समीक्षा अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। 31 मार्च, 2018 तक श्री समीर कुमार खरे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक उक्त समिति के अध्यक्ष और श्री दिनेश सिंह एवं सिद्धार्थ प्रधान,गैरकार्यालयीन निदेशक सदस्य के रूप में थे।

4.3. पारिश्रमिक समिति:

4.3.1. 9 मार्च 2007 को वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005 - बी.ओ- आई के मार्फत प्राप्त निदेशों के अनुरूप पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण कालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करती है। यह प्रोत्साहन कार्यनिष्पादन आधार के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडो के अधीन है मुख्य कार्य निष्पादित संकेतकों, गुणात्मक मानदंडो एवं न्यूनतम मानदंडों पर निर्भर करता है जिनका आधार पूर्ववर्ती वर्ष का अनुपालन रिपोर्ट है। पारिश्रमिक समिति के कार्यों में पिछले वर्ष के संबंध में निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए व्यापक मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के प्रशासन और देखरेख की जिम्मेदारी समिति को सौंपा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, समिति की एक बैठक 12.02.2018 को आयोजित की गई थी।

4.3.2. वर्ष 2017-18 के दौरान समिति के सदस्यों की संरचना एवं उपस्थिति निम्नप्रकार है :

नाम	पदनाम	से/तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थित
श्री अशोक कुमार डोगरा	सरकारा द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	17.08.2017 तक	-	-
श्री समीर कुमार खरे	सरकारा द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	17.08.2017 से	1	1
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	पूरा वर्ष	1	0
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	पूरा वर्ष	1	1
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैर कार्यालयीन निदेशक	08.01.2018 से	1	1

4.3.3. वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को निष्पादन संपर्कित प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

4.4. निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

4.4.1. बैंक का अपने गैर-कार्यालयीन निदेशकों के साथ बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा किसी प्रकार के आर्थिक लेनदेन का संबंध नहीं है।

4.4.2. पूर्णकालिक निदेशकों को केन्द्रीय सरकार और बैंक के मौजूदा नियम और विनियमों के अनुसार भारत सरकार के वेतनमान के अनुसरण में वेतन तथा अतिरिक्त सुविधाओं का भुगतान किया जाता है।

4.4.3. वर्ष 2017-18 में पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नलिखित वेतन तथा अतिरिक्त सुविधाएं दी गईं:

निदेशक का नाम	वेतन (रु)	अतिरिक्त सुविधाएं (रु)	सेवानिवृत्ति लाभ	पीएलआई* (रु)	कुल (रु)
श्री पवन बजाज	26,52,792	46,460	शून्य	शून्य	26,99,252
श्री के.वी.राममूर्ती**	9,79,877	10,473	9,24,109	शून्य	19,14,459
श्री अशोक कुमार प्रधान	22,43,870	16,212	शून्य	शून्य	22,60,082

*कार्यनिष्पादित प्रोत्साहन (पीएलआई)

**वर्ष के कुछ भाग के लिए नियुक्तः प्रभावी तिथि 30-08-2017 से श्री के.वी.राममूर्ती के निदेशक पद की समाप्ति।

4.5 हितधारकों की संपर्क समिति

4.5.1 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद कंपनी अभिशासन के सिद्धांतों को कायम रखने और बैंक के सभी शेयरधारकों खासकर संख्या में कम शेयर रखने वाले शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए सूचीकरण विनियम 20 के अंतर्गत हितधारकों की संपर्क समिति का गठन किया गया। हितधारक संपर्क समिति के कार्यों में अंतरण के त्वरित निपटान समेत, उपविभाजन, पुनमूर्तीकरण और शेयरों के समेकन और वारंटों के पुनर्मूल्यांकन, निवेशक शिकायत तंत्र की निगरानी और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करना।

4.5.2 वर्ष 2017-18 के दौरान समिति का गठन और सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत है।

नाम	पदनाम	सदस्य से/तक	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	4	4
श्री के.वी. राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	30.08.2017 तक	2	2
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	4	4
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	13.11.2017 से 08.01.2018 तक	1	1
श्री अशोक कुमार डोगरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017 तक	2	2
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैरकार्यालयीन निदेशक	08.01.2018 से	1	1

- निदेशक मंडल के हितधारकों की संपर्क समिति में श्री विक्रमजीत सोम, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- वर्ष 2017-18 के दौरान उक्त समिति की चार बैठकें दिनांक 21.04.2017, 12.08.2017, 13.11.2017 और 12.02.2018 को आयोजित की गई।

4.5.3 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक और/या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को शेयरधारकों/निवेशकों से 27 शिकायतें प्राप्त हुई और शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार उनका निवारण किया गया। 31 मार्च, 2018 तक एक भी निवेशक की शिकायत अनसुलझी नहीं थी।

4.6 जोखिम प्रबंधन समिति:

4.6.1 जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं को विकसित करने और एकीकृत जोखिम प्रबंधन परिवेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई के निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था।

4.6.2 वर्ष 2017-18 के दौरान उक्त समिति की तीन बैठकें दिनांक 07.07.2017, 06.12.2017, और 20.03.2018 को आयोजित की गई।

4.6.3 वर्ष 2017-18 के दौरान समिति का गठन और सदस्यों की उपस्थिति

नाम	पदनाम	सदस्य से/तक	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री पवन बजाज	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (समिति के अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	3	3
श्री के.वी. राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	30.08.2017 तक	1	1
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	3	3
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	पूरा वर्ष	3	3
श्री अशोक कुमार डोगरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017 तक	1	1
श्री समीर कुमार खरे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.08.2017 से	2	2

5. आचरण संहिता

5.1.1 सूचीकरण विनियमों के तहत बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अंतर्गत सभी बोर्ड सदस्य नियंत्रित हैं। लिस्टिंग विनियमों के तहत बैंक के स्केल VII, स्केल VI पद के सभी अधिकारी एवं कंपनी सचिव भी सूचीकरण विनियम के अंतर्गत बनाई गई बैंक की आचार संहिता द्वारा नियंत्रित होते हैं। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com- पर उपलब्ध है।

5.1.2. सभी निदेशक और उपयुक्त अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रयोज्य आचार संहिता का अनुपालन किया है।

5.2. प्रतिज्ञान और प्रकटीकरण:

5.2.1. बैंक और बोर्ड के सदस्यों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच किसी प्रकार का वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं है जिससे बैंक के हित में बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ सके।

5.2.2 वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित सभी विवरण जहां किसी भी बोर्ड के सदस्य का आर्थिक हित हो सकता है, उसे बोर्ड में प्रस्तुत किया गया और संबंधित निदेशक उसकी विवेचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं ।

6. साधारण सभा

6.1. विगत तीन वार्षिक आम सभा का ब्यौरा(एजीएम):

स्थान	तारीख	समय	विशेष संकल्प
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027	29.06.2017	पूर्वाह्न 10.00.आईएसटी	सेबी इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसल्कोजर रिक्वायरमेंट विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन) के अंतर्गत क्यूआईपी या पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से एक या अधिक ट्रैंच में 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 1290165823 विपक्ष में : 76959
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027	28.06.2016	पूर्वाह्न 10.00.आईएसटी	सेबी इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसल्कोजर रिक्वायरमेंट विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन) के अंतर्गत क्यूआईपी या पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से एक या अधिक ट्रैंच में 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 1022701933 विपक्ष में : 5877

स्थान	तारीख	समय	विशेष संकल्प
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027	22.06.2015	पूर्वाह्न 10.00,आईएसटी	सेबी आईसीडीआर विनियम के अंतर्गत पब्लिक इश्यू राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 772521948 विपक्ष में : 9419

6.2. आम बैठक में मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमन्यन एंड कंपनी, के श्री एस.एन. अनंथसुब्रमणीयम, कंपनी सचिव संवीक्षक द्वारा वोटिंग संवीक्षा किया गया था । बैठक में सभास्थल पर वोटिंग की प्रक्रिया को देखरेख के लिए सभास्थल पर शेयरधारकों के एक प्रतिनिधि संवीक्षक के रूप में उपस्थित थे।

6.3. पिछले वित्त वर्ष में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था।

6.4. पोस्टल बैलट के माध्यम से आगामी एजीएम पर प्रस्तावित किसी भी व्यवसाय के लेनदेन के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

7. संचार के माध्यम

7.1. बैंक ने एक अंग्रेजी, एक बंगाली और एक हिंदी अखबार में अपने तिमाही परिणाम प्रकाशित किए हैं और उक्त तिमाही परिणाम को अपने संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

7.2. वर्ष के दौरान समीक्षाधीन, बैंक के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे:

विवरण	अंग्रेजी	बंगला	हिन्दी	प्रकाशन की तारीख
मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही/छमाही	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	एईसमय	जनसत्ता	19.05.2017 20.05.2017
जून, 2017 को समाप्त तिमाही		आजकल		14.08.2017
सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही/छमाही				14.11.2017
दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही		एईसमय		13.02.2018

- 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम सूचीकरण विनियम के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा।
- "ग्रीन इनिशिएटिव" को बढ़ावा देने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारक की ईमेल आईडी पर, जो जमाकर्ता प्रतिभागियों (डीपी) और / या बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत है, बशर्ते उन्होंने प्रत्यक्ष प्रति के लिए विकल्प नहीं दिया हो। प्रत्यक्ष प्रतियां अन्य शेयरधारकों को भेजी जाएंगी।

7.3 निम्नलिखित वेबसाइटों में परिणाम अपलोड किए गए।

www.unitedbankofindia.com	www.nseindia.com	www.bseindia.com

7.4 वित्तीय परिणाम विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों, निधि प्रबंधकों और अन्य लोगों के बीच समय-समय पर प्रस्तुति भी की गई है, उक्त प्रस्तुतियों को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

8. शेयरधारकों को सामान्य सूचना

8.1. वार्षिक आम बैठक:

शुक्रवार, 6 जुलाई, 2018	पूर्वाह्न 10.00 आईएसटी	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडीयर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700 027

बुक क्लोजर: सोमवार, 2 जुलाई 2018 से शुक्रवार, 6 जुलाई, 2018 से, 28 जून, 2018 (दोनों दिन को मिलाकर)

8.2. वित्तीय वर्ष: विगत वर्ष के । अप्रैल से 31 मार्च तक

तिमाही 1	अगस्त 2018	तिमाही 2	नवम्बर 2018	तिमाही 3	फरवरी 2019	तिमाही 4	मई 2019

8.3. लाभांश भुगतान तारीख: निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

8.4. सूचीकरण ब्यौरा:

बीएसई लि. फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट - सी/1, ब्लॉक -जी बांद्रा कुर्ला कम्पलेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई - 400051	वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क बैंक द्वारा बीएसई और एनएसई दोनों को भुगतान कर दिया गया है।

8.5. स्टॉक कोड

BSE: 533171	NSE: UNITED BANK	ISIN: INE695A01019

8.6. बाजार मूल्य

वर्ष 2017 18 के दौरान बीएसई और एनएसई में बैंक के इक्विटी शेयर का मासिक उच्च और निम्न बाजार मूल्य-

क्र.सं	बीएसई				एनएसई ऑफ़ इंडिया लि.			
	चढ़ाव		उतार		चढ़ाव		उतार	
1.	18-अप्रेल-17	23.70	3 अप्रेल -17	21.85	28 - अप्रेल -17	23.40	19- अप्रेल -17	21.90
2.	5-मई -17	24.40	31- मई -17	19.30	5- मई -17	24.40	31- मई -17	19.05
3.	15-जून-17	20.80	27-जून-17	18.55	1-जून-17	21.35	27-जून-17	18.50
4.	11-जुलाई-17 25-जुलाई-17	20.60	3-जुलाई-17	19.00	25-जुलाई-17	20.60	3-जुलाई-17	18.90
5.	16-अगस्त-17	19.95	29-अगस्त-17	17.80	16-अगस्त-17	19.90	23-अगस्त-17	17.80
6.	7-सितम्बर-17	19.20	4-सितम्बर-17	17.85	6-सितम्बर-17 7-सितम्बर-17	19.10	27-सितम्बर-17	17.80
7.	26-अक्तूबर-17	22.80	18-अक्तूबर-17	17.15	26-अक्तूबर-17	22.90	18-अक्तूबर-17	17.15
8.	1-नवम्बर-17	20.10	14-नवम्बर-17	17.00	1-नवम्बर-17	20.10	14-नवम्बर-17 20-नवम्बर-17	17.00
9.	29-दिसम्बर-17	19.50	18-दिसम्बर-17	16.90	29-दिसम्बर-17	19.50	18-दिसम्बर-17	16.80
10.	25-जनवरी-18	19.15	30-जनवरी-18 31-जनवरी-18	16.50	25-जनवरी-18	19.35	30-जनवरी-18 31-जनवरी-18	16.45
11.	1-फरवरी-18	16.90	28-फरवरी-18	13.20	1-फरवरी-18	16.90	28-फरवरी-18	13.35
12.	19-मार्च-18	15.00	12-मार्च-18	11.60	19-मार्च-18	15.15	12-मार्च-18	11.65

8.7. बीएसई सेनसेक्स और एनएसई निफ्टी की तुलना में स्टॉक निष्पादन:

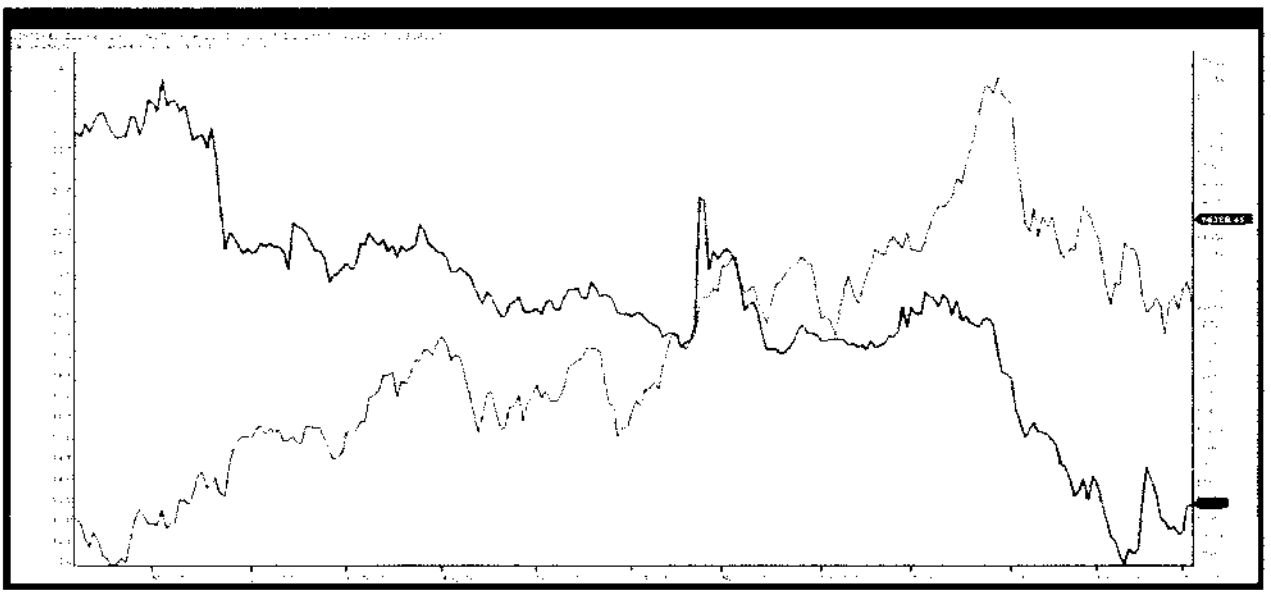

सेनसेक्स के साथ

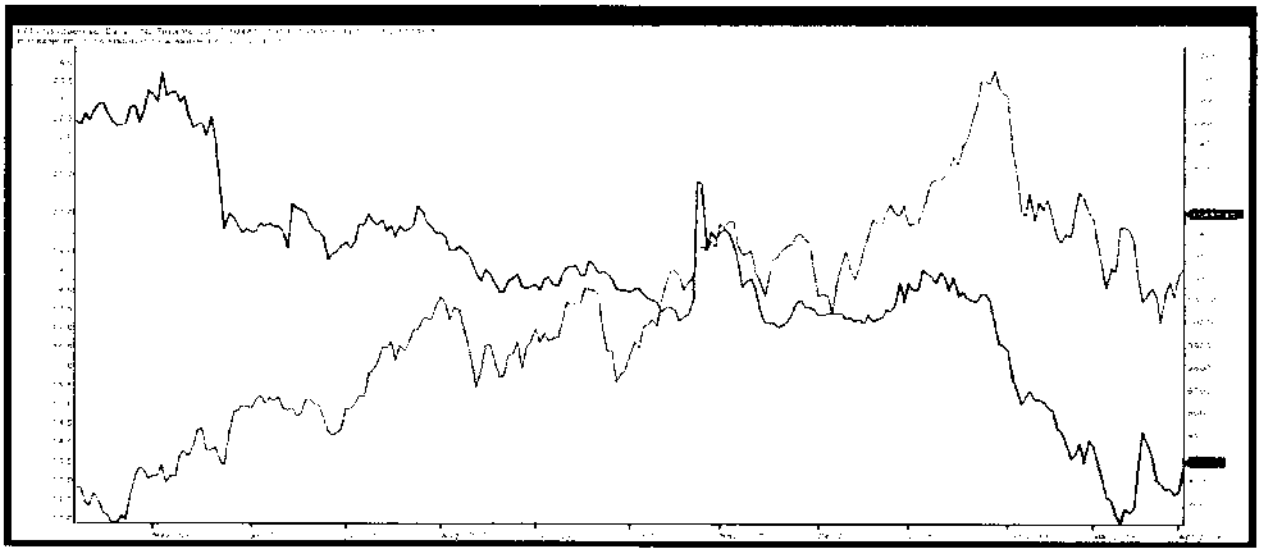

निफ्टी के साथ

8.8. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर ऐजेंट:

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि.	
कॉरपोरेट कार्यालय: सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400 083 टेलीफोन: (022)49186000 फैक्स: (022)49186060 इमेल: mumbai@linkintime.co.in	स्थानीय कार्यालय: 59 सी, चौरंगी रोड, 3रा तल कोलकाता- 700020 दूरभाष: (033) 2289 0540, फैक्स: (033) 2289 0539 ई मेल: kolkata@linktime.co.in

8.9. शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण, हस्तांतरण, अमूर्तीकरण और पुनमूर्तीकरण के संबंध में सभी अनुरोधों पर प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण ऐजेंट द्वारा कार्रवाई की जाती है। उक्त सभी अंतरण, हस्तांतरण, अमूर्तीकरण और पुनमूर्तीकरण के संबंध में बोर्ड/हितधारक संपर्क समिति को रिपोर्ट की जाती है ।

8.10. 31 मार्च, 2018 तक शेयरधारण का वितरण

शेयरधारकों के शेयर		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयर	शेयर पूँजी का प्रतिशत
से	तक				
1	500	72774	77.2884	11430394	0.3810
501	1000	9565	10.1583	8136941	0.2712
1001	2000	5375	5.7084	8451167	0.2817
2001	3000	2012	2.1368	5199152	0.1734
3001	4000	930	0.9877	3379554	0.1126
4001	5000	951	1.0100	4558694	0.1520
5001	10000	1410	1.4975	10727636	0.3576
10001	और अधिक	1142	1.2128	2948116461	98.2705
	कुल	**94159**	**100.0000**	**2999999999**	**100.0000**

8.10.1. स्वामित्व का वितरण

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
क.	**प्रमोटर की धारिता**		
1.	प्रमोटर (भारत सरकार)*	2794008447	93.13
	उप-योग	**2794008447**	**93.13**
ख.	**गैर-प्रमोटरों की धारिता**		
3.	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	336000	0.01
	ख) वेंचर पूंजी निधि	10766581	0.36
	ग) बैंकों/वित्तीय संस्थानों	8189105	0.27
	घ) बीमा कंपनियों	94858283	3.16
	उप-योग	**114149969**	**3.80**
ग.	अन्य		
	क) निकाय कॉरपोरेट	12132108	0.41
	ख) क्लियरिंग सदस्य	2818912	0.09
	ग) भारत की जनता	74024041	2.47
	घ) एनआरआई	2819261	0.10
	ङ) न्यासियों	47261	0.00
	उप-योग	**91841583**	**3.07**
	सकल योग (क) (ख) (ग)	**299,99,99,999**	**100.00**

* भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति को 31 मार्च, 2018 तक अधिमान्य आवंटन के अनुसरण में कुल 1438176468 इक्विटी शेयरों का आवंटन अमूर्तीकरण रूप में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के डीमैट खाते में 31 मार्च, 2018 तक शेयरों का क्रेडिट लंबित था।

8.10.2 वर्ष के दौरान पूंजी संरचना में परिवर्तन :

- केंद्रीय सरकार द्वारा रु418 करोड़ इक्विटी पूंजी प्रदान करने के अनुसरण में बैंक ने 05 अगस्त, 2018 को भारत के राष्ट्रपति को 16,74,67,948 इक्विटी शेयर आवंटित किया।
- केंद्रीय सरकार द्वारा रु2634 करोड़ इक्विटी पूंजी प्रदान करने के अनुसरण में बैंक ने 31 मार्च, 2018 को भारत के राष्ट्रपति को 143,81,76,468 इक्विटी शेयर आवंटित किया।
- सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक को प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि हेतु 74,87,637 इक्विटी शेयरों का आवंटन लंबित है। शेयर आवेदन राशि रु13,64, 24,746 लंबित आवंटन खाता में जमा पड़ा है। अधिनियम के अनुभाग 3 (2ए) के तहत रु3000 करोड़ से रु5000 करोड़ बैंक की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने से संबन्धित 31मार्च, 2018 को अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र मे बैंक का आवेदन देने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8.11. शेयर एवं चलनिधि का अमूर्तीकरण
31 मार्च, 2018 तक समग्र प्रदत्त शेयर पूंजी का अमूर्तीकरण किया गया । बैंक के इक्विटी शेयरों को ट्रेडिंग अमूर्तीकरण के रुप मे स्वीकृत है। प्रमोटरों की धारिता अमूर्तीकरण के रुप में है । प्रत्यक्ष धारिता 301 शेयरधारकों तक केवल 23581 इक्विटी शेयर धारण तक सीमित है ।

8.12. बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट / परिवर्तनीय उपकरणों, रूपांतरण की तारीख और संभावित प्रभाव।
बैंक ने किसी भी जीडीआर / एडीआर / वारंट / परिवर्तनीय उपकरणों को जारी नहीं किया है।

8.13. बैंक वस्तु के साथ सौदा नहीं करता इसलिए वस्तुओं के मूल्य जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण और वस्तु को बचाव- व्यवस्था कार्यकलाप की आवश्यकता नहीं है। बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान विदेशी विनिमय निवेश के अंश को बैंक की नीति के अनुसार पर्याप्त रूप से बचाव की गई है। वृद्धिशील प्रावधान बनाया गया है तथा अरक्षित विदेशी विनिमय निवेश के लिए दिनांक 31.03.2018 तक पूंजी उपलब्ध करायी गयी है।

8.14. संयन्त्र स्थान:
बैंक एक विनिर्माण संस्था नहीं है, इसलिए यह किसी भी संयन्त्र का संचालन नहीं करता है।

8.15. पत्राचार हेतु पता:
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
युनाइटेड टावर, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता- 700001
ईमेल : investors@unitedbank.co.in

9. अन्य प्रकटीकरण:

9.1. संभावित विवाद के साथ वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण:
किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में संभावित विवाद नहीं हुआ है। बैंक में संबंधित पार्टी लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में नियंत्रित किया जाता है। सूचीकरण विनियमन के अनुसार बैंक ने संबंधित पक्ष के लेन देन के बारे में नीति बनायी है जो समुचित रिपोर्टिंग, उक्त लेन देन के अनुमोदन एवं प्रकटीकरण को भी सुनिश्चित करेगा।

9.2. लंबित मामलों का प्रकटीकरण/गैर- अनुपालन के उदाहरण:
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी लंबित मामले की रिपोर्टिंग नहीं की गई।

9.3. सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोअर नीति का विवरण:
बैंक की एक उत्कृष्ट व्हिसेल ब्लोअर नीति है और इस संबंध में सभी कर्मचारियों को व्हिसेल ब्लोइंग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक के कर्मचारीगण लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सहजतापूर्वक संपर्क कर सकते हैं।

9.4 बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम के तहत सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

9.5 वेब लिंक:

9.5.1. .बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है इसलिए इस संबंध में किसी भी नीति निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

9.5.2. संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में नीति के लिए वेब लिंक-
http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Related_Party_Transactions_Policy.pdf

9.6 सूचीकरण विनियम की अनुसूची-V के भाग ग के अंतर्गत कंपनी अभिशासन रिपोर्ट के लिए उप पैरा (2) से (10) तक किसी भी आवश्यकता का गैर- अनुपालन नहीं हुआ है।

9.7. बैंक एक निगमित निकाय होने के नाते सेबी के सूचीकरण विनियम 46 में विनिर्दिष्ट उप विनियमन (2) के विनियमन के 15 (2) (बी), और खंड (बी) से (i) उप विनियमन (2) को 17-27 के संबंध में कंपनी अभिशासन की आवश्यकताओं का पालन किया है।

10. डिमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाते के तहत धारित शेयर

वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की सं.	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की सं.	अंतरण के लिए प्रस्ताव देने वाले शेयरधारकों की सं.	शेयर अंतरित किए गए धारकों की सं	वर्ष के अंत में शेयर धारकों की सं	वर्ष के अंत में शेयरों की सं.
39	4762	0	0	39	4762

10.1. उचंत खाते के शेयर के संबंध में वोट डालने के अधिकार को अवरोधित किया गया है।

11. गैर-जरूरी आवश्यकताएं

11.1. बोर्ड:
सरकार द्वारा गैर कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है। बोर्ड के बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

11.2. शेयरधारकों का अधिकार:
अर्धवार्षिक रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित की गयी है, बैंक के वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है एवं सभी शेयरधारकों के पंजीकृत पते/ पंजीकृत ई-मेल पते पर डाक/ई-मेल द्वारा भेज दी गयी है।

11.3. लेखा परीक्षा अर्हता:
लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं है।

11.4. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग पद:
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदवी को पृथक किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है।

11.5. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:
बैंक के पास आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को चलाने, देखरेख और निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग है। बैंक अपने आंतरिक निरीक्षकों, समवर्ती और राजस्व लेखा परीक्षकों के माध्यम से वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण संबंधी सभी प्रमुख निष्कर्ष बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल
ह/-
पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 03291906

दिनांक: 28 मई 2018, कोलकाता

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

आचरण संहिता की घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कि बैंक ने बोर्ड के सदस्यों तथा स्केल VII स्केल, VI जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है एवं कंपनी सचिव के रैंक के लिए आचार संहिता अपनाई है और यह बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल और उपर्युक्त रैंक के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उक्त संहिता का अनुपालन उनके द्वारा किया जाता है। यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से पुष्टि प्राप्त की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त संहिता का अनुपालन किया है।

ह/
पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 03291906

दिनांक: 28 मई 2018, कोलकाता

निदेशक मंडल
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय,
11, हेमंत बसु सरणी,
कोलकाता - 70001

सीइओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क) हमने अपनी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा कर ली है :

1. इन विवरणों में किसी तरह की गलत बयानी या असत्य तथ्यात्मक विवरण नहीं दिए गए हैं, न ही कोई तथ्यात्मक विवरण छोड़ा गया है और न ही कोई ऐसा विवरण दिया गया है जो गुमराह करने वाला हो।
2. इन विवरणों में बैंक के कार्यकलापों को सही एवं साफ-सुथरे रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख) हमारी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई लेन देन नहीं किया जो कपट पूर्ण हो, गैर कानूनी हो या जिसमें बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो ।

ग) हम बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित एवं रख-रखाव करने और उसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने की जवाबदेही स्वीकार करते हैं और आंतरिक नियंत्रण के अभिकलन और परिचालन की कमियां, अगर कोई है, जिससे हम अवगत हैं और उन कमियों को सुधारने हेतु हमारे द्वारा उठाए या प्रस्तावित किए गए कदम को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

घ) हम अपने अन्यतम मूल्यांकन, जहां कहीं भी लागू हो, के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि:

1. इस वर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है ;
2. इस वर्ष लेखा नीतियों में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है ;

ङ) हम पुनः पुष्टि करते हैं कि हमारे समक्ष आए हुए उल्लेखनीय धोखाधड़ी के मामले को हमनें लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है । वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं हुआ जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कोई कर्मचारी शामिल हो ।

ह/-
नरेश कुमार कपूर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 03291906

दिनांक : 28 मई, 2018
स्थान : कोलकाता

कंपनी अभिशासन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सूचीबद्ध विनियमों) के विनियमन 17 से 27, विनियमन 46 (2) का खण्ड (बी) से (आई) और अध्याय V के पैराग्राफ सी, डी एवं ई में निर्धारित कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच उस सीमा तक कर ली है, जिसमें यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों / निदेशों की अवहेलना नहीं करता है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों, जैसा कि उक्त विनियमन और दिशानिर्देशों में निर्धारित है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की अभिव्यक्ति है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी प्रतिवेदन पर मार्गदर्शी टिप्पण या विशेष उद्देश्य हेतु प्रमाण पत्र (संशोधित 2016) के अनुसार बैंक के अद्यतन अभिलेखों का परीक्षण किया है। मार्गदर्शी टिप्पणी यह बताता है कि हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी नैतिक संहिता के नैतिक आवश्यताओं का अनुपालन करें। हमने स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी (एसक्वीसी) 1, फॉर्मों के लिए क्वालिटी कंट्रोल जो लेखापरीक्षा करती है एवं ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा एवं अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवा वचनबद्धताओं की समीक्षा करती है, के अद्यतन लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारे अभिमत में तथा प्राप्त सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने कंपनी अभिशासन की शर्तों का सेबी सूचीकरण विनियमों की सीमा तक अनुपालन किया है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम 1970, एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिदेशों एवं निदेशों की अवहेलना नहीं करता है।

हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी संभाव्यता का आश्वासन और न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसकी बदौलत प्रबंधन ने बैंक के कामकाज का संचालन किया है ।

कृते अरूण के.अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक	कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स	कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन	एफआरएन 301138ई	एफआरएन 004885एन	एफआरएन 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी.ए. राजेश सुरोलिया	सी.ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी	सी.ए. दिनेश कुमार जैन	सी.ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्यता सं: 088008)	(सदस्यता सं: 010807)	(सदस्यता सं: 082033)	(सदस्यता सं: 011517)

दिनांक : 28 मई 2018,
कोलकाता

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च 2018 के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। इस लेखापरीक्षा में 31 मार्च 2018 की तारीख तक का तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता एवं समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, विशिष्ट लेखा-नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण योग्य सूचना शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में 20 ऐसी शाखाओं के विवरण है जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है और 869 शाखाएं /रिटेल हबस् जिसमें । नकद प्रबंधन प्रणाली और 1 केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण एवं आवक समाशोधन प्रसंस्करण शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इस तुलनपत्र, में उन 36 क्षेत्रीय कार्यालयों ।।72 शाखाओं और 5 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, । ड्राटा सेंटर के लाभ-हानि खाता को शामिल किया गया है जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है। जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, उनमें कुल अग्रिमों का 9.96%, जमाराशि का 31.11%, ब्याज आय का 8.50% और ब्याज व्यय का 31.52% शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इस वित्तीय विवरण को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश तथा आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा मानक के अनुसार तैयार करते हुए अपेक्षित सूचना प्रकट करना प्रबंधन का दायित्व है । इस दायित्व में उन आंतरिक नियंत्रणों का निर्माण करना, उन्हें कार्यान्वित करना और उनको बनाए रखना शामिल है, जो इस वित्तीय विवरण को इस प्रकार तैयार करने के लिए प्रासंगिक है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त हो, चाहे यह गलत विवरण किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व यह है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने जो लेखा परीक्षा की है वह इन्सॅटीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप है। उन मानको के लिए जरूरी है कि हम आचार नीति का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका निष्पादन इस तरह करें ताकि यह वित्तीय विवरण तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त है या नहीं इसके बारें में एक युक्तियुक्त आश्वासन हासिल हो सकें।

4. लेखापरीक्षा में इस कार्य को निष्पादन करने की पद्धति शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों की राशि और प्रकटीकरण संबंधी लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल हो सकें। चयनित पद्धति लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणों से संबंधित तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों की समीक्षा भी शामिल होती है चाहे वह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी भूल के कारण। उन जोखिमों की समीक्षा करते हुए लेखा परीक्षक उस आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है जो वित्तीय विवरणों के लिए उस बैंक को तैयारियों और साफ-सुथरी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक होते है ताकि संबंधित परिस्थितियों में लेखा परीक्षा की पद्धतियों की समुचित रूपरेखा बनाई जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत उपयोग में लायी गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी शामिल रहता है और प्रबंधन द्वारा तैयार लेखांकन प्राक्कलन की युक्तियुक्तता इसी के साथ वित्तीय विवरणों की समग्रतः प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, लेखा परीक्षा संबंधी अपने विचारो को व्यक्त करने के लिए हमें पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराते हैं ।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, जैसा कि बैंक की बहियों में दिखाया गया है और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूपः

   (i) यह तुलन पत्र, इसमें उल्लिखित नोट्स सहित बैंक का एक उत्तम तुलन पत्र है, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक बैंक की वास्तविक स्थिति का भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पृष्टि के अनुरूप बनाया गया है।

   (ii) यह लाभ-हानि लेखा बैंक के उस लाभ को सही-सही दर्शाता है जो लेखा में सम्मिलित किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है: और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण इस वर्ष की नियत तिथि को नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक जरूरतों पर रिपोर्ट

7. यह तुलन पत्र एवं लाभ हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 29 के प्रावधान के अनुसार बनाया गया है।

   ऊपर के पैरा 1 से 5 तक निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की जरूरतों के अनुरूप तथा उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं की जरूरत के मद्देनजर हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते है कि :

   (क) लेखा परीक्षा के लिए प्रयोजनीय सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ है और हमारी जानकारी में और हमारे विश्वास के अनुसार वे संतोषजनक पाए गए है।

(ख) बैंक के जितने भी लेन-देन हमारी जानकारी में आए है वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत है।

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन की दृष्टि से पर्याप्त पाई गयी।

8. हम पुनः रिपोर्ट करते हैं कि:

क) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, खाता बही तथा विवरणियों के अनुसार तैयार है।

ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखा से संबंधित रिपोर्ट हमारे पास भेजी गई और उस रिपोर्ट को बनाने में हमनें उनकी मदद ली।

ग) हमारे अभिमत में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी में प्रयोज्य मानक लेखा का अनुसरण किया गया है।

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	**कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक**	**कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स**	**कृते एसबीए एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन	एफआरएन 301138ई	एफआरएन 004885एन	एफआरएन 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. ए. राजेश सुरोलिया	**सी. ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी**	**सी. ए. दिनेश कुमार जैन**	**सी. ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं.: 088008	एम.सं.:010807	एम.सं.: 082033	एम.सं.: 011517

दिनांक : 28 मई, 2018
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र

एवं

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2018 का लेखा परीक्षित तुलन पत्र

पूंजी एवं देयताएं

(₹ हज़ार में)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
पूंजी	1	**3000,00,00**	1394,35,56
शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आवंटन	1ए	**13,64,25**	418,00,00
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	**5661,59,34**	5931,45,57
जमाराशियां	3	**129326,37,80**	126939,25,10
उधार राशियां	4	**3306,05,75**	2551,75,40
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	**3440,98,44**	3818,29,61
कुल :		**144748,65,58**	**141053,11,24**

आस्तियां

(₹ हज़ार में)

	अनुसूची	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं जमा राशियां	6	**6212,13,98**	6634,45,91
बैंकों में जमा राशियाँ और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय	7	**14022,18,39**	6381,58,81
निवेश	8	**50401,80,41**	53035,49,06
अग्रिम	9	**62490,19,98**	66139,29,51
अचल आस्तियाँ	10	**1293,08,85**	1181,66,34
अन्य आस्तियाँ	11	**10329,23,97**	7680,61,61
कुल :		**144748,65,58**	**141053,11,24**
आकस्मिक देयताएं	12	**7845,02,68**	8692,70,30
उगाही हेतु बिल		**3691,03,79**	2137,88,17

31.03.2018 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे	अर्णव राय	एस.सूर्यनारायण	दिनेश सिंह	सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

नरेश कपूर
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक	कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स	कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन	एफआरएन 301138ई	एफआरएन 004885एन	एफआरएन 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. ए. राजेश सुरोलिया	**सी. ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी**	**सी. ए. दिनेश कुमार जैन**	**सी. ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं.: 088008	एम.सं.:010807	एम.सं.: 082033	एम.सं.: 011517

दिनांक : 28.05.2018
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 1 - पूंजी

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)		31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
प्राधिकृत पूंजी		3000,00,00		3000,00,00
इक्विटी शेयर पूंजी	-		-	
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)	-		-	
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी				
2999999999 (पूर्ववर्ती वर्ष 1394355583) ईक्विटी शेयर प्रत्येक				
₹10/- का [सहित 2794008447 (पूर्ववर्ती वर्ष में 1188364031				
भारत सरकार के पास)]		3000,00,00		1394,35,56
कुल :		3000,00,00		1394,35,56

अनुसूची 1ए-शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आबंटन

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)		31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आबंटन**	-	13,64,25	-	418,00,00
कुल :		13,64,25		418,00,00

**शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आवंटन का अर्थ यह है कि भारत सरकार से प्राप्त एप्लीकेशन के साथ रु. 8.22/- शेयर पूर्ण प्रदत्त के प्रीमियम पर निर्गत होने के लिए प्रस्तावित 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7487637 इक्विटी शेयर।

**भारत सरकार द्वारा बैंक के प्राधिकृत पूंजी की वृद्धि के बाद शेयर आवंटन राशि के अंतर्गत इक्विटी शेयर का आवंटन की अपेक्षा की जाती है।

अनुसूची 2 - प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष

(₹ हज़ार में)

	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I. सांविधिक प्रारक्षित		
आरंभिक शेष	832,38,77	777,51,12
जोड़ : लाभ हानि लेखा से अंतरण	-	54,87,65
उप योग :	**832,38,77**	**832,38,77**
II. पूंजी प्रारक्षित		
क) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित		
आरंभिक शेष	901,03,36	924,66,25
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान	68,86,24	-
जोड़:/(घटाव): अवधि/वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
घटाव: लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण	(23,05,40)	(23,62,89)
	946,84,20	**901,03,36**
ख) अन्य		
आरंभिक शेष	1626,85,69	1528,46,19
जोड़: लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण	99,91,36	98,39,50
जोड़:/(घटाव): वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन	(68,77,94)	-
	1657,99,11	1626,85,69
उप योग [(क)+ (ख)]	**2604,83,31**	**2527,89,05**
III. शेयर प्रीमियम		
आरंभिक शेष	2737,35,42	2078,82,02
अवधि/वर्ष के दौरान योग	1432,71,31	658,53,40
उप योग	**4170,06,73**	**2737,35,42**
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित		
क) विशेष प्रारक्षित आईटी		
आरंभिक शेष	220,00,00	220,00,00
घटाव: आहरण द्वारा कमी	-	-
जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-	-
उप योग (क)	**220,00,00**	**220,00,00**
ख) राजस्व प्रारक्षित		
आरंभिक शेष	-386,17,67	-529,78,68
जोड़: पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित से अंतरण	23,05,40	23,62,89
घटाव: परिसंपतियों के लिए समायोजन हेतु आहरण द्वारा कमी	-248,21,22	53,74,65
जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-1554,35,98	66,23,47
उप योग (ख)	**-2165,69,47**	**-386,17,67**
उप योग [(क)+ (ख)]	**-1945,69,47**	**-166,17,67**
V. लाभ एवं हानि लेखा में शेष	–	–
कुल (I + II + III+IV+V)	**5661,59,34**	**5931,45,57**

अनुसूची 3 - जमा राशियां

(₹ हज़ार में)

			31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
क	I.	माँग जमा		
		I) बैंकों से	1330,27,30	1605,92,24
		ii) अन्य से	8573,15,71	9017,51,40
	II.	बचत बैंक जमा	**52744,30,40**	49461,84,54
	III.	मीयादी जमा		
		I) बैंकों से	474,57,62	681,57,84
		ii) अन्य से	66204,06,77	66172,39,08
		कुल :	**129326,37,80**	**126939,25,10**
ख		I) भारत की शाखाओं में जमा	129326,37,80	126939,25,10
		ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमा	–	–
		कुल :	**129326,37,80**	**126939,25,10**

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हज़ार में)

	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I. भारत में उधार		
I) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
ii) अन्य बैंक	1,59,54	91,07
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ #	3304,46,21	2550,84,33
II. भारत के बाहर उधार राशियाँ	-	–
कुल :	**3306,05,75**	**2551,75,40**
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार	–	–
# टियर II पूँजी हेतु अधीनस्थ ऋण सहित	1940,00,00	1625,00,00
# टियर I पूँजी हेतु आईपीडीआई सहित	1240,00,00	650,00,00

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I.	देय बिल	343,07,13	395,75,48
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	201,53,59	122,70,43
III.	उपचित ब्याज	521,18,40	537,99,85
IV.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान	238,47,00	789,17,00
V.	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	–	–
VI.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	–	–
VII.	अन्य (प्रावधानों सहित)	2136,72,32	1972,66,85
	कुल :	**3440,98,44**	**3818,29,61**

अनुसूची 6- भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ

(₹ हज़ार में)

	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	608,03,30	489,88,14
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ		
i) चालू खाते में	5604,10,68	6144,57,77
ii) अन्य खातों में	–	–
कुल :	**6212,13,98**	**6634,45,91**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हज़ार में)

	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I. भारत में -		
i) बैंकों में जमाराशियाँ		
क) चालू खातों में	40,13,10	36,60,64
ख) अन्य जमा खातों में	–	–
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
क) बैंकों में	13879,82,37	6300,21,02
ख) अन्य संस्थानों में	–	–
उप - योग :	**13919,95,47**	**6336,81,66**
II. भारत के बाहर-		
i) बैंकों में जमाराशियाँ		
क) चालू खातों में	102,22,92	44,77,15
ख) अन्य जमा खातों में	–	–
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	–	–
उप - योग :	**102,22,92**	**44,77,15**
कुल :	**14022,18,39**	**6381,58,81**

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I.	भारत में निवेश (सकल)	**51200,67,40**	**53355,36,78**
	घटाव : एनपीआई, मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान	(798,86,99)	(319,87,72)
	शुद्ध	**50401,80,41**	**53035,49,06**
	विश्लेषण		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	36645,92,90	38359,64,60
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	–	–
	iii) शेयर	925,53,22	998,04,00
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स	6067,55,47	3081,60,92
	v) सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम	–	–
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड, सीपी, सीडी आदि)##	6762,78,82	10596,19,54
	उप-योग :	**50401,80,41**	**53035,49,06**
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)**	–	–
	घटाव : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	–	–
	शुद्ध	–	–
	विश्लेषण		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	–	–
	ii) विदेशों में सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम	–	–
	iii) अन्य निवेश	–	–
	उप-योग :	–	–
	कुल (I और II)	**50401,80,41**	**53035,49,06**

##आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा राशियों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' के उपशीर्ष 'अन्य' में शामिल किया जाए।

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
क.	i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	382,93,11	440,74,82
	ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती योग्य ऋण	21478,60,00	21422,41,47
	iii) मीयादी ऋण	40628,66,87	44276,13,22
	कुल :	**62490,19,98**	**66139,29,51**
ख.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित		
	(बही-ऋण के एवज में दिए गए अग्रिम सहित)	56855,99,98	59686,14,51
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	1715,31,00	1143,47,00
	iii) बेजमानती	3918,89,00	5309,68,00
	कुल :	**62490,19,98**	**66139,29,51**
ग.	**I. भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	28542,11,48	27072,40,00
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	3521,27,50	4151,68,00
	iii) बैंक	43,24,00	9,15,00
	iv) अन्य	30383,57,00	34906,06,51
	उप-योग :	**62490,19,18**	**66139,29,51**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	i) बैंकों से प्राप्य	–	–
	ii) अन्य से प्राप्य	–	–
	क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	–	–
	ख) समूहित ऋण	–	–
	ग) अन्य	–	–
	उप-योग :	–	–
	कुल (I और II)	**62490,19,18**	**66139,29,51**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I.	**परिसर (पट्टे पर सहित)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर / पुनर्मूल्यांकित	1223,09,83	1222,54,90
	अवधि / वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	84,72,14	-
	अवधि / वर्ष के दौरान योग	63,28	54,93
		1308,45,25	**1223,09,83**
	घटाव: अवधि / वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	तिथि तक मूल्य ह्रास	(263,40,02)	(235,65,09)
	उप-योग :	**1045,05,23**	**987,44,74**
II.	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**	**6,59,01**	3,90,19
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	944,88,75	884,00,54
	अवधि/वर्ष के दौरान योग	146,42,65	68,97,52
		1091,31,40	952,98,06
	घटाव : अवधि/वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(52,04,64)	(8,09,31)
	तिथि तक मूल्य ह्रास	(806,28,20)	(760,51,33)
	उप-योग :	**232,98,56**	**184,37,42**
IV.	**अमूर्त आस्तियां**		
	सॉफ्टवेयर		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च की लागत पर	104,88,30	98,35,47
	अवधि/वर्ष के दौरान योग	5,88,92	6,52,83
		110,77,22	104,88,30
	घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–	–
	तिथि तक ऋण परिशोधन	(102,31,17)	(98,94,31)
	उप-योग :	8,46,05	5,93,99
	कुल (I+II+III+IV)	**1293,08,85**	**1181,66,34**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	–	–
II.	उपचित ब्याज	1086,71,04	1008,90,03
III.	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध)	791,48,96	947,95,90
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	5,71,61	6,39,28
V.	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ	–	–
VI.	आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)	3246,27,00	1754,02,00
VII.	अन्य ##	5199,05,36	3963,34,40
	कुल	**10329,23,97**	**7680,61,61**

##आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा राशियों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' के उपशीर्ष 'अन्य' में शामिल किया जाए।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2017 तक (लेखा परीक्षित)
I.	बैंक पर दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना जाता	12,66,75	9,55,16
II.	आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता	4,92,36	9,13,40
III.	वायदा विनिमय करारों के कारण देयता	1769,65,73	2546,78,04
IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी मार्जिन का शुद्ध) :		
	क) भारत में	3523,31,91	3243,99,75
	ख) भारत के बाहर	525,02,83	1168,40,02
	ग) बैंक गारंटी लागू किन्तु अप्रदत्त (भारत में)	14,63,83	14,63,83
V.	स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी मार्जिन का शुद्ध)	1205,93,64	1610,47,01
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	788,85,63	89,73,09
	कुल :	**7845,02,68**	**8692,70,30**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ हज़ार में)

		अनुसूची	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	8341,62,93	9427,91,19
	अन्य आय	14	2214,56,69	2186,61,84
	कुल :		**10556,19,62**	**11614,53,03**
II.	व्यय			
	खर्च किया गया ब्याज	15	6848,75,79	7500,18,32
	परिचालनगत व्यय	16	2683,37,82	2561,46,13
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		2478,50,63	1333,37,96
	कुल :		**12010,64,24**	**11395,02,41**
III.	लाभ			
	वर्ष / अवधि के शुद्ध लाभ		-1454,44,62	219,50,62
	कुल :		**-1454,44,62**	**219,50,62**

31.03.2018 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे
निदेशक

अर्णव राय
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

दिनेश सिंह
निदेशक

सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक

नरेश कपूर
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ हज़ार में)

		अनुसूची	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
IV.	विनियोजन :			
	सांविधिक प्रारक्षित में अंतरण		-	54,87,65
	आरक्षित पूंजी मे अंतरण		99,91,36	98,39,50
	प्रस्तावित लाभांश :		–	–
	इक्विटी		–	–
	पी एन सी पी एस		–	–
	लाभांश पर कर		–	–
	राजस्व प्रारक्षित निधि में अंतरण		-1554,35,98	66,23,47
	तुलन-पत्र में अग्रेषित जमाराशि		–	–
	कुल :		**-1454,44,62**	**219,50,62**
	प्रति शेयर मूल एवं मिश्रित आय (रू.)		-9.65	1.86

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन

ह/-
सी. ए. राजेश सुरोलिया
भागीदार
एम.सं.: 088008

कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक
सनदी लेखाकार
एफआरएन 301138ई

ह/-
सी. ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी
भागीदार
एम.सं.:010807

कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004885एन

ह/-
सी. ए. दिनेश कुमार जैन
भागीदार
एम.सं.: 082033

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 308136ई

ह/-
सी. ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय
भागीदार
एम.सं.: 011517

दिनांक : 28.05.2018
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	5060,19,13	6036,26,46
II.	निवेश पर आय	2639,39,16	3060,07,91
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि पर तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	304,09,39	114,26,04
IV.	अन्य	337,95,25	217,30,78
	कुल :	**8341,62,93**	**9427,91,19**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	179,37,84	162,74,25
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ	1522,30,11	1739,31,78
	घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि	(78,17,06)	(237,73,50)
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
	घटाव: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-
IV.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ	3,09,83	7,79
	घटाव : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	(23)	(6,27)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ	135,58,27	143,36,49
	घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि	-	-
VI.	भारत में/भारत के बाहर अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय	-	-
VII.	विविध आय	452,37,93	378,91,30
	कुल :	**2214,56,69**	**2186,61,84**

अनुसूची 15 - व्यय किए गए ब्याज

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I.	जमाराशियों पर ब्याज	6593,91,58	7127,49,32
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	61,12,50	122,72,79
III.	अन्य	193,71,71	249,96,21
	कुल :	**6848,75,79**	**7500,18,32**

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(₹ हज़ार में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	1712,59,20	1624,18,27
II.	किराया, कर एवं बिजली	160,52,63	155,76,08
III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	22,81,60	26,96,99
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	4,32,52	7,63,21
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास	120,14,16	103,51,41
	घटाव : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण	–	–
		120,14,16	**103,51,41**
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	87,50	90,49
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा के लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	15,17,68	14,50,23
VIII.	विधि प्रभार	10,41,95	9,07,01
IX.	डाक-व्यय, तार टेलीफोन आदि	33,60,15	33,45,43
X.	मरम्मत और रख-रखाव	28,07,31	24,26,69
XI.	बीमा	159,03,82	134,09,48
XII.	अन्य व्यय	415,79,30	427,10,72
	कुल :	**2683,37,82**	**2561,46,13**

अनुसूची 17

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की मुख्य लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परिपाटी (जी ए ए पी) लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी प्रयोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों (ए.एस)/मार्गदर्शी नोटों/उदघोषणाओं और भारतीय बैंकिंग उद्योग में विद्यमान चलन के अनुरूप है ।

2. प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं तथा रिपोर्टिंग अवधि के आय व्यय पर विचार करने के उद्देश्य से प्रबंधन को प्राक्कलन एवं अनुमान करना होता है। प्रबंधन यह समझता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत है।

3. आय और व्यय निर्धारण

3.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है।

3.2 अनर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि प्रथमत: अवमानक आस्तियों पर आय के रूप में विनियोजित की गई है। संदिग्ध, हानि आस्तियों और दायर मुकदमा के अधीन तथा डिक्री हो चुके खातों से हुई वसूली/प्राप्त राशि को प्रथमत: बकाया शेष स्वरूप विनियोजित किया गया।

3.3 जिन अग्रिमों पर आय वसूली नहीं हो सकी और जिन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

3.4 कमीशन (सरकारी लेन देन एवं बैंक एश्योरेंस को छोड़कर) विनिमय, दलाली, दावा, लॉकर किराया और शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय का हिसाब नकद के आधार पर किया गया।

3.5 पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकद के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

4.1. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा घोषित स्पॉट दर पर किया गया है। बकाया वायदा विनिमय का पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित फॉरवार्ड दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिह्नित किया गया है।

4.2. आय एवं व्यय की मदों के लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।

4.3. गारंटी के साथ साथ स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पॉट दर पर निभाया गया है।

4.4. "विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तनों के प्रभाव पर" ए एस ।। के अनुसार बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण 'अभिन्न वैदेशिक परिचालन' स्वरूप किया गया है।

4.5. आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच लागू करते हुए किया गया है।

4.6. परम्परागत लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर - मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है।

5. निवेश

5.1 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए में निर्धारित है :-

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
ग) शेयर
घ) डिबेंचर एवं बॉन्ड
ङ) सहायक/संयुक्त उद्यम
च) अन्य

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की निम्नांकित श्रेणियाँ बनाई गई है :-

क) "परिपक्वता तक धारित"- इसमें परिपक्वता तक धारण के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ख) "व्यापार हेतु धारित" – इसमें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध"– इसमें उक्त (क) एवं (ख) से इतर निवेश शामिल है।

अभिग्रहण के समय निवेश का वर्गीकरण किया जाता है :

5.3 निवेश अभिग्रहण की लागत का निर्धारण :–

क) प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन एवं प्रोत्साहनों को प्रतिभूति की लागत से काटा जाता है।

ख) प्रतिभूतियों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि को राजस्व व्यय माना जाता है।

ग) अधिग्रहण / प्रतिभूतियों की बिक्री की तिथि तक उपचित ब्याज, अर्थात खंड अवधि के ब्याज को लाभ और हानि लेखा में जमा / प्रभारित किया जाता है ।

5.4. बैंक निवेश लेनदेन के लेखा के लिए निपटान तारीख का अनुसरण करता है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव्स एशोसिएसन (एफ आई एम ए डी ए) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :

क) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम)

i) परिपक्वता तक धारित "एचटीएम" वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है। जब वही मूल्य अंकित मूल्य / प्रतिदेय मूल्य से अधिक होता है तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित कर दिया जाता है।

ii) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि, अल्पकालीन सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि, मध्यम लघु माइक्रो उद्यम पुनर्वित्त निधि- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि., ग्रामीण आवास विकास निधि- राष्ट्रीय आवास बैंक लि. माइक्रो फाइनेन्स विकास एवं इक्विटी फंड, नाबार्ड में (शेयर के रूप में वर्गीकृत) में किए गए निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

iv) उद्यम पूंजी में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

ख) "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध"

क सरकारी प्रतिभूतियों 1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ 2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफ आई एम एम डी ए द्वारा प्रकाशित कीमत पर। एफ आई एम एम डीए/भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार आधार प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
ख बट्टाकृत लिखत (ट्रेज़री बिल, कमर्शियल पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र)	रखाव लागत पर
ग बॉन्ड एवं डिबेंचर	एफ आई एम एम डी ए/आर बी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार आधारभूत प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त ऋण विस्तृति को जोड़ते हुए परिपक्वता तक प्रतिफल (वाई टी एम) होने के आधार पर।
घ इक्विटी i) कोट की गई ii) कोट नहीं की गई	 बाजार मूल्य पर विगत तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रूपए पर।
ङ अधिमानी शेयर	एफ आई एम एम डी ए/भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशानुसार अर्जन वक्र आधार पर बाजार मूल्य पर अथवा उपयुक्त कीमत लागत अंतर (मार्क अप) को जोड़ते हुए बाजार मूल्य पर यदि कोट किया गया है तो, अन्यथा वाई टी एम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर
च प्रतिभूति प्राप्ति/उद्यम पूंजी निधि	एफ आई एम डी ए/भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर
छ म्यूचुअल फंड	यदि कोट किया हुआ है तो बाजार मूल्य पर तथा कोट नहीं किया गया है तो पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर

5.5 "एच एफ टी" श्रेणी से प्रतिभूतियों का स्थानांतरण भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

5.6. "एच एफ टी" एवं "ए एफ एस" श्रेणी में प्रत्येक स्क्रिप मासिक आधार पर अथवा यथा आवश्यकता इससे भी कम अंतराल पर बाजार के लिए चिन्हित की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्य ह्रास यदि है तो इसका प्रावधान किया जाता है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि ,यदि कोई है तो इसे अनदेखा किया जाता है ।

5.7. लागत एवं अंकित मूल्य में अंतर होने के कारण शून्य कूपन बॉन्ड से प्राप्त आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

5.8. किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है । किन्तु "एच टी एम " श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ को स्थिति में वर्ष के अंत में लाभ के बराबर राशि का विनियोजन प्रारिक्षत पूँजी खाता में किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिशेष/घाटे का हिसाब करने के लिए भारित औसत (वेटेड एवरेज) पद्धित अपनाई जाती है।

5.9. "बिक्रय हेतु धारित" श्रेणी में धारण अवधि का हिसाब करने के लिए पहले आओ पहले जाओ (एफ आई एफ ओ) पद्धित लागू की गई है ।

5.10. निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय के अवनिर्धारण (डिरिकॉगनिशन) के अध्यधीन है। यह "गैर निष्पादित निवेश" (एनपीआई) वर्गीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के

विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप है। भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है।

5.11. व्यापार अथवा वायदा व्यापार के व्युत्पन्न लेनदेन किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसरण में मूल्यांकन किया जाता है ।

5.12. बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन के हिसाब के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित मानक पद्धित का अनुपालन किया है ।

6. आस्ति पुनर्निर्धारण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

6.1 यदि वित्तीय आस्तियां ए आर सी/ए सी को शुद्ध बही मूल्य से ऊंची कीमत पर बेची गई है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है बल्कि उसे ए आर सी/ए सी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों से हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम कीमत पर हुई है तो उपलब्ध अधिशेष (यदि हो) को समायोजित करने के बाद उस कमी को लाभ और हानि खाते के नामे लिखा गया है।

6.2 आस्ति पुनर्निमाण कंपनी प्रतिभूतिकरण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुनर्निमाण कंपनी/प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा सृजित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य से कम कीमत पर उस ऐसी वित्तीय आस्तियों के शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है।

6.3 बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को गैर एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुरूप गैर एस एल आर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड लागू किए गए हैं।

6.4 एआरसी/एस सी को बेची गई बट्टा कृत आस्तियों के मामले में प्राप्त नकदी को आय माना गया है ।

7. अग्रिम

7.1. अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है ।

7.2. अनर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और ऋण गारंटी संस्थाओं से प्राप्त दावे के रूप में किया गया है ।

7.3 अर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयता एवं प्रावधान शीर्ष के तहत प्रदर्शित है ।

7.4. अग्रिमों को पुनर्गठन एवं तत्संबंधी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरूप किया गया है ।

8. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

8.1. परिसर (पट्टे पर लिया गया परिसर समेत) और अन्य अचल आस्तियां तथा चल रहे पूंजीगत कार्य को परंपरागत लागत पर लिया गया है । पुनर्मूल्यांकित की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को "पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित" में जमा किया गया है ।

8.2 पट्टे पर ली गई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है ।

8.3. कंप्यूटर और स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) के अतिरिक्त अन्य आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अंतर्गत, 5% अवशिष्ट मूल्य रखने के बाद किया गया है । हालांकि 01.04.2014 को पहले से उपयोग की जाने वाली संपत्तियों के लिए, बैंक 5% अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करता है।

प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित से सामान्य प्रारक्षित को आस्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्य ह्रास राशि के बराबर राशि अंतरित की गई है ।

8.4. कंप्यूटरों, स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) एवं सॉफ्टवेयरों पर मूल्यह्रास का हिसाब उसकी अभिग्रहण तिथि से आनुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धति से 33.33 प्रतिशत की दर से भा.रि.बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया ।

8.5. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर यदि कोई अनर्जक हानि हुई है, तो उसे अनर्जक आस्तियों पर लेखांकन मानक ए.एस 28 के अनुरूप चिह्नित किया गया है ।

9. सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

ए.एस-12 के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान/ सहायकी को बही मूल्य तक पहुंचाने के संबंध में आस्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में किए गए अनुदान/दिखाकर तुलन पत्र प्रस्तुत किया गया है । लाभ एवं हानि खाते में अनुदान/सहायकी को मूल्यह्रास अस्तियों के उपयोगी जीवन काल पर मूल्यह्रास प्रभार में कटौती के द्वारा किया गया है ।

राजस्व प्रकृति से प्राप्त किए सरकारी अनुदान सहायकियों को लाभ एवं हानि खाते में उसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त संबंधित लागत, यदि कोई हो, तो उसमें कटौती करते हुए स्वीकृत किया गया है, अन्यथा उपयुक्त को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यदि प्राप्त हो, अन्य आय के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

10. कर्मचारियों की सुविधाएं

10.1 "कर्मचारियों के लाभों" की पहचान कर्मचारी लाभ के अंतर्गत ए.एस-15 के अनुसार की गई है ।

10.2 कर्मचारियों को दी जाने वाली अल्पावधिक सुविधाओं अर्थात अवकाश किराया रियायत एवं चिकित्सा सहायता की माप लागत पर की गई है ।

10.3 कर्मचारियों को दी जाने वाली दीर्घावधिक सुविधाएं तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं जैसे आनुतोषिक, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की माप वार्षिक तृतीय पक्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा बट्टा आधार पर की गई है ।

10.4 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है । जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनकी पेंशन निधि का अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है ।

10.5 तुलन पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहां भी लागू होना योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमांकिक लाभ हानि के रूप में दर्शाया गया है ।

10.6 पेंशन सुविधा सहित दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं से संबंधित संक्रमणकालीन देयता को पांच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है ।

10.7 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुरूप सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प की सुविधा दुबारा देने और उपादान सीमा बढ़ोत्तरी विवेकपूर्ण नियामक आचरण संबंधी व्यय में पांच वर्ष के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

11. कराधान

"कर के हिसाब के अंतर्गत आय" पर कर का प्रावधान ए एस 22 के अनुसार चालू एवं आस्थगित करों - दोनों के लिए किया गया है ।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां

"प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियों" पर ए एस 29 के अनुसार बैंक निम्नांकित को मान्यता देता है :

(क) प्रावधानों को तभी चिह्नित किया जाता है तब पूर्ववर्ती घटना के परिणाम स्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है और यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व के लिए जरूरी हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके।

(ख) आकस्मिक देयताओं की पहचान या उनका प्रकटीकरण तब होता है जब कोई संभावित दायित्व अतीत की ऐसी किसी घटना के कारण आ पड़ता है जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक या एक से अधिक किसी ऐसी अनिश्चित भावी घटना होने / न होने से होती है जिस पर बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। आकस्मिक देयता की पहचान /प्रकटीकरण विगत घटनाओं से वर्तमान दायित्व आने पर भी होता है किन्तु उसकी पहचान दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के प्रवाह की दूर संभावना अथवा दायित्व के स्वरूप का विश्वसनीय आकलन नहीं किए जाने के कारण नहीं होती है ।

(ग) आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

13. शुद्ध लाभ

निम्नलिखित के लेखांकन के बाद ही शुद्ध लाभ किया गया है :

(क) कराधान का प्रावधान

(ख) मानक आस्तियों पर प्रावधान करना

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों एवं मूल्यह्रास पर प्रावधान

(घ) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान करना ।

दिनांक 31.03.2018 तक यह अनुसूची 17 और 18 का एक भाग है।

पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे	**अर्णब राय**	**एस.सूर्यनारायण**	**दिनेश सिंह**	**सिद्धार्थ प्रधान**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

नरेश कपूर
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

संलग्नक समान तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	**कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक**	**कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स**	**कृते एसबीए एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन	एफआरएन 301138ई	एफआरएन 004885एन	एफआरएन 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. ए. राजेश सुरोलिया	**सी. ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी**	**सी. ए. दिनेश कुमार जैन**	**सी. ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं.: 088008	एम.सं.:010807	एम.सं.: 082033	एम.सं.: 011517

दिनांक : 28.05.2018
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 18 :

टिप्पणियां जो 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का अंश है

1. विदेशी शाखाओं, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के शेष की पुष्टि/समाधान, नोस्ट्रो खातों, देय ड्राफ्ट, समाशोधन अंतर, अंतर कार्यालय समायोजन आदि का कार्य निरंतर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर लंबित समाशोधन/उपरोक्त का सामंजस्य समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

2.1 पूंजी

क)

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	बासेल-III समाप्त वर्ष	
		31.03.2018	31.03.2017
1)	आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	8.39	8.46
2)	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.87	8.94
3)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.75	2.20
4)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	12.62	11.14
5)	बैंक की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	93.13%	85.23%
6)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (रूपये रु करोड़ में)	2620.36	735.49
7)	जुटाई गई टीयर 1 पूंजी की राशि; जिनमें से	590	200.00
7.1)	-पीएनसीपीएस:	शून्य	शून्य
7.2)	-पीडीआई	590	200.00
8)	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से (रूपये करोड़ में)	990	शून्य
8.1)	ऋण पूंजी लिखत :	990	शून्य
8.2)	अधिमान शेयर पूंजी लिखत :	शून्य	शून्य

पूंजी योजना उपाय के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पूंजी जुटाई है:

क) पूंजी बृद्धि के लिए बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुन: पूंजीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 29-03-2018 को रु. 2634 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। दिनांक 31-03-2018 तक बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी आवंटन के माध्यम से रु.2620.36 करोड़ आवंटित किया। दिनांक 31-03-2018 तक बैंक ने रु.13.64 करोड़ राशि का रख-रखाव "शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन" के रुप में किया था। बैंक ने इस राशि को 31-03-2018 तक सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी-1) पूंजी निधि के रुप में माना है।

ख) बैंक ने दो शृंखलाओं में रु. 590 करोड़ का अतिरिक्त टीयर 1 (एटी 1) पूंजी अर्थात 10-11-2017 को रु.490 करोड़ एवं 27-12-2017 को 100 करोड़ रुपये बेसल - III अनुपालित एटी 1 बांड जारी करके संवर्धित की।

ग) बैंक ने तीन शृंखलाओं में 990 करोड़ रुपये की टीयर 2 पूंजी अर्थात 23-08-2017 को 500 करोड़ रुपये, 27-09-2017 को 150 करोड़ रुपये 10-11-2017 को 340 करोड़ रुपये बेसल - III अनुपालित टीयर 2 बांड जारी करके संवर्धित की।

2.2 निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
1 निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य	51200.67	53355.37
क) भारत में	51200.67	53355.37
ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
ii) एमटीएम हानि एवं एनपीआई का प्रावधान	798.87	319.88
क) भारत में	798.87	319.88
ख) भारत से बाहर	0.00	0.00

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	50401.80	53035.49
क) भारत में	50401.80	53035.49
ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
2 एमटीएम हानि एवं एनपीआई निवेश में किए गए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i) आरंभिक शेष	319.88	210.64
ii) जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	480.46	112.34
iii)घटाव : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान का बट्टाखाताकरण / प्रतिलेखन	1.47	3.10
iv)अंतिम शेष	798.87	319.88

आरबीआई ने परिपत्र DBR No. BP. BC. 102/21.04.018/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए बैंकों को एएफएस और एचएफटी में किए गए निवेश पर मार्क टू मार्केट (एमटीएम) के नुकसान के प्रावधान को प्रदर्शित करने का विकल्प दिया। इन तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए प्रावधानीकरण चार तिमाहियों के लिए समान रूप से किया जाना चाहिए, जिस तिमाही में हानि हुई है। तदनुसार, बैंक ने क्रमशः दिसंबर 2017 तिमाही के लिए 50% एमटीएम घाटा और मार्च 2018 तिमाही के लिए 75% एमटीएम घाटा की तिमाही राशि 115.43 करोड़ रुपये और 105.95 करोड़ रुपये दिखाया है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में):

₹ करोड़ में

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2018 तक बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	300.00	300.00	2.47	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ख) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	20.33	1021.73	72.91	71.41
	(31.00)	(1219.99)	(108.58)	(0.00)
ख) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं

2.2.2 गैर-एस एल आर निवेश संविभाग

(i) गैर-एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता संघटन

₹ करोड़ में

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की सीमा	निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा	अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3104.82	0.00	0.00	0.00	2.82
		(1693.51)	(1693.51)	(0.00)	(150.00)	(167.64)
2	वित्तीय संस्थाएं	1382.98	0.00	0.00	0.00	9.60
		(3405.85)	(3405.85)	(0.00)	(0.00)	(9.60)
3	बैंक	5762.89	0.00	0.00	51.12	368.52
		(7620.53)	(7620.53)	(0.00)	(64.68)	(433.20)
4	निजी कंपनियां	3312.92	905.33	0.00	251.11	494.90
		(1884.57)	(1884.57)	(0.00)	(117.34)	(365.80)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	अन्य (एमएफ/सीपी/सीडी)	3742.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		(584.71)	(584.71)	(0.00)	(0.00)	(304.86)
7	मूल्यह्रास /एनपीआई हेतु	657.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रावधान	(319.88)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल (1 से 6) - (7)	**16649.11**	**905.33**	**0.00**	**302.23**	**875.84**
		(14869.29)	**(15189.17)**	**(0.00)**	**(332.02)**	**(1281.10)**

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं ।

(ii) गैर निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश:

₹ करोड़ में

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
आरंभिक शेष	166.08	166.69
वर्ष के दौरान वृद्धि	665.87	12.41
वर्ष के दौरान कमी	1.47	13.02
अंतिम शेष	830.48	166.08
किए गए कुल प्रावधान	**505.44**	**134.51**

2.2.3 **परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी की बिक्री एवं अंतरण**

1. केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों को रू 1055.00 करोड़ के अंकित मूल्य (बही मूल्य रु.1050.36 करोड़) और राज्य विकास ऋण को 75.00 करोड़ अंकित मूल्य (बही मूल्य रु 74.57 करोड़) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एचटीएम श्रेणी से बेचा गया था। केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों एवं राज्य विकास ऋण के लिए एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री पर अर्जित अधिशेष क्रमशः 92.27 करोड़ रुपये और 7.65 करोड़ रुपये था।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही के दौरान केन्द्रीय सरकार की रू 9071.63 करोड़ के अंकित मूल्य (बही मूल्य रू 9269.26 करोड़) की प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया गया तथा केन्द्रीय सरकार की रू 2554.31 करोड़ अंकित मूल्य (बही मूल्य रू 2785.64 करोड़) की प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में अंतरित किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही के दौरान राज्य सरकार की रू 2645.27 करोड़ के अंकित मूल्य (बही मूल्य रू 2684.62 करोड़) की प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित किया गया।

4. रू 0.08 करोड़ के अंकित मूल्य (बही मूल्य रू 9.64 करोड़) की वेंचर पूंजी प्रतिभूति को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया गया।

2.2.4 **विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन**

बांग्लादेश (बीडीटी 23,01,281.26 जो भारतीय रुपये 15.78 लाख के बराबर है) की मुद्रा को छोड़कर मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, जिसे स्पॉट दरों की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, उसका पुनर्मूल्यांकन विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा तुलन पत्र की तिथि को घोषित क्लोजिंग स्पोट दर के अनुसार किया जाता है।

2.3 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

2.3.1 बायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i)	स्वैप करार के आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
(ii)	प्रतिपक्षों करार के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर हुई हानि	शून्य	शून्य
(iii)	स्वैप करने पर बैंक द्वारा मांगे गए संपार्श्विक	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का सकेंद्रीकरण	शून्य	शून्य
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

2.3.2 विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नी :

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i)	वर्ष के दौरान बकाया विनिमय व्यापार संबंधी ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च, बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखितवार)	शून्य	शून्य
(iii)	बकाया अधिक प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य	शून्य
(iv)	बकाया एवं अधिक प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याजदर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाजार मूल्य (लिखतवार)	शून्य	शून्य

2.3.3 व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण :

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने व्यापार (अंतरपणन) और बचाव के उद्देश्य से मुद्रा बायदे में व्युत्पन्न का लेनदेन किया है.

ख) व्युत्पन्न लेनदेन के जोखिम प्रबंधन संगठन के तीन कार्य क्षेत्र है, अर्थात्

क) लेन - देन करने के लिए फ्रंट ऑफिस;

ख) जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए मिड ऑफिस; और

ग) निपटान, सुलह और लेखांकन के लिए बैक ऑफिस;

ग) मिड ऑफिस द्वारा जोखिम उपाए, रिपोर्टिंग और निगरानी कार्य किए जाते है। निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबीओडी) के माध्यम से व्युत्पन्न लेनदेन सहित बैंक समग्र जोखिम उपाय, निगरानी और रिपोर्टिंग कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सर्वोच्च इकाई है। बैंक की आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति (एलको), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ आरएमसी) तथा निवेश विषयक आंतरिक समिति (आईसीआई) के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को आंतरिक रूप से निगरानी करता है.

घ) बोर्ड द्वारा अनुमोदित एकीकृत ट्रेजरी नीति जिसमें ऋण जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम एवं व्युत्पन्न लेनदेन संबंधी विपणन जोखिम से बचाव करने / उसे कम करने हेतु अंतर्निहित बचाव उपायों की पहचान की गई है। ग्राहकों से संबंधित व्युत्पन्न लेनदेन काउंटर पार्टी बैंकों से समान रकम एवं अवधि के लिए पृष्ठांकित आधार पर होता है तथा ऐसे लेनदेन के लिए बैंक को कोई बाजार जोखिम नहीं होता है ।

ड.) यह नीति बचाव एवं गैर-बचाव लेनदेनों, आय पहचान के लिए लेखांकन तथा विशिष्ट संविदाओं के लिए मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करती है । आय निर्धारण "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार ए एस-11 तथा समय-समय पर आर.बी.आई/एफ डी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। एकीकृत ट्रेजरी नीति भी ऋण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न सीमाएं निर्धारित करती है, जैसे-ग्राहक स्तर की सीमाएं, व्यापार सदस्य स्तर की सीमाएं, शुद्ध मुक्त स्थिति सीमाएं।

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन की राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) हेजिंग हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार स्थिति के लिए चिह्नित (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) आस्ति (–)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण निवेश (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्युत्पन्नों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) हेजिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4 आस्ति गुणवत्ता

2.4.1 अनर्जक आस्तियां

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i)	शुद्ध अग्रिम का शुद्ध अनर्जक आस्ति (%)	16.49	10.02
(ii)	अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव		
क)	आरंभिक शेष	10951.99	9471.01
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	8606.26	3533.08
ग)	वर्ष के दौरान कमी	3006.14	2052.10
घ)	अंतिम शेष	**16552.11**	**10951.99**
(iii)	शुद्ध अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
क)	आरंभिक शेष	6591.85	6110.17
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	4422.85	1281.67
ग)	वर्ष के दौरान कमी	698.40	800.53
घ)	अंतिम शेष	**10316.30**	**6591.85**
(iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधान को छोड़कर)		
क)	आरंभिक शेष	4321.40	3299.91
ख)	वर्ष के दौरान योग	3945.97	2011.42
ग)	वर्ष के दौरान कमी	2065.80	989.93
घ)	अंतिम शेष	**6201.57**	**4321.40**

2.4.2 वर्ष 2016-17 के लिए आरबीआई के जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन निम्नलिखित है :

(संदर्भ DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017)

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ हजार में)
1.	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को सकल एनपीए	**109519900**
2.	आरबीआई द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	117546900
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	8027000
4.	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को निवल एनपीए	**65918500**
5.	आरबीआई द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए	71573500
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	5655000
7.	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	**43214000**
8.	आरबीआई द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	45586000
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	2372000
10.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर के पश्चात (पीएटी) रिपोर्ट की गई निवल लाभ	**2195062**
11.	प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर के पश्चात (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ इत्यादि	(3041938)

2.4.3 पुनर्गठित खातों का विवरण

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2018 तक की स्थिति)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार->		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तन्त्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति का वर्गीकरण ->																					
	ब्योरा		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल तक पुनर्गठित खाता (प्रारम्भिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	19	2	23	1	45	295	21	1379	-1	1694	1394	52	4273	5	5724	1708	75	5675	5	7463
		बकाया राशि	1898.45	198.36	2623.02	70.33	4790.16	82.19	2.32	146.34	0.00	230.86	3532.30	116.30	1082.43	0.10	4731.13	5512.93	316.99	3851.79	70.43	9752.14
		उस पर प्रावधान	10.86	0.00	0.43	0.00	11.29	1.58	0.07	2.84	0.00	4.50	20.48	0.10	5.36	0.01	25.94	32.92	0.17	8.63	0.01	41.73
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	9	93	84	0	186	35	394	162	0	591	44	487	246	0	777
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.65	2.05	1.09	0	5.79	1.14	207.02	1.61	0	209.77	3.79	209.07	2.70	0	215.56
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	19	- 5	-14	0	0	23	-9	-14	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0	0	0.53	1.69	0.00	0	2.22	7.78	1.26	6.19	0	15.23	8.31	2.95	6.19	0	17.45
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4	वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्गठित अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान रुक गया है और अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित किया गया है उसे अगले वित्त वर्ष के आरम्भ पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में प्रदर्शित करने आवश्यकता न हो	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	0				0	0				0	0				0
		बकाया राशि	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		उस पर प्रावधान	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2016 तक की स्थिति)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार -> / आस्ति का वर्गीकरण -> / ब्योरा		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तन्त्र के तहत					अन्य					कुल				
			मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का निम्नकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	-7	3	4	0	0	-31	27	4	0	0	-36	26	10	0	0	-74	56	18	0	0
		बकाया राशि	-1171.35	532.89	515.00	0	-123.46	-27.46	24.09	3.38	0	0.01	-1817.07	1002.40	665.52	0	-149.15	-3015.88	1559.38	1183.90	0	-272.6
		उस पर प्रावधान	-3.13	0.00	0.00	0	-3.13	-0.17	0.00	0.00	0	-0.17	-4.95	0.00	1.27	0	-3.68	-8.25	0.00	1.27	0	-6.98
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाता में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	5	5	0	0	0	2	2	0	0	0	814	814	0	0	0	821	821
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	2447.48	2447.48	0.00	0.00	0.00	2627.75	2627.75
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	12	5	27	-4	40	277	137	1467	-3	1878	1412	467	4431	-809	5501	1701	609	5925	-816	7419
		बकाया राशि	727.10	731.25	3138.02	-105.61	4490.76	57.91	30.15	150.81	-4.33	234.55	1724.18	1326.98	1755.75	-2447.38	2359.50	2509.15	2088.39	5044.58	-2557.32	7084.80
		उस पर प्रावधान	7.73	0.00	0.43	0.00	8.16	1.41	0.07	2.84	0.00	4.33	15.53	0.10	6.63	0.01	22.26	24.67	0.17	9.90	0.01	34.75

* मानक पुनर्गठित अग्रिम के आंकड़े को छोड़कर उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकृष्ट नहीं करता है (यदि लागू हो तो)

1. छूट सहित उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित और सत्यापित हैं।
2. 31.03.2018 तक रू 1 करोड़ एवं अधिक के मानक एवं एनपीए आस्ति के लिए वर्ष के दौरान पुनर्गठित आस्ति पर आर्थिक त्याग की मात्रा का गणना एन पी वी पद्धित द्वारा किया गया । शेष आस्तियों के लिए आर्थिक त्याग बकाया शेष पर 5 प्रतिशत की दर से किया गया ।
3. 31.03.2018 को पुनर्गठित खातों में बकाया वृद्धि को उपर के क्रम में शामिल किया गया है और 31.03.2018 तक पुनर्गठित खातों के बकाया में कमी नीचे के क्रम में शामिल किया गया है।

2.4.4 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियों/वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
क) खातों की संख्या	30	19
ख) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (कुल प्रावधान)	240.36	196.56
ग) कुल प्रतिफल	365.59	472.64
घ) विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
ङ) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ (हानि)	(+) 125.23	(+) 276.08

2.4.5 ₹ करोड़ में

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / अंतर्निहित रूप में गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		कुल	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
सुरक्षा निवेश प्राप्तियों का बही मूल्य	314.24	258.09	शून्य	शून्य	314.24	258.09

2.4.6 31.03.2018 तक एसआर में निवेश का प्रकटीकरण ₹ करोड़ में

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी एसआरएस	5 वर्षों से पूर्व लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किया गया एसआरएस	8 वर्षों से पूर्व जारी किया गया एसआरएस
(i) अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा गए एनपीए के समर्थन से एसआरएस का अंकित मूल्य	798.63	1.17	13.69
के एवज में प्रावधान (i)	**77.19**	शून्य	**13.69**
(ii) अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गए एनपीए के समर्थन से एसआरएस का अंकित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
के एवज में प्रावधान (ii)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i) + (ii)	798.63	1.17	13.69

2.4.7 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
1. बेचे गए खातों की संख्या	30	19
2. कुल बकाया	641.18	563.15
3. प्राप्त कुल सिफारिस	365.59	472.64

2.4.8 मानक आस्तियों पर प्रावधान ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
मानक आस्तियों पर प्रावधान	238.47	789.17

2.4.9 परिसंपत्तियां गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन करते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त छः तिमाहियों में वर्गीकरण करके, बैंक ने 31.03.2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण किया है। एक्यूआर प्रभावी 31.03.2017 तक पूरी तरह से उपलब्ध कराया गया है।

2.4.10 वर्ष के दौरान बैंक ने पंजाब राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए खाद्य ऋण पर प्रावधान के प्रतिलेखन के आधार पर 33.10 करोड़ रुपये वापस किए हैं, जैसा कि आरबीआई द्वारा 08.02.2018 के पत्र द्वारा सलाह दी गई है, कि बैंक खाते पर 10% का प्रावधान के प्रतिलेखन के माध्यम से (क) 12 महीने तक किश्तों में चुकौती और (ख) पंजाब सरकार द्वारा आरबीआई को अपने खाते को डेबिट करने का अधिकार प्रदान करना। तदनुसार, बैंक ने 31.03.2018 को 331.67 करोड़ रुपये के बकाया ऋण निवेश पर 5% प्रावधान बरकरार रखा है।

2.5 व्यवसाय अनुपात

₹ करोड़ में

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज-आय का प्रतिशत	5.95%	7.01%
(ii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	1.58%	1.63%
(iii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचनलागत लाभ का प्रतिशत	0.73%	1.16%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-1.04%	0.16%
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	13.22	13.04
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ / हानि (₹ लाख में)	6.91	10.38

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता ढांचा*

₹ करोड़ में

आस्तियां/ देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	2160.79	5042.71	4844.72	2331.22	6500.91	4471.53	16685.07	23507.30	10970.08	52812.05	**129326.38**
	(2398)	*(5251)*	*(4697)*	*(2265)*	*(4937)*	*(5028)*	*(16432)*	*(24155)*	*(10284)*	*(51493)*	***(126940)***
अग्रिम	184.96	335.85	392.20	636.46	1180.88	1577.09	3829.43	12103.00	8249.89	34000.44	**62490.20**
	(464)	*(390)*	*(438)*	*(224)*	*(2260)*	*(5251)*	*(2985)*	*(10997)*	*(8698)*	*(34432)*	***(66139)***
निवेश	9087.04	1022.18	919.58	865.91	3028.58	1993.69	1530.46	2841.68	2825.56	26287.12	**50401.80**
	(0)	*(156)*	*(20)*	*(113)*	*(4472)*	*(6928)*	*(5144)*	*(4479)*	*(2872)*	*(28851)*	***(53035)***
उधार	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97	305.97	162.52	2280.00	500.00	**3306.06**
	(1)	*(0)*	*(0)*	*(100)*	*(0)*	*(95)*	*(56)*	*(370)*	*(555)*	*(1375)*	***(2552)***
विदेशी मुद्रा आस्तियां	294.19	403.06	19.26	162.36	476.90	283.05	489.82	0.00	18.38	0.33	**2147.35**
	(147)	*(1342)*	*(26)*	*(381)*	*(221)*	*(409)*	*(148)*	*(0)*	*(0)*	*(19)*	***(2693)***
विदेशी मुद्रा देयताएं	367.23	410.93	53.80	334.95	339.07	196.10	412.11	29.54	4.16	0.00	**2147.91**
	(259)	*(684)*	*(16)*	*(365)*	*(493)*	*(364)*	*(180)*	*(323)*	*(9)*	*(0)*	***(2693)***

** उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किया गया है।*
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं।

2.7 निवेश

2.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश*

₹ करोड़ में

	श्रेणी	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
क)	**प्रत्यक्ष निवेश**		
i)	**आवासीय बंधक**		
	आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से जमानाती उधार जिसे उधारकर्ता द्वारा दखल किया गया है या किया जाएगा अथवा किराया पर है	**10918.00**	**8943.00**
	-जिनमें से, व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है।	**6190.00**	**5244.00**
ii)	**वाणिज्यिक स्थावर संपदा**		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि समेत गैर निधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा जमानती ऋण।	180.16	235.15
iii)	बंधक आधारित जमानती में निवेश (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति आधारित निवेश		
क.	आवासीय	शून्य	शून्य
ख.	वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	शून्य	शून्य
ख)	**अप्रत्यक्ष निवेश**		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश	2398.31	**2389.27**
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश	**13496.47**	**16811.42**

*(उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किया गया है।)

2.7.2 पूंजी बाजार में निवेश*

₹ करोड़ में

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनकी कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋणों में निवेशित नही है, इसमें किए गए प्रत्यक्ष निवेश।	**102.06**	**92.07**
(ii)	शेयरों / बोन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या गैर-जमानती व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बान्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम।	शून्य	शून्य
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती है।	**34.85**	**16.38**
(iv)	शेयरों को संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है।	शून्य	शून्य
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	शून्य	शून्य
(vi)	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधनों की उन्नति हेतु नई कंपनियों की इक्विटी के पक्ष के प्रोमोटरों के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण।	शून्य	शून्य
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के पक्ष में कंपनियों को तात्कालिक ऋण।	शून्य	शून्य
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई लिखित वचनबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण।	शून्य	शून्य
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत-दोनों) हेतु सभी निवेश	**45.94**	**62.65**
	पूंजी बाजार के कुल निवेश	**182.85**	**171.10**

*(उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किया गया है।)

2.7.3 जोखिम श्रेणी वार देशी ऋण जोखिम

बैंक ने 31 मार्च 2018 को विभिन्न देशों के अपने ऋण जोखिम का विश्लेषण किया है तथा वैसा ऋण जोखिम बैंक की कुल आस्तियों के 1% की थ्रेसहोल्ड सीमा से कम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार इस निवेश के लिए कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

जोखिम श्रेणी वार देशी ऋण जोखिम की स्थिति निम्नलिखित है :

₹ करोड़ में

जोखिम श्रेणी	31.03.2018 तक ऋण जोखिम (शुद्ध)	31.03.2018 तक किए गए प्रावधान	31.03.2017 तक ऋण जोखिम (शुद्ध)	31.03.2017 तक किए गए प्रावधान
नगण्य	259.34	0.00	159.66	0.00
कम	84.03	0.00	76.28	0.00
सामान्य	21.04	0.00	15.03	0.00
उच्च	0.00	0.00	0.00	0.00
बहुत अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिबंधित	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण बाह्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**364.41**	**0.00**	**250.97**	**0.00**

2.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जी बी एल) का विवरण:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा		स्वीकृत सीमा		बकाया	
		31.03.2018	31.03.017	31.03.2018	31.03.017	31.03.2018	31.03.017
(क)	एकल उधारकर्ता						
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

₹ करोड़ में

विवरण	2017-18	2016-17
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकारों, अनुज्ञापत्रों, प्राधिकारी आदि पर किए गए प्रभार की एवज में अग्रिम बकाया की कुल राशि	340.74	329.08
ऐसे अमूर्त समपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	126.69	190.22

2.7.6. मौजूदा ऋण के लचीला संरचना का प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

अवधि	लचीला संरचना हेतु ली गई उधारकर्ताओं का संख्या	लचीला संरचना हेतु ली गई ऋण राशि		लचीला संरचना हेतु लिए गए ऋण की निवेश भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीला संरचना लागू करने से पूर्व	लचीला संरचना लागू करने के बाद
2016-17 (विगत वित्तीय वर्ष)	4	843.70	0.00	36 तिमाही	73 तिमाही
वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल17 से मार्च18)	3	658.18	0.00	42 तिमाही	85 तिमाही

भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र सं.-RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12, फरवरी 2018 के माध्यम से फ्लेक्सिबल पुनर्गठना योजना वापस ले ली है। यह योजना वित्त वर्ष 2017-18 के सभी 3 (तीन) खातों के लिए लागू की गई है।

2.7.7 रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना का प्रकटीकरण (वर्तमान में गतिशून्य अवधि के तहत खाते) ₹ करोड़ में

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां ऋण से इक्विटी में स्थांतरण लंबित है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी शेयरों में स्थांतरण किया गया है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
01	85.42	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00

आरबीआई परिपत्र सं-RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के माध्यम से रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना को वापस ले ली है। खाते को एसडीआर में रखा जाएगा जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 09.04.2018 के अपने मेल के माध्यम से यथावत स्थिति खंड का पालन करने की अनुमति दी गई है।

2.7.8 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वर्तमान में गतिशून्य अवधि के तहत खाते) ₹ करोड़ में

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां ऋण को इक्विटी/ इक्विटी शेयरों की गिरवी में रूपांतरण लंबित है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि,जहां ऋण का इक्विटी शेयरों की गिरवी में रूपांतरण किया गया है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि,जहां नए शेयर जारी या प्रमोटर को इक्विटी की बिक्री कर स्वामित्व में परिवर्तन को परिकल्पित करना	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7.9 कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वर्तमान में यथावत स्थिति अवधि के तहत खाते) ₹ करोड़ में

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग की तारीख तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-

2.7.10 31.03.2018 तक, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए), के धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

खातों की संख्या जहां एस 4 ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
		भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
2	278.66	124.21	154.45	41.12
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
1	113.03	66.10	46.93	30.37

आरबीआई परिपत्र सं. RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 फरवरी के माध्यम से तनावग्रस्त संपत्तियों (एस 4 ए) की धारणीय संरचना को वापस ले लिया है। उस परिपत्र के पैरा 18 के अनुसार, ऐसे खातों सहित सभी खातों, जहां किसी भी योजना को लागू किया गया है लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया है, वह संशोधित ढांचे द्वारा शासित होगा। हमारे बैंक में 11 (ग्यारह) खातों के मामले में एस 4ए योजना में शामिल किया गया है। हालांकि 3(तीन) खातों के मामले में योजना कार्यान्वित की गई है। अन्य सभी मामलों में आस्ति वर्गीकरण विवेकपूर्ण आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.34 / 21.04.132 / 2016-17 दिनांक 10.11.2016 के अनुसार "तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए योजना संशोधन" के संबंध में, वर्ष के लिए 6.27 करोड़ रुपये की अवास्तविक ब्याज 2017-18 (वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 224.90 करोड़ रुपये की एवज में) सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के तहत मानक परिसंपत्तियों के संबंध में और तनावग्रस्त संपत्तियों (एस 4 ए) के सतत संरचना के लिए योजना प्रदान की गई है।

2.8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दण्ड

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के संदर्भ में लेखांकन मानकों (ए एस) के अनुसार प्रकटीकरण

3.1. ए एस 5-इस अवधि में शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रबंधन की राय में पूर्व अवधि के मदों का प्रभाव महत्वहीन है।

3.2 ए एस 9-राजस्व मान्यता

राजस्व का निर्धारण अनुसूची 17 में प्रकटीकरण लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है ।

3.3 ए एस 10-अचल आस्तियां के लिए लेखांकन

3.3.1 अचल आस्तियां प्रकटीकरण लेखा अनुसूची 17 में लेखांकन नीतियों के अनुसार किया गया है।

3.4 ए एस-12 सरकारी अनुदान

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार से रू 0.00 करोड़ की निम्नांकित सब्सिडी / अनुदान / प्रोत्साहन प्राप्त हुआ:

(रू करोड़ में)

		2017 - 18		2016 - 17	
क्रमांक	ब्योरे	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1.	सरकारी अनुदान / सब्सिडी	0.00	0.00	0.19	0.00

3.5 ए एस - 15 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ का लेखा संबंधी प्रकटीकरण [एएस 15 के अनुसार (संशोधित)]

₹ करोड़ में

		पेंशन	उपदान	अन्य लाभ *
क)	**बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**			
	वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4893.10	448.01	120.68
	ब्याज लागत	353.32	30.39	7.61
	विगत सेवा लागत	0.00	140.34	0.00
	चालू सेवा लागत	193.96	27.61	14.60
	प्रदत्त लाभ	488.37	108.65	44.19
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / लाभ	439.77	23.58	-4.60
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5391.78	561.28	94.10
ख)	**योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन**			
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	4720.17	421.26	163.83
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	396.97	34.38	13.37
	नियोजक का अंशदान	527.48	68.07	2.05
	प्रदत्त लाभ	488.37	108.65	44.19
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / लाभ	77.64	-2.29	-2.93
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का उचित मूल्य	5233.89	412.77	132.13
ग)	**पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान आकलित मूल्य**			
	वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	5233.89	412.77	132.13
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता	-157.89	-148.51	38.02
घ)	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय**			
	चालू सेवा लागत	193.96	27.61	14.60
	विगत सेवा लागत	0.00	140.34	0.00
	ब्याज लागत	353.32	30.39	7.61
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	396.97	34.38	13.37
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक लाभ / हानि	362.13	25.87	-1.66
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारित कुल व्यय	512.44	189.83	7.18
ङ)	**तुलन पत्र की तिथि को मुख्य वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)**			
	बट्टादर	7.60%	7.72%	7.72 %
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.41%	8.16%	8.41%
	प्रयोग की गई पद्धति		**परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति**	

* अन्य लाभों में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एफ सी शामिल है।

नोट : उपर्युक्त विवरण बीमा आकलनकर्ता (एक्चुअरी) की रिपोर्ट पर आधारित है।

3.6 ए एस 17 -खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है - ट्रेजरी परिचालन और बैंकिंग परिचालन। प्रासंगिक सूचना निर्धारित प्रपत्र में नीचे दी गई है -

भाग क: व्यवसाय खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी परिचालन		बैंकिंग परिचालन						कुल	
			कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन			
विवरण	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
राजस्व	4523	4819	2858	3873	2806	2687	28	18	10215	11397
परिणाम	1402	1614	519	821	1009	1029	28	18	2958	3482
अनावंटित व्यय									1934	1929
परिचालन लाभ									1024	1553
आयकर									-1492	-1134
असाधारण									-	-
लाभ / हानि										
शुद्ध लाभ / (हानि)									**-1454**	**220**
अन्य सूचना									-	-
खंड आस्तियाँ	64282	59335	35353	42866	27137	23274	-	-	126772	125475
अनावंटित आस्तियाँ									17977	15578
कुल आस्तियाँ									**144749**	**141053**
खंड देयताएँ	61818	56790	33991	41006	26099	22276	-	-	121908	120072
अनावंटित देयताएँ									14165	13237
प्रयुक्त पूंजी									**8676**	**7744**
कुल देयताएँ									**144749**	**141053**

भाग ख : भौगोलिक खंड - चूँकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

3.7 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18) (प्रबंधन द्वारा संकलित)

3.7.1 संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध:

सहयोगी:

क्रम.सं.	नाम	
1.	असम ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पवन बनाज	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यग्रहण 19.08.2016)
2.	श्री के. वी. राममूर्ती	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक (सेवानिवृत्त 30.08.2017)
3.	श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक (कार्यग्रहण 18.02.2017)
4.	श्री एस. सूर्यनारायण	निदेशक
5.	श्री अर्णव राय	निदेशक
6.	श्री समीर कुमार खरे	निदेशक
7.	श्री दिनेश सिंह	निदेशक
8.	श्री सिद्धार्थ प्रधान	निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार :

क्रम संख्या	नाम	के रिश्तेदार :
1.	-	

3.7.2 संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टी	एसोसिएटस		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
उधारी	4670.00	3638.00	0.00	0.12	शून्य	शून्य	4670.00	3638.12
जमा	473.82	1593.22	0.04	0.23	शून्य	शून्य	473.86	1593.44
जमा राशि का नियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	3297.00	3638.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3297.00	3638.00
निवेश:								
सामान्य शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आरआरबी के शेयर	368.53	368.53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	368.53	368.53
आरआरबी बॉण्ड	51.12	64.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	51.12	64.68
गैरांवत पोषित प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उठाए गए लीजिंग / एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदान की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की खरीद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज का भुगतान	193.80	165.91	0.012	0.016	शून्य	शून्य	193.81	165.93
प्राप्त ब्याज	137.50	87.18	0.015	0.015	शून्य	शून्य	137.51	87.19
प्रदान की जानेवाली सेवाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त होनेवाली सेवाएँ:								
- पारिश्रमिक #	शून्य	शून्य	0.69	0.70	शून्य	शून्य	0.69	0.70
- बैठक शुल्क	शून्य	शून्य	0.07	0.10	शून्य	शून्य	0.07	0.10
प्रबंधन संविदा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के लिए अदा किए गए पारिश्रमिक:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	मद #	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (रू.करोड़ में)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (रू.करोड़ में)
1.	श्री पी श्रीनिवास	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2016 तक)	वेतन और भत्ते	0.00	0.06
2.	श्री पवन बजाज	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (19.08.2016 को कार्यग्रहण)	वेतन और भत्ते	0.27	0.17
3.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक (30.09.2016 तक)	वेतन और भत्ते	0.00	0.13
4.	श्री के वी राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक (30.08.2017 तक)	वेतन और भत्ते	0.19	0.23
5.	श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 को कार्यग्रहण)	वेतन और भत्ते	0.23	0.02
6.	श्री संजीब पति	निदेशक	वेतन और भत्ते	0.00	0.09

नकदी आधार पर कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन राशि सहित ।

नोट : क) संबंधित पार्टियों को / से किसी बकाया राशि का बट्टाखाता / प्रतिलेखन नहीं किया गया ।

ख) संबंधित पार्टियों के बकाया के संबंध के कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है ।

3.8 पट्टा (एएस 19) (प्रबंधन द्वारा संकलित)

क) पट्टा किराए का निर्धारण संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते के व्यय के रूप में की जाती है ।

ख) परिचालित पट्टे के लिए भविष्य में भुगतान योग्य पट्टा किराया (प्रबंधन द्वारा संकलित एवं प्रमाणित)

(रु करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
क	1 वर्ष से अधिक नहीं	70.88	70.54
ख	1 वर्ष से अधिक किंतु 5 साल से अधिक नहीं	237.04	238.78
ग	5 वर्ष से अधिक	182.60	202.00
	कुल	**490.52**	**511.32**
	लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित राशि	86.61	79.50

i) भावी पट्टा किराया एवं किराए में वृद्धि का निर्धारण सहमत शर्तों पर होता है ।

ii) शर्त की समाप्ति पर सामान्यतया बैंक को पूर्व निर्धारित आगामी अवधि के लिए पट्टे को बढ़ाने का विकल्प रहता है ।

3.9 ए एस 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्धलाभ / हानि (₹ करोड़ में)	(1454.45)	219.51
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	150,79,52,887.22	118,22,75,274.64
प्रति शेयर मूल एवं हल्की आय (₹)	(9.65)	1.86
प्रति शेयर सामान्य मूल्य (₹)	10.00	10.00

3.10 ए एस 21- समेकित वित्तीय विवरण / ए एस 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखा

बैंक को कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस - 21 और ए एस - 23 लागू नहीं होता ।

3.11 ए एस 22- आय पर करों का लेखा

(क) वर्ष के दौरान आयकर का प्रावधान नीचे दिया गया है :

(रु करोड़ में)

ब्योरे	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
टैक्स का प्रावधान	शून्य	शून्य

(ख) आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं :

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष में	31.03.2017 को समाप्त वर्ष में
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**3322.41**	**1831.95**
पूर्ववर्ती हानि को आगे दर्शाना	1419.81	175.03
तनावग्रस्त आस्ति का प्रावधानीकरण	48.42	72.04
कर्मचारी लाभ	शून्य	शून्य
अन्य मदें	194.30	432.69
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	36.34	15.68
एनपीए पर प्रावधान	1623.54	1136.50
आस्थगित कर देयताएँ	76.14	77.92
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (VIII) के तहत विशेष आरक्षित	76.14	76.14
आस्ति वसूली कंपनी को आस्तियों की बिक्री पर हुई हानि	शून्य	1.78

(ग) बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार "आय पर कर" के लिए लेखांकन मानक 22 समय - सारणी अंतराल के आधार पर वर्ष 2017-18 के दौरान रु.1492.24 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है।

3.12. **ए एस 28 - आस्तियों की हानि**

बैंक के अनुसार स्थायी आस्तियों में कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है। अतः प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

3.13. **ए एस 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ**

लेखा के अंश वाले नोट में उपर्युक्त स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है ।

3.14. **आईएनडी एएस के कार्यान्वयन और इसकी प्रगति के लिए रणनीति**

बैंक द्वारा आईएनडी एएस के कार्यान्वयन और इसकी प्रगति के लिए अपनाई गई रणनीति नीचे दी गई है:

आरबीआई के निदेशानुसार, बैंक भारतीय लेखा मानक (इंडेक्स एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। भारतीय लेखा मानक के सुचारू कार्यान्वयन में बैंक की सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में मेसर्स डेलोइट हास्किन एंड सेल्स, एलएलपी नियुक्त किया है। 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए प्रोफार्मा वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा निर्धारित देय तिथि के भीतर जमा कर दिया गया है। आईएनडी एएस एप्लीकेशन के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए, बैंक आईटी प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों और आईएनडी एएस के अनुपालन के लिए अन्य नीतियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है। बैंक आईएनडी एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में भी है।

4. अतिरिक्त प्रकटीकरण

4.1 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

'लाभ एवं हानि लेखा में व्यय' शीर्ष के तहत दिखाए गए 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण इस प्रकार है : (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	**31.03.2017**
निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	194.50	103.24
अनर्जक आस्तियों (ऋण एवं अग्रिम) हेतु प्रावधान	3906.16	2001.78
पुनर्गठित मानक आस्तियों सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(550.70)	152.85
आयकर (आस्तिगत कर सहित) हेतु किए गए प्रावधान	(1494.24)	(1133.72)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		
- गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान	370.89	9.78
- अस्थिर (फ्लोटिंग) प्रावधान	0.00	0.00
- अन्य प्रावधान	49.90	199.45
कुल	**2478.51**	**1333.38**

4.2 अस्थायी प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2018	31.03.2017
क)	अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	0.00	0.00
ख)	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग)	लेखांकन के लिए वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन	0.00	0.00
घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.3 शिकायतों का प्रकटीकरण:

क) ग्राहकों और निवेशकों की शिकायत

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या	315
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	136323
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	135917
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	721

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	1
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों	2
(घ)	वर्ष के अंत तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	शून्य

4.4 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एल ओ सी) का प्रकटीकरण

क) 31.03.2018 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने रू. 1540.86 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 1578.25 करोड़) की राशि के 451 (विगत वर्ष में 550) एल ओ सी जारी किए।

ख) 31.03.2018 तक रू. 487.37 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 564.59 करोड़) के कुल 186 (विगत वर्ष में 204) बकाया एल ओ सी है।

4.5 प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)

31.03.2018 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) 53.48% है।

4.6 बैंकएश्योरेंश व्यवसाय :

₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03. 2018	31.03. 2017
जीवन बीमा व्यवसाय	4.61	3.34
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	6.35	3.60
म्यूचुअल फंड	0.02	शून्य
अन्य	0.03	0.06

4.7 जमा, अग्रिम, जोखिम एवं एन पी ए का सर्केन्द्रीकरण

4.7.1 जमा का सर्केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	5543.45	5633.31
बैंक के कुल जमाओं के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	4.28%	4.44%

4.7.2 अग्रिमों का सर्केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	12359.12	11647.67
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	17.99%	16.52%

4.7.3 निवेशों का सर्केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों का कुल निवेश	10724.76	9818.16
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत	10.09%	9.21%

4.7.4 एन पी ए का सर्केन्द्रीकरण :

₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	31.03.2017
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल निवेश	2853.79	2128.34

4.8 क्षेत्रवार एन पी ए

₹ करोड़ में

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2018 को समाप्त वर्ष			31.03.2017 को समाप्त वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम का सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम का सकल एनपीए का प्रतिशत
क.	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	10324.25	978.13	9.47	9780.51	1136.92	11.62
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	4076.91	639.01	15.67	4165.27	841.30	20.20
3.	**सेवाएं**	7004.73	1169.15	16.69	7016.66	869.18	12.39
	- खुदरा व्यापार	2654.28	379.77	18.08	2556.19	424.23	16.60
	- अन्य	5350.45	789.38	14.75	4460.47	444.95	9.98
4.	व्यक्तिगत ऋण	7930.50	208.03	2.73	6731.57	239.42	3.56
	उप कुल (क)	***29336.39***	***2994.32***	***10.21***	***27694.01***	***3086.82***	***11.15***
ख.	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियों	246.17	20.21	8.21	374.72	11.21	2.99
2.	**उद्योग**	22136.06	12312.82	55.62	26084.24	6498.39	24.91
	- लौह एवं इस्पात	4056.63	3362.90	82.90	4539.05	3450.51	76.02
	- पावर	8542.07	3982.81	46.63	10959.46	283.47	2.59
	- अन्य	9537.36	4967.11	52.08	10585.73	2764.41	26.11
3.	सेवाएं	8838.10	1006.08	11.38	9246.99	1175.44	12.71
	- एनबीएफसी	4931.62	-	-	4965.84	-	-
	- अन्य की तुलना एनबीएफसी वित्त और बैंकिंग	2441.55	-	-	2398.42	-	-
	- अन्य	1464.93	1006.08	68.68	1882.73	1175.44	62.43
4.	व्यक्तिगत ऋण	7553.67	218.68	2.78	6489.77	180.13	2.78
	उप कुल (ख)	***38774.00***	***13557.79***	***34.97***	***42195.72***	***7865.17***	***18.64***
ग.	**खाद्य ऋण (एफसीआई)**	581.38	-	-	613.17	-	-
	उपकुल (ग)	***581.38***	-	-	***613.17***	-	-
	कुल (क+ख+ग)	***68691.77***	***16552.11***	***24.10***	***70502.90***	***10951.99***	***15.53***

4.9 **एनपीए का संचरण**

₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	**31.03.2017**
1 अप्रैल, 2017/2016 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए	10951.99	9471.01
वर्ष के दौरान योग (नये एन पी ए)	8606.26	3533.08
उप-योग (क)	19558.25	13004.09
घटाव:		
(i) उन्नयन	197.05	312.16
(ii) वसूलियाँ (उन्नयित खातों से की गई वसूलियों के अतिरिक्त)	501.35	488.37
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1760.14	641.15
(iv) ऊपर के (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	106.77	72.56
(v) 31 मार्च, 2018/2017 तक आस्तियों की बिक्री	440.83	537.86
उप-योग (ख)	3006.14	2052.10
31 मार्च, 2018/2017 को सकल एन पी ए (क-ख)	**16552.11**	**10951.99**

4.10 **तकनीकी बट्टेखाते डालने का स्टॉक एवं तत्पश्चात् वसूली**

₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	**31.03.2017**
1 अप्रैल, 2017/2016 को प्रारम्भिक खाते का तकनीकी एवं बट्टे खाते	4203.17	3713.67
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टेखाते	1760.14	641.15
उप-योग (क)	5963.31	4354.82
घटाव: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी एवं विवेकपूर्ण बट्टेखाते में वसूली (ख)	317.77	151.65
31 मार्च, 2018/2017 को शेष राशि	**5645.54**	**4203.17**

4.11 **विदेशी आस्तियाँ, एन पी ए एवं राजस्व :**

₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	**31.03.2017**
कुल आस्तियाँ (नोस्ट्रो शेष)	136.85	44.77
कुल एन पी ए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	39.89	12.58

4.12 **ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित (लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)**

₹ करोड़ में

31.03.2018 को समाप्त वर्ष प्रायोजित एस पी वी का नाम		**31.03.2017 को समाप्त वर्ष प्रायोजित एस पी वी का नाम**	
घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.13 **अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं**

बैंक की किसी प्रकार की अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं नहीं है ।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने 27.04.2018 के अपने पत्र डीबीआर सं. BP.BC.9730/21.04.018/2017-18 दि. 27.04.2018 के माध्यम से चार तिमाहियों की समाप्ति पर 31 मार्च 2018 की तिमाही की समाप्ति के साथ 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की उपदान सीमा में वृद्धि करके अतिरिक्त देयता विस्तारित करने का विकल्प दिया है। तदनुसार, बैंक ने विकल्प का उपयोग किया है और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में 35.09 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं और आने वाले वित्तीय वर्ष के बाद के तीन तिमाहियों में 105.25 करोड़ रुपये स्थगित कर दिया है

4.14 **प्रतिभूतिकरण**

क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
1	प्रतिभूतिकरण के लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या		
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्ति की कुल संख्या		
3	**तुलन पत्र की तिथि तक एमआरआर के अनुपालन हेतु बरकरार रखे गए निवेश की राशि**		
	क) तुलन पत्र के बाहर निवेश		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) तुलन पत्र में निवेश		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
4	**एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण के लेनदेन के लिए निवेश**		
	क) तुलन पत्र के बाहर निवेश	शून्य	शून्य
	अपने प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश		
	i) प्रथम हानि		
	हानि		
	तृतीय पक्ष निवेश का प्रतिभूतिकरण		
	ii) प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) तुलन पत्र में निवेश		
	अपने प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश		
	i) प्रथम हानि		
	अन्य		
	तृतीय पक्ष निवेश का प्रतिभूतिकरण		
	ii) प्रथम हानि		
	अन्य		

4.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

वर्ष 2016-17 साथ ही साथ वर्ष 2017-18 में बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को आरंभ नहीं किया है ।

4.16 अंत: समूह ऋण जोखिम

₹ करोड़ में

क्रम सं.	अंत: समूह ऋण जोखिम का विवरण	तक	
		31.03.2018	31.03.2017
1	अंत: समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य
2	शीर्ष 20 अंत: समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम से अंत: समूह ऋण जोखिम का प्रतिशत	शून्य	शून्य
4	यदि कोई है तो उस पर नियामक कार्रवाई और अंत: समूह ऋण जोखिम की सीमा के उल्लंघन का विवरण	शून्य	शून्य

4.17 शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) के जमाकर्ता के हस्तांतरण

₹ करोड़ में

विवरण	तक	
	31.03.2018	31.03.2017
डीईएएफ को अंतरित आरंभिक शेष राशि	85.61	57.89
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	170.55	27.72
घटाव : दावों की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	-	-
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि	256.16	85.61

4.18 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होनेवाली हानि एवं ईबीआईडी पर विचार करते हुए वृद्धिशील प्रावधान/अपेक्षित पूंजी का हिसाब किया गया है । बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 तक आन-हेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश, वृद्धिशील प्रावधान एवं पूंजी अपेक्षा निम्नप्रकार उपलब्ध कराया गया है :

₹ करोड़ में

वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा आस्ति प्रावधान मानक के उपर)	उधारकर्ताओं के आन-हेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश वृद्धिशील अपेक्षित पूंजी
0.29	0.06

4.19 चलनिधि कवरेज अनुपात*

4.19.1 प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति					
1.	**कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)**		**29383.35**		**31864.04**
	नकदी बाह्य प्रवाह				
2.	**छोटे व्यवसाय के ग्राहकों, जिनमें से खुदरा जमा और जमा:**	99637.77	5473.91	98525.48	5386.68
(i)	स्थिर जमा	89797.35	4489.87	89317.39	4465.87
(ii)	घटाव स्थिर जमा	9840.42	984.04	9208.09	920.81
3.	**असुरक्षित थोक निधीकरण, जिनमें से :**	14774.65	5877.58	14413.08	5638.21
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	215.19	53.80	243.16	60.79
(ii)	गैर परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	14559.46	5823.78	14169.92	5577.43
(iii)	असुरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	**सुरक्षित थोक निधीकरण**	87.48	0.00	1053.58	0.00
5.	**अतिरिक्त आवश्यकताओं, जिनमें से**	22533.75	10014.77	16906.22	6815.35
(i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य जमानत के आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन को हानि से संबंधित बाह्य प्रवाह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	क्रेडिट और तरलता की सुविधायें	10050.40	3464.33	11028.43	4070.63
6.	अन्य संविदात्मक दायित्वों के निधीकरण	6116.40	183.49	3229.96	96.90
7.	अन्य दल के निधीकरण के दायित्वों	6366.95	6366.95	2647.82	2647.82
8.	कुल नकदी बाह्य प्रवाह		21366.27		**17840.25**
नकदी अंतर्वाह प्रवाह					
9.	सुरक्षित ऋण (जैसे रेपो रिवर्स)	4055.89	0.00	4080.20	0.00
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह प्रवाह	5164.13	4927.75	7166.01	6961.38
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह प्रवाह	2144.93	2144.93	1743.92	1743.92
12.	**कुल नकदी अंतर्वाह प्रवाह**		**7072.68**		**8705.30**
13.	**कुल एचक्यूएलए**		**29383.35**		**31864.04**
14.	**कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह**		**14293.59**		**9134.95**
15.	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**205.57**		**348.81**

वित्त वर्ष 2017-18 की चार तिमाहियों तक एलसीआर

समाप्त तिमाही	एलसीआर (%)
जून, 2017	329.00
सितंबर, 2017	245.58
दिसंबर, 2017	256.69
मार्च, 2018	205.57

* उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा अनुपालित एवं प्रमाणित किया गया है।

4.19.2 **एलसीएआर के गुणात्मक प्रकटीकरण**

भार रहित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलएएस) का पर्याप्त स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करना चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का उद्देश्य है। इसे पर्यवेक्षक द्वारा विहित अत्यंत महत्वपूर्ण चलनिधि संकट परिदृश्य में 30 दिनों के केलेंडर दिवस के बीच चलनिधि अपेक्षा को पूरा करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। बैंक ने उसे कार्यान्वित किया है और 1 जनवरी, 2015 से उसकी गणना कर रहा है ।

संकट कालीन परिदृश्य में 30 केलेंडर दिवस में एचक्यूएलए के अनुपात के रूप में शुद्ध नकदी बाहरी प्रवाह में एलसीआर की गणना की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31.03.2018 तक एलसीआर का न्यूनतम 90% निर्वाह करना है। बैंक का एलसीआर 205.57% निर्धारित किया गया, जोकि नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा है।

4.20 क) एक सम्पत्ति के मामले में पंजीकरण औपचारिकता के लिए रु 1.50 करोड़, 31.03.2018 को डब्ल्यूडीवी के लिए रु 1.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु 1.36 करोड़ रुपये) मामले में लंबित है,

ख) 31.03.2018 तक परिसर पट्टे संपत्ति में 167.71 करोड़ रुपए (शुद्ध परिशोधन) (विगत वर्ष रु161.10 करोड़) शामिल है।

5. बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ताओं / सेवाओं जो सूक्ष्म और लघु के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत जिनका पंजीकरण हुआ है, एमएसएमईडी द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के संबंध में जानकारी ।

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2018	विगत वर्ष 31.03.2017
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत मूल राशि और उस पर ब्याज		
	मूल राशि :	शून्य	शून्य
	ब्याज :	शून्य	शून्य
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से परे के लिए खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में हुए विलंब की वजह से उक्त अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया है लेकिन नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ने के बगैर ।	शून्य	शून्य
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित की गई ब्याज की राशि और बकाया शेष।	शून्य	शून्य
5	देय शेष ब्याज की राशि और अगले वर्षों में देय, उक्त तारीख तक, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत प्रतिबंध के उद्देश्य से कटौती किए जाने वाले व्यय के रूप में छोटे उद्यमों को देय ब्याज और किए गए वास्तविक भुगतान ।	शून्य	शून्य

6. वर्ष के दौरान बैंक ने 81 धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की है, जिसमें कुल रूपये 881.42 करोड़ शामिल हैं जिसके लिए बैंक के पास कुछ मौजूदा प्रावधान है। इसके अलावा वर्ष के दौरान 15.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिनमें से रुपये 2.40 करोड़ गैर अग्रिम धोखाधड़ी से संबंधित है और रुपये 12.90 करोड़ अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी के लिए हैं। गैर परिशोधित प्रावधान के एवज में कोई राशि की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, दो रत्न और आभूषण उधारकर्ता समूह खातों के संबंध में कुछ बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट को देखते हुए, बैंक ने इन खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है जिसमें कुल रुपये 330.95 करोड़ का वित्त पोषित निवेश शामिल है, जिनमें से 82.74 करोड़ रुपये 25% के वित्त पोषित निवेश के रूप में उपलब्ध कराए गए। 75% वित्त पोषित निवेश होने से रुपये 248.21 करोड़ के गैर परिशोधित प्रावधान की मात्रा राजस्व और अन्य रिजर्व से डेबिट कर दी गई है और अगले तीन तिमाहियों में प्रदान की जाएगी।

7. आरबीआई पत्र DBR No.BP 8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018, 31 मार्च, 2018 को एनसीएलटी खातों के संबंध में प्रावधान की आवश्यकताओं को 50% के सुरक्षित हिस्से को घटा कर 40% सुरक्षित हिस्से तक किया गया है। बैंक ने उपलब्ध डिस्पेंसेशन से विकल्प इसका लाभ उठाया है और नतीजतन ऐसे खातों में 249.40 करोड़ रुपये का प्रावधान कम कर दिया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से एकत्रित/ व्यवस्थित किया गया है जहां भी उन्हें चालू वर्ष के साथ तुलना करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

दिनांक 31.03.2018 तक यह अनुसूची 18 का एक भाग है।

पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे	**अर्णब राय**	**एस.सूर्यनारायण**	**दिनेश सिंह**	**सिद्धार्थ प्रधान**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

नरेश कपूर
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

संलग्नक समान तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	**कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक**	**कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स**	**कृते एसबीए एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन	एफआरएन 301138ई	एफआरएन 004885एन	एफआरएन 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. ए. राजेश सुरोलिया	**सी. ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी**	**सी. ए. दिनेश कुमार जैन**	**सी. ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं.: 088008	एम.सं.:010807	एम.सं.: 082033	एम.सं.: 011517

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण **(₹ '000 में)**

		समाप्त वर्ष			
		31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
क	परिचालनगत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	**(14,544,462)**		21,95,062	
	योग : आयकर	-		-	
	घटाव : वसूलीयोग्य एमएटी	-		-	
	जोड़ : आस्थगित कर आस्तियां	(14,922,400)		(1,13,37,100)	
	कर पूर्व लाभ	(29,466,862)		(91,42,038)	
	समायोजन के लिए				
	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,201,416		1,035,141	
	घटाव : पुनर्मूल्यन आरक्षिति से निकाली गयी राशि	(230,540)		(236,289)	
	स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	30,960		152	
	निवेश हेतु मूल्यह्रास/प्रावधान (शुद्ध)	1,945,048		1,032,386	
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(5,507,000)		1,528,500	
	एन. पी. ए आग्रिमों के लिए प्रावधान	39,061,600		20,293,000	
	अन्य प्रावधान (शुद्ध)	(10,714,585)		(9,520,091)	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	1,548,315		2,096,700	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के पहले परिचालनगत लाभ	**(2,131,648)**		**7,087,461**	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में शुद्ध परिवर्तन हेतु समायोजन				
	निवेश में ह्रास/(वृद्धि)	24,391,817		(84,153,458)	
	अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि)	(2,570,647)		(10,83,947)	
	जमाओं में वृद्धि/(ह्रास)	23,871,270		105,379,746	
	उधार में वृद्धि/(ह्रास)	4,393,035		(607,525)	
	अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)	(12,152,336)		4,446,816	
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)	12,448,468		8,186,727	
	राजस्व प्रारक्षित में वृद्धि/(ह्रास)	(2,251,582)		7,73,754	
	अन्य प्रारक्षित में वृद्धि/(ह्रास)	830		-	
		45,999,207		**40,029,574**	
	परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी				
	कर (चुकाया गया)/वापसी	588,500		12,00,000	
	परिचालनगत क्रियाकलापों (क) से शुद्ध नकदी		46,587,707		41,229,574
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	अचल आस्तियाँ (शुद्ध)	(2,346,627)		(7,42,727)	
	निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी		(2,346,627)		(7,42,727)
ग	वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	शेयर पूंजी जारी करके	12,012,869		4,928,396	
	शेयर प्रिमीयम	14,327,131		6,585,340	
	अधीनस्थ बॉन्ड जारी करके	3,150,000		(3,000,000)	
	आईपीडीआई जारी करके	-		-	
	सरकार की ओर से पूंजी (पीएनसीपीएच)	-		-	
	जारी अधीनस्थ बांड	-		-	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	(1,548,315)		(2,096,700)	
	उनपर प्रदत्त लाभांश एवं कर	-		-	
	वित्तीय क्रियाकलापों (ग) से शुद्ध नकदी		**27,941,685**		**6,417,036**
घ	**नकदी में शुद्ध वृद्धि और नकदी तुल्य (क+ख+ग)**		**721,82,765**		**4,69,03,883**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	हाथ में नकदी	4,898,814		5,588,093	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	61,445,777		55,116,373	
	बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	63,815,881	130,160,472	22,552,123	83,256,589
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	हाथ में नकदी	6,080,330		4,898,814	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	56,041,068		61,445,777	
	बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	140,221,839	202,343,237	63,815,881	130,160,472

टिप्पणी : नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

यह 31.03.2018 को नकदी प्रवाह विवरणी का एक भाग है

पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे	अर्णव राय	एस.सूर्यनारायण	दिनेश सिंह	सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

नरेश कपूर
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

संलग्नक समान तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक	कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स	कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917एन	एफआरएन 301138ई	एफआरएन 004885एन	एफआरएन 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. ए. राजेश सुरोलिया	सी. ए. शंकर प्रसन्न मुखर्जी	सी. ए. दिनेश कुमार जैन	सी. ए. शंकरचार्य मुखोपाध्याय
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं.: 088008	एम.सं.:010807	एम.सं.: 082033	एम.सं.: 011517

दिनांक : 28.05.2018
स्थान : कोलकाता

स्तंभ 3. 31 मार्च 2018 बासेल 3 नियमों के तहत प्रकटीकरण

सारणी डीएफ1: आवेदन की संभावनाएं

बैंकिंग समूह के प्रमुख के नाम जिसके लिए यह ढांचा लागू होता है : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

क. समेकन के लिए समूह संस्थाओं की सूची.

निगमन संस्था/देश का नाम	लेखा समेकन संभावना के अंतर्गत क्या उक्त संस्था समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	नियामक समेकन संभावना के अंतर्गत क्या उक्त संस्था समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या करें	समेकन की केवल संभावना के अंतर्गत अगर समेकित है तो तत्संबंधी कारण की व्याख्या
शून्य						

* बैंक का कोई सहायक नहीं है इस लिए समेकन की आवश्यकता नहीं है।

ख. लेखांकन और समेकन के नियामक दायरे के तहत समेकन के लिए नहीं माने जानेवाली-संस्था समूह की सूची.

निगमन संस्था/देश का नाम	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	संस्था की पूंजी उपकरणों में बैंक के निवेश का विनियामक उपचार	कुल बैलेंस शीट परिसंपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य					

लेखांकन की संभावना का समेकन और नियामक की संभावना का समेकन के तहत समेकन के लिए किसी प्रकार की समूह संस्थाओं पर विचार नहीं किया गया। बैंक के चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए सहयोगियों के रूप में माने जाते हैं ।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. समेकन के लिए समूह संस्थाओं की सूची:

निगमन संस्था/देश का नाम (जैसा कि i(क) में उल्लेख किया गया है)	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल बैलेंस शीट संपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य			

घ. सभी सहायक कंपनियों में कुल कमी पूंजी की राशि जिसे नियामक संभावना के समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् उसमें कटौती की गई है :

निगमन के लिए सहायक कंपनियों/देश का नाम	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	पूंजी की कमी
शून्य				

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल राशि (अर्थात् मौजूदा बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं :

निगमन बीमा संस्थाओं/ देश का नाम	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	मताधिकार का अनुपात/कुल इक्विटी के अनुपात में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	जोखिम भारित विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग कर पूंजी नियामक पर मात्रात्मक प्रभाव.
		लागू नहीं		

च. बैंकिंग समूह के भीतर धन का अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर किसी तरह का प्रतिबंध या बाधाएं :
बैंक की कोई भी सहायक संस्था नहीं है इसलिए प्रयोज्य नहीं ।

सारणी: डी एफ-2 :
पूंजी पर्याप्तता

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

वर्तमान और भविष्य के कार्य कलापों के समर्थन करने में बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता का आकलन।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर विचार करते हुए पूंजी अपेक्षा को प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने के संबंध में और समग्र पूंजी प [illegible] उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन संरचना की है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के तहत 31.03. 2018 से बैंक को सीईटी 1(सीईटी 1+7.375% पर सीसीबी) के रुप में पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 1.875% समेत सीईटी 1 अनुपात 5.5% का निर्वाह करना अपेक्षित है। इसके बाद बैंक को टियर 1 अनुपात में 7.0% और सीसीबी 1.875% समेत कुल सीआरएआर में 10.875% का निर्वाह करना जरुरी है।
- बैंक ने बासेल-III पूंजी विनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम परिमाण तथा सभी विनियामक सीमा का अनुपालन किया है। स्टैंडअलोन आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2018 तक सीईटी 1 अनुपात में 8.39%.टीयर-1 अनुपात 9.87%, टीयर-2 अनुपात 2.75% तथा सीआरएआर 12.62% है।
- बैंक जमाकर्ताओं एवं सामान्य लेनदारों को वित्तीय और आर्थिक, व्यापारिक क्षति से उत्पन्न होने, व्यवसाय आदि के नुकसान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूंजी का रखरखाव निर्वाह करता हैं।

  हत, बैंक द्वारा सीआरएआर की गणना के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया गया है।

  - ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण।
  - परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण।
  - बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि विधि।
- बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) है जो सभी प्रकार के जोखिम दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा, पुष्टि करने के लिए पर्याप्त पूंजी विनियोजन है। [illegible] क्षा के निर्धारण के लिए संस्थान की जोखिम प्रोफाइल के अनुरुप भौतिक जोखिमों की पहचान की जाती है और उसे तय करके अंतिम रुप दिया जाता है।
- बासेल - III के चरण में सुचारु रुप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उचित संक्रमणकालीन व्यवस्था पूंजी आदि के घटकों को न्यूनतम बासेल -III पूंजी अनुपात, पूर्ण नियामक समायोजन पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है।
- बैंक की पूंजीगत रणनीति की प्रक्रिया, बैंक का वास्तविक पूंजीगत स्थिति का निर्धारण और भविष्य जोखिम लेने की क्षमता और व्यवसाय अनुमान के आधार पर पूंजीकोष जुटाने के लिए उपलब्ध विकल्प के साथ हेडरुम व्यवस्था।
- व्यापार प्रक्षेपण के आधार पर, बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक पूंजी जुटाता है।

पूंजी नियोजन उपाय के रुप में, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित पूंजी उगाही है:

क. पीएसबी की पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत, बैंक को 29.03.2018 तक भारत सरकार से 2634 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। 31.03.2018 तक, बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी आवंटन के माध्यम से 2620.36 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 31.03.2018 तक "शेयर एप्लिकेशन लम्बित राशि आवंटन" के तहत रु. 13.64 करोड़ की शेष राशि मौजूद है। 31.03.2018 को बैंक ने उस राशि को सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी - 1) पूंजी निधि के रुप में माना है।

ख. बैंक ने बेसल-3 अनुपालित टियर 2 बॉन्ड जारी करके दो बार में 590 करोड़ रुपये की अतिरिक्त टियर I (एटी 1) पूंजी जुटाई है अर्थात् दिनांक 10.11.2017 को 490 करोड़ रुपये और दिनांक 27.12.2017 को 100 करोड़ रुपये।

ग. बैंक ने बेसल-3 अनुपालित टियर-2 बॉन्ड जारी करके तीन बार में 990 करोड़ रुपये की टियर 2 पूंजी जुटाई है अर्थात् दिनांक 23.08.2017 को 500 करोड़ रुपये और दिनांक 27.09.2017 को 150 करोड़ रुपये और 10.11.2017 को 340 करोड़ रुपये किए है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रुपए करोड़ में)

क)	आरडब्लूए के 10.875 % की दर से ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
	• मानक दृष्टिकोण के अध्याधीन संविभाग :	6910.27
	• ऋण जोखिम प्रतिभूतिकरण :	0.00
ख)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता :	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण:	
	- ब्याज दर जोखिम :	503.23
	- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) :	6.75
	- इक्विटी जोखिम :	140.58
ग)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता :	
	• आधार संकेतक दृष्टिकोण :	599.06
घ)	आम इक्विटी टीयर 1 अनुपात (सीईटी) %	8.39
	टीयर 1 पूंजी अनुपात %	9.87
	कुल पूंजी अनुपात %	12.62

सारणी डी एफ-3

ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) अपने तुलनपत्र में वास्तविक वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन के लिए बैंक ने अपने अग्रिम संविभाग के लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के साथ विगत अतिदेय और अनर्जक (लेखांकन के उद्देश्य से) के तहत परिभाषा को अपनाया है ।

पीए)

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसरण में बैंक ने अपने अग्रिम को अर्जक और अनर्जक ऋण (एनपीए) में वर्गीकृत किया है । एक ऋण या अग्रिम को निम्नप्रकार की स्थिति में एनपीए माना जाएगा:

1. यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलने वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाएं।

2. यदि कोई ओवरड्राफ्ट / केश केडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनियमित (आउट ऑफ़ ऑर्डर) हो जाए

[illegible] धिक अवधि तक अतिदेय हो जाए

4. अल्पावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, फसल के दो मौसम से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए,

5. दीर्घावधि फसला [illegible] वधि के लिए अतिदेय हो जाए ।

खाता को "**अक्षम**" तभी माना जाएगा जब बकाया शेष स्वीकृत सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक होकर 90 दिनों से अधिक के लिए रहती हो । जब मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/ आहरण शक्ति से कम है, लेकिन क्रमशः 90 दिनों के लिए ऋण खाते में तुलनपत्र की तारीख तक राशि जमा नहीं की जाती है अथवा उक्त अवधि के दौरान ब्याज प्रभार करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं है उक्त खाते को "**अक्षम**" माना जाएगा ।

बैंक द्वारा तय की गई नियत तिथि पर ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय राशि से संबंधित अतिदेय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ।

पुनः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत अनर्जक आस्ति को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति में वर्गीकृत किया गया है ।

- एक अवमानक परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों के बराबर अथवा उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रुप में बनी रहती है ।
- एक संदिग्ध परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए एनपीए के रुप में बनी रहती है ।
- हानि आस्ति वह होती है जिसे बैंक या उनके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाली गयी है ।

गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

प्रतिभूतियों के संबंध में, जिसमें ब्याज / मूलधन बकाया है और बैंक को प्रतिभूतियों से आय नहीं प्राप्त होती है और निवेश के मूल्य पर ह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

गैर निष्पादित अग्रिम (एनपीए) की तरह गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) एक ऐसा निवेश है जिसमें

1. ब्याज / किस्त (परिपक्वता आय सहित) बकाया है और 90 दिनों से अधिक तक चुकाया नहीं गया हो ।

2. यथोचित परिवर्तन सहित यही बात तरजीही शेयरों पर भी लागू होती है, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है ।

3. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया है और उस कम्पनी का अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार उस , / श समझा जायेगा ।

4. जारीकर्ता द्वारा लिया गया ऋण यदि बैंक के खाते में गैर निष्पादित हो जाता है तो जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को गैर निष्पादित निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को गैर निष्पादित आस्ति समझा जाता है ।

5. अग्रिम प्रकृति के डिबेंचरों / बांडों में निवेश, निवेश पर लागू होने योग्य गैर निष्पादित निवेश (एनपीआइ) के मानदंडों के अधीन हैं ।

- **नीति और प्रक्रिया**

अपनी ऋण नीति के रूप में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढांचा बना रखा है और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों जैसे ऋण नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति और तनाव परीक्षण नीति आदि विकसित की है। नीतियों का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन की उम्मीद के अनुसार परिचालन को सुनिश्चित करना है और शीर्ष प्रबंधन की रणनीति को परिचालन स्तर पर सार्थक दिशाओं में ले जाना है।

नीतियाँ बड़े ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, ऋण संपार्श्विक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन के प्रावधान व विनियामक / कानूनी अनुपालन के मानकों को निर्धारित करने के लिए है।

ध्ययन निम्न प्रकार से करता है :

(क) एकल और समूह उधारकर्ताओं के जोखिम ऋण सीमा को तय करके (ख) ग्रेड सीमा निर्धारण करके (ग) उद्योगवार जोखिम सीमा तय करके और (घ) अंचल में ऋण की भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करके. सभी अंचल को चार खंडों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने सभी शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों में उधार खाते की रेटिंग को समझने के लिए रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल संचालित किया है जो ऋण लेने और तदनुसार कार्यान्वित सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े ऋण जोखिम को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

यांकन, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में, बैंक ने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करने और उसे परिष्कृत करने पर अधिक बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा की जा सके और विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत जोखिम जैसे वित्तीय, व्यापार, उद्योग, परियोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनमें प्रत्येक के लिए अलग से अंक बनाए गए हैं।

ऋण जोखिम की माप के तहत ऋण जोखिम की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो को बेहतरीन ढंग से स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके जैसे कंपनियों, कंपनी समूहों, उद्योगों, जमानती के प्रकार और भूगोल विविध आयामों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम की एकाग्रता से बचाने के लिए, बैंक में व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ता, उद्योग ऋण जोखिम सीमा और पूंजी बाजार, अचल संपत्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गदर्शन निर्धारित किए गए हैं। बैंक ऋण सी कार संरचना का पालन करता है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण समीक्षा, ऋण सुविधाओं का नवीकरण, ऋण के संबंध में वि करता है ।

नियमित अंतराल पर बड़े-बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सके। पोर्टफोलियो के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के मानदंड का अनुपालन, जोखिम का स्तर जैसे अल्प,अधिक,और तदनुरूपी प्रतिफल और एनपीए स्तर आदि ।

ैंक ने अपनी बोर्ड अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है, जिसमें तर्कसंगत दबावपूर्ण व्यापार स्थिति के संबंध में संभाव्य अतिसंवेदनशीलता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग शामिल है। उक्त नीति के अनुरूप बैंकिंग बही में नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, ऋण जोखिम, पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही आधार पर किया जाता है । बैंक की यह पूंजी समय समय पर विश्लेषित ऐसी तनाव स्थितियों में पर्याप्त पाई गई ।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक जोखिम वर्गीकरण बदलाव (रिस्क रेटिंग माइग्रेशन) पर विश्लेषण करता है । यह भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम के मानदंड की छमाही समीक्षा भी करता है । बैंक ने उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल भी तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित के संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्योरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिम कम करने के उपाय पर काम करती हैं।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रुपए करोड़)

	निधि आधारित	**गैर निधि आधारित**	**कुल**
(ख) कुल सकल ऋण निवेश	68691.77	5767.78	74459.55
(ग) ऋण निवेश का भौगोलिक वितरण			
विदेश में	शून्य	शून्य	शून्य
देश में	68691.77	5767.78	74459.55

(घ) ऋण जोखिम वितरण उद्योग के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग के नाम	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया
1	कोयला	0.00	0.00
2	खनन सहित कोयला	**75.34**	**0.10**
3	मूल धातु और धातु उत्पाद	**4144.96**	**197.51**
3.1	लौह एवं इस्पात	**4056.63**	**192.31**
3.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	**88.33**	**5.20**
4	सभी इंजीनियरिंग	**1150.50**	**160.01**
4.1	इसमें से इलैक्ट्रॉनिक्स	41.70	35.14
4.2	इसमें से अन्य	1108.80	124.87
5	बिजली	0.00	0.00
6	कपड़ा	**1311.96**	**76.88**
6.1	इसमें से सूती कपड़ा	272.38	67.64
6.2	इसमें से जूट कपड़ा	45.08	2.66
6.3	इसमें से अन्य कपड़ा	994.50	6.58
7	खाद्य प्रसंस्करण	**2169.15**	**136.65**
7.1	इसमें से चीनी	24.71	0.00
7.2	इसमें से चाय	633.08	7.66
7.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	73.14	0.35
7.4	इसमें से अन्य	1438.22	128.64
8	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	**287.69**	**1.11**
9	कागज और कागज उत्पाद	**164.76**	**21.78**
10	रबड़ और रबड़ उत्पाद	**215.02**	**13.79**
11	मूलभूत सुविधाएं	**11891.66**	**1676.80**
11.1	इसमें से बिजली	8542.07	434.00
11.2	इसमें से दूरसंचार	221.70	24.17
11.3	इसमें से सड़क और बंदरगाह	2261.45	1132.32
11.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	866.44	86.31
12	सीमेंट	505.34	49.53
13	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	198.23	1.23
14	रत्न और आभूषण	445.16	0.00
15	निर्माण	715.24	65.52
16	पेट्रोलियम	138.06	17.25
17	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	636.21	13.78
18	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	11.56	0.32
19	रसायन, रंजक, पेंट्स आदि	1158.40	312.22
19.1	इसमें से उर्वरक	356.22	0.00
19.2	इसमें से पेट्रो रसायन	736.36	302.65
19.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	65.82	9.57
20	एनबीएफसी	4931.62	0.03
21	अन्य उद्योग	816.92	94.02
22	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों का बकाया)	37723.98	2929.27
23	कुल	**68691.77**	**5767.78**

निम्नलिखित उद्योगों में 31.03.2018 तक निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण जोखिम कुल निधि एवं गैर निधि आधारित ऋण जोखिम का 5% से अधिक था ।

निधि आधारित (एफबी) ऋण जोखिम			गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण जोखिम		
क्र.सं	उद्योग का नाम	कुल एफ बी का %	क्र.सं	उद्योग का नाम	कुल एन एफ बी का %
1	बिजली	12.44	1	सड़क और पोर्ट	19.63
2	एनबीएफसी	7.18	2	बिजली	7.52
3	लौह एवं इस्पात	5.91	3	पैट्रो-कैमिकल	5.25

(ड) आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग अलग विवरण (रु करोड़ में)

	दिन1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अग्रिम	185	336	392	637	1181	1577	3829	12103	8250	34000	62490
निवेश	9087	1022	919	866	3028	1994	1530	2842	2826	26287	50401
विदेशी मुद्रा आस्तियां	294	403	19	162	477	283	490	00	18.38	0.33	2147

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) (रु.करोड़ में)

श्रेणी	राशि
अव-मानक	4776.09
संदिग्ध – 1	3016.03
संदिग्ध – 2	6695.53
संदिग्ध – 3	2020.07
हानि	44.39
कुल	**16552.11**

(छ) शुद्ध एनपीए 10316.30

(ज) एनपीए अनुपात (% में)

(क) सकल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए	24.10
(ख) शुद्ध अग्रिमों के लिए शुद्ध एनपीए	16.49

(झ) सकल एनपीए में उतार-चढ़ाव (रू करोड़)

क) 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	10951.99
ख) 31 मार्च 2018 तक जोड़ा गया	8606.26
ग) 31 मार्च 2018 तक कटौती	3006.14
घ) 31 मार्च 2018 की समाप्ति तक इति शेष (क+ख-ग)	16552.11

(ञ) विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधानों में उतार चढ़ाव

प्रावधानों में उतार चढ़ाव	विशिष्ट प्रावधान	(रू करोड़) सामान्य प्रावधान
क) 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	4321.40	789.17
ख) 31 मार्च 2018 तक किया गया प्रावधान	3945.97	-
ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते प्रतिलेखन	1865.31	-
घ) अन्य समायोजन	200.49	550.70
ङ) 31 मार्च 2018 की समाप्ति तक इति शेष (क-ख-ग-घ)	6201.57	238.47

	(रू करोड़)
(ट) आय विवरण में प्रत्यक्ष रुप से उल्लिखित बट्टे खाते एवं वसूली की राशि	**99.53**

	(रू करोड़)
(ठ) गैर निष्पादित निवेश की राशि	**830.48**

	(रू करोड़)
(ड) गैर निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधान की राशि	**505.44**

(ढ) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	(रू करोड़)
क) 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	185.33
ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	108.10
ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते प्रतिलेखन	0.00
घ) 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर इति शेष (i + ii - iii)	293.43

ण) विशिष्ट और सामान्य प्रावधानों का उद्योग प्रकार वितरण

(रु. करोड़ में)

		31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही	
क्र. स.	उद्योग का नाम	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	बट्टे खाते	विशिष्ट प्रावधान
1	कोयला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	खनन सहित कोयला	22.78	9.25	0.00	1.55	-3.23
3	मूल धातु और धातु उत्पाद	3428.38	1541.82	3.00	708.76	-259.32
3.1	लौह एवं इस्पात	3362.90	1531.29	2.93	706.63	-250.69
3.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	65.48	10.53	0.07	2.13	8.63
4	सभी इंजीनियरिंग	376.39	95.38	2.92	34.65	-99.89
4.1	इसमें से इलैक्ट्रॉनिक्स	2.92	1.36	0.12	0.00	-7.33
4.2	इसमें से अन्य	373.47	94.02	2.80	34.65	-92.56
5	बिजली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कपड़ा	720.01	361.64	1.87	7.55	-22.85
6.1	इसमें से सूती कपड़ा	76.31	31.73	0.69	0.00	-2.43
6.2	इसमें से जूट कपड़ा	15.98	3.82	0.07	0.00	1.42
6.3	इसमें से अन्य कपड़ा	627.72	326.09	1.11	7.55	-21.84
7	खाद्य प्रसंस्करण	319.48	141.74	6.81	78.87	-62.50
7.1	इसमें से चीनी	14.09	13.47	0.03	0.54	7.80
7.2	इसमें से चाय	15.67	4.36	2.46	4.16	-0.83
7.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	16.56	8.37	0.18	0.00	-0.10
7.4	इसमें से अन्य	273.16	115.54	4.14	74.17	-69.37
8	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	196.03	32.54	0.40	26.43	-3.11
9	कागज और कागज उत्पाद	7.42	3.33	0.57	0.00	0.08
10	रबड़ और रबड़ उत्पाद	34.60	12.62	0.63	4.50	-2.45
11	मूलभूत सुविधाएं	5318.28	1540.48	26.27	69.86	512.41
11.1	इसमें से बिजली	3982.81	911.97	18.23	0.00	465.00
11.2	इसमें से दूरसंचार	78.22	19.60	0.07	0.00	19.44
11.3	इसमें से सड़क और बंदरगाह	686.36	365.82	6.19	47.67	40.73

(रु. करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही	
		सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	बट्टे खाते	विशिष्ट प्रावधान
11.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	570.89	243.09	1.77	22.19	-12.75
12	सीमेंट	73.55	19.69	1.74	0.00	1.10
13	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	40.91	22.46	0.47	0.00	3.78
14	रत्न और आभूषण	348.06	58.40	0.26	0.00	51.07
15	निर्माण	380.66	150.61	1.26	2.32	-2.06
16	पेट्रोलियम	17.99	15.04	0.46	26.03	-26.16
17	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	558.91	127.10	0.28	0.00	21.55
18	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4.84	3.69	0.02	5.65	-5.85
19	रसायन, रंजक, पेंट आदि	568.59	186.68	1.68	19.30	47.38
19.1	इसमें से उर्वरक	348.22	52.49	0.02	0.00	52.13
19.2	इसमें से पेट्रो रसायन	215.50	131.29	1.45	15.08	-1.91
19.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	4.87	2.90	0.21	4.22	-2.84
20	एनबीएफसी	0.00	0.00	19.73	0.00	0.00
21	अन्य उद्योग	504.38	45.28	3.87	44.99	-7.87
22	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल एनपीए का बकाया)	3630.85	1833.82	166.23	372.54	-304.02
23	कुल	16552.11	6201.57	238.47	1403.00	-161.94

(त) सकल एनपीए, विशिष्ट प्रावधान और सामान्य प्रावधान का भौगोलिक दृष्टि से वितरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	वैदेशिक	घरेलू	कुल
सकल एनपीए	-	16552.11	16552.11
विशिष्ट प्रावधान	-	6201.57	6201.57
सामान्य प्रावधान	-	238.47	238.47

सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण
मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो

बेसल मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न घरेलू बाह्य केडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) के बाहरी रेटिंग का उपयोग कर रहा है :

1. केयर 2. क्रिसिल 3. इक्रा 4. ईंडिया रेटिंग (पहले फिच ईंडिया के नाम से प्रसिद्ध) 5. ब्रिकवर्क 6. स्मेरा और 7. इंफोरमेरिक्स

ईक्रा (ईसीआरए) द्वारा समनुदेशित रेटिंग का उपयोग निम्न निवेश के लिए किया जाता है :

- अल्पावधि ऋण (एसटीएल) अर्थात् एक वर्ष से कम के संविदात्मक परिपक्वता निवेश (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं परिक्रामी (रिवॉल्विंग) ऋणों को छोड़कर) हेतु समनुदेशित अल्पावधि रेटिंग पर विचार किया गया है ।

- दीर्घावधि ऋण (एलटीएल) अर्थात् एक वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वता और घरेलू नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी ऋण के लिए दीर्घावधि रेटिंग पर विचार किया गया है ।

सावर्जनिक क्षेत्र में उपलब्ध रेटिंग को इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा परिकल्पित मैपिंग प्रक्रिया के अनुसार ही मैप किया जाता है ।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा के अनुसार जोखिम भारिता की गणना के उद्देश्य से बैंक बाह्य रेटिंग का उपयोग कर रहा है । बैंक एक आंतरिक रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रुप से अपने ग्राहकों की भी रेटिंग करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

नीचे दी गई सारणी, तीन प्रमुख जोखिम बकेटों में विशिष्ट प्रावधान के निवल ऋण निवेशों (निधि एवं गैर निधि दोनों के लिए) के लिए बैंक के सकल बकाया राशि को स्पष्ट करता है:

(रू करोड़)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों तथा वे जिनकी कटौती होनी है, में बैंक का बकाया (श्रेणीकृत एवं अश्रेणीकृत)	• 100 जोखिम भार से कम	41230.06
	• 100 जोखिम भार	15803.70
	• 100 जोखिम भार से अधिक	5053.45

सारणी डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. ऋण जोखिम कम करने के संबंध में अपेक्षित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण निम्नांकित मदें शामिल हैं :

- **वे नीतियाँ और पद्धति और इसका एक संकेत कि वह कहाँ तक इनका उपयोग तुलनपत्र तैयार करते समय करता है।**

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ।**

नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने निम्नांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति बनाई है । (क) बेसेल-I] एवं -III के मानदंडों / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त संपार्श्विकों के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना , (ख) बेसेल-I] एवं -III के मानदंडों/ भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना। इस नीति में संपार्श्विकों का मूल्यांकन भी किया गया है। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरूद्ध संपार्श्विकों के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट छाँट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह संपार्श्विक मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है ।

- **बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकारों के संपार्श्विक का वर्णन:**

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित मुख्य संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार हैं : (क) बैंक जमा (ख) एनएससी / केवीपी (ग) जीवन बीमा पॉलिसी ।

- **मुख्य प्रकारों के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी तथा उनकी साख योग्यता:**

सीआरएआर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियां निम्नांकित है:

- केंद्रीय सरकार गारंटी
- राज्य सरकार गारंटी
- सीजीटीएमएसई
- इंसीजीसी

- **अपनाए गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम सर्केंद्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख):**

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं और बाजार की अस्थिरता का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेंद्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

	(रू करोड़)
ख) अलग अलग प्रकटीकृत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य, ऑन एंड ऑफ बैलेंसशीट नेटिंग) जो हेयर कट के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक समर्थित हैं	62087.21
ग) अलग अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऐंड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग) जो गारंटी द्वारा/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा समर्थित है (भा.रि.बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है)	4047.13

सारणी डीएफ 6

निवेशों का प्रतिभूतीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने किसी भी प्रतिभूतीकरण गतिविधि की शुरूआत नहीं की है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : शून्य

सारणी डीएफ 7

व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतिमयता जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एएफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है । बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है उपार्जन एवं इक्विटी पर होने वाली हानि के प्रभाव को कम करना।

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है । उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित होती है जैसे कि आशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध खुली स्थिति सीमा, अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य(वीएआर) इत्यादि।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रू करोड़)

(ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता

- **ब्याज दर जोखिम :** 503.23
- **इक्विटी स्थिति जोखिम :** 140.58
- **विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम :** 6.75

सारणी डीएफ 8

गुणात्मक प्रकटीकरण परिचालन जोखिम

आंतरिक प्रक्रिया अपर्याप्त होने अथवा आंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है । परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किंतु रणनीतिक जोखिम एवं साख जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है । बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों के परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) , (ग) धन शोधन निवारक (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि ।

बैंक द्वारा अपनाए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन से संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है दैनिदन जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में परिचालननगत जोखिम प्रबंधन पद्धित को मजबूती से एकाकार करना। यह काम जोखिम की प्रभावी पहचान करके, समीक्षा करके, उसकी मॉनिटरिंग करते हुए और नियंत्रण कायम करके/परिचालनगत जोखिम को कम करके और परिचालनगत जोखिम निवेश तथा तथ्यात्मक परिचालनगत जोखिम की सूचना समय रहते देकर किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

पूंजी प्रभार की गणना

भा.रि. बैं. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी निर्धारण के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है । इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जोखिम भारित आस्तियों तक पहुंचने के लिए औसतन तीन वर्षों का सकल आय लिए जाने का विचार किया गया है।

परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार

	(रू करोड़)
31.03.2018 तक परिचालन जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	**599.06**

सारणी डीएफ 9

गुणात्मक प्रकटीकरण बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

(क) ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है, आंतरिक और बाहरी कारणों से बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता के मूल्य में उतार चढ़ाव । आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों को पुनर्मूल्यन अवधि, उधार राशि, ऋण की राशि एवं निवेश शामिल होता है। बाहरी कारकों में शामिल हैं सामान्य आर्थिक स्थितियाँ। ब्याज की बढ़ती या घटती दर बैंक के तुलनपत्र पर अपना असर डालती हैं। ब्याज दर में जोखिम बैंक के तुलन पत्र में आस्ति और देयता दोनों के लिए प्रचलित है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) आवधिक रूप से जोखिम और प्रतिफल, निधियन और अभिनियोजन, बैंक की उधार एवं जमा दर का निर्धारण तथा बैंक के निवेश क्रिया कलापों की निगरानी एवं नियंत्रण का काम करती है । बैंक, जोखिम दृष्टिकोण पर उपार्जन एवं अवधि अंतराल की विधि के जरिए बदलती ब्याज दर से जुड़े जोखिम की पहचान करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रबंधन पद्धति के अनुसार आईआरआरबीबी को माप के लिए बढ़ती घटनी दर जोखिम पर अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा उपयोग किया गया संबंधित माप) में अर्जन वृद्धि (कमी) का आधार निम्नलिखित है:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

(रू करोड़)

विवरण	स्थिति	कुल
1. जोखिम पर उपार्जन (ई ए आर)	200 बीपीएस की वृद्धि	-537.62
	200 बीपीएस की कमी	537.62
2. जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बीपीएस की वृद्धि	153.00
	200 बीपीएस की कमी	-153.00

टेबल डीएफ़-10

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम से संबंधित निवेश के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम का अर्थ है कि प्रतिद्वंद्वी लेनदेन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटारे से पहले डिफ़ॉल्ट हो सकता है और डेरिवेटिव्स और प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के लिए जोखिम का प्राथमिक स्रोत है।

बैंक ऋण में जहां क्रेडिट जोखिम एकतरफा होता है और केवल उधारकर्ता बैंक को नुकसान का खतरा होता है, इसके विपरीत काउंटरपार्टी क्रेडिट में जोखिम की प्रकृति द्विपक्षीय होता है यानी काउंटरपार्टी लेनदेन में बाजार के उतार चढ़ाव पर बाजार का मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

काउंटरपार्टी बैंक के ऋण जोखिम को काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम नीति के तहत शामिल किया गया है। बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी उचित नियमों का पालन हो अर्थात केवाईसी मानदंड, संतोषजनक लेनदेन, पार्टी को किसी भी व्युत्पन्न उत्पादों को विस्तारित करने से पहले पार्टी की योग्यता देखना और तदनुसार लेनदेन में आवश्यक क्रेडिट जोखिम को कम करने संबंधी निर्णय का पालन हो।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रू करोड़)

विवरण	अनुमानित राशि	मौजूदा ऋण निवेश
वायदा संविदा	3220.35	63.44

टेबल डीएफ 11

31.03.2018 तक पूंजी संरचना

(रुपए करोड़ में)

	बासेल-III आम प्रकटीकरण टेम्पलेट	राशि	संदर्भ सं
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित		
1.	सीधे जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रिमियम)	7183.71	ए1+ए4 +बी1
2.	आमदनी प्रतिधारित	0.00	
3.	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य प्रारक्षित)	970.77	बी2+बी3 +बी5
4.	सी ई टी 1 के चरणबद्ध तरीके से हट कर जारी पूंजी (यह केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों पर लागू) 1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश	0.00	
5.	अनुषंगी एवं तृतीय पक्ष द्वारा जारी आम शेयर पूंजी (सी ई टी 1 समूह में अनुमत राशि)	0.00	
6.	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 विनियामक समायोजन पूर्व पूंजी**	**8154.48**	
7.	विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण समायोजन	0.00	
8.	सुनाम (कुल कर देयताएं से संबंधित)	0.00	
9.	बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा अमूर्त (कर देयताएं से संबंधित निवल)	0.00	
10.	आस्थगित कर आस्तियाँ	8.46	एल2
11.	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	2578.82	एम3
12.	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों में कमी	0.00	
13.	प्रतिभूति बिक्री पर लाभ	0.00	
14.	ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य देयताएं में लाभ एवं हानि	0.00	
15.	वर्णित लाभ पेंशन निधि कुल देयताएं	0.00	
16.	अपने शेयरों में निवेश (अगर पहले से ही रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर चुकता पूंजी समायोजित नहीं की गयी)	0.00	
17.	आम इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
18.	हर है, जहाँ बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
19.	बैंकिंग के सामान्य और बीमा संस्थाओं, पात्रता कुल शॉर्ट पोजीशन की (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
20.	बंधक सेवाएं अधिकार (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
21.	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियाँ (प्रारंभिक राशि 10% से ऊपर सीमा, संबंधित कर देयताएं का कुल)	0.00	
22.	प्रारंभिक राशि 15% सीमा से अधिक	0.00	

23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
24	जिनमें से: बंधक सेवाएं अधिकार	0.00	
25	जिसमें से: अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति	0.00	
26.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ + 26ङ)	236.22	
26.क	जिसमें से : असमेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26.ख	जिसमें से : अधिकांश स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	
26.ग	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26.घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन फंड व्यय	0.00	
	आम इक्विटी टीयर 1 में लागू विनियामक समायोजन के पूर्व बेसल-III उपचार के अधीन राशियों के संबंध में	0.00	
	जिसमें से : वर्तमान अवधि में परिचालन हानि	0.00	
26.ङ	डीटीए मान्यता और सीईटी-1 में महत्वपूर्ण निवेश के कारण नियामक समायोजन	236.22	
27	आम इक्विटी टीयर 1 में विनियामक समायोजन अपर्याप्त अपर टीयर 1 और टियर 2 के कटौती को कवर करने के कारण लागू	0.00	
28	**आम इक्विटी टीयर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**2823.50**	
29	**आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सी ई टी 1) (6-28)**	**5330.98**	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	सीधे जारी योग्य अतिरिक्त टीयर 1 लिखत के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	940.00	डी4
31	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत इक्विटी (बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर)	0.00	
32	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत देयताएं (बेमीयादी ऋण लिखत)	940.00	डी4
33	अतिरिक्त टीयर 1 से अलगअलग खेपो में सीधे जारी पूंजी लिखत	0.00	
34	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत, सहायको द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (एवं सी ई टी 1 लिखत जो पाँचवें पंक्तिमें नहीं जोड़ा गया) (अनुमति राशि समूह एटी1में)	0.00	
35	जिसमें से : सहायको द्वारा खेप में जारी लिखत	0.00	
36.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी विनियामक समायोजन से पूर्व	940.00	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन :			
37	अपने अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	जे1
39	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर है जहां बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश जो, विनियामक समेकन के दायरे (योग्य शॉर्ट पोजिशन के कुल) से बाहर है	0.00	

41	राष्ट्रीय उल्लेखित विनियामक समायोजन (41क + 41ख)	0.00	
41	[illegible] नियों के अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी जिसे मुख्यतः स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जो बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	
	अतिरिक्त टीयर 1 के लिए लागू विनियामक समायोजन पूर्व बेसल 3 के अधीन राशियों के संबंध में	0.00	
	जिसमें से: अमूर्त बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा (कुल कर देयता संबंधित)	0.00	एल 3
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
	जिसमें से: पेंशन फंड व्यय के लिए अपरिशोधित खर्च	0.00	
	जिसमें से: वर्तमान अवधि में परिचालित हानि	0.00	
	जिसमें से: पीएनसीपीएस की चरणबद्ध	0.00	
	जिसमें से: एसोसिएट्स (आरआरबी) के गैर आम इक्विटी पूंजी लिखत में निवेश	0.00	
42	अतिरिक्त टीयर 1 के कारण अपर्याप्त टीयर 2 के लिए कटौती को कवर करने के लिए लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के लिए कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**940.00**	
44क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**940.00**	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44क)**	**6270.98**	
टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान			
46	सीधे योग्य टियर 2 लिखत के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	1490.00	डी 5
47	टियर 2 अधीन सीधे जारी पूंजी लिखत, जिसे चरणबद्ध तरीका से हटा दिया गया	120.00	डी 5
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी टियर 2 लिखत (पंक्ति 5 या 34 में सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में समाहित नहीं है) और तीसरी पार्टियों द्वारा धारित है (समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	0.00	
49	जिनमें से : सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत चरणबद्ध तरीका से हटा दिया गया	0.00	
50	प्रावधान और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	229.13	टेम्पलेट संदर्भ. सं.-50
51	**नियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूंजी**	**1839.13**	
	टीयर 2 पूंजी: विनियामक का समायोजन:		
52	टियर 2 लिखत में स्वयं के निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	जे 2
54	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में निवेश बाहरी विनियामक समेकन, कुल पात्र खरीद से अधिक [illegible] है, [illegible] घक राशि) में बैंक का अपना 10% से अधिक जारी नही किया गया हो।	0.00	
55	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश जो बाहरी विनियामक समेकन से बाहर है (पात्र अल्पकालीन स्थिति का शुद्ध)	0.00	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामक समायोजन (56क+56ख)	91.12	

56क	जिनमें से : सहायक कंपनियों के असमेकित टियर 2 पूंजी में निवेश	51.12	जे 3
56ख	जिनमें से : बहुमत स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जिनकों बैंक द्वारा समेकित नहीं किया गया।	0.00	
	पूर्व बेसल-III प्रबंध के अनुसार राशि के संदर्भ में टियर 2 पर विनियामक समायोजन लागू होगा।	40.00	
	जिनमें से : हटा दिया गया टीयर 2 बांड	40.00	
57	**टीयर 2 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन**	**91.12**	
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**1748.01**	
58क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना टियर 2 पूंजी**	**1748.01**	
58ख	टियर 2 पूंजी के रूप में गिना गया अत्यधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता पंक्ति के लिए कुल टीयर 2 पूंजी स्वीकार्य (58ए+पंक्ति 58बी)**	**1748.01**	
59	**कुल पूंजी (टीसी= टी1+ टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)**	**8018.99**	
60	**कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों (60ए+60बी+60सी)**	**63542.67**	
60क	*जिनमें से : कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियों*	47922.49	
60ख	*जिनमें से : कुल बाजार जोखिम भारित परिसंपत्तियों*	8131.94	
60ग	*जिनमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियों*	7488.25	
पूंजी अनुपात			
61	आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रुप में)	8.39	
62	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	9.87	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	12.62	
64	संस्था विशि[illegible] ैर काउंटर आवर्ति बफर आवश्यकता जो जोखिम आस्तियों के प्रतिशोध के रुप में व्यक्त है।	7.375	
65	जिनमें से : पूंजी संरक्षण बफ़र आवश्यकता	1.875	
66	जिनमें से : बैंक को विशिष्ट रुप से काउंटर आवर्ती प्रतिरोधक की आवश्यकता	0.00	
67	जिनमें से : जी एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00	
68	बफ़र्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	8.39	
राष्ट्रीय न्यूनतम (अगर बेसल-III से अलग) सीसीबी अपेक्षा समेत			
69	राष्ट्रीय आम इक्विटी टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	7.375	
70	राष्ट्रीय टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग) सीसीबी समेत	10.875	
कटौती के लिए प्रारंभिक से कम की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	
75	अस्थायी अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	

टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा

76	मानकीकृत दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने पात्रता हेतु प्रावधान	229.13	टेम्पलेट संदर्भ सं.-50
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर उच्चतम सीमा	229.13	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने पात्रता हेतु प्रावधान ।	0.00	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने हेतु कैप	0.00	
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं	

चरणबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी निवेश (अर्थात् 01.04.2018 से 31.03.2022 तक)

81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत एटीआई 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	लागू नहीं	

टेम्पलेट के लिए नोट :

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	₹ करोड़
10	आस्थगित कर आस्तियाँ जो संचित हानि के साथ जुड़े आस्थगित कर देयता का शुद्ध	1387.27
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानि के साथ जुड़े लोगों को छोड़कर) आस्थगित कर दायित्व का शुद्ध	1191.55
	पंक्ति 10 में दर्शाया गया कुल	**2578.82**
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया है और इसके बजाय, कटौती को 10% सीमा के अंतर्गत विचाराधीन रखने पर बैंक की पूंजी के परिणाम में वृद्धि होगी।	0.00
	जिसमें से : टियर 1 पूंजी में आम इक्विटी की वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टियर 1 पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर वित्तीय सहायक संस्थाओं की शेयर पूंजी में निवेश को घटाया नहीं गया है तो इस कारण जोखिम बढ़ता है ।	0.00
	(i) टियर 1 पूंजी में आम इक्विटी की वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि	0.00
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना नहीं की गई अत्यधिक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में अंतर जैसा कि पंक्ति 44 में रिपोर्ट की गई है और स्वीकार्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो 44 क में उल्लिखित है।)	0.00
	जिनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58ख के तहत टियर 2 पूंजी के रूप में माना गया है	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य प्रावधानों	229.13
	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य मूल्यांकन रिजर्व	0.00
	पंक्ति 50 की कुल	**229.13**
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना नहीं की गई अत्यधिक अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी (टीयर 2 पूंजी में अंतर जैसा कि पंक्ति 58 में और 58क में उल्लिखित टी 2)	0.00

टेबल डीएफ 12
पूंजी की संरचना अपेक्षित समाधान (चरण 1)

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2018 तक	समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन पत्र 31.03.2018 तक
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	चुकता पूंजी	3000.00	3000.00
	शेयर एप्लिकेशन राशि लंबित आवंटन	13.64	13.64
	आरक्षित और अधिशेष	5661.59	5661.59
	अल्पसंख्यक हित	-	-
	कुल पूंजी	**8675.23**	**8675.23**
ii	**जमा**	129326.38	129326.38
	जिनमें से बैंकों से जमा	1804.85	1804.85
	ग्राहकों की जमा राशि	127521.53	127521.53
	अन्य जमा	-	-
iii	**उधार राशियां**	**3306.06**	**3306.06**
	जिनमें से		
	भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
	बैंकों से	1.59	1.59
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	3304.47	3304.47
	अन्य	-	-
	पूंजी लिखत	-	-
iv	अन्य देनदारियां और प्रावधान	**3440.98**	**3440.98**
	कुल	**144748.65**	**144748.65**

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2018 को	समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन पत्र 31.03.2018 को
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
ख)	**आस्तियां**		
i)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और जमा शेष	6212.14	6212.14
	बैंक के बैलेंस एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	14022.18	14022.18
ii)	निवेश:	**50401.80**	**50401.80**
	जिनमें से		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	36645.93	36645.93
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
	शेयर	925.53	925.53
	डिबेंचर और बांड	6067.55	6067.55
	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स	0.00	0.00
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्युचुअल फंड आदि)	6762.79	6762.79
iii)	ऋण और उधार	**62490.20**	**62490.20**
	जिनमें से		
	बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	382.93	382.93
	ग्राहकों के लिए ऋण एवं अग्रिम	62107.27	62107.27
iv)	स्थायी संपत्तियाँ	**1293.09**	**1293.09**
v)	अन्य सम्पत्तियाँ	**10329.24**	**10329.24**
	जिनमें से		
	सद्भावना और अमूर्त आस्तियां	-	-
	आस्थगित कर संपत्ति	3246.27	3246.27
vi)	समेकन पर सद्भावना	0.00	0.00
vii)	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल परिसंपत्तियां	**144748.65**	**144748.65**

डीएफ-12 : पूंजी की संरचना-समाधान आवश्यकताएँ (चरण 2)

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों में तुलन पत्र 31.03.2018 को	नियामक दायरों के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2018 को	संदर्भ सं.
क)	**पूंजी और देयताएं**			
i)	चुकता इक्विटी पूंजी	3000.00	3000.00	ए
	क) जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि	3000.00	3000.00	ए1
	ख) जिनमें से एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	ए2
	जिनमें से एटी 1 से कटौती की गई राशि	0.00	0.00	ए3
	शेयर एप्लीकेसन मुद्रा	13.64	13.64	
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि	13.64	13.64	ए4
	आरक्षित और अधिशेष	5661.59	5661.59	बी
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि : शेयर प्रीमियम	4170.07	4170.07	बी1
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि : सांविधिक आरक्षित, राजस्व प्रारक्षित और पूंजी प्रारक्षित	544.69	544.69	बी2
	जिनमें से टीयर 2 के लिए पात्र राशि; पुनर्मूल्यांकन आरक्षित 55% की दर से वट्टाकृत	426.08	426.08	बी3
	जिनमें से पूंजी जो सशर्त नहीं है	520.75	520.75	बी4
	लाभ और हानि खाते में शेष	0.00	0.00	
	जिनमें से : सीईटी से कटौती	0.00	0.00	
	जिनमें से : एटी 1 से कटौती	0.00	0.00	
	कुल पूंजी	**8675.23**	**8675.23**	
ii)	**जमाराशियां**	129326.38	129326.38	
	जिनमें से			
	बैंकों से जमा	1804.85	1804.85	
	ग्राहकों की जमा राशि	127521.53	127521.53	
	अन्य जमा	0.00	0.00	
iii)	**उधार :**	3306.06	3306.06	डी
	जिनमें से भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00	0.00	डी1
	जिनमें से बैंकों से	1.59	1.59	
	अन्य एजेंसियों और संस्थानों से	3304.47	3304.47	डी2
	जिनमें से पूंजी लिखत	3180.00	3180.00	डी3
	एटी 1 के लिए पात्र राशि	940.00	940.00	डी4
	टीयर 2 के लिए पात्र राशि	1570.00	1570.00	डी5
	बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी जो कि पूंजी के रूप में योग्य नहीं है	670.00	670.00	डी6
	जिनमें से अन्य	124.47	124.47	डी7
	अन्य उधार	0.00	0.00	डी8
iv)	अन्य देयताएं और प्रावधान	**3440.98**	**3440.98**	ई
	जिनमें से सदभावना संबंधित डीटीएलएस	0.00	0.00	
	जिनमें से अमूर्त संपत्ति संबंधित डीटीएलएस	0.00	0.00	
	कुल पूंजी और देयताएं	**144748.65**	**144748.65**	

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों में तुलन पत्र 31.03.2018 को	नियामक संभावनाओं के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2018 को	संदर्भ सं.
ख)	**आस्तियां**			
I)	आरबीआई के पास नकद और जमा शेष	6212.14	6212.14	
	बैंकों के पास शेष और अल्प सूचना पर राशि	14022.18	14022.18	
	कुल	**20234.32**	**20234.32**	
ii)	निवेश:	**50401.80**	**50401.80**	एफ
	जिनमें से			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	36645.93	36645.93	जी
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	एच
	शेयर	925.53	925.53	आई
	डिबेंचर और बांड	6067.55	6067.55	जे
	जिनमें से : एटी 1 की पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	0.00	जे1
	जिनमें से : टीयर 2 की पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	0.00	जे2
	जिनमें से : अन्य बैंकों की गैर आम इक्विटी पूंजी लिखतों में निवेश	51.12	51.12	जे3
	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स	0.00	0.00	
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंड आदि)	6762.79	6762.79	के
iii)	ऋण और अग्रिम	**62490.20**	**62490.20**	
	जिनमें से			
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	382.93	382.93	
	ग्राहकों को दिए गए ऋण और अग्रिम	62107.27	62107.27	
iv)	स्थायी आस्तियां	**1293.09**	**1293.09**	एल
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां	8.46	8.46	एल 1
	जिनमें से सीईटी1 से कटौती	8.46	8.46	एल 2
	जिनमें से एटी 1 से कटौती	0.00	0.00	एल 3
v)	अन्य आस्तियां	**10329.24**	**10329.24**	एम
	जिनमें से			
	क) सद्भावना और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	एम 1
	ख) आस्थगित कर आस्तियां (डी टी एल का निवल)	3246.27	3246.27	एम 2
	जिनमें से सीईटी से कटौती	2578.82	2578.82	एम 3
	जिनमें से एटी 1 से कटौती	-	-	एम 4
vi)	समेकन पर सद्भावना	-	-	एम 5
	कुल आस्तियां	**144748.65**	**144748.65**	

बासेल - III आम प्रकटीकरण सांचा का सारांश (योग किए गए कॉलम के साथ)
पूंजी संरचना सारणी डीएफ II

आम इक्विटी टियर - 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित

क्रम सं.	विवरण	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी के घटक	स्टेप 2 से समेकन की नियामक संभावना के तहत संदर्भ सं./तुलन पत्र के पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे आम शेयर योग्यता (और गैर संयुक्त शेयर कंपनियों के लिए बराबर) पूंजी के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	7183.71	ए1+ए4+बी1
2	बरकरार कमाई	0.00	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित)	970.77	बी2+बी3+बी5
4	सीईटी1 से अलग प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी के शर्तांधीन (गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए ही लागू)	0.00	
5	आम शेयर पूंजी सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तीसरे पक्ष द्वारा आयोजित (समूह सीईटी1 में अनुमति दी गई राशि)	0.00	
6	नियामक समायोजन से पहले आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी	8154.48	
7	विवेकाधिकार मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	सद्भावना (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	

सारणी डी एफ13 : नियामक पूंजी के लिए सांचे की प्रमुख विशेषताएं

सीरीज 1 : आईपीडीआई (बासेल III) रु.300 करोड़ में

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी,आईएसआईएन या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई695ए09095
3	लिखत के शासी कानून	लागू भारतीय कानूनों और नियामक आवश्यकताओं
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	अयोग्य
5	संक्रमणकालीन के बाद बासेल-III के नियमों	अयोग्य
6	एकल/समूह/समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रु करोड़ में, 31.03.2018 तक)	0.00
9	प्रति लिखत का मूल्य	प्रति शेयर रु10.00 लाख
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	05-12-2012
12	सतत या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से 05-12-2022
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पूर्व जारीकर्ता की मांग के शर्तांधीन	हां
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, आकस्मिक मांग दिनांक और मोचन राशि	आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से 05-12-2022
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	निश्चित या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और किसी भी संबंधित सूचकांक	9.27% (वार्षिक)
19	एक लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	अस्तित्व हेतु उठए गए चरण या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो जारीकर्ता का लिखत किसमें रूपांतरण हुआ, उल्लिखित करें	लागू नहीं
30	अवलिखित की विशेषता	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलिखित के उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अवलिखित अस्थायी है, इसे पूरा करने के तंत्र का व्योरा	लागू नहीं
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लेखित करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और अधीनस्थ ऋण जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषता को उल्लेखित करें	पूर्णत: अवमान्यताकृत हानि अवशोषी विशेषता हानि नहीं है।

सीरीज 1 : पीडीआई बासेल - III रु150 करोड़ में (अतिरिक्त टीयर I)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए08014
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	योग्य
5	बेसल-III के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2018 को)	150.00
9	लिखत के सम मूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	29.09.2015
12	सतत या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	लागू नहीं
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	जारीकर्ता की कॉल, जो विवेकाधीन है, उसे आबंटन की तिथि से पाँचवी वर्षगांठ पर अथवा उसके य को लागू किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	
16	यदि लागू हो तो अनुवर्ती कॉल तारीख कूपन / लाभांश	आबंटन की तिथि से प्रथम वर्षगांठ की समाप्ति पर आबंटन की प्रत्येक वर्षगांठ तिथि कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	11.95% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत का जारीकर्ता के ब्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषताएं	हां
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	पीओएनवी ट्रिगर इवेन्ट या सीईटी1 ट्रिगर इवेन्ट,जो लागू हो।
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	पीओएनवी ट्रिगर/सीईटी 1 ट्रिगर जो लागू हो, के उत्पन्न होने पर पूर्णता या आंशिक
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि लिखत तंत्र का ब्योरा दें	आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लिखित करें)	बैंक के सभी जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और सामान्य जमाकर्ताओं और अधीनस्थ ऋणों के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	लागू नहीं

सीरीज II : पीडीआई (बासेल -III) रू 200 करोड़ (अतिरिक्त टीयर 1)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए08022
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	योग्य
5	बेसल-III के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2018 को)	200.00
9	लिखत के सम मूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	29.03.2007
12	सतत या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	लागू नहीं
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	जारीकर्ता की कॉल, जो विवेकाधीन है, उसे आबंटन की निधि से पाँचवी वर्षगांठ पर अथवा इसके [illegible] थि को लागू किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	[illegible]
16	यदि लागू हो तो अनुवर्ती कॉल तारीख	आबंटन की तिथि से प्रथम वर्षगांठ की समाप्ति पर आबंटन की प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	12.00% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत का जारीकर्ता के ब्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रासन की विशेषताएं	हां
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	पीओएनवी ट्रिगर इवेन्ट या सीईटी1 ट्रिगर इवेन्ट,जो लागू हो।
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	पीओएनवी ट्रिगर/सीईटी I ट्रिगर जो लागू हो, के उत्पन्न होने पर पूर्णता या आंशिक
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि [illegible] खत तंत्र का का ब्योरा दें	आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत [illegible]	बैंक के सभी जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और सामान्य जमाकर्ताओं और अधीनस्थ अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	लागू नहीं

सीरीज III : पीडीआई (बासेल -III) रू 490 करोड़ (अतिरिक्त टीयर 1)

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-III
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए08055
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	योग्य
5	बेसल-III के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2018 को)	490.00
9	लिखत के सम मूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	10.11.2017
12	सतत या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	लागू नहीं
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	जारीकर्ता की कॉल, जो विवेकाधीन है, उसे आबंटन की निधि से पाँचवी वर्षगांठ पर अथवा उसके र्षगांठ तिथि को लागू किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	यदि लागू हो तो अनुवर्ती कॉल तारीख	आबंटन की तिथि से प्रथम वर्षगांठ की समाप्ति पर आबंटन की प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	10.95% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत का जारीकर्ता के ब्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रासन की विशेषताएं	हां
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	पीओएनवी ट्रिगर इवेन्ट या सीईटी1 ट्रिगर इवेन्ट, जो लागू हो।
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	पीओएनवी ट्रिगर/सीईटी 1 ट्रिगर जो लागू हो, के उत्पन्न होने पर पूर्णता या आंशिक
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि खत तंत्र का का ब्योरा दें	आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत [illegible]	बैंक के सभी जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और सामान्य जमाकर्ताओं और अधीनस्थ अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	लागू नहीं

सीरीज IV : पीडीआई (बासेल -III) रू 100 करोड़ (अतिरिक्त टीयर 1)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए08071
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमण बेसल 3 के नियम	योग्य
5	उत्तर संक्रमण बेसल 3 के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू.करोड़ में, 31.03.2018 तक)	100.00
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	27.12.2017
12	सतत या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	लागू नहीं
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	जारीकर्ता का कॉल, जो दिव र अथवा उसके बाद किसी वर्षगांठ तिथि को लागू किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख,आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	आबंटन की तिथि से प्रथम वर्षगांठ की समाप्ति पर आबंटन की प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	11.00% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो,रूपांतरण लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रूपांतरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि अवलेख है तो, अवलेख का उत्प्रेरक	पीओएनवी ट्रिगर इवेन्ट या सीईटी1ट्रिगर इवेन्ट,जो लागू हो।
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पीओएनवी ट्रिगर/सीईटी 1 ट्रिगर जो लागू हो, के उत्पन्न होने पर पूर्णता या आंशिक
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि अस्थायी मूल्यह्रास हैं तो, आलेख तंत्र का विवरण दें	आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पुराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ और बैंक अधीनस्थ ऋण
36	गैर अनुपालित संक्रमित विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, तो गैरअनुपालित विशेषताए बतलाएं	लागू नहीं

क्र.स.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-VI, रू 250 करोड़	सीरीज-VII, रू 200 करोड़
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएस आईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए09079	आईएनइ695ए09087
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2018 तक)	0.00	80.00
9	लिखत का सममूल्य	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	25.03.2009	28.12.2011
12	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	25.03.2019	28.12.2021
14	जारीकर्ता के कॉल वशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	नहीं	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	मीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.30 (वार्षिक)	9.20 (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपांतरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रूपांतरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	नहीं	नहीं
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यह्रास हैं तो, आलेखित तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैरअनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां	हां
37	यदि हां, तो गैरअनुपालित विशेषताए बतलाएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं

सीरीज VIII : लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण (बासेल - III) रू 500 करोड़

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए09103
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2018 तक)	500.00
9	लिखत का सममूल्य	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	25.06.2013
12	सतत या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	25.06.2023
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	8.75% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपान्तरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रूपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी/अस्थायी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
34	यदि मूल्यह्रास अस्थायी है, तो इसे पूरा करने का तंत्र का आलेख	भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ पीओएनपी पर बैंक निम्न में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है (क) अस्थायी / स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी नहीं दिया गया हो। (ख) स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी दिया गया हो।
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	अन्य लेनदारों और बैंक के जमाकर्ताओं का दावा के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण की विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं उल्लेखित करें	लागू नहीं

सीरीज IX : लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण (बासेल -III) रू 500 करोड़

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएस आईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए08030
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2018 तक)	500.00
9	लिखत का सममूल्य	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	23.08.2017
12	सतत या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	23.08.2027
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मोयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.00% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपानंतरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रूपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी/अस्थायी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
34	यदि मूल्यह्रास अस्थायी है, तो इसे पूरा करने का तंत्र का आलेख	भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ पीओएनपी पर बैंक निम्न में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है (क) अस्थायी / स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी नहीं दिया गया हो। (ख) स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी दिया गया हो।
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	अन्य लेनदारों और बैंक के जमाकर्ताओं का दावा के अधीनस्थ ।
36	गैर अनुपालित संक्रमण की विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं उल्लेखित करें	लागू नहीं

सीरीज X : लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण (बासेल -III) रू 150 करोड़

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएस आईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए08048
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2018 तक)	150.00
9	लिखत का सममूल्य	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	27.09.2017
12	सतत या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	27.09.2027
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	10.50% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपान्तरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी/अस्थायी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
34	यदि मूल्यह्रास अस्थायी है, तो इसे पूरा करने का तंत्र का आलेख	भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ पीओएनपी पर बैंक निम्न में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है (क) अस्थायी / स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी नहीं दिया गया हो। (ख) स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी दिया गया हो।
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	अन्य लेनदारों और बैंक के जमाकर्ताओं का दावा के अधीनस्थ ।
36	गैर अनुपालित संक्रमण की विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं उल्लेखित करें	लागू नहीं

सीरीज XI : लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण (बासेल -III) रू 340 करोड़

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएस आईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए08063
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2018 तक)	340.00
9	लिखत का सममूल्य	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	10.11.2017
12	सतत या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	10.11.2027
14	जारीकर्ता के कॉल वशर्त पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.05% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपान्तरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी/अस्थायी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
34	यदि मूल्यह्रास अस्थायी है, तो इसे पूरा करने का तंत्र का आलेख	भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ पीओएनपी पर बैंक निम्न में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है (क) अस्थायी / स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी नहीं दिया गया हो। (ख) स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी दिया गया हो।
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	अन्य लेनदारों और बैंक के जमाकर्ताओं का दावा के अधीनस्थ ।
36	गैर अनुपालित संक्रमण की विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं उल्लेखित करें	लागू नहीं

टेबल डीएफ-14

विनियामक पूंजी लिखत का नियम और उसकी शर्तें

लिखत		नियम और शर्तें
बासेल-II शर्त के तहत अभिनव बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) सीरीज-1 गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 1 बांड	आबंटन की तारीख	05.12.2012
	मोचन की तिथि	05.12.2022 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ
	कार्यकाल (महीनों)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	300.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.27%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा ए और केयर द्वारा ए -
	विशेष विशेषताएं :	
	पूट और स्टेपअप अप विकल्प नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा 10 वर्षों के बाद।	
बासेल-III शर्त के तहत बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) सीरीज-I गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 1 बांड	आबंटन की तारीख	29.09.2015
	मोचन की तिथि	सतत
	कार्यकाल (महीनों)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	150.00
	कूपन दर (वार्षिक)	11.95%
	रेटिंग	आईएनडी बीबीबी
	विशेष विशेषताएं :	
	पूट का विकल्प नहीं। जारीकर्ता काल, जो विवेकाधिकार है, उसे आवंटन की तारीख से 5 वीं वर्षगांठ या उसके बाद किसी वर्षगांठ की तारीख को उपयोग किया या नहीं किया जा सकता है।	
बासेल-III शर्त के तहत बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) सीरीज-II गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 1 बांड	आवंटन की तारीख	29.03.2017
	मोचन की तिथि	सतत
	कार्यकाल (महीने)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	12%
	रेटिंग	ब्रिकवर्क द्वारा ए
	विशेष विशेषताएं :	
	पूट का विकल्प नहीं। जारीकर्ता काल, जो विवेकाधिकार है, उसे आवंटन की तारीख से 5 वीं वर्षगांठ या उसके बाद किसी वर्षगांठ की तारीख को उपयोग किया या नहीं किया जा सकता है।	

लिखत	नियम और शर्तें	
बासेल-III शर्त के तहत बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) सीरीज-III गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	10.11.2017
	मोचन की तिथि	सतत
	कार्यकाल (महीनें)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	490.00
	कूपन दर (अर्ध वार्षिक)	10.95%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा बीबीबी +
	प्रमुख विशेषताएं :	
	पूट का विकल्प नहीं। जारीकर्ता काल, जो विवेकाधिकार है, उसे आवंटन की तारीख से 5 वीं वर्षगांठ या उसके बाद किसी वर्षगांठ की तारीख को उपयोग किया या नहीं किया जा सकता है।	
बासेल-III शर्त के तहत बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) सीरीज-IV गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	27.12.2017
	मोचन की तिथि	सतत
	कार्यकाल (महीने)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	100.00
	कूपन दर (अर्ध वार्षिक)	11.00%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा बीबीबी +
	प्रमुख विशेषताएं :	
	पूट का विकल्प नहीं। जारीकर्ता काल, जो विवेकाधिकार है, उसे आवंटन की तारीख से 5 वीं वर्षगांठ या उसके बाद किसी वर्षगांठ की तारीख को उपयोग किया या नहीं किया जा सकता है।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-VI गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ लोअर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	25.03.2009
	मोचन की तिथि	25.03.2019
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	250.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.30%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य चनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -VII गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ लोअर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	28.12.2011
	मोचन की तिथि	28.12.2021
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.20%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और क्रिसिल द्वारा एए-
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य चनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	

लिखत		नियम और शर्तें
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-VIII गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ लोअर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	25.06.2013
	मोचन की तिथि	25.06.2023
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	500.00
	कूपन दर (वार्षिक)	8.75%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा एए- एवं ब्रिकवर्क द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. गैर इक्विटी पूंजी लिखत के लिए लागू लिखत के अधीन हानि अवशोषी विशेषताएं सुविधाओं के अधीन है। 2. ट्रिगर घटना के घटित होने पर जिसे गैर व्यवहार्यता के प्वाइंट (पीओएनवी) कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर लिखत को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या अस्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है। 3. सभी जमाकर्ताओं एवं बैंक के आम उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के अधीनस्थ दावे, टीयर-1 पूंजी में समावेश हेतु योग्य लिखतों में निवेशकों के दावे की तुलना में उक्त लिखत में निवेशकों के दावे पहले होंगे।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-IX गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋण लिखत टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	23.08.2017
	मोचन की तिथि	23.08.2027
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	500.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.00%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा एए- एवं ब्रिकवर्क द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. गैर इक्विटी पूंजी लिखत के लिए लागू लिखत के अधीन हानि अवशोषी विशेषताएं सुविधाओं के अधीन है। 2. ट्रिगर घटना के घटित होने पर जिसे गैर व्यवहार्यता के प्वाइंट (पीओएनवी) कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर लिखत को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या अस्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है। 3. सभी जमाकर्ताओं एवं बैंक के आम उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के अधीनस्थ दावे, टीयर-1 पूंजी में समावेश हेतु योग्य लिखतों में निवेशकों के दावे की तुलना में उक्त लिखत में निवेशकों के दावे पहले होंगे।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-X गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ लोअर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	27.09.2017
	मोचन की तिथि	27.09.2027
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	150.00
	कूपन दर (वार्षिक)	10.50%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा एए-
	प्रमुख विशेषताएं : 1. गैर इक्विटी पूंजी लिखत के लिए लागू लिखत के अधीन हानि अवशोषी विशेषताएं सुविधाओं के अधीन है। 2. ट्रिगर घटना के घटित होने पर जिसे गैर व्यवहार्यता के प्वाइंट (पीओएनवी) कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर लिखत को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या अस्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है। 3. सभी जमाकर्ताओं एवं बैंक के आम उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के अधीनस्थ दावे, टीयर-1 पूंजी में समावेश हेतु योग्य लिखतों में निवेशकों के दावे की तुलना में उक्त लिखत में निवेशकों के दावे पहले होंगे।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-XI गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋण लिखत टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	10.11.2017
	मोचन की तिथि	10.11.2017
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	340.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.05%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा एए-
	प्रमुख विशेषताएं : 1. गैर इक्विटी पूंजी लिखत के लिए लागू लिखत के अधीन हानि अवशोषी विशेषताएं सुविधाओं के अधीन है। 2. ट्रिगर घटना के घटित होने पर जिसे गैर व्यवहार्यता के प्वाइंट (पीओएनवी) कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर लिखत को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या अस्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है। 3. सभी जमाकर्ताओं एवं बैंक के आम उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के अधीनस्थ दावे, टीयर-1 पूंजी में समावेश हेतु योग्य लिखतों में निवेशकों के दावे की तुलना में उक्त लिखत में निवेशकों के दावे पहले होंगे।	

टेबल डीएफ-15

पारिश्रमिक हेतु प्रकटीकरण अपेक्षा

गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण : अप्रयोज्य

टेबल डीएफ-16

इक्विटी - बैंकिंग बुक पोजिशन हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण **इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण**

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसरण में, निवेश को खरीद की तारीख पर "व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी), " बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस), "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को परिपक्वता तक बैंक धारीत करना चाहता है, उन्हें एचटीएम प्रतिभूतिओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसरण में एचटीएम वर्ग के तहत इक्विटी निवेश को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बुक के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

- आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार अनुषंगियों की इक्विटी और संयुक्त उद्यम मे निवेश को एचटीएम वर्गीकृत करने की जरुरत है। इन्हें नीतिगत उद्देश्य से नीतिग [illegible] रित किया जाता है।

- एचटीएम वर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश को उनकी अधिग्रहण लगत में लिया जाता है और मार्केट तक मार्ग नहीं किया गया है। उपलब्ध इक्विटी निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलवा किसी भी अवनति को उपलब्ध कराया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार एचटीएम वर्ग के तहत इक्विटी निवेश की बिक्री पर किसी तरह की हानि को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया गया है, शुद्ध कर और सांविधिक प्रारक्षित को "पूंजी प्रारक्षित" में विनियोजित किया गया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क्रम सं.	**विवरण**	**(रुपए करोड़ में)**
1	बैंकिंग बुक में इक्विटी निवेश	
	क) तुलन पत्र में निवेश के संबंध में प्रकट मूल्य	368.52
	ख) निवेशों का उचित मूल्य	368.52
	आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार एक सुसंगत आधार पर आरआरबी में निवेश को केरिंग लागत में मूल्यांकित किया जाए (अर्थात बही मूल्य)	
2	राशि समेत निवेश का प्रकार और प्रकृति, जिसे निम्नप्रकार वर्गीकृत किया जाए:	
	क) सार्वजनिक रूप से किया गया व्यापार	शून्य
	ख) व्यक्तिगत रुप से धारित (गैर सूचीबद्ध)	368.52
3	संचयी वसूल लाभ (बिक्री से हुई हानि और रिपोर्टिंग अवधि में परिसमापन)	शून्य
4	कुल गौर वसूली लाभ (हानि)*	शून्य
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकित (हानि)**	शून्य
6	उपर्युक्त टियर I और टियर II पूंजी में शामिल राशि	शून्य
7	समुचित इक्विटी समूह द्वारा [illegible] नी के स्थ स्कन [illegible] और इक्विटी निवेश के प्रकार, बशर्ते कि किसी पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा नियामक पूर्वी अपेक्षा के लिए प्रावधान किया गया हो।	बासेल - III मानदंडो के तहत एसोशिएट्स में निवेश 250% की दर से जोखिम भारित है।

* गैर वसूली लाभ (हानि) को तुलन पत्र में स्वीकृत किया गया है, इसे लाभ एवं हानि खाते में दिखाया नहीं गया।

** गैर वसूली लाभ (हानि) को तुलन पत्र में स्वीकृत नहीं किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते से भी दिखाया नहीं गया।

टेबल डीएफ-17

लेखा आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय

क्रम सं.	विवरण	(रुपए करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	144748
2	बैंकिंग वित्तीय बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थायों निवेश के लिए समायोजन जिसे लेखा उद्देश्य हेतु समेकित किया गया है लेकिन नियामक समेकन के संभावनायों से बाहर है।	लागू नही
3	परिचालन लेखा ढांचा के अनुसार तुलन पत्र में स्वीकृत प्रत्ययी आस्ति हेतु समायोजन, लेकिन जिसे लिवरेज अनुपात निवेश उपाय से बहिर्भुत है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत समायोजन	123
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और उसी प्रकार जमानती उधार)	0.00
6	तुलन पत्र में बाहर निवेश ऋण के बराबर राशि	5220
7	अन्य समायोजन	(2823)
8	लिवरेज अनुपात निवेश	**147268**

टेबल डीएफ-18
लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं.	विषय	(रुपए करोड़ में)
	बैलेंस शीट में निवेश	
1	तुलन पत्र में निवेश की मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़ कर, लेकिन संपार्शिक को मिलाकर)	130868
2	(बासेल - III टियर - 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति की राशि)	(2823)
3	**कुल तुलन पत्र में निवेश (डेरिवेटिव्स और एसएफटी की छोड़ कर) (लाइन 1 और 2 का कुल जोड़)**	**128045**
	डेरिवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद परिवर्तन मार्जिन)	63
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ शामिल पीएफई के लिए एड-आन राशि	60
6	उपलब्ध कराये गये डेरिवेटिव्स संपार्शिक हेतु सकल जहां परिचालन लेखा ढांचा के अनुसरण में तुलन पत्र की आस्ति से घटाया गया।	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेन में उपलब्ध कराया गया नगद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों को घटाना)	0
8	(सीसीपी लेग ऑफ क्लाइंट-क्लियर व्यापार निवेश की छूट)	0
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स की अनुमानित राशि के लिए प्रभावित समायोजन	0
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए प्रभावित अनुमानित आफसेट एड-आन कटौती का समायोजन)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का जोड़)**	**123**
	प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	बिक्री लेखा लेनदेन के लिए समायोजन के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नोटिंग की स्वीकृति के बगैर)	13880
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का कुल देय नगद और प्राप्य नगद राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का जोड़)**	**13880**
	तुलन-पत्र में बाह्य अन्य मदो में निवेश	
17	तुलन-पत्र में बाह्य अन्य मदो में निवेश की सकल अनुमानित राशि	13470
18	(क्रेडिट के बराबर राशि में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(8250)
19	**तुलन-पत्र में बाह्य मदें (लाइन 17 से 18 का जोड़)**	**5220**
	पूंजी और कुल निवेश	
20	**टियर -1 पूंजी**	**6271**
21	**कुल निवेश (लाइन 3,11,16 और 19 का जोड़)**	**147268**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बासेल-III लिवरेज अनुपात**	**4.26**

नोट्स / Notes

Annual Report
2017-18

Company Secretary, Compliance Office & Secretary to the Board of Directors

Bikramjit Shom

Registrar & Share Transfer Agent:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park
L B S Marg, Vikhroli (West)
Mumbai – 400083

Statutory Central Auditors:

M/s. Arun K. Agarwal & Associates
M/s. Mookherjee Biswas & Pathak
M/s. Dinesh Jain & Associates
M/s. SBA Associates

Registered Office Address:

United Bank of India
United Tower
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Website
www.unitedbankofindia.com
E-mail
investors@unitedbank.co.in

BRIEF HISTORY OF THE BANK

United Bank of India has a chequered history. A small bank, Comilla Banking Corporation Ltd (Estd. in 1914) was amalgamated with three other banks viz. Comilla Union Bank Ltd. (Estd. in 1922), Hooghly Bank Ltd. (Estd. in1932) and Bengal Central Bank Ltd. (Estd. in 1918) to become United Bank of India on 18 December 1950.The Bank was headquartered at 4, Clive Ghat Street (now N.C. Dutta Sarani), Kolkata-700001 which later shifted to its present location at 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001. The Bank was nationalized along with 13 other Banks on July 19, 1969. Subsequently, Cuttack Bank Ltd., Tezpur Industrial Bank Ltd., Hindustan Mercantile Bank Ltd. and Narang Bank of India Ltd. were merged with the Bank.

United Bank of India has grown from strength to strength. Starting from a network of 174 branches and a business of Rs.259 crore in 1969 at the time of nationalization, the Bank, at present, has 2057 branches/offices with a total business of over Rs 1.98 lac crore. As the branches operating in the then east Pakistan were closed in the aftermath of 1971 war with Pakistan, the Bank spread its international presence by establishing representative office in Dhaka, Bangladesh in 2010 and later at Yangoan, Myanmar. The Bank's international operations are supported by wide network of Correspondent relationships opened with overseas Banks.

United Vision

To emerge as a dynamic, techno savvy, customer- centric, progressive and financially sound premier bank of our country with pan India presence, sharply focused on business growth and profitability, with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, trust and transparency, observing highest standards of corporate governance and corporate social responsibilities, meeting the expectations of all its stakeholders as well as the aspirations of its employees.

Essentially, Pursuit of Excellence is going to be core philosophy and driving force for the bank.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased to Rs. 198018 Crore as on 31st March 2018.
- Total Deposit increased by Rs 2387 Crore to Rs 129326 Crore as on 31st March 2018.
- CASA share improved to 48.44% as on 31st March 2018, registering a growth 4.26% over 31st March 2017.
- Retail portfolio has grown by 17% in which Housing loan portfolio increased by 21.62 % and Car loan increased by 29.28%.
- MSME advances recorded a growth of 16.64 %.
- Net Interest Income (NII) for Q4 2018 has increased by 2.31% and non- interest income by encouraging 39.34% largely driven by the Bancassurance business.
- Despite all odds, operating profit increased by 14.53% in the fourth quarter of FY 2017-18 as against the corresponding quarter of the previous year.
- NIM showed an improvement from 1.63% in March 2017 to 2.30% in March 2018.
- Bank maintained its capital adequacy ratios above the regulatory requirements under Basel-III norms. CRAR maintained at 12.62% with Tier-1 at 9.87% and CET 1 ratio at 8.39% as on 31st March 2018.

PERFORMANCE AT A GLANCE

Amount in ₹ Crore

Parameters	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
No of Branches	2011	2053	2057
Total Business	187813	197442	198018
% Growth	5.58	5.13	0.29
Total Deposits	116401	126939	129326
% Growth	6.97	9.05	1.88
Gross Advances	71412	70503	68692
% Growth	3.39	-1.27	-2.57
CD Ratio	61.35	55.54	53.12
Investments	44934	53355	51201
Total Assets	129432	141053	144749
Operating Profit	1812	1553	1024
Net Profit	-282	220	-1454
Capital	1319.52	1812.00	3013.64
Of			
Equity Share Capital	839.52	1394.00	3000.00
Share Application Money(pending allotment)	480.00	418.00	13.64
Reserve & Surplus	4999.67	5931.46	5661.59
Capital Adequacy Ratios			
CRAR %	10.08	11.14	12.62
Tier 1 %	7.93	8.94	9.87
CET1 %	7.74	8.46	8.39
Total Staff	14981	14962	14814
Business per Employee	12.37	13.04	13.22

MESSAGE TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

I'm pleased to place the Annual Report of the Bank for the financial year 2017-18, which you may consider as the Report Card of the Bank for its performance during the twelve month period. It is heartening that in spite of the challenging environment within India and beyond, we remained on track with our vision of being conservative, cautious and a revenue oriented Bank which is resurrecting from the damages caused by the onslaughts of the global debacles, local challenges, industrial downturns and banking fiascos. United Bank of India continues to follow highest standard of Corporate Governance and considers it an ethical requisite rather than regulatory compulsion.

Structural Changes and Short Term Pains:

The biggest structural reform that the Indian economy witnessed is the introduction of much debated and much delayed Goods & Services Tax, atlast on 1st July 2017. This is an all-pervasive tax reform aimed at creation of a unified common market laying aside the inherent inefficiencies of the multiple taxes imposed by different states. The transition was not without its initial hiccups leading to temporary disruptions. However, with the clarity of rules and procedures emerging gradually, the stability has been restored. Our team has worked closely with our knowledge and IT partners and the Government to smoothen the rough edges whenever they cropped up.

Another major change specifically focused on the banking sector, which has marred the fourth quarter results of almost all the banks, has been orchestrated by the RBI through its Circular dated February 12, 2018 on "Resolution of Stressed Assets – Revised Framework". The Regulator has endeavoured to introduce a harmonized and simplified generic framework for resolution of stressed assets in order to synchronise it with the Insolvency and Bankruptcy Code – 2016 ("IBC"). The new framework aims at early detection and reporting of stress, putting in place a Resolution Plan and time bound filing of bankruptcy proceedings under IBC. The circular discontinued all earlier implemented restructuring schemes in vogue viz. CDR, S4A and SDR and brought all those accounts under the umbrella of this circular. The asset quality issues reported by the banks in the fourth quarter are largely attributable to the Circular. On the flip side, it would facilitate reflecting the true picture of the asset quality across banks.

Prompt Corrective Action (PCA):

You are aware that the Bank along with ten other public sector banks is under the PCA framework of the RBI in view of the high net NPA, low leverage ratio and need for capitalization as on March 31, 2017. I would like to assert with emphasis, that the regulatory action has not hindered in anyway the Bank's freedom to carry-on its regular business activities. Rather, it has protected Bank's interest by focusing on profit retention, capital augmentation, credit diversification and cost control. Needless to say, we have been pursuing all these goals since my joining, even before imposition of PCA.

Banking Reforms:

You must be aware that the Central Government has launched the much needed reform programme for public sector banks, widely publicized in the media, which envisages banks to commit to the reforms agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) covering customer responsiveness, responsible banking, credit off-take, PSBs as Udyamimitra (aimed at MSME), deepening financial inclusion and digitization and ensuring outcome (HR) by developing personnel for Brand PSB. Bank while committing to the reform agendas has undertaken to monetize strategic equity investments, sell real estate not required for Bank's operations, refrain from any fresh investment in non-core assets, not to distribute dividends without the GoI approval, and consolidate branches within the Bank and across PSBs etc. I reaffirm that we are strictly abiding by the reform agenda.

As a part of the reform agenda, the Bank has received Common Equity (Tier I) Capital (CET-1) to the tune of Rs.2634 crore against simultaneous investment of equivalent amount by the Bank in the "Special Securities" issued by the Central Government. The arrangement has helped the Bank to report a respectable capital adequacy despite additional slippages in the fourth quarter.

Turnaround:

The profit of this Bank since 2014-15 has been sporadic. While it has reported profits in 2014-15 and 2016-17, it also reported losses in 2015-16 and 2017-18. Few highlights of the financial results have been –

The Bank

- has incurred net loss for the Financial Year 2017-18 to the tune of Rs.1454.45 crore;
- experienced deterioration in its asset quality in the March 2018 quarter largely due to the revised framework for resolution of stressed assets introduced by the RBI, accounting for about 65% of the fourth quarter slippages.
- has reported Gross NPA as on March 31, 2018 at 24.10% of gross advances of the Bank, also resulting in almost 100% jump in provisioning requirements;

Notwithstanding these apparent failures, I believe the positive takeaways from the performance were aplenty.

- Bank has made a habit of maintaining CASA (Current Account Savings Account) close to 50%; it was no exception this time with CASA reported at 48.44% registering a growth of 4.27% Y-o-Y.
- ? The retail portfolio has grown by 17% in which the housing loan portfolio has increased by 21.62% and car loan portfolio has increased by 29.28%;

- MSME advances have registered a growth of 16.64%;
- Net Interest Income has increased by 2.31% and non-interest income by encouraging 39.34%;
- Despite all odds, the Operating Profit has increased by 14.53% in the 4th quarter of the FY-18 as against corresponding quarter of the previous year.
- NIM showed a considerable improvement from 1.63% in March 2017 and 1.51% in December 2017 to 2.30% in March 2018, which I believe is a commendable achievement.
- Thanks to the RBI Circular dated 12th February, the Bank's Standard Restructured Asset portfolio, which was at Rs.5513 crore a year back has come down to Rs.479 crore as at March'18, which I believe is a huge relief to all of us;
- 30 accounts in which the Bank is having exposure aggregating Rs.5951 crore were referred to NCLT. Resolution has taken place recently in one account in which the Bank received Rs.488.23 crore against an outstanding balance of Rs.628.42 crore. It is expected that resolution in more accounts would take place by the end of this fiscal, which would bring down the gross and net NPA, thus improving the bottomline of the Bank;

Honoring the spirit of the reform, we have submitted our business plan to the Ministry, which if approved, envisages turning around into profit by the 4th quarter of the current financial year. The turnaround plan talks about maintaining RWA at an optimum level vis-à-vis capital requirement, reducing corporate exposures and focusing on Retail, Agriculture and MSME (RAM) portfolio, limiting corporate advances to rated accounts in order to lend more stability to its overall advances portfolio, doubling the recovery efforts, augmenting non-interest income and controlling cost at all levels. All our concerted efforts are on realizing the turnaround plan ahead of its schedule.

Awards & Achievements:

During 2017-18, the Bank has been blessed with numerous prestigious awards. To mention a few were –

- National Award for best performance in SHG Bank linkage among public sector banks (small category);
- Recognition as the second best bank in RSETI movement by Ministry of Rural Development;
- Recognition for outstanding support to Women SHG Movement through credit linkage by Anandadhara, Govt. of West Bengal;
- Social Banking Excellence Award – 2017, by ASSOCHAM;
- SKOCH Award for employment generation under Pradhan Mantri MUDRA Yojna;

Acknowledgements:

I acknowledge with full humility, the support and guidance extended by the different Ministries of the Central Government at different points of time on different issues, the Reserve Bank of India, the Government of West Bengal and the local administration. My sincere gratitude to the Securities & Exchange Board of India, the Stock Exchanges and Insurance Regulatory & Development Authority for their support and timely advices. My heartfelt thanks to each and every customer for continuing to repose their faith on us and each and every member of the workforce for fighting it out from the front and encouraging me to strive for more.

India Growth Story and Moving Ahead:

Going forward, I feel the uncertainty is going to continue. While we have been able to gradually calm the impact of GST implementation, neutralize the effects of the RBI Circular on Resolution of Stressed Assets, impending elections across many states and the general election are likely to keep the economy in a state of instability. But, I am confident that our ability to look for new opportunities amidst volatility and drive our business with positivity and resolve would help us to move ahead with more purpose and conviction.

Yours truly,

Sd/-

Pawan Bajaj

Managing Director & CEO

DIN: 03291906

May 28, 2018, Kolkata

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 68th Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2018 (FY 2017-18).

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

Economic Outlook:

The year 2017 was marked by a number of key structural initiatives to build strength across macro-economic parameters for sustainable growth in the future. The growth in the first half of the year suffered despite global tailwinds. However, the weakness seen at the beginning of 2017, seems to have bottomed out as 2018 set in. Currently, the economy seems to be on the path to recovery, with indicators of industrial production, stock market index, auto sales and exports having shown some uptick. We believe that India's economic outlook remains promising for FY17-18 and is expected to strengthen further in FY18-19.

The biggest challenges for 2018 are as to how the economy can maintain its recovery in the face of increasing inflationary pressures, coupled with a higher fiscal deficit as well as an increasing debt burden. The key to this conundrum lies in the revival of consumer demand and private investment.

Bad Debts in Banks:

The overall risks to the banking sector remained elevated due to asset quality concerns.Non-performing assets (NPAs) or bad loans of public sector banks (PSBs) have reached high levels of over Rs 8.41 lakh crore. the bulk of which are in sectors such as power, steel, road infrastructure and textiles.

The Government of India has promulgated an ordinance, which amends section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and inserts section 35AA and section 35AB in the Banking Regulation Act. The ordinance authorises the "Reserve Bank of India to issue directions to any banking company or banking companies to initiate insolvency resolution process in respect of a default under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016".

It also empowers RBI to set up sector related oversight panels that will shield bankers from later action by probe agencies looking into loan recasts. The government had earlier enacted the IBC to consolidate and amend the laws relating to reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner. It was aimed at maximising the value of assets to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all stakeholders.

Government has recently announced PSBs reforms agenda for responsive and responsible banking, which encapsulates a synergistic approach for ensuring prudential and clean lending, better customer service, enhanced credit availability, focus on micro, small and medium enterprises.
These are steps in the right direction to reduce NPA of banks in general and our Bank in particular.

Agriculture :

The production of food-grains during 2017-18 is estimated at 277.5 million tonnes, as compared to 275.1 million tonnes in 2016-17. The total stocks of rice and wheat held by FCI as on 1st March 2018 was 47.9 million tonnes, as compared to 40.7 million tonnes as on 1st March 2017. Procurement of rice as on 1st March 2018, during kharif marketing season 2017-18 was 30.1 million tonnes, whereas procurement of wheat during rabi marketing season 2017-18 was 30.8 million tonnes.

Industry :

IIP grew by 7.1 % in Feb. 2018 as compared to a growth of 1.2 % in Feb-2017. The cumulative growth of IIP for the period April- February 2017-18 was 4.3%, as compared to a growth of 4.7% during the corresponding period of previous year. Growth of the manufacturing sector has been strong during the period November 2017 to February 2018.

The average growth of manufacturing production during November-February 2017-18 was 9.1% as compared to the growth of 2.0% during the corresponding period of the previous year. In terms of use based classification, all sectors, namely, primary goods, capital goods, intermediate goods, infrastructure/construction goods, consumer durable goods and consumer non-durable goods have registered positive growth. Notably, the output of the capital goods sector, a proxy for the investment activity of the economy grew by 20 % in February 2018, a 27 months high.

Inflation :

The all India Consumer Price Index–Combined (CPI-C) inflation declined to 4.3 % in March 2018 from 4.4 % in February 2018. Food inflation based on Consumer Food Price Index (CFPI) decreased to 2.8 % in March 2018 from 3.3 % in February 2018, on account of fall in inflation in meat & fish, egg, milk & products, vegetables and sugar & confectionery. CPI Fuel and light inflation for March 2018 declined to 5.7 % as compared to 6.9 % in February 2018. Average Consumer Price Index (Combined) for 2017-18 averaged 3.6 % (provisional), as compared to 4.5 % in 2016-17 and 4.9 % in 2015-16.

India's Wholesale Price Index (WPI):

The WPI inflation remained same at 2.5 % in March 2018, as reported in the previous month (Feb-2018). WPI food inflation (food articles + food products) decreased to (-) 0.1% in March 2018 from to 0.1% in February 2018. Inflation for manufactured products was 3.0 % in March 2018, which was the same as in February 2018 and Non-food manufactured products (core) decreased to 3.5 % in March 2018, as compared to 3.9 % in February 2018. The average WPI inflation stood at 2.9 % (provisional) in 2017-18, as compared to 1.7 % in 2016-17.

Capital Market:

Foreign Exchange Reserves stood at US$ 424.4 billion as on March 2018, as compared to US$ 370.0 billion at end-March 2017.There was an accretion of US$ 54.4 billion to the foreign exchange reserves.

India's current account deficit (CAD) was US$ 13.5 billion (2.0% of GDP) in third quarter (October –December) of 2017-18, as compared to US$ 8.0 billion (1.4 % of GDP) in the corresponding quarter of 2016 -17. On cumulative basis, CAD stood at US$ 35.6 billion (1.9 % of GDP) during April-December of 2017-18, as compared to US$ 11.8 billion (0.7 % of GDP) during the corresponding period of 2016 -17.

Money and Credit :

Currency in circulation in India stood at Rs. 17.78 trillion as on 16 February 2018, 98.94% of the Rs17.94 trillion that was in circulation before demonetization level, as per the latest data released by the Reserve Bank of India (RBI)

According to central bank's annual report, 98.96% of notes (by value) that were invalidated had returned to the RBI by the end of June 2017.

Growth of Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) as of March 2018 was 6.7 % (on Y-o-Y basis), as compared to 11.3% recorded during the corresponding date of the previous year. In terms of bank credit, growth was 10.3% as March 2018, as compared to 4.5 % in the corresponding period a year ago. The growth of investment in Government and other approved securities by SCBs was 10.0 % as on March 2018, as compared to 17.4 % in the corresponding period of the previous year.

Growth of money supply on year on year (Y-o-Y) basis as on March 2018 stood at 9.6 %, as compared to a growth of 6.9 % recorded in the corresponding period in the previous year. As regards the components of money supply, the growth of 'currency with the public' was 39.2 % as on March 2018, as compared to the growth of (-) 20.8 % registered during the corresponding period a year ago. The growth rate of 'time deposits with banks' was 6.2 % as on March 2018, as compared to the growth of 10.2 % in recorded in the corresponding period a year ago.

Foreign Trade :

The value of merchandise exports and imports increased by 0.7 % and 7.1 % respectively in US$ terms in March 2018. During March 2018, oil imports and non-oil imports increased by 13.9% and 5.0% respectively over March 2017.
The value of merchandise trade deficit in March 2018 was US$ 13.7 billion, During 2017-18, merchandise trade deficit increased to US$ 156.8 billion, as compared to US$ 108.5 billion in 2016-17.

Future Prospects:

Favorable indicators such as moderate levels of inflation, anticipated growth of the industrial sector, expectation of greater stability in GST, expected recovery in investment levels, and ongoing structural reforms could propel India's economy to grow at an accelerated pace. However, the country's growth could be impacted by the increase in crude oil prices along with protectionist tendencies in some of the countries. Considering the growth potential and downside risks, the government expects India's GDP to expand at a growth rate between 7.0 to 7.5 % during 2018-19.

FINANCIAL PERFORMANCE

Bank's performance during the year was delimited by setting of priorities for gaining desired results in the fields of asset quality and recovery of bad assets. Due to capital constraint and in compliance with direction of the Govt. of India, Bank's advance was restricted based on the Risk Weighted Assets of the Bank. The main performance indicators of growth, profitability, efficiency, productivity, and solvency are as under:

Bank has registered an Operating Profit of Rs.1024.06 crore during the financial year 2017-18 compared to Rs.1552.89 crore in the financial year 2016-17, registering a decline of Rs.528.83 crore (34.05%). Due to high NPA & higher provisioning of NCLT referred accounts, Bank's bottom line was squeezed and the Bank suffered a net loss of Rs.1454 crore in FY 2017-18 compared to a Net Profit of Rs.219.51 crore in FY 2016-17.Gross Profit per employee decreased from Rs.10.38 lakh as on Mar'17 to Rs.6.91 lakh as on Mar'18.

Key Financial Ratios (%)	March 2017	March 2018
Cost of Funds	6.12	5.38
Yield on Funds	7.70	9.29
Cost of Deposits	6.00	5.30
Yield on Advances	8.95	7.35
Yield on Investments	7.76	7.62
Spread as a % of AWF	1.57	1.07
Net Interest Margin (NIM)	1.60	1.66
Operating Expenses to AWF*	1.91	1.92
Return on Avg. Assets (RoAA)	0.16	-1.04
Return on Equity	4.38	-33.06
Business per Employee (Rs. In Crore)	13.04	13.22
Profit per Employee (Rs. In Lakh)	10.38	6.91
Profit per Branch (Rs. Lakh)	75.64	49.78
Book Value per share	32.94	14.64

*AWF – Average Working Fund

Income and Expenditure Analysis

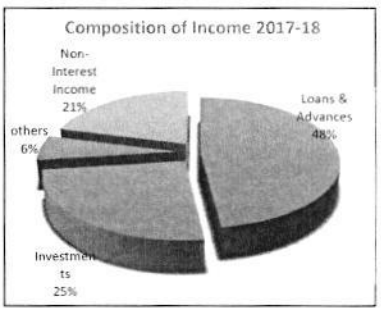

Interest income of the Bank declined to Rs.8341.62 crore in 2017-18 compared to Rs.9427.91 crore earned during the year 2016-17. Interest income being a direct function of growth in advances and the rate of interest charged. Bank revised its MCLR three times during the year 2017-18 to pass on the benefit of rate cut to its customers. Non-interest income increased by Rs.27.94 crore from Rs. 2186.62 crore in the financial year 2016-17 to Rs. 2214.56 crore in the financial year 2017-18. Yield on Advances declined to 7.35 % as at March 2018 compared to 8.95 % as at March 2017.

Interest Expenditure declined by Rs.651.43 crore to Rs.6848.75 crore in 2017-18 compared to Rs.7500.18 crore in 2016-17. Lower interest expenditure was ensured by slashing of the rate of interest on retail term deposits in all the brackets. The Cost of Deposit came down from 6.00 % in 2016-17 to 5.30 % in 2017-18. Operating expenses increased from Rs. 2561.46 Crore in March 2017 to Rs. 2683.37 crore in March 2018.

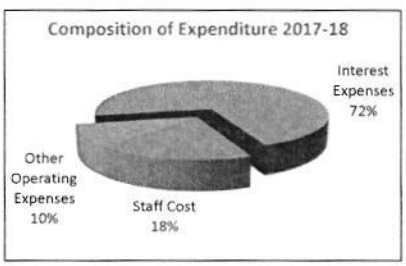

BUSINESS GROWTH

Deposits

Deposits of the Bank reached to Rs. 129326 crore as on 31st March, 2018 registering a Y-o-Y growth of 1.88 %. Bank's Savings deposits grew by 6.64 % to reach a level of Rs.52744 Crore as on March 31, 2018. Share of CASA deposits to total deposits stood at 48.44% as on March 31, 2018. Bank's retail term deposit stood at Rs.63923 crore with a growth of 0.21 % on Y-o-Y. Share of Bulk Deposits further declined to reach at 2.13 % as on March 2018 from 2.42 % as on March 2017.

The customer base of the Bank has reached to 3.70 core as on March 2018.

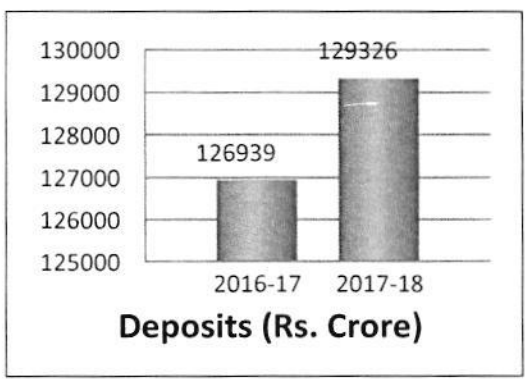

Advances

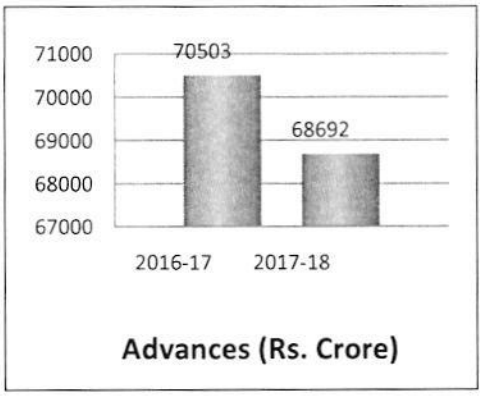

Gross Advances of the Bank decreased by Rs.1811 crore (2.57%) and reached at Rs.68692 crore as on March 31, 2018. Credit deposit ratio stood at 53.11% as on March 2018. Bank achieved the PRISEC Advance target of 40% of ANBC. Intensive marketing of retail credit products brought considerable growth in Retail Advances supported by increase in Housing Loan.

Bank's non-food credit decreased from Rs.69890 crore to Rs.68111crore, while food credit came down from Rs.613crore as on March 31, 2017 to Rs. 581 crore at the end of March, 2018.

Total Business

The total business of the Bank reached to Rs.198018 crore at the end of the current financial year 2017-18.

Productivity, as measured by business per employee, increased from Rs.13.04 crore as on 31.03.2017 to Rs.13.22 crore as on 31.03.2018.

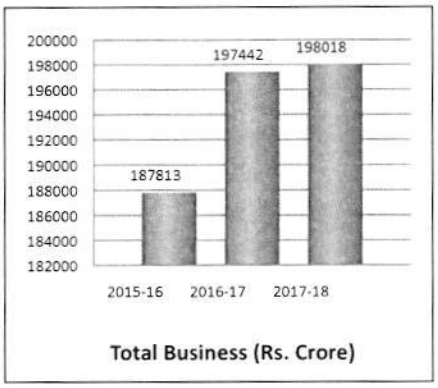

RETAIL LENDING OPERATIONS

Retail Credit has been one of the thrust areas of the Bank during the FY 2017-18. Bank has laid special emphasis on sanctioning Retail Loans with focus on Housing Loan and Mortgage Loan which are the major contributors to growth under Retail Credit & comprised 77.16% of total Retail Credit portfolio of the Bank.

Performance:

- The Personalized Sector of Retail Credit has witnessed a growth of Rs. 2143 Crore from Rs. 9189 Crore as on 31st March, 2017 to Rs. 11332 Crore as on 31st March, 2018, registering Y-o-Y growth of 23.32%.
- The Housing Loan segment has increased from Rs. 7061 Crore as on 31.03.2017 to Rs. 8615 Crore as on 31.03.2018 registering Y-o-Y growth of 22.01%.
- Car loan has increased from Rs. 606 Crore as on 31.03.2017 to Rs. 783 Crore as on 31.03.2018 registering Y-o-Y growth of 29.21%.
- Mortgage loan has increased from Rs. 107 Crore as on 31.03.2017 to Rs. 129 Crore as on 31.03.2018 registering Y-o-Y growth of 20.56%.
- Other Retail loan has increased from Rs. 1423 Crore as on 31.03.2017 to Rs. 1805 Crore as on 31.03.2018 registering Y-o-Y growth of 26.84%.

BANCASSURANCE BUSINESS:

Bank has been undertaking insurance business since 09.02.2004 as Corporate Agent of both life and non-life insurance companies under its Bancassurance arm. In terms of IRDAI guideline on Open Architecture Model Bank has obtained Certificate of Registration from IRDAI for soliciting insurance business under Corporate Agency framework with effect from 01.04.2016 to operate with single insurance company in each vertical of life and non-life. Bank has entered into Corporate Agency Agreement with Life Insurance Company of India for soliciting life policies and Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd for soliciting general insurance policies

Bank has earned Rs.10.96 Crore commission from insurance business of which Rs. 4.61 Crore from life insurance business and Rs.6.35 Crore from non- life insurance business during the FY 2017-18.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS:

The investment portfolio of the Bank decreased from Rs.53355 Cr as on 31.03.2017 to Rs.51201 Cr as on 31.03.2018 registering a decline of 4.04%. The SLR investment portfolio decreased from Rs.38166 Cr as on 31.03.2017 to Rs.33900 Cr as on 31.03.2018. Portfolio modified duration has increased to 4.66 as at March 2018 compared to 3.90 a year ago. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has also increased to 2.80 as at March 2018 from 2.55 as at March 2017.

The Bank has earned a total Trading profit of Rs.1444 Cr from domestic segment of Treasury during the financial year 17-18 as compared to Rs. 1502 Cr. for the financial year 16-17 registering a decline of 3.86%. The average return on investment during the year 17-18 was 7.54% and Yield on Investment during the year 17-18 was 7.62%.

Foreign exchange Business turnover of the bank aggregated to Rs.20346.78 crore comprising of Rs.4621.77 Cr under Exports, Rs.4622.56 Cr under Imports and Rs.11102.45 Cr under remittances during the year ended 31.03.2018.

Outstanding export credit of the bank stood at Rs.1254.92 crore as at 31.03.2018.Bank earned exchange profit of Rs.134.75 Cr during the year 2017-18 against Rs 143 Cr during 2016-17.

The bank's overseas presence covered two countries namely Myanmar and Bangladesh with one Representative Office each at Dhaka, Bangladesh and Yangoan, Myanmar respectively. Indo-Myanmar trade is routed through our Bank. Twenty seven (27) banks of Bangladesh maintain forty one (41) Vostro account in USD and EUR and twenty one (21) banks of Myanmar maintain thirty (30) Vostro accounts in EUR, USD and INR with our Bank. Global IME bank Ltd., Nepal has been maintaining Vostro accounts in INR & USD with our Bank.

The bank's International operations are well supported by a wide network of more than 620 correspondent relationships and 16 Nostro accounts opened with overseas banks in 7 currencies being maintained abroad.

OTHER SERVICES:

Merchant Banking Division managed Bank's issue of Basel-III compliant Additional Tier-1 Bonds in two trenches amounting to Rs.490 Crore & Rs.100 Crore on 10.11.2017 & 27.12.2017 respectively. Bank has also raised Basel-III compliant Tier-2 Bonds in three trenches amounting to Rs.500 Crore on 23.08.2017, Rs.150 Crore on 27.09.2017 & Rs.340 Crore on 10.11.2017. Bank has also redeemed Tier-2 Bond amounting to Rs. 100.00 Cr. on 27.04.2017 & Upper Tier-2 Bond amounting of Rs.575 Crore on 19.06.2017.

Bank holds certificate of Registration issued by SEBI on Banker to an Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker under which it continues to discharge defined duties and responsibilities as per regulatory norms

GOVERNMENT BUSINESS:

Government Transaction Department undertakes different types of Government Business Activities as following:-

- Collection of Central government revenues viz. Direct and Indirect Taxes (CBDT), through physical mode by Authorized branches and through e-mode (Internet Banking) by all branches of the bank. After implementation of Goods and Services Tax (GST), all the branches are authorized to collect both offline & online mode. Collection of CBEC (Custom, Central Excise etc.) through all the branches.
- Collection of State Revenues and Taxes of different states (both on line and off line).
- Mobilisation of Govt. deposits under small savings like Public Provident Fund, Senior Citizens' Saving Scheme, Sukanya Samridhi Accounts, different tranches of Sovereign Gold Bonds, Savings Bond etc.
- Handling of Govt.Fund (Departmentalized Ministries'Accounts, State Govt.Treasury Operation in different states.)
- Disbursement of different types of pensions of the Central Govt., State govt. and different autonomous organizations like EPFO,Kolkata Port Trust,Damodar Valley Corporation, WBSEDCL etc.
- Implementation of National Pension System (NPS) and Atal Pension Yojana(APY) for enrolment of unorganized sector people in to the scheme for getting old age annuity/pension as an authorized Point of Presence Service Provider for the Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA).
- Implementationof other govt. sponsored schemes as and when announced by the government.
- Dissemination of information to the Pensioners through 'Pensioners charter' being displayed in the banks 'website and on-line pensioners' Grievance portal and display & downloading of Pensioners' Pay Slip have been customized in the bank's website.Approximately 95% of pension accounts have been Aadhar seeded excluding the state of Assam and Meghalaya and digitization of Life Certificate for pensioners through JeevanPraman have been in popular use.
- The agency commission earned on government business during this financial year **(2017-18)** amounts to:-

BUSINESS TYPE	Turn Over Commission (TOC) Earned (Rs. crore)
	2017 - 18
TAX	2.83
PENSION	20.22
TREASURY	2.89
PPF,SCSS, SSA, APY, BOND & SDS	0.82
DMA	2.15
TOTAL	**28.91**

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT

Despite constant follow up with the recalcitrant borrowers, monitoring of stressed assets and tough measures in hard account, the Bank was not able to contain further growth in NPA level which reached a level of Rs.16552 cr. i.e 24.10 % of gross advances.,

The major steps taken by the Bank for recovery of stressed assets during the year were a liberalized limited period offer of one time settlement (OTS) for NPAs with outstanding balance upto Rs.25 lac. To create general awareness among the public the Bank took peaceful demonstrations before the establishments of defaulting borrowers.

Asset Quality

The Bank has been complying with RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning in percentage terms, gross NPA Ratio of the Bank stood at 24.10 % as on 31.03.2018 as against 15.53 % at the end of the previous year. In absolute terms Gross NPA stood at Rs.16552 cr. as on 31.03.2018.

The Net NPA ratio of the Bank stood at 16.49 % as on 31.03.2018 against 10.02% as on 31.03.2017. In absolute terms, the Net NPA stood at Rs.10316 cr as on 31.03.2018. The fresh slippage during 2017-18 has increased to Rs 8606.26 crore compared to Rs.3533.08 cr FY 2016-17 due to modification in RBI directive released on 12.02.2018. The cash recovery during the year was Rs.501.35 cr and the upgradation during the year was Rs.197.05 cr. The provision coverage ratio of the Bank 53.48 % as on 31.03.2018.The recovery in technically written off accounts was Rs.100 crore during the year 2017-18.

The Bank has a comprehensive Recovery Policy duly approved by the Board covering all avenues for recovery and reduction of NPAs like Onetime settlement (OTS), sale of charged assets, sale to Asset Reconstruction companies (ARC) etc. The Bank came out with liberalized guidelines during the year for recovery of small value NPA accounts having outstanding balance upto Rs. 25.00 lac. The Bank preferred to go for sale of NPA to the tune of Rs.441cr to ARCs during the FY 2017-18.

In the current financial year 2017-18 a number of cases has been referred to NCLT under IBC-2016 where our exposure is Rs.5951crore. It is expected that our bank will receive a good chunk from the resolution of the cases in the FY 2018-19

CAPITAL & RESERVES

Networth of the Bank was assessed at Rs. 4398 crore as on March 31, 2018. Total paid-up capital of the Bank was Rs.3000 crore. The Government shareholding in the Bank stood at 93.13% at March 2018.

Composition of Capital	March 2018	March 2017
	Basel-III Norms	Basel-III Norms
Risk Weighted Assets	63543	71198
Tier 1 Capital	6271	6368
Of which CET1 Capital	5331	6023
Tier 1 Ratio (%)	9.87	8.94
Of which CET1 ratio (%)	8.39	8.46
Tier 2 Capital	1748	1563
Total Capital	8019	7931
CRAR (%)	12.62	11.14

Capital Adequacy Ratio under Basel-III norms assessed at 12.62% with Tier-1 Ratio at 9.87% and CET1 ratio at 8.39% as at March 2018. The Bank has adequate headroom available under both Tier-1 and Tier-2 options to raise capital to support business growth momentum.

Risk Management Structure:
The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board of Directors, apex level management of the Bank. Bank has constituted a Board Level Committee named as Risk Management Committee of Board of Directors (RMCBOD) to monitor the implementation of the Risk Management systems of the Bank. There are other internal committees of Top Executives like Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) to supervise various risk management functions and activities of the Bank.

Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) is a decision making unit responsible for the strategic management of interest rate and liquidity risks. ALCO met 14times during the year to review various issues namely interest rates scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, fixation of Bank's Base Rate, cash flows of the Bank, profit planning and overall balance sheet management.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank and the responsibility of evaluating and taking necessary steps for mitigation of operational risk by designing and maintaining an explicit operational risk management process. It also ensures that the norms, policies and guidelines laid down in Operational Risk Management Policy are strictly adhered to. ORMC met 11 times to discuss various issues from operational risk point of view.

The Credit Risk Management Committee (CRMC) monitors various credit risk aspects relating to credit policy, procedures and to analyse, manage and control credit risk on a bank wide basis The Committee met 7 times during the year to discuss various issues from operational risk point of view.

Risk Management Policies:
To address various risks like credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, forex risk and other Pillar-2 risks, the Bank has formulated various risk management policies to identify, manage and mitigate such risks that the Bank is exposed to. The major policies formulated and approved by the Board of Directors of the Bank to address such risks are Lending Policy, Policy on ICAAP, Operational Risk Management Policy, Business Line Mapping Policy, Asset Liability Management Policy, Market Risk Management Policy, Integrated Treasury Policy, Disclosure Policy, Credit Audit Policy, Stress Testing Policy, and Policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management etc.

Credit Risk:
To address the Credit risk, Bank has formulated a Lending Policy which lays down policy guidelines for Credit Management covering all areas of operation where credit Risk is involved. The policy enables the Bank to enhance the risk management capabilities by undertaking lending decisions guided by the policy framework for a steady and healthy growth in its loan portfolio.

The Bank has set various prudential limits to individual borrowers, group borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc. in alignment with RBI directives. The Board has reviewed such limits during the year.

During the year, analysis of various exposure norms has been undertaken on half yearly basis to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits/ceilings fixed by RBI/ Bank's Board.

Bank has made its loan appraisal function independent of Risk Rating function. Internal risk rating of loan accounts is carried through a software based rating model to assess the credit proposal and rating of a borrower.

During the year, Bank conducted the credit portfolio analysis on quarterly interval, to study the impact of a particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank and adopt strategies to improve the quality of credit portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration risk.

During the year, Bank has also undertaken the rating migration analysis of its borrowers on half yearly interval to analyze the stability rate, up gradation rate, down gradation rate and default rate for a one year, two years, three years and four years time horizons and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

Market Risk:

For management of Market Risk, the Bank has given emphasis on measuring, monitoring and managing liquidity, interest rates, foreign exchange and equity risk of the Bank. The Market Risk in trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are also monitored by the Bank on regular basis. The advanced Risk Management tools such as Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOPL) and modified duration limits are used in managing Market Risk.

The Bank measures and monitors liquidity risk for all items of balance sheet through structural liquidity statements and stock ratios on regular basis. The Bank also monitors its Interest rate risk through interest rate sensitivity gap reports.

The Bank has formulated and reviewed its Integrated Treasury Policy to set operating guidelines for its treasury functions. The Bank has also put in place an Asset Liability Management Policy and Market Risk Management Policy to address the liquidity risk, interest rate risk and market risk etc. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems etc. These policies are reviewed periodically in line with changes in financial and market conditions.

Bank has an "Integrated Treasury Management System (ITMS)" software to monitor its investment and treasury portfolio on an ongoing basis along with automated computation of capital charge for Market Risk as well as strengthening the internal control system of investment portfolio of the Bank.

Operational Risk:

The Bank has framed an Operational Risk Management Policy for managing the Operational Risk in an effective manner. The Bank has also formulated Business Line Mapping Policy for mapping various products, activities, and income into different business lines.

Bank's Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. ORMC also reviews the operational risk loss event data, new products, process and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/preventive measures to strengthen the internal systems and procedures.

Basel-III Compliance:
In line with guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has successfully migrated to Basel-II framework w.e.f 31st March 2009 by adopting Standardized Approach (SA) for Credit Risk, Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk and Standardized Duration Approach (SDA) for Market Risk for computing the capital adequacy ratio.

The Bank has also followed Basel-III capital regulation norms w.e.f 1st April 2013 in line with RBI guidelines. The Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on both under Basel-III and Basel-II norms at quarterly interval.

To comply with Pillar 2 guidelines of RBI, the Bank has formulated a Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for the assessment of all material risks the Bank is exposed to and the risk management processes which are put in place to manage and mitigate those risks and also to evaluate its capital adequacy commensurate with such risks.

In line with the ICAAP policy, the Bank prepares the ICAAP Document on yearly basis and submits to RBI after internal validation and approval by the Board of Directors of the Bank. The ICAAP document of the Bank for 2016-17 has been submitted to RBI.

The Bank has reviewed its capital requirement both under Basel-II and Basel-III norms and taken necessary steps for strengthening its capital base. The Bank also reviewed its ICAAP on quarterly basis for monitoring both risks and capital requirement of the Bank.

In line with RBI guidelines and as per the Stress Testing Policy of the Bank, the Bank conducted Stress Testing analysis on quarterly interval on various risks like Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Forex Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational risk and assessed the impact on capital adequacy & profitability.

For skill development in Risk Management area, the Bank also nominates its officers on regular basis for various trainings/seminars on Risk Management conducted by reputed institutions like CAFRAL, NIBM, IBA, IDRBT, CAB etc.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank's lending to the Priority Sector has reached to Rs.33428 crore as at 31st March 2018 which is 45.52% of ANBC. Bank has given special thrust on financing Small & Marginal Farmers, Micro Enterprise segment under MSME apart from exploring other potential avenues of increasing PRISEC advances like SHG credit linkage, KCC, financing to Small Tea Growers, financing Food & Agro Processing Units, financing large size Dairy & Poultry units, vegetable and flower production under controlled condition (Poly House), Plantation etc.

Agriculture Lending:

Bank has disbursed Rs.7494 crore during the FY 2017-18 against a target of Rs.8651 crore recording an achievement of target to the tune of 86.62%. Lending to Agriculture Sector stands at Rs.12584 crore as on 31st March 2018, which is 17.13% of ANBC against the stipulated target of 18% of ANBC. Lending to Small & Marginal Farmers stands at Rs.6234 crore, which is 8.49% of ANBC against the stipulated target of 8% of ANBC for the year 2017-18.

Lending to Weaker Section:

Lending to weaker section reached to Rs.9369 crore as on 31 March 2018 which is 12.76% of ANBC against the stipulated target of 10%.

Lending to Minority Community:

Bank's lending to Minority Communities reached to Rs.5074 crore as at end of March 2018 which is 15.01% of PSL conforming to the stipulation

Kisan Credit Card:

Bank has organized several special camps and one Agri-Credit Campaign from 01.01.2018 to 17.03.2018 for issuance of Kisan Credit Cards to bring more number of new farmers under KCC. Bank has disbursed 70980 fresh KCCs during 2017-18 with credit limits of Rs.454 crore. Total number of outstanding KCCs as on 31st March 2018 stands at 581562 with aggregate outstanding balance of Rs.2807.42 crore. In line with the Government guidelines on issuance of Rupay based ATM enabled cards to all the KCC holders, Bank has issued 5.54 lakh ATM cards to the KCC holders (excluding the NPA KCCs) till 31.03.2018 achieving the target of full conversion of entire operative KCCs to RUPAY KCC within the time frame set by the Government.

Self Help Group:

Bank has credit linkages with 104668 SHGs with an outstanding balance of Rs.770.76 crore as on 31st March 2018. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of Rs.1.50 lakh on 1st grading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal. Bank has started participating in Community Based Recovery Mechanism (CBRM) with the assistance from State Rural Livelihood Mission (SRLM) which has placed Bank Sakhi/ Bank Mitra at the branches.

Corporate Social Responsibility:

As part of corporate social responsibility, Bank has undertaken the following activities:

United Bank Rural Self-Employment Training Institute (UBRSETI)

Bank has so far set up 16 RSETIs in the states of West Bengal (6), Assam (8) and Tripura (2) to impart training to the potential entrepreneurs from the financially weak sections of the society. RSETIs have been actively engaged themselves in number of special training programmes, as directed by the government like PMEGP, Life MGNREGA etc.

During the FY 2017-18, these institutes have imparted training to 10548 rural youths/women, mostly from weaker sections, against the target of 8875 candidates, of which 69% trainees have been settled by establishing own economic venture. These institutes are providing post training hand holding support to the trainees including arrangement of loan from our bank branches to enable them to set up their own ventures.

FLCC

Bank has also set up 38 Financial Literacy Centre (FLCs) in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counseling services to the poorer section of the society. In the Financial Year 2017-18, these FLCs have conducted regular outreach programmes which include Outdoor Activities for imparting financial literacy.

United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF)

United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) was established on 30th March 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic developmental activities and rendering assistance to weaker and under privileged section of the society in terms of decision taken by the Board of Directors of the Bank.Bank has extended financial assistance in 87 various welfare activities involving a total sum of Rs.294.42 Lakh towards its CSR activities till 31.03.2018. During the financial year 2017-18, focus was on extending assistance to the proposals under Health care, Library room construction, distribution of e-slates, blankets and vehicle for social activities. In the year, Bank has disbursed Rs.24.04 Lakh for 7 projects for implementation by the respective organizations towards cause of the society.

MSME

During FY 2017-18 MSME advances of the Bank increased to Rs.12598 Crore as on 31-03-2018. Considering the overall credit scenario prevailing in 2017-18, Y-o-Y growth in MSME portfolio of the Bank may be termed as reasonable.

MSME being one of the thrust areas of lending of the Bank, following initiatives have been undertaken to give a boost to MSME portfolio of the Bank:

- Bank registered itself with TReDS (Trade Receivables electronic Discount system) platform and started the Business Operation by factoring of Invoices.
- One Relationship Manager has been designated at each of its 180 MSME specialized Branches to nurture the top 20 MSME A/Cs of the Branch.
- Several MSME customer meets have been held in different parts of the country in presence of top executives to promote MSME business of the Bank.
- First time Branch Managers have been provided with suitable training programme at staff Training College on lending to MSME to maintain the quality of MSME portfolio.
- Bank has also encouraged collateral free loans to MSE sector up to Rs. 10.00 lac under MUDRA category and above Rs.10.00 lac up to Rs. 200 lac under CGTMSE guarantee coverage.
- The Bank has implemented "Stand up India" Scheme by providing credit to target group SC/ST and women entrepreneurs in true spirit.

Apart from that the Bank has duly achieved the target under Mudra Yojana during the FY 2017-18 by making fresh sanction of Rs.1710 Crore. For excellent performance in MSME lending, following awards have been conferred to United Bank of India during FY 2017-18.

- "SKOCH Mudra Performance award for employment generation under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)" at 49th SKOCH summit at New Delhi.
- The Bank has been awarded Best Bank Award for Promotional Schemes- Winner (Emerging Category) and Eco- Technology Savvy Bank Award- Runner Up (Emerging Category) by Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises (CIMSME) for its performance in previous financial year.
- The Bank has been adjudged as Runner up in Government Schemes category under Medium Bank class and Runner up in Best Social Bank category under Medium Bank class by The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) for its performance in previous financial year.

LEAD BANK DIVISION

The Lead Bank Scheme was introduced by Reserve Bank of India in December 1969. The Lead Bank Scheme envisages assignment of lead roles to individual banks (both in public sector and private sector) for the districts allotted to them.

The Bank is the Convener of State Level Bankers Committee (SLBC) in the State of West Bengal & Tripura. It has assumed Lead Bank responsibility in 43 districts spread over four states; 11 Districts in West Bengal, 16 Districts in Assam, 8 Districts in Manipur and 8 Districts in Tripura.

As Lead Bank in the States of West Bengal & Tripura, the bank has been actively involved in formulation and finalization of Annual Credit Plan (ACP) for both the States and has been taking up suitable action plans for implementation of different socio economic activities, Government Schemes etc. keeping close liaison with, Govt. of India, Reserve Bank of India, NABARD and State Government Authorities.

The 124th SLBC meeting organized in Tripura was attended by Shri Biplab Kumar Deb, Hon'ble Chief Minister, Govt. of Tripura.

Dr. Amit Mitra, Hon'ble Finance Minister of Govt. of West Bengal, had regularly attended the SLBC meetings in the State of West Bengal to enrich the level of discussion on important issues concerning development of the State.

As SLBC Convener for the States of West Bengal and Tripura, United Bank of India is responsible for monitoring successful implementation of Annual credit Plan, different Government Sponsored Schemes viz DAY-NRLM, DAY-NULM, Pradhan Mantri Mudra Yojona, Stand Up India, Social Security Schemes such as Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojona, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojona and Atal Pension Yojona. Besides, the Bank was instrumental in setting up of aadhaar seeding centers at different Bank Branches in both the States and also helped in spread of digital banking through various Financial Literacy Programmes.

FINANCIAL INCLUSION

With the evolution of digital payment and mobile technology there are means now to deliver advanced products to the population and regions excluded. Fintech is changing the face of financial inclusion at an unprecedented pace. This in conjunction with large network of 4252 Bank Mitras established across 13250 un-banked villages equipped with the latest and best of breed technology has enabled the Bank to deliver various basic banking services to the excluded population right at their door step.

The highlights of achievements for implementation of Financial Inclusion and Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY) during the F.Y. ended 2017-18 are enumerated hereunder:

1. The Bank Mitra mobilized SB deposits grew from Rs 944.87 Crore as on March 31, 2017 to Rs 1365.66 Crore as on March 31, 2018 thereby registering a growth of over Rs 420.79 Crore during the period (44.53% growth Y-o-Y). The number of SBFIS accounts grew from 93.19 Lakh to 103.37 Lakh in the same period thereby registering a growth of 10.92% Y-o-Y.
2. FI Recurring Deposit (RDFIS) scheme registered a growth of 193.66% in terms of numbers (31886 accounts as on 31.03.2018) and 597.86% in terms of amount (Rs 555.92 Lakh as on 31.03.2018).
3. The total sanctions under United JLG Micro Finance increased to Rs 142.42 Crore as on 31.03.2018 (a growth of 5.50% Y-o-Y) with negligible NPAs.
4. Bank focused on the newly launched "United Samriddhi" scheme under which small loans were offered to 2987 individuals and the portfolio increased from Rs 1.26 Crore as on 31.03.2017 to Rs 45.69 Crore as on 31.03.2018. Bank has also launched new variants of "United Samriddhi" scheme in new geographical areas with focus on specific MSME clusters.
5. Bank made steady progress under the flagship PMJDY scheme wherein the number of accounts increased to 1.21 Crore as on 31.03.2018 and the deposits grew from Rs 7414.03 Crore as on 31.03.2017 to Rs 10670.24 Crore as on 31.03.2018 thereby registering a growth of 43.92% Y-o-Y.
6. Net registrations under Pradhan MantriJeevanJyotiBimaYojna (PMJJBY) increased to 3.80 Lakh as on 31.03.2018 whereas registrations under Pradhan Mantri Suraksha BimaYojna (PMSBY) rose to 20.26 Lakh as on 31.03.2018. Out of the 1860 claims lodged by the Bank with LIC under PMJJBY, 1760 were settled as on 31.03.2018 and in case of PMSBY, 151 out of 282 claims were settled by NIC.
7. Under Atal Pension Yojna (APY), the net registrations stood at 97075 as on 31.03.2018.
8. Aadhaar has been seeded in 132.95 Lakh operative CASA accounts as on 31.03.2018 (up from 87.85 Lakh as on 31.03.2017). Further, the number of Aadhaar authenticated through UIDAI's CIDR stood at 110.02 Lakh as on 31.03.2018, which is one of the highest in the industry.
9. One of the major projects successfully undertaken by the Bank was implementation of Registered Devices for Aadhaar services at the Bank Mitra points and Branches. As on 31.03.2018, Bank was providing Aadhaar based services through over 6500 Registered Devices.
10. Bank also launched BHIM Aadhaar Pay merchant POS during the financial year and had installed 2027 terminals as on 31.03.2018.

Bank entered into the field of Aadhaar Enrolment and Update as Registrar to UIDAI and implemented Aadhaar Enrollment Centers at 282 branches of Bank and RRBs as on 31.03.2018. Bank has trained and completed certification of over 564 individuals for acting as Aadhaar Enrolment Operators and Supervisors.

11. Bank won the following awards during the period under review on account of performance of the Bank under Financial Inclusion:

- SKOCH AWARD (on March 10, 2018 at New Delhi): Financial Inclusion Gold Award to United Bank of India" for excellence in implementing the "Pradhan Mantri Jan DhanYojna" during the period 2017-2018.
- SKOCH AWARD (on September 9, 2017 at New Delhi): Mudra Performance Award for Employment Generation under Pradhan Mantri MUDRA Yojna (PMMY)
- Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises-CIMSME (For 2016-17):

a. Winner of "Best Bank Award for Promotional Schemes (Emerging Category)
b. 2nd Position under "Eco Technology Savvy Bank Award (Emerging Category)

- The Associated Chambers of Commerce & Industry of India-ASSOCHAM (For the year 2016-17):

a. 2nd Position in "Government Schemes" Category under Medium Bank Class
b. 2nd Position in "Best Social Bank" Category under Medium Bank Class

Financial inclusion initiatives rest on partnerships which bring together leadership, expertise, experience, and funding. Financial inclusion is our collective responsibility. So, Bank is collectively leveraging Fintech for ensuring comprehensive financial inclusion.

ORGANIZATION & SUPPORT SERVICES

Branch Network:

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 27.01.2017 (Vide Board Note No BED/06/2017-18) had approved the Annual Branch Expansion Plan (ABEP) 2017-18 for opening of 250 General Branches.

Further in its meeting held on 07.03.2017 (Vide Board Note No BED/08/2017-18), the Board had approved opening of 39 Brick & Mortar Branches in Unbanked Villages having population above 5000 without a Bank Branch of a Scheduled Commercial Bank.

Since, Prior Permission of RBI is required to open branches due to Prompt Corrective Action(PCA) on the Bank, application was submitted to RBI for prior permission to open 250 General Branches and 39 branches in Unbanked Villages. However, RBI has not accorded permission for opening new branches till date.

During the previous year 2016-17 RBI had accorded permission to open 51 branches and 46 branches were opened during the same year.Out of the remaining five (5) branches, three (3) branches have been opened during the year 2017-18 and the remaining two (2) branches at Tousem in Manipur & Mangshilla in Sikkim (which was subsequently replaced with PENLONG in East Sikkim with due RBI Permission)are yet tobe opened.

The proposed branch at Tousem could not be opened as the building and infrastructure which are to be provided by the Government of Manipur are yet to be ready.The Selection of premises for the branch at PENLONG has been made by R O North Bengal and the process for opening the branch is in progress.

During the year 2017-18, the Bank had opened a Retail Hub at Meerut on 24.05.2017 and a Link office at Ludhiana in Punjab on 22.06.2017 for which permission was accorded by RBI in 2016-17. Since the Link office at INDORE under Raipur Region was not opened within the validity period of RBI Permission, the licence has lapsed on 09.01.2018.

As on 31.03.2018 the total number of branches of the Bank stands at 2057.Besides the Bank has 36 Regional Offices, 5 Staff Training Centres, 5 Extension Counters, 3 Link offices and 2 Overseas Representative Offices at Dhaka in Bangladesh and Yangon in Myanmar.

BRANCHES & OFFICES Opened during the period 01.04.2017 to 31.03.2018

Sr.No	Name of Branch / Office	Region	State	Date of Opening	Type of Branch / Office
1	Mukundapur	Kolkata south	West Bengal	17.05.2017	General Branch
2	Tifra	Raipur	Chattisgarh	22.06.2017	General Branch
3	Hiland Park	Behala	West Bengal	23.06.2017	General Branch
4	Retail Loan Hub Meerut	Meerut	Uttar Pradesh	24.05.2017	Retail Hub
5	Link Office - Ludhiana	Chandigarh	Punjab	22.06.2017	Link Office

Population group-wise Composition of Total Branch Network

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2017	31.03.2018
Metropolitan	372 (18.12%)	375 (18.23%)
Urban	481 (23.43%)	481 (23.38%)
Semi-Urban	423 (20.61%)	424 (20.62%)
Rural	777 (37.84%)	777 (37.77%)
Total	**2053**	**2057**

Geographical location-wise Composition of Total Branch Network

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2017	31.03.2018
Eastern Region	1180 (57.47%)	1182 (57.46%)
North Eastern Region	364 (17.73%)	364 (17.70%)
Western Region	88 (4.29%)	88 (4.28%)
Northern Region	126 (6.14%)	126 (6.13%)
Southern Region	139 (6.77%)	139 (6.76%)
Central Region	156 (7.60%)	158 (7.67%)
Total	**2053**	**2057**

The Bank has 240 specialized branches, catering to the specific clientele segment.

Categories of Specialised Branches	31.03.2018
• MSME	180
• Asset Recovery Management	4
• Retail Hub	24
• Corporate Finance Branch	4
• Service Branch	19
• Women Branch	5
• Treasury Branch	1
• Central Pension Processing Centre	1
• Cash Management Service Hub	1
• Inward Cheques Processing Centre	1
T O T A L	**240**

Out of total 2057 branches as on 31.03.2018, 885 (43.02 %) are located in 85 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country.

Information Technology:

All the branches of the Bank are covered under Core Banking System and various other surround applications such as Human Resources Management System, Government Business Module, Asset Liability Management, Anti Money Laundering and Lending Automation Processing System etc have also been implemented to facilitate better customer service and effective management. The facility of interbank remittance through RTGS and NEFT is available at all the branches of the Bank. This facility is also available through our internet banking and mobile banking platform. The Bank also offers cross border remittance through SWIFT network at 1 'A' Category AD Branch and 41 'B' Category AD Branches. The Core Banking System has also been integrated with SFMS platform to offer inland Letter of Credit (LC) and inland Bank Guarantee operation using Straight Thorough Processing (STP). To prevent incidences of fraud, Biometric Authentication System has been implemented across all its branches for accessing Core Banking System.

The Bank has revamped its corporate network architecture to next generation MPLS technology and also upgraded network bandwidth, for high availability & better performance. Bank has deployed VSATs with dedicated bandwidth and High Speed Data Connectivity using 3G as back up connectivity at Branches to provide network connectivity in the event of cable cut. Bank is also in the process of implementing secondary MPLS connectivity in order to provide seamless customer services in the event of outage of primary link and vice versa.

The Bank conducts Information Security (IS) audit for its Core Banking application, surround applications and other infrastructure at the Data Centre. The IS audit also includes VAPT (Vulnerability Assessment & Penetration Testing) for public facing applications at certain intervals. Periodic DR (Disaster Recovery) drill is also conducted as part of Business Continuity Plan (BCP).

As part of our other technology initiatives, the following systems have been put in place.

Centralized Payment Hub solution has been implemented to process all transactions initiated through NACH and APBS platform with host to host connectivity of NPCI. Mandate Management Services are also enabled in this platform. In future, all corporate Collection and Payment services and IMPS gateway will be integrated to this centralized hub.

The Bank has boarded Public Fund Management Services (PFMS) platform and disbursing DBT payments for various sponsored schemes of Central and State Governments. Additionally, Departmental Ministerial Accounts for two ministries are also being handled in this platform.

As a part of Green initiative, Bank has implemented Board Information System (BIS) for conducting Board level meetings in paperless mode. All agenda and minutes of various Board level committees are uploaded in this portal.

The MIS solution has been revamped with a new solution and architecture for easy and quick availability of requisite information. Regulatory reports are also being automated through this system.

The Bank has an intranet portal which is used extensively for information sharing, knowledge management and online examinations.

Self Service Kiosks to offer services like Passbook printing, Cash deposit and Cheque deposit have been installed at selected branches. Bank has also introduced electronic Passbook (United e-Passbook) facility for the customers as a mobile application to view account transactions.

Bank has deployed some of the next generation tools to prevent various kinds of cyber attacks and engaged professional agencies to provide Anti-Phishing, Anti-Pharming, Anti-Trojan and Anti-Malware Managed Services.

Bank has implemented state of the art Security Operations Centre (SOC) which provides centralized view of Information Security status and command centre for IS Security operations.

Bank is continuously upgrading its technology and information security products with the aim to provide better, seamless and safe banking experience to its esteemed customers.

Centralised Payment HUB

The Bank has set up a Centralised Payment Hub (CPH) at Head Office to handle the enormous volume of e-transactions in a secured and reliable manner. The Centralised Payment HUB has started its operation w.e.f. 3.11.2014.

The department is catering the following services:-

a) NACH Debit
b) NACH Credit
c) APBS (Aadhar Payment Bridge System)
d) Mandate Management System of NPCI as Destination Bank
e) Mandate Management System of NPCI as Sponsor Bank
f) DBTL (Direct Benefit Transfer to LPG Customers)
g) ECS Debit as Destination Bank
h) Reconciliation of Aadhaar Enable Payment System (AEPS)
i) Digidhan Payment
j) CMS (Cash Management Services)

i) CMS Payment Services
   1. Corporate Bulk Payment
   2. GePG (Government e-Payment Gateway)

ii) CMS Collection Services
   1. Indo Nepal Remittance Service
   2. Centralized Mandate Based Direct Debit Service
   3. Corporate Cash &Cheque Collection Service

iii)ASBA (Application Supported By Blocked Amount)
   1. Core ASBA
   2. Syndicate ASBA
   3. e-ASBA (through e-banking / Net banking platform

HR Details:

The total staff strength comprises 51.42% officers, 28.64% clerks and 10.70% Sub-Staff. Women employees numbering 3390 constitute 22.24% of the Bank's total staff strength.

For 2017-18 Bank recruited 207 Probationary Officers, 18 Agricultural Field officers, 10 Law Officers, 5 HR officers, 3 Rajbhasa Adhikari and 314 Clerks. The recruitment process was initiated for filing up the vacancies to meet effectively succession planning process and man power management for smooth running of the organization.

Training /Human Resource Development (HRD):

To meet the emerging challenges in the banking sector, the importance of skill upgradation of all categories of employees was keenly felt and as a sequel to this, Bank initiated the following steps in arranging various training programs during the year 2017-18.

i) In-House Training: The training courses organized by the Staff Training College, Kolkata and other four Training centers in which 2549 employees were given in house training.

ii) External Training: During the period under review bank has roped in professional training institutes for imparting various training programmers & workshop in which 112 employees have been trained externally.

Customer Orientation:

The bank has taken several initiatives to remain customer friendly by providing prompt service, bringing in diversified technology supported products/ services, quickly responding to customer queries/ suggestions and redressal of customer complaints.The"code of commitment to customers" issued by BCSBI has been made available at the Bank's website and also sent to all the Branches and Regional Offices across the country. For improving the quality of the customer service, a toll free contact facility at customer services Department is provided to facilitate the customers to represent their grievance/suggestions.The toll free facility is available from 8am to 10 pm. For ATM related issues, a separate toll free contact facility at head office has been provided and is available 24*7.The bank has put in place online grievances redressal system through the banks website, where the customers can lodge and track the status of their complaints/suggestions.

In order to ensure quicker and non-discriminatory redressal of grievances, Bank has introduced a portal named Comprehensive Complaint Management System (CCMS) by leveraging technology. Under this system the complaint received by branches, Regional offices and departments at Head office, are acknowledged on real time basis and status of redressal / settlement is also uploaded on the portal till final redressal. Customer can also lodge complaint on the CCMS Portal directly which is automatically added to the outstanding database of CCMS by the system.

The Comprehensive Complaint Management System helps us to track the status of each complaint and to take a comprehensive look with regard to the total complaints received by the Bank during the period and status thereof. The necessary follow-up measures are immediately taken up for expeditious disposal of the complaints and grievances with concerned Branches/RO/Department at Head Office. The system enables the officials of the Customer Service Department to classify the nature of complaints with respect to the products and services to which the complaints are related. The analysis of data aims to help the Bank management to take appropriate action to improve service in the areas which are found deficient.

The complaints from various sources like those received through mails and by post etc. are also entered in the CCMS portal. The consolidation of complaints from all sources on the CCMS portal helps the management to identify the nature of complaints, areas from which maximum complaints are received and also to take account of the time taken for the redressal. Such analysis is aimed at improving the standard of customer service and identifying the areas where staff members are to be trained, modification of products and services are required and remedial actions are to be taken for strengthening of system.

As per recommendation of the Damodaran Committee setup by Reserve Bank of India, our Bank has appointed Internal Ombudsman with effect from 07/12/15 to enhance the customer confidence level.

To have direct feel of the quality of the customer service in the Kolkata based branches, incognito visits by the officials of Head Office are conducted which additionally cover several areas such as ambience, discipline, punctuality and matters related preventive vigilance to safeguard the interest of Bank and customers.

Besides to educate the young officers of the Bank about its products and service and to help them render quick and improved customer services online application titled "Quest" was started in June 2015.Quest is an application accessible to all members of award staff and officers of the Bank for clearing doubts related to banking operations, The queries are replied by the selected HO officials within a deadline of 24 hours. The process of questioning and answering has been going on since inception on regular basis and the response of the officials to quest is overwhelming and strongly positive.

In financial year 2017-18, customer complaints redressal percentage is 99.47%.721 numbers of complaints remained outstanding at the end of year, out of which 53 numbers of complaints were outstanding for more than one month.

The ADC related complaints are resolved within the stipulated period. Out of 933 Nos of complaints lodged in Government of India Portal (CPGRAM)for the financial year ending Mar 18, 919 Nos complaints got resolved and 14 Nos complaints remain pending for redressal as on 31/03/2018.

Internal Control:

Internal Audit of all the operational units of Bank is a continuous process to ensure effectiveness of internal control mechanism and to provide high quality counsel to management on the effectiveness of risk management and internal controls including regulatory compliance by the Bank. The bank undertakes Risk Based Internal Audit (RBIA). The scope of RBIA shall encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the Bank's system of internal control.

Organization structure of Audit & Inspection department comprises Audit Committee of the Board (ACB), Audit of Committee of Executives (ACE), Audit & Inspection Department (along with seven Regional Inspection Units (RIUs) reporting to Audit & Inspection Department, HO) and Regional Audit Committee of Executives. The team of internal Inspectors/External Auditors (CA Firms) at field level is continuously engaged in inspection of Branches /Offices of the Bank as per Board approved Audit & Inspection Policy, for evaluating the level of implementation and adherence to the prescribed procedures and norms, and for identification, measurement and mitigation of risk involved in different functional areas. In order to align with changing scenario of the Banking System and dynamic global economic environment, inspection process is updated and necessary changes are incorporated in Audit & Inspection policy of the Bank from time to time. To achieve these objectives, various types of Audits like Risk Based Internal

Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, information System Audit, Snap audit, Revenue Audit, Inspection of H.O. departments and Management Audit of Regional offices are conducted.

Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches have been carried out to focus on effective Risk Management and internal controls in respect of areas of potential risk and for protecting the Bank from various risks. System based online RBIA has already been started since 1st November, 2016. During the year 2017-18 Risk Based Internal Audit of 1707 branches have been done out of 2057 branches.

Concurrent audit is conceived as systematic examination of all financial transaction at a branch on a continuous basis to ensure accuracy, authenticity and due compliance with the internal systems, procedures and guidelines of the Bank. During the year 2017-18, Concurrent Audit of 503 branches have been completed covering total deposit of 50.00%, total advance of 77.00 % of the Bank and the overall Bank's business coverage of 60.00 % as on 31.03.2018.

Credit Audit has been undertaken as an effective monitoring tool by identifying the gaps in the credit delivery process at branches and suggesting ways to bridge the gaps and also monitoring the compliances. During the year 2017-18, Credit Audit has covered 74.19 % of the total credit portfolio as on 31st March,2018 of the Bank.

Technology has augmented the scope, reach and coverage of banking through significant networking and availability of a wide variety of new delivery channels. With the increased technology adoption by Banks, the complexities within the IT environment have given rise to considerable technology related risks. The information System Audit of Bank's IT infrastructure is being conducted to mitigate and effectively manage these technological risks.

Know Your Customer (KYC):

The Bank continues to take appropriate measures for strict adherence to KYC norms in case of all the customers and monitor transactions closely for implementation of AML (Anti Money Laundering) Standards.

Steps taken to ensure compliance of KYC/AML guidelines are as follows:

- The Bank has put in place an effective AML programme by establishing appropriate procedures and ensures its strict implementation.
- Cash Transaction Reports (CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs), Non-Profit Organization Transaction Reports(NTRs), Cross Border Wire Transfer Report (CWTRs) and Counterfeit Currency Note Reports (CCRs) are filed with FIUIND in prescribed formats within the time limits.
- The generation of daily alerts for offsite surveillance through our internal web-based application has been started and monitored by our AML Cell. At present, daily alerts are generated on 13 types of alert parameters.
- Numerous STRs on continuous basis and various reports as and when required by FIU-IND, Ministry of Finance was totally taken care by the AML Cell during the period of demonetization.
- Officially Valid Documents (OVDs) are being obtained from all the customers towards identity and address proof. These documents are being captured in CBS system.
- Risk categorization of all the customers and their profile updation is being done through the system.
- The bank has completed the process of allotment of Unique Customer Identification Code (UCIC) to all individual customers on the basis of PAN, Passport and Aadhar number.
- Overall KYC compliance of our bank is more than 99%.
- Upload of KYC data in CKYCR portal has been started.

Security Arrangements:

The Bank has taken necessary steps to strengthen the security arrangement in branches by installing security gadgets from time to time in confonmity to the guidelines issued by the Reserve Bank of India. With passes of time security arrangements at branches require further strengthening through additional coverage with modern electronic gadgets. Therefore, considering need of the time, additional security gadgets / services provided at our Bank's branches are as follows:-

(a) Installation of CCTV - Security of Branches is being strengthened by installing CCTV surveillance system in phased manner. Process of installation of CCTV system at branches is in progress. All the currency chest branches have already been equipped with CCTV system. Altogether, 1978 numbers of branches, including Currency Chest & Non CC Branches are already equipped with CCTV system for round the clock surveillance.

Remaining branches & offices would also be equipped with CCTV surveillance system in due course of time.

As an additional safety measure all the Currency Chest branches within the jurisdiction of Kolkata Police have been brought under the Integrated Security Solution (ISS) which has a control monitor at Lalbazar Police Control Room for live viewing of the activities inside the currency chests round the clock.

(b) Implementation of Clean Note Policy - In order to implement the Reserve Bank of India Clean note policy Non-CC branches are being equipped with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Note Sorter to help the branch to identify the Forged Indian Currency Notes (FICN) at the counter itself. This will also enable the branches to sort the currency notes into issuable, non-issuable currency notes for redistribution of issuable notes amongst the customers and members of publicat the counter itself & also through ATMs.

Our 1176 numbers of Non- CC branches are already equipped with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Sorter. Remaining branches would also be provided with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Sorter in phased manner in due course of time.

(i) All Currency Chest Branches are already equipped with Heavy Duty Note Sorting Machines

(ii) An in house software, SDMS (Security Data Management System), has been developed for real time reporting of the FICN Detection, Adjudication of soiled / mutilated notes, distribution of coins & fresh currency notes related activities of the branches in compliance with the Reserve Bank of India guidelines.

(c) Cash Management of Branches – In house software is developed for close monitoring of day to day cash holding of the branches with regular MIS related to the excess cash management. Each day the excess cash holding of branches is auto generated through the system and an e-mail is triggered to each Regional Head with details of the excess cash holding branches and the amount of excess cash held, to facilitate the regional office to closely monitor the Excess cash position of each branch.

(d) In order to lift excess cash from the branches and also to feed cash to needy branches, remittance teams of private security agency (PSA) consisting of 01 cash van with driver, 02 armed guards and 01 custodian of cash has been hired for currency chest branches. Approval for deployment of remittance teams of PSA at 27 CC branches was obtained. By now 25 CC branches are already provided with PSA remittance teams.

Purchase:

- Registration formalities completed upon purchase of 3BHK Flat at 1st Floor, Hindustan House, 28, Altamount Road, Mumbai – 400026 with garage measuring 153 sft. Built-Up area-3857 sft & Carper Area–2755 sft.

Ongoing:

- Structural Strengthening / Retrofitting and external repair and painting of Head Office Building through BSNL (PSU) as Project Management Consultants.
- Construction of G+1 Office cum Residential Building on Bank's Land at Mizoram University in Aizwal with Mizoram University Branch and RBI "B" Class Currency Chest through BSNL (PSU) as Project Management Consultants.
- Renovation and Refurbishment of the existing set up of RSETI, functioning in Ground Floor and 1st Floor (partial) of Bank's G+3 Building and New construction of single storied Building of 1600 Sqft (approx.)atRajpur, 24- Parganas (South), WB.
- Construction of G+6 Office Building on Bank's Land at Kolkata (Salt Lake) for accommodating Data Centre, Regional Office, Branch and e-lounge through BSNL (PSU) as Project Management Consultants.
- Construction of B+G+3 Office Building on Bank's Land at Agartalafor accommodating Tripura Regional Office, Agartala Branch with RBI "AAA" Class Currency Chestthrough BSNL (PSU) as Project Management Consultants.
- Post Construction Anti-Termite Treatment and Annual Contract of providing Termite Control and General Pest control services at UBI, HO including OCH Street Branch.
- Installation of Photo-Voltaic Grid connected 20KWp Solar Plant each at Burdwan Regional Office and Coke Oven Branch & 10 KWp Solar Plant at RSETI, Rajpur.
- Retrofitting of 2 nos. of 800A MCCB with 630A changeover switch for Data Centre.

Construction:

- Completed construction of Boundary Wall on Bank's land at CBD-79, International Financial Hub, New-Town-Rajarhat, Kolkata through BSNL (PSU) as Project Management Consultants.

Upgradation:

- Overhauling and repairing of Water Treatment and Softening Plants vis-à-vis Annual Maintenance Contract for their Day-to-Day operation and maintenance for 3 (three) years installed at United Bank of India, Head Office Premises.
- Formulated Rules and Guidelines for usage of Guest House/Transit Accommodation of the Bank.
- Structural Audit of H.O. Building, Central Records/ RSETI Building, Rajpur, Kolkata South Region Office Building & Manicktala Branch Building.

- Installation of Digital EPABX system to be used by topmost executives at our Bank at 5th Floor of Head Office building alongwith comprehensive AMC of the same for a period of 5 years after expiry of one year warranty period.
- Phase-Wise conversion of conventional light fittings with energy efficient LED light Fittings or retrofitted lamps.
- Change of Aluminium wiring with high current carrying capacity copper wiring at the renovated portion of 16th Floor.

Implementation of Official Language:

- With a view to implement the Official Language Policy of the Government, 39 Officers were trained in regular Hindi of Praveen & Pragya courses at Head Office. Hindi workshops and Unicode based computer training in Hindi were organized for the Officers & employees of the Bank in each quarter at the Staff Training College, Kolkata. The quarterly meetings of Official Language Implementation Committee of Head Office were held under the chairmanship of the Managing Director & CEO and Executive Director. In-house Hindi magazine of the Bank "United Darpan" were released. Inspection of all the Regional Offices and departments of Head Office were done in regard to implementation of Official Language.
- Bank organized All India Rajbhasha Seminar on the topic of the Pradhanmantri Mudra Yojna-an impressive tool of employment generation and socio-economic upliftment of the country in New Delhi on 21.02.2018
- Our Bank was entrusted with convenorship of TOLIC namely,Krishnagar & Puruliaby Department of Official Language,Ministry of Home,Govt. of India.
- Hindi Day was celebrated on 14 Sept, 2017 and subsequently different Hindi competitions and seminar were organized during Hindi Week.
- The inspection of Head Office was done by the Deptt. of Financial Services, Ministry of Finance,Govt.of India in Septtember,2017 regarding implementation of Official Language in the Bank. The said committee appreciated the Bank for better performance. Our Cachar Regional office received prize from the Town Official Language Implementation Committees for best performance in Hindi. Besides, different Branches like, Agra,Haldwani,Haridwar,Bareily,Kota & Bikaner had also received prizes from there spective TOLIC for implementation of Official Language policy successfully.

Regional Rural Banks (RRB):

- We have 4 sponsored Regional Rural Banks in 4 states-Bangiya Gramin Vikash Bank in West Bengal, Assam Gramin Vikash Bank in Assam, Tripura Gramin Bank in Tripura and Manipur Rural Bank in Manipur.The total network of branches stands at1168 as on 31.03.2018.
- As on 31.03.2018 their total Business was Rs. 41629.88 Cr with Total Deposit of Rs. 29174.32 cr & Advance of Rs. 12455.55 cr. Total loss incurred by them is Rs. 117.26 Cr, Only Tripura Gramin Bank posted net profit of Rs 44.27 cr. Average Gross NPAwas18.89 %.

Our RRBs are now working on CBS platform and enabled to NEFT, RTGS, AEPS/ATM through Rupay Card/Nach/PFMS/NECS/PoS. They are equipped with Locker, ALM, Fixed Asset Module, Biometric Authentication & e-kyc etc like technology driven Products.

United Demat:

The depository services to the Bank's customers are provided on the CDSL and NSDL platform under the umbrella of "United Demat", which aims at providing hassle-free,fast and accurate transactions under depository environment. Some of the benefits are:

- Easy and convenient way of holding securities
- Immediate transfer of securities without any stamp duty on transfer
- Safer than paper-shares (no chances of bad delivery, fake securities, delays, thefts etc. are eliminated)
- Reduced paperwork on transfer of securities
- Auto-credit into Demat account
- Expeditious credit of securities and fund resulting from corporate actions and distribution of corporate benefits;
- A single Demat account can hold investments in both equity and debt instruments.
- Online access through easiest
- Periodic statement of holding and transaction
- Convenience of changing client account details including nomination as and when required hassle-free transmission.
- Direct credit of shares allotted in IPO in Demat Account and credit of Dividend in linked bank account.
- A single Demat account can hold investments in both Equity and Debt instruments. Even Mutual Fund Units, Sovereign Gold Bonds, Insurance Policies etc can be held in Demat form in the same Demat Account.

Demat Services are made available touching all aspects of share trading like:

- Opening of Demat account
- Purchase and Sale of Securities
- Dematerialization & Rematerialization
- Destatementization & Restatementization / Redemption of Mutual Fund Unit
- Pledge / Unpledge / Confiscation

- Freeze & Unfreeze
- Transmission & Transposition

U-Connect – Bank's Share Trading Services

United Bank of India facilitates share trading for its customers through product "U-Connect Trio" - in association with Kotak Securities Limited (KSL). In this product, the client opens its Bank and Demat accounts with United Bank of India whereas the trading account is opened with Kotak Securities. The products are feature-rich with facilities of investment, trading, exposure, margin trading, funding, IPO applications through ASBA, systematic investment, placing aftermarket orders and future orders valid for 365 days, all being made available at an extremely competitive pricing. The investors have flexibility of putting their trades online, offline, using mobile app and through dealer. Apart from equities investors can also trade in bonds, ETFs and MF through our products. The investors will also have access to the research reports and trading tips from the award winning research team.

Alternate Delivery Channels:

Bank has always been committed to provide convenience based banking and has thus been introducing all popular and latest alternate banking channels. The position of Bank's alternative delivery channel product / services for the FY period 2017-18 is as below:

Channel	Total / User Base 2016 - 17	Total / User Base in FY 2017 - 18
ATMs	2176	2140
No. of E - Zones	14	26
Debit Cards	100.52 lac	125.14 Lac
Internet Banking	4.75 lac	5.21 Lac
Mobile Banking	3.17 lac	5.14 Lac
POS	956	3720
Credit Cards	NA	3775

Bank has been regularly upgrading its systems for development of new products and in improvisation of the processes for operational convenience. The following new initiatives have been undertaken during the FY 2017-18:

- Customer facing micro portal is developed for capturing failed/unauthorized digital transactions. Same is embedded in transaction alert message, in compliance of RBI guidelines.
- Recycler customized and made operational, 239 such machines installed of which 183 are operating on ACR mode and rest are being configured and will be operationalized soon which will lessen the loads on cash counters of the Branches.
- MPOS an Android based card swiping machine introduced
- UPI enhanced for making payment based on Aadhaar number
- Moments card application made easy through OTP based system
- GST collection module enabled in Internet banking
- Bank implemented Barat Bill Payment System (BBPS) of NPCI, for integrated bill payment system in the country offering interoperable bill payment services to customers through a network of agents having multiple payment modes and providing instant confirmation of receipt payment.
- Green PIN for Bank's Debit card through Bank's ATMs launched.
- Disabling and Enabling feature of International transaction on Debit Cards
- Project of replacement of old 750 ATMs completed.
- Corporate POS model launched for acquiring merchants with higher volumes.
- Bharat QR v4 both as Issuer and Acquirer launched.
- Internet Banking facility for Interbank transfer of fund in Cash Credit account introduced.
- The Bank has launched Special Debit card with illustrations of iconic Bengali sleuth "Feluda", creation of Sri Satyajit Ray.
- Credit card product with associated collection mechanism and self-service portal launched.

With the above roll out of new products / features, Bank is able to increase the e-mode based transactions to 76%. Bank also remained in the top position in terms of ATM acquiring transactions amongst peer group.

Compliance:

Based on the RBI Guidelines & as part of its ongoing sound practices,the Bank has set up a Compliance Department whose role is to co-ordinate the identification of compliance issues, assessment and mitigation of Compliance Risks, ensuring adherence of Risk Mitigation plan prescribed by Reserve Bank of India in its Risk Based Supervisory Process.

Board has adopted Compliance Policy for the Bank. In activity wise areas like deposit & services, advances, KYC-AML, BCSBI Codes, Data Information Security compliance issues are identified and remedial measures are taken thereof. Roles & Responsibilities as regards compliance functions is defined for every tier in the Bank. A reporting system has also been introduced to ensure compliance of regulatory & statutory compliance issues through:

- Self certification
- Random testing through designated Compliance Officers & Officials from H.O.
- Acknowledgement & Compliance of the direction issued by GoI /RBI / IBA from the functional departments of Head Office.
- Quarterly statement by Branches and Regional Offices with details of compliance rules covering the important areas

Under Corporate Governance, MD & CEO / Executive Directors periodically review compliance status and ensure timely submission of regulatory returns by the different departments of the Head Office to the RBI / GoI / IBA on regular basis and adherence to all other applicable provisions of law, rules & guidelines.

Awards/ Accolades:

SKOCH Order of Merit: Bank has received "SKOCH order of merit 2017" for top-30 cyber security projects in India for information security at 49th SKOCH Cyber Security award on 8-9th Sep 2017 at New Delhi.

SKOCH Mudra Performance award: Bank has received "SKOCH Mudra Performance award for employment generation under Pradhan Mantri Mudra Yojna(PMMY)" at 49th SKOCH summit on 8-9th Sep 2017 at New Delhi.

"Sarvotkrishta Rajbhasha Shree" Samman :Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad awarded United Bank of India with "SarvotkrishtaRajbhasha Shree" Samman for outstanding performance in implementation of Official Language Policy and Rules in the Bank on 22nd December, 2017 at Bhartiya Bhasha Parishad, Kolkata.

ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2017:

The 13th Annual "Social Banking Excellence Awards, 2017", organised by ASSOCHAM was held **at Hotel Lalit Mumbai on 17.02.2018** under chairmanship of Shri Shiv Pratap Shukla, **Minister of State for Finance, Government of India.**

United Bank of India has bagged the prestigious "Social Banking Excellence Awards 2017" under three following categories:-

1. Winner in " Participation in Govt. Scheme (Medium size Bank)"
2. Runner up in " Overall Best Social Bank (Medium size Bank)."

Runner up in "Priority Sector Lending Other Than Agriculture (Medium size Bank)"

Employee Share Purchase Scheme:

With a view to motivate the potential and dynamic employees and reward and recognize the experienced hands as well as augment Bank's equity capital, the Bank during the year 2017-18 formulated a new Scheme viz. United Bank of India– Employee Share Purchase Scheme, 2018 (Scheme) under the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI ESPS Regulations) including any amendment thereto or modification thereof, enabling the Bank to grant up to a maximum of 5,00,00,000 equity shares in one or more tranches, to the 'Eligible Employees' of the Bank, which was approved by the shareholders of the Bank at the Extraordinary General Meeting held on February 27, 2018.

The Bank will seek approvals of the Stock Exchanges for the Scheme at an appropriate time. Further, disclosure in terms of the SEBI ESPS Regulations shall be made upon implementation of the Scheme.

Dividend:

Considering that the Bank is placed under Prompt Corrective Action by the Reserve Bank of India and in line with the Dividend Distribution Policy of the Bank, the Board of Directors has not recommended any dividend for FY 2017-18.

Dividend Distribution Policy:

In terms of Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated a Dividend Distribution Policy governing criteria, quantum and method of distribution of dividend. The Dividend Distribution Policy is available at Bank's website at http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Dividend_Distribution_Policy.pdf.

Corporate Governance:

The report on Corporate Governance is covered in the separate section of this Annual Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Pawan Bajaj
Managing Director & Chief Executive Officer
DIN 03291906

Date: 28th May 2018
Kolkata

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE – 2017 – 18

1. Introduction

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its stakeholders including customers, shareholders, employees, general public, society, patrons, Governments and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

In United Bank of India, the fundamental philosophy of Corporate Governance is guided by the Bank's conscious efforts to honour its responsibilities towards value creation through effective management and control. The Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but also all-encompassing to honour its commitments to take the organization to the next level. Better governance principles and practices have enabled the Bank to introduce more effective internal controls suitable to the changing nature of business operations, improve performance and increase transparency in its dealings, activities and policies.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled maintaining a set of well defined ethical standards and at the same time enhancing its wealth generating capacity. The Board is collectively responsible for ensuring that Corporate Governance process is structured to direct Bank's actions, assets and resources to achieve this purpose while upholding Governance norms. The Bank on one hand is extremely mindful about Shareholders' values while on the other responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by -

- Upholding Shareholders' values within the established principles and legal framework of the Nation;
- Clear statement of Board Processes and Board's relationship with the executive Management;
- Framing transparent corporate strategies, effective policies, efficient procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and fostering overall professional approach;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Bank considers itself a Trustee to its Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The fundamental drivers of sustainable performance are safety, security, respect, excellence and teamwork.

3. Board of Directors

The Board of Directors of the Bank is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act") read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "Scheme").

3.1 Composition of Board of Directors as on March 31, 2018:

The Board is comprised of 2 executive and 5 non-executive directors. Executive Directors are appointed for a period not exceeding 5 years or up to the date of their superannuation. Non-Executive Directors other than Central Government and RBI nominees are appointed for 3 years. Nominees of Central Government and RBI hold office at the pleasure of the Government of India. All directors other than Shareholder Directors are appointed by the Central Government. Shareholder Directors are elected by majority of shareholders other than the Central Government. The composition of the Board may be altered by the Central Government as and when it deems fit.

Name	Category	DIN	Board Meetings		Attendance at last AGM	Other Directorship including this Bank	Committee Membership including this Bank	Committee Chairmanship including this Bank
			Held during the tenure	Attended				
Sri. Pawan Bajaj	Executive Director	03291906	9	9	Yes	1	0	0
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	07748272	9	9	Yes	1	2	0
Sri. Sameer Kr. Khare	Govt. Nominee Director	07103204	5	5	N.A.	1	1	0
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee Director	02849115	9	8	No	1	1	0
Sri. Dinesh Singh	Non official Director (CA Category)	08038875	2	2	N.A.	1	1	1
Sri. Sidhartha Pradhan	Non official Director	06938830	2	2	N.A.	2	1	0
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	00739992	9	8	Yes	1	1	1

- 'Other Directorship' includes directorship in all public limited companies, whether listed or not, and excludes all other companies viz. private limited companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013. 'Committee Membership' includes membership in Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee in Public Limited Companies.
- None of the Board Members is a member in more than 10 Committees or chairman of more than 5 Committees.
- None of the Directors is related to each other.
- During 2017-18, 9 Board Meetings were held on 21.04.2017, 18.05.2017, 07.07.2017, 12.08.2017, 06.09.2017, 13.11.2017, 06.12.2017, 12.02.2018 and 27.03.2018.
- Among the Directors Sri. S. Suryanarayana holds 200 shares in the Bank.
- Weblink for Directors' Familiarization – http://www.unitedbankofindia.com/uploads/BOD_new.pdf

3.2. Particulars of Change in Directorship during the year (Chronologically):

Change	Name of Director	Designation	Date of Assumption/ Vacation of Office	Board Meetings	
				Held during the tenure	Attended
Joined	Sri. Sameer K. Khare	Govt. Nominee Director	17.08.2017	5	5
	Sri. Denesh Singh	Non - Official Director	27.12.2017	2	2
	Sri. Sidhartha Pradhan	Non - Official Director	27.12.2017	2	2
Vacated	Sri. K. V. Rama Moorthy	Executive Director	30.08.2017	4	4
	Sri. Ashok Kumar Dogra	Govt. Nominee Director	17.08.2017	4	4

3.3. Board Meeting Process:

The Notice of the Board Meeting is given well in advance. Usually the Meetings of the Board are held at the Head Office in Kolkata. The agenda and related papers are circulated well in advance to facilitate effective discussion and decision making. Considerable time is devoted by the Directors to the deliberation and decision making at the Board Meetings.

Company Secretary acts as the Secretary to the Board and is responsible for convening the board and committee meetings, collation of reports, preparation and distribution of agenda. The Company Secretary remains present at all Board and Board Committee Meetings and supports in Compliance, Corporate Governance and ensures proper recording of Minutes.

Apart from the formal Board Meetings, interactions outside the Board Meetings also takes place between the Managing Director & CEO and other Non-Executive Directors.

3.4. Director Induction Process:

The directors are provided with the requisite brochures, documents, reports, internal policies, other reading materials to enable them to acclimatize with the Bank's working environment and operational procedures and practices. Periodic presentations are made to the Board to enable them to be updated on the Bank's performance in various operational areas. Directors are also nominated to the training programmes conducted by organizations like CAFRAL, NIBM etc.

At various Board Meetings during the year, presentations were made to the Board on Bank's operational and functional areas, policies, changes in regulatory environment applicable to the Bank and other related issues.

3.5. Board Evaluation Process:

All directors of the Bank apart from the Shareholder Directors are appointed by and hold office at the pleasure of the Central Government. The Shareholder Directors are elected by the minority shareholders. Accordingly, the Bank does not perform any independent Board evaluation exercise.

4. Committees of the Board under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "Listing Regulations")

The Board Committees under various statutory and regulatory guidelines are formed by the Board to carry out defined roles as mentioned thereunder and delegated by the Board as a part of good governance practice. Minutes of the proceedings of these Committee Meetings are circulated among the Board members and placed at the Board Meetings for noting.

4.1 Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board of Directors of the Bank is constituted in terms of the RBI guidelines to perform the roles and responsibilities as prescribed by the RBI. The Bank originally formed its Audit Committee on June 26, 1995 which has been reconstituted from time to time.

As prescribed by the RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once a quarter and not less than six times a year. The composition of the Committee and attendance of the Members of the Audit Committee in the meetings held during the year 2017-18 are as under–

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director (Chairman of the Committee)	Upto 08.01.2018	5	5
Sri. K. V. Rama Moorthy	Executive Director	Upto 30.08.2017	3	3
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	From 06.09.2017	4	4
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee Director	Whole Year	7	6
Sri Ashok Kumar Dogra	Govt. Nominee Director	Upto 17.08.2017	3	3
Sri Sameer Kr. Khare	Govt. Nominee Director	From 17.08.2017	4	4
Sri. Denesh Singh	Non-official Director (CA) (Chairman of the Committee)	From 08.01.2018	2	2

- During the year 2017-18, 7 Meetings of the Audit Committee were held on 18.05.2017, 13.06.2017, 12.08.2017, 13.11.2017, 06.12.2017, 12.02.2018 and 20.03.2018.
- Sri. Ashok Kumar Pradhan, Executive Director remained present at the Audit Committee meetings as Invitee, till appointment as a Member w.e.f. 06.09.2017.
- Chief Financial Officer, Chief Compliance Officer, Head of the Audit & Inspection Department and the Company Secretary remained present in the Audit Committee meetings.
- The Chairman of the Audit Committee was present at the last Annual General Meeting of the Bank to address to the shareholders' queries.

4.1.1. The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the financial reporting process, disclosure of financial results; and ensuring correct, adequate and credible dissemination of financial information;
- Reviewing with the Management, periodic Financial Statements and Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval;
- Reviewing efficacy of internal control system and internal audit and inspection functions;
- Reviewing the findings of audit and inspection by the concurrent auditors, revenue auditors, internal inspectors in matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggesting ways and means to strengthen control mechanisms;
- Interaction and analysis of Bank's financials with the Statutory Central Auditors before the finalization of the periodic accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, discussion on Audit Report and audit qualifications if any, LFAR etc;
- Monitoring Auditors' independence and performance;
- Detailed analysis on the findings in Risk Based Supervision (RBS) conducted by RBI, Special Audit, if any, conducted by the RBI or any other agency assigned by RBI;
- Review of various audit & inspection reports;
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, stakeholders, debenture holders and creditors, if any;
- Reviewing with the Management, the performance of statutory, concurrent and revenue auditors and adequacy of internal control system, discussing with the auditors on significant findings and follow up thereon;
- Giving special focus on the follow up on:
  a) Inter Branch Adjustment Accounts
  b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
  c) Arrears in balancing of books at various branches.
  d) Frauds and
  e) Major areas of housekeeping.

4.2. Nomination Committee:

4.2.1. The Nomination Committee of the Bank is formed solely for the purpose of determining 'fit and proper' status in terms of the RBI guidelines of the shareholders contesting election for directorship under section 9(3)(i) of the Act. Since there was no election conducted during the year 2017-18, no meeting of the Committee was required to be held during the period under review. As on March 31, 2018, the Committee consisted of Sri. Sameer Kr. Khare, Government Nominee Director as its Chairman and Sri. Denesh Singh and Sri. Sidhartha Pradhan, Non-Official Directors as Members.

4.3. Remuneration Committee:

4.3.1. The Remuneration Committee of the Bank has been formed in terms of Ministry of Finance Notification F. No. 20/1/2005 – BO-I dated March 9, 2007 to deliberate on the Performance Linked Incentives of whole-time directors of Public Sector Banks, subject to achievement of the broad quantitative parameters fixed under performance evaluation matrix based on the key performance indicators and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year. The functions of Remuneration Committee include evaluating performance of the whole time directors of the Bank in respect of broad quantitative and qualitative parameters for determining eligibility of the whole-time directors to performance linked incentive in respect of the previous year. During 2017-18, the Board has entrusted the Committee with the responsibilities of administration and superintendence of the United Bank of India Employee Share Purchase Scheme, 2018. During the year 2017-18, one meeting of the Committee was held on 12.02.2018.

4.3.2. Composition and attendance of the members of the Committee during the year 2017-18 are as under:

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. Ashok Kumar Dogra	Govt. Nominee Director (Chairman of the Committee)	Upto 17.08.2017	-	-
Sri Sameer Kr. Khare	Govt. Nominee Director (Chairman of the Committee)	From 17.08.2017	1	1
Sri Arnab Roy	RBI Nominee Director	Whole Year	1	0
Sri S. Suryanarayana	Shareholder Director	Whole Year	1	1
Sri Sidhartha Pradhan	Non-official Director	From 08.01.2018	1	1

4.3.3. No Performance Linked Incentive was paid to any wholetime director during the year 2017-18.

4.4. Remuneration of Directors:

4.4.1. The Bank has no pecuniary relationship or transaction with its Non-Executive Directors other than payment of Sitting Fees for attending Board and Committee meetings.

4.4.2. The Wholetime Directors are paid salary and perquisites in terms of the Government of India pay-scales and extant rules and regulations of the Central Government and the Bank.

4.4.3. The salary and perquisites paid to the Wholetime Directors during 2017-18 were –

Name of Director	Salary (Rs.)	Perquisites (Rs.)	Superannuation benefits (Rs.)	PLI* (Rs.)	Total (Rs.)
Sri. Pawan Bajaj	26,52,792	46,460	Nil	Nil	26,99,252
Sri. K. V. Rama Moorthy**	9,79,877	10,473	9,24,109	Nil	19,14,459
Sri. Ashok Kumar Pradhan	22,43,870	16,212	Nil	Nil	22,60,082

*Performance Linked Incentive
** Employed for part of the year – Sri. K. V. Rama Moorthy ceased to be a Director w.e.f. 30.08.2017.

4.5 Stakeholders' Relationship Committee:

4.5.1. The Stakeholders Relationship Committee was formed, as prescribed under Regulation 20 of the Listing Regulations, with a view to uphold the principles of corporate governance and to safeguard the interest of all the shareholders of the Bank, particularly the minority shareholders post the initial public offer. The functions of the Stakeholders Relationship Committee includes speedy disposal of transfer, sub-division, rematerialisation and consolidation of shares and revalidation of warrants, monitoring investor grievance mechanism and ensuring redressal thereof in a time-bound manner etc.

4.5.2. Composition and attendance of the members of the Committee during the year 2017-18 are as under:

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director (Chairman of the Committee)	Whole Year	4	4
Sri. K. V. Rama Moorthy	Executive Director	Upto 30.08.2017	2	2
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	Whole Year	4	4
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee Director	From 13.11.2017 Upto 08.01.2018	1	1
Sri Ashok Kumar Dogra	Govt. Nominee Director	Upto 17.08.2017	2	2
Sri. Sidhartha Pradhan	Non-official Director	From 08.01.2018	1	1

- Shri Bikramjit Shom, Company Secretary & Compliance Officer acts as the Secretary to the Stakeholders' Relationship Committee of the Board of Directors.
- The four meetings of the Committee during the year 2017-18 were held on 21.04.2017, 12.08.2017, 13.11.2017 and 12.02.2018.

4.5.3. During the FY 2017-18, the Bank and /or its Registrar and Share Transfer Agent received 27 grievances from the shareholders/investors and the same were resolved to the satisfaction of the shareholders. There was no investor grievance unresolved as on March 31, 2018.

4.6 Risk Management Committee:

4.6.1. The Risk Management Committee was formed pursuant to RBI directives with the objective of devising sound Risk Management Policies, a robust risk management system and gradually advancing to the integrated risk management environment.

4.6.2. The Committee met three times during the year 2017-18 on 07.07.2017, 06.12.2017 and 20.03.2018.

4.6.3. Composition and attendance of the members of the Committee during the year 2017-18 are as under:

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. Pawan Bajaj	Managing Director & CEO (Chairman of the Committee)	Whole Year	3	3
Sri. K. V. Rama Moorthy	Executive Director	Upto 30.08.2017	1	1
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	Whole Year	3	3
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	Whole Year	3	3
Sri Ashok Kumar Dogra	Govt. Nominee Director	Upto 17.08.2017	1	1
Sri. Sameer Kr. Khare	Govt. Nominee Director	From 17.08.2017	2	2

5. Code of Conduct

5.1.1. All Board members are governed by the Code of Conduct prescribed by the Reserve Bank of India and by the Bank under the Listing Regulations. All the officers in the rank of Scale VII, Scale VI officers having independent charge and the Company Secretary of the Bank are also governed by the Bank's Code of Conduct framed under the Listing Regulations. The Code of Conduct is available on the website of the Bank – www.unitedbankofindia.com.

5.1.2. All the Directors and aforementioned officials have affirmed their compliance to the Code of Conduct for the FY 2017-18.

5.2. Affirmation & Disclosures:

5.2.1. There were no material, financial or commercial transactions between the Bank and the members of the Board or the Key Managerial Personnel that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large.

5.2.2. All details relating to financial and commercial transaction where any Board member may have a pecuniary interest are placed to the Board and the concerned director does not participate in the deliberation or the decision making process.

6. General Body Meetings

6.1. Details of last three Annual General Meetings (AGMs):

Location	Date	Time	Special Resolution
Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027	29.06.2017	10.00 a.m. IST	Raising of capital up to Rs. 1000 crore in one or more tranches by way of QIP or by way of Public Issue, Rights Issue or such other form of capital issue under SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations). **Voting pattern:** Votes for: 1290165823 Votes against: 76959
Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027	28.06.2016	10.00 a.m. IST	Raising of capital up to Rs. 1000 crore in one or more tranches by way of QIP or by way of Public Issue, Rights Issue or such other form of capital issue under SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations). **Voting pattern:** Votes for: 1022701933 Votes against: 5877

Location	Date	Time	Special Resolution
Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore Kolkata - 700027	22.06.2015	10.00 a.m. IST	Raising of capital up to Rs.1000 crore by way of Public Issue, Rights Issue, QIP or such other form of capital issue under SEBI ICDR Regulations. **Voting pattern:** Votes for: 772521948 Votes against: 9419

6.2. In the General Meetings, voting were scrutinized by M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries. To oversee the processes of voting at the venue of the meetings, one representative of the shareholders was also present as scrutinizer.

6.3. No resolution was passed through postal ballot in the last financial year.

6.4. None of the businesses proposed to be transacted at the ensuing AGM requires passing of the Special Resolution through Postal Ballot.

7. Means of Communication

7.1. The Bank published its quarterly results in one English, one Bengali and one Hindi newspaper, uploaded the quarterly results on its website and Stock Exchange websites through their respective electronic filing portals.

7.2. During the year under review, the financial results of the Bank, were published in the following newspapers:-

Particulars	English	Bengali	Hindi	Date of Publication
Quarter/Financial Year ended March, 2017	Financial Express	Ei Samay	Jansatta	19.05.2017 20.05.2017
Quarter ended June 2017		Aajkal		14.08.2017
Quarter/H.Y. ended September 2017				14.11.2017
Quarter ended December 2017		Ei Samay		13.02.2018

- The audited financial results for the quarter/year ended March 31, 2018 will be published in accordance with the Listing Regulations.
- To support the "Green Initiative", the Bank will be sending the Annual Report for the financial year 2017-18 by email to those shareholders whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) or with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, unless they have opted for a physical copy. Physical copies will be sent to the other shareholders.

7.3. Results were uploaded on the following websites:

www.unitedbankofindia.com	www.nseindia.com	www.bseindia.com

7.4. Presentations on the financial results were also uploaded on the Bank's website for the analysts, institutional investors, fund managers among others from time to time.

8. General Shareholder Information

8.1. Forthcoming Annual General Meeting:

Friday, July 6, 2018	10.00 a.m. IST	Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027

Book closure: Monday, July 2, 2018 to Friday July 6, 2018 (both days inclusive)

8.2. The Financial Year: From April 1st to March 31st of the following year.

Tentative financial calendar for the FY 2018-19:

Qtr. 1	August 2018	Qtr. 2	November 2018	Qtr.3	February 2019	Qtr. 4	May 2019

8.3. Dividend: The Board of Directors has not recommended any dividend for the FY 2017-18.

8.4. Listing details:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001	Annual Listing Fee for 2017-18 has been paid by the Bank to both BSE and NSE.
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Exchange Plaza, Plot – C 1, Block –G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051	

8.5. Stock Code

BSE: 533171	NSE: UNITEDBNK	ISIN: INE695A01019

8.6. Market Price Data:

Monthly high and low market prices of Bank's equity shares on BSE and NSE during 2017-18 –

SL No.	BSE				NSE			
	High		Low		High		Low	
1.	18-Apr-17	23.70	3-Apr-17	21.85	28-Apr-17	23.40	19-Apr-17	21.90
2.	5-May-17	24.40	31-May-17	19.30	5-May-17	24.40	31-May-17	19.05
3.	15-Jun-17	20.80	27-Jun-17	18.55	1-Jun-17	21.35	27-Jun-17	18.50
4.	11-Jul-17 25-Jul-17	20.60	3-Jul-17	19.00	25-Jul-17	20.60	3-Jul-17	18.90
5.	16-Aug-17	19.95	29-Aug-17	17.80	16-Aug-17	19.90	23-Aug-17	17.80
6.	7-Sep-17	19.20	4-Sep-17	17.85	6-Sep-17 7-Sep-17	19.10	27-Sep-17	17.80
7.	26-Oct-17	22.80	18-Oct-17	17.15	26-Oct-17	22.90	18-Oct-17	17.15
8.	1-Nov-17	20.10	14-Nov-17	17.00	1-Nov-17	20.10	14-Nov-17 20-Nov-17	17.00
9.	29-Dec-17	19.50	18-Dec-17	16.90	29-Dec-17	19.50	18-Dec-17	16.80
10.	25-Jan-18	19.15	30-Jan-18 31-Jan-18	16.50	25-Jan-18	19.35	30-Jan-18 31-Jan-18	16.45
11.	1-Feb-18	16.90	28-Feb-18	13.20	1-Feb-18	16.90	28-Feb-18	13.35
12.	19-Mar-18	15.00	12-Mar-18	11.60	19-Mar-18	15.15	12-Mar-18	11.65

8.7. Stock performance compared to BSE Sensex and NSE Nifty:

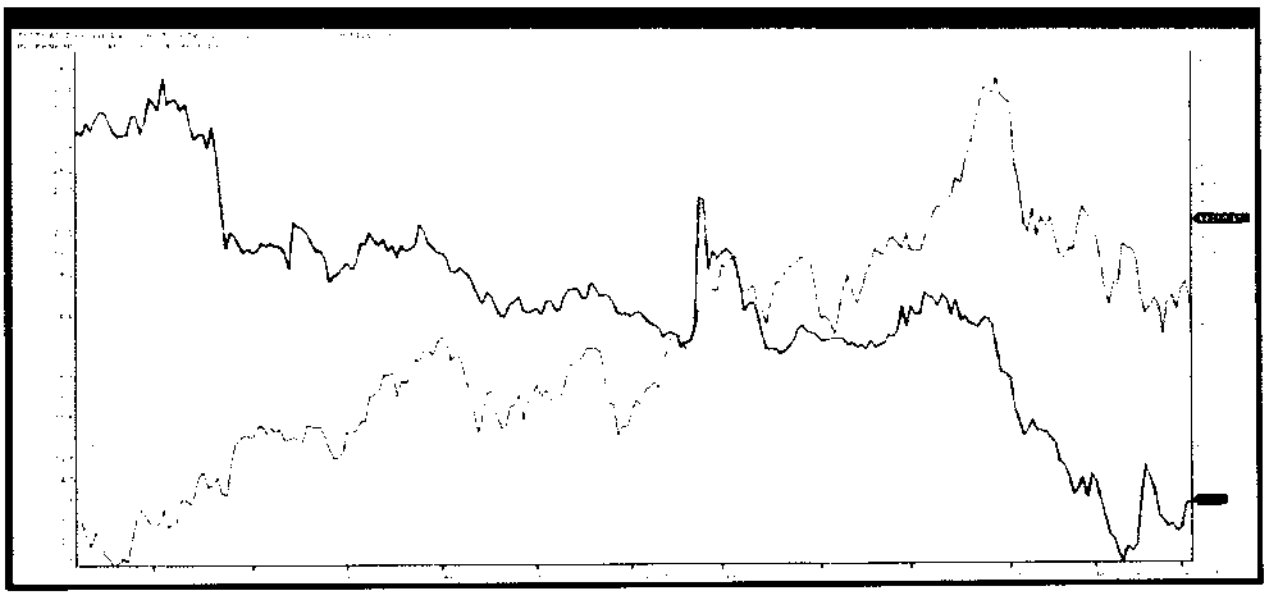

With SENSEX

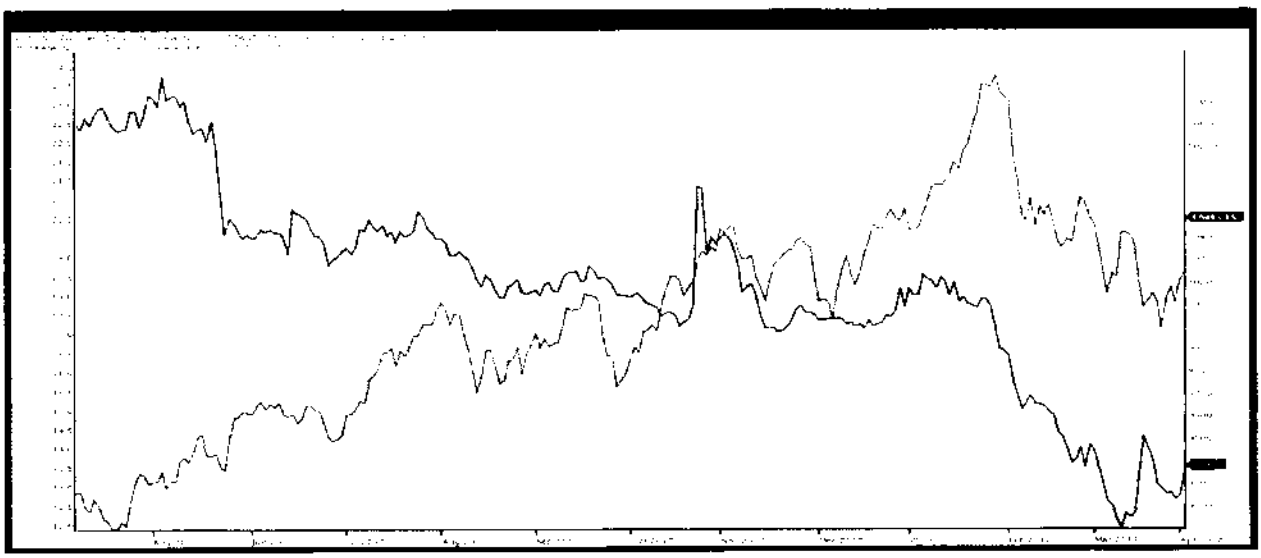

With NIFTY

8.8. Registrar & Share Transfer Agent:

M/s. Link Intime India (P) Ltd.	
Corporate Office: C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel: (022) 4918 6000 Fax: (022) 4918 6060 Email: mumbai@ linkintime.co.in	**Local Office:** 59C, Chowringhee Road, 3rd floor Kolkata – 700020 Tel: (033) 2289 0540, Fax: (033) 2289 0539 Email: kolkata@ linkintime.co.in

8.9. Share Transfer System:

All requests for share transfer, transmission, dematerialization and rematerialisation are processed by the Bank and its Registrar and Share Transfer Agent in terms of the delegated authority within the regulatory timeline of 15 days. All such transfers, transmissions, dematerializations and rematerialisations were approved/ ratified by the Board / Stakeholders' Relationship Committee.

8.10. Distribution of shareholding as on March 31, 2018:

Shareholding of Shares		No. of Shareholders	% of total shareholders	Shares	% of total share capital
From	To				
1	500	72774	77.2884	11430394	0.3810
501	1000	9565	10.1583	8136941	0.2712
1001	2000	5375	5.7084	8451167	0.2817
2001	3000	2012	2.1368	5199152	0.1734
3001	4000	930	0.9877	3379554	0.1126
4001	5000	951	1.0100	4558694	0.1520
5001	10000	1410	1.4975	10727636	0.3576
10001	And above	1142	1.2128	294,81,16,461	98.2705
	TOTAL	**94159**	**100.0000**	**299,99,99,999**	**100.0000**

8.10.1. Distribution of ownership:

	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoters' Holding**		
	Promoters (Govt. of India)*	2794008447	93.13
	Sub - Total	**2794008447**	**93.13**
B.	**Non - Promoters' Holding**		
	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	336000	0.01
	b) Venture Capital Funds	10766581	0.36
	c) Banks/Financial Institutions	8189105	0.27
	d) Insurance Companies	94858283	3.16
	Sub - Total	**114149969**	**3.80**
C.	**Others**		
	a) Bodies Corporate	12132108	0.41
	b) Clearing Members	2818912	0.09
	c) Indian Public	74024041	2.47
	d) NRIs	2819261	0.10
	e) Trusts	47261	0.00
	Sub-Total	**91841583**	**3.07**
	Grand Total (A)+(B)+(C)	**299,99,99,999**	**100.00**

**1438176468 number of equity shares were allotted in dematerialised form to the President of India acting on behalf of Government of India pursuant to Preferential Allotment as on March 31, 2018. The credit of the shares to the demat account of the President of India was pending as on March 31, 2018.*

8.10.2. Changes in Capital Structure during the year:

- On August 5, 2018, Bank allotted 16,74,67,948 equity shares to the President of India pursuant to infusion of Rs. 418 crore equity capital by the Central Government.
- On March 31, 2018, Bank allotted 143,81,76,468 equity shares to the President of India pursuant to infusion of Rs. 2634 crore equity capital by the Central Government.

  Allotment of 74,87,637 equity shares is pending for increase of the Authorised Capital of the Bank by notification in the Official Gazette. Rs.13,64,24,746 is lying to the credit of the Share Application Money pending Allotment Account. Bank's application under Section 3(2A) of the Act for increase of the Authorised Capital from Rs. 3000 crore to Rs. 5000 crore by notification in the Official Gazette was under process as on March 31, 2018.

8.11. Dematerialization of shares and liquidity:

As on March 31, 2018, the entire paid-up share capital is dematerialized. Trading in Bank's equity shares is permitted only in dematerialized form. Promoters' holding is held in dematerialized form. Physical holding is limited to 301 shareholders holding 23581 equity shares only.

8.12. Outstanding GDR/ADR/Warrants/convertible instruments, conversion date and likely impact:

Bank has not issued any GDR/ADR/Warrants/convertible instruments.

8.13. The Bank does not deal with commodity and hence disclosure related to commodity price risk and commodity hedging activities are not required. Part of the foreign exchange exposure in the ordinary course of business of the Bank is adequately hedged as per the policies of the Bank. Incremental provision has been made and capital provided for the unhedged foreign exchange exposure as on 31.03.2018.

8.14. Plant location:

The Bank is not a manufacturing concern, hence does not operate any plant.

8.15. Address for correspondence:

Company Secretary & Compliance Officer

United Bank of India

United Tower, 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

Email: investors@unitedbank.co.in

9. Other Disclosures:

9.1. Disclosure of materially significant related party transactions having potential conflict:

There was no materially significant related party transaction having potential conflict. The related party transactions in the Bank are governed by the extant RBI guidelines in this regard. In accordance with the Listing Regulations the Bank has also framed the policy on Related Party Transactions which intends to ensure proper reporting, approval and disclosure of such transactions.

9.2. Disclosure of Pending Cases/ instances of non-compliance:

There was no instance of non-compliance reported during FY 2017-18.

9.3. Details of Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy:

Bank has a robust Whistle Blower Policy in place and employees are encouraged to raise their concerns by whistle blowing. The employees of the Bank have reasonable access to the Chairman of the Audit Committee.

9.4. The Bank has complied with all mandatory requirements under Listing Regulations.

9.5. Web Links:

9.5.1. The Bank does not have any material subsidiary and hence has not framed any policy in this regard.

9.5.2. The weblink for Policy on Related Party Transaction is –

http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Related_Party_Transactions_Policy.pdf

9.6. There is no non-compliance of any requirement for Corporate Governance Report from sub para (2) to (10) of Part C of Schedule V of the Listing Regulations.

9.7. The Bank being a body corporate has complied with corporate governance requirements specified in Regulations 17 to 27 subject to Regulation 15(2)(b), and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations.

10. Shares held in Demat Suspense Account/ Unclaimed Suspense Account

No. of shareholders at the beginning of the year	No. of shares at the beginning of the year	No. of shareholders who approached for transfer of shares	No. of shareholders to whom shares were transferred	No. of shareholders at the end of the year	No. of shares at the end of the year
39	4762	0	0	39	4762

10.1. The voting rights in respect of shares in the Suspense Account have been frozen.

11. Non-mandatory Requirements:

11.1. The Board:

Appointment of Non-Executive Chairman by the Government is yet to take place. The meetings of the Board are chaired by the Managing Director & CEO at present.

11.2. Shareholders' Right:

The half yearly results had been published in the newspapers, uploaded on the Bank's website and on the websites of the stock exchanges.

11.3. Audit Qualifications:

There are no qualifications contained in the Audit Report.

11.4. Separate Post of Chairman and Managing Director & CEO:

The positions of the Chairman and Managing Director & CEO have been segregated. The appointment of Chairman is yet to take place.

11.5. Reporting of Internal Auditor:

The Bank has an Independent Audit & Inspection Department to carry out, oversee and supervise Internal Audit function. The Bank undertakes internal audit through its internal inspectors, concurrent and revenue auditors during the year. All major findings of the internal audit and inspection are reported to the Audit Committee of the Board.

For & on behalf of the Board of Directors

Sd -

Pawan Bajaj
Managing Director & CEO
DIN: 03291906

Dated May 28, 2018, Kolkata

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700 001

CODE OF CONDUCT DECLARATION

This is to confirm that the Bank has adopted the Code of Conduct for its Board Members and Senior Management Personnel in the ranks of Scale VII, Scale VI having independent charge and the Company Secretary and the same is available on the Bank's website.

The Board of Directors and the Officers in the aforementioned ranks have affirmed their compliance to the said Codes. It is hereby declared that the Bank has obtained from all the Board Members and the Senior Management Personnel affirmation that they have complied with the said Code for the financial year 2017-18.

Sd/-
Pawan Bajaj
Maaging Director & CEO
DIN: 03291906

Dated May 28, 2018, Kolkata

The Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001.

CEO-CFO Certificate

We hereby certify that –

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

   1. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   2. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There is, to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the Bank during the year which is fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We are responsible for establishing and maintaining internal controls and for evaluating the effectiveness of the same over the financial reporting of the Bank and have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operations of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We confirm, based on our most recent evaluation, wherever applicable that:

   1. there has not been any significant change in internal controls over financial reporting during the year;

   2. there has not been any significant change in accounting policies during the year;

E. We further confirm that we have brought to the notice of the Auditors and Audit Committee, instances of significant fraud brought to our notice. During the year there was no case of fraud involving the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-
Naresh Kumar Kapoor
Chief Financial Officer

Sd/-
Pawan Bajaj
Managing Director & CEO
DIN: 03291906

Dated: May 28, 2018, Kolkata

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UNITED BANK OF INDIA for the year ended 31 March, 2018, as stipulated in Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to the extent that it does not violate the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines/directives issued by Reserve Bank of India.

The Compliance of condition of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to review the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance of the condition of Corporate Governance as stipulated in said regulation and guidelines. It is neither an audit nor an expression of an opinion on the financial statements of the Bank.

We conducted our examination of the relevant records of the Bank in accordance with the guidance note on Reports or Certificates for special purposes (Revised 2016) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality (SQC) 1, Quality Control for Firms that perform Audits and Reviews of Historical Financial information, and other Assurance and related service engagements.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI Listing Regulations to the extent that it does not violate the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines/directives issued by Reserve Bank of India.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

Date : 28.05.2018
Place : Kolkata

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of United Bank of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of **UNITED BANK OF INDIA** as at 31st **March, 2018**, which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2018**, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and treasury operations audited by us and 869 branches/retail hubs which includes 1 Cash Management System and 1 Central Pension Processing Centre and Inward Clearing Processing Centre audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss Account are the returns from 36 Regional Offices, 1172 branches, 5 Staff Training Colleges, 1 Data Centre at Head office which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.96% of gross advances, 31.11% of deposits, 8.50% of interest income and 31.52% of interest expenses.

Management's Responsibility for The Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank and to the best of our information and according to the explanation given to us:

   (i) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet of the Bank containing all the necessary particulars is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

   Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

8. **We further report that:**

a) The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act,1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

Date : 28.05.2018
Place : Kolkata

Balance Sheet as on 31st March, 2018

and

Profit and Loss Account for the year ended

31st March, 2018

AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

CAPITAL & LIABILITIES

(₹ in thousand)

Capital & Liabilities	Schedule	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Capital	1	3000,00,00	1394,35,56
Share Application Money Pending Allotment	1A	13,64,25	418,00,00
Reserves & Surplus	2	5661,59,34	5931,45,57
Deposits	3	129326,37,80	126939,25,10
Borrowings	4	3306,05,75	2551,75,40
Other Liabilities and Provisions	5	3440,98,44	3818,29,61
TOTAL :		**144748,65,58**	**141053,11,24**

ASSETS

(₹ in thousand)

	Schedule	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Cash and balances with Reserve Bank of India	6	6212,13,98	6634,45,91
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14022,18,39	6381,58,81
Investments	8	50401,80,41	53035,49,06
Advances	9	62490,19,98	66139,29,51
Fixed Assets	10	1293,08,85	1181,66,34
Other Assets	11	10329,23,97	7680,61,61
TOTAL :		**144748,65,58**	**141053,11,24**
Contingent Liabilities	12	7845,02,68	8692,70,30
Bills for collection		3691,03,79	2137,88,17

This is the part of Balance Sheet as on 31.03.2018

Pawan Bajaj
Managing Director & Chief Executive Officer

Ashok Kumar Pradhan
Executive Director

Sameer Kumar Khare	**Arnab Roy**	**S. Suryanarayana**	**Denesh Singh**	**Sidhartha Pradhan**
Director	Director	Director	Director	Director

Naresh Kapoor
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

Date : 28.05.2018
Place : Kolkata

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)		As on 31.03.2017 (Audited)
AUTHORISED CAPITAL		**3000,00,00**		3000,00,00
Equity Share Capital	-		-	
Perpetual Non Cummulative Preference Shares(PNCPS)	-		-	
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL		-		-
2999999999 (Previous Year 1394355583) Equity Shares of ₹10/- each [(including 2794008447) (Previous Year 1188364031) held by GOI]		**3000,00,00**		1394,35,56
TOTAL :		**3000,00,00**		**1394,35,56**

SCHEDULE 1A - SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT

		As on 31.03.2018 (Audited)		As on 31.03.2017 (Audited)
SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT**	-	**13,64,25**	-	**418,00,00**
TOTAL :		**13,64,25**		**418,00,00**

**Share application money pending allotment represents application received from Govt. of India which comprise of 7487637 Equity shares of face value of 10/- each fully paid up proposed to be issued at a premium of Rs. 8.22 /share.

**Equity shares are expected to be allotted against the share application money after the increase of the authorised capital of the Bank by GOI.

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I. Statutory Reserves			
Opening Balance		**832,38,77**	777,51,12
Add: Transfer from Profit & Loss Account		-	54,87,65
	SUB-TOTAL :	**832,38,77**	**832,38,77**
II. Capital Reserves			
a) Revaluation Reserve			
Opening Balance		**901,03,36**	924,66,25
Addition during the period/year		**68,86,24**	-
Add/(Less) : Adjustment during the period/year		-	-
Less : Transfer to Profit & Loss Account		**(23,05,40)**	(23,62,89)
		946,84,20	**901,03,36**
b) Others			
Opening Balance		**1626,85,69**	1528,46,19
Add: Transfer from Profit & Loss Account		**99,91,36**	98,39,50
Add/(Less) : Adjustment during the period/year		**(68,77,94)**	-
		1657,99,11	1626,85,69
	SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**2604,83,31**	**2527,89,05**
III. Share Premium			
Opening Balance		**2737,35,42**	2078,82,02
Addition during the period/year		**1432,71,31**	658,53,40
SUB TOTAL		**4170,06,73**	**2737,35,42**
IV. Revenue and Other Reserves			
a) Special Reserve I.T.			
Opening Balance		**220,00,00**	220,00,00
Less: Draw down		-	-
Add:Transfer from Profit & Loss Account.		-	-
	SUB-TOTAL (a)	**220,00,00**	**220,00,00**
b) Revenue Reserve			
Opening Balance		**-386,17,67**	-529,78,68
Add: Transfer from revaluation reserve		**23,05,40**	23,62,89
Add/Less: Draw down for adjustment for Assets		**-248,21,22**	53,74,65
Add: Transfer from Profit & Loss Account		**-1554,35,98**	66,23,47
	SUB-TOTAL (b)	**-2165,69,47**	**-386,17,67**
	SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**-1945,69,47**	**-166,17,67**
V. Balance in Profit & Loss Account			–
	TOTAL (I + II + III+IV+V)	**5661,59,34**	**5931,45,57**

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
A	I.	**Demand Deposits**		
		i) From Banks	1330,27,30	1605,92,24
		ii) From Others	8573,15,71	9017,51,40
	II.	**Savings Bank Deposits**	**52744,30,40**	**49461,84,54**
	III.	**Term Deposits**		
		i) From Banks	474,57,62	681,57,84
		ii) From Others	66204,06,77	66172,39,08
		TOTAL :	**129326,37,80**	**126939,25,10**
B		i) Deposits of branches in India	129326,37,80	126939,25,10
		ii) Deposits of branches outside India	–	–
		TOTAL :	**129326,37,80**	**126939,25,10**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in thousand)

	As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I. Borrowings in India		
i) Reserve Bank of India	-	-
ii) Other Banks	1,59,54	91,07
iii) Other Institutions & Agencies #	3304,46,21	2550,84,33
II. Borrowings outside India	-	–
TOTAL :	**3306,05,75**	**2551,75,40**
Secured borrowings included in I&II above –		-
# Including Subordinated Debts for Tier II Capital	1940,00,00	1625,00,00
# Including IPDI for Tier 1 Capital	1240,00,00	650,00,00

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	Bills Payable	343,07,13	395,75,48
II.	Inter-Office Adjustments (net)	201,53,59	122,70,43
III.	Interest accrued	521,18,40	537,99,85
IV.	Contingent Provisions against Standard Assets	238,47,00	789,17,00
V.	Deferred Tax Liability (net)	–	–
VI.	Proposed Dividend (including Dividend Tax)	–	–
VII.	Others (including provisions)	2136,72,32	1972,66,85
	TOTAL :	**3440,98,44**	**3818,29,61**

SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	Cash in hand (including foreign currency notes)	608,03,30	489,88,14
II.	Balances with Reserve Bank of India		
	i) In Current Account	5604,10,68	6144,57,77
	ii) In Other Accounts	–	–
	TOTAL :	**6212,13,98**	**6634,45,91**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	**In India -**		
	i) Balances with Banks		
	a) In Current Accounts	40,13,10	36,60,64
	b) In Other Deposit Accounts	–	–
	ii) Money at Call and Short Notice		
	a) With Banks	13879,82,37	6300,21,02
	b) With other Institutions	–	–
	SUB-TOTAL :	**13919,95,47**	**6336,81,66**
II.	**Outside India -**		
	i) Balances with Banks		
	a) in Current Accounts	102,22,92	44,77,15
	b) in Other Deposit Accounts	–	–
	ii) Money at Call and Short Notice	–	–
	SUB-TOTAL :	**102,22,92**	**44,77,15**
	TOTAL :	**14022,18,39**	**6381,58,81**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	**Investments in India (Gross)**	**51200,67,40**	**53355,36,78**
	Less : Provision for NPI, depreciation & amortisation	(798,86,99)	(319,87,72)
	NET	**50401,80,41**	**53035,49,06**
	Break-up		
	i) Government Securities	36645,92,90	38359,64,60
	ii) Other Approved Securities	-	-
	iii) Shares	925,53,22	998,04,00
	iv) Debentures and Bonds	6067,55,47	3081,60,92
	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
	vi) Others (Mutual Fund, CP, CD, etc.)##	6762,78,82	10596,19,54
	SUB-TOTAL :	**50401,80,41**	**53035,49,06**
II.	**Investments outside India (Gross)**	-	-
	Less : Provision for depreciation	-	-
	NET	-	-
	Break-up		
	i) Government Securities (including local authorities)	-	-
	ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	-	-
	iii) Other investments	-	-
	SUB-TOTAL :	-	-
	TOTAL (I & II)	**50401,80,41**	**53035,49,06**

As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16,2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in Priority sector Lending by should be included under Schedule 11-"Other Assets" under the sub head 'others' of the Balance sheet.

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
A.	i)	Bills Purchased and Discounted	382,93,11	440,74,82
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	21478,60,00	21422,41,47
	iii)	Term Loans	40628,66,87	44276,13,22
		TOTAL :	**62490,19,98**	**66139,29,51**
B.	i)	Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	56855,99,98	59686,14,51
	ii)	Covered by Bank / Government Guarantees	1715,31,00	1143,47,00
	iii)	Unsecured	3918,89,00	5309,68,00
		TOTAL :	**62490,19,98**	**66139,29,51**
C.	I.	Advances in India		
	i)	Priority Sector	28542,11,48	27072,40,00
	ii)	Public Sector	3521,27,50	4151,68,00
	iii)	Banks	43,24,00	9,15,00
	iv)	Others	30383,57,00	34906,06,51
		SUB-TOTAL :	**62490,19,18**	**66139,29,51**
	II.	**Advances outside India**		
	i)	Due from Banks	-	-
	ii)	Due from Others	-	-
		a) Bills Purchased and Discounted	-	-
		b) Syndicated Loans	-	-
		c) Others	-	-
		SUB-TOTAL :	-	-
		TOTAL (I & II)	**62490,19,18**	**66139,29,51**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	**Premises (Including Leasehold)**		
	At cost/revalued as on 31st March of preceding year	1223,09,83	1222,54,90
	Revaluation during the period/year	84,72,14	-
	Additions during the period/year	63,28	54,93
		1308,45,25	**1223,09,83**
	Less:Deductions during the period/year	-	-
	Depreciation to date	(263,40,02)	(235,65,09)
	SUB-TOTAL :	**1045,05,23**	**987,44,74**
II.	**Capital Work-in-Progress**	**6,59,01**	3,90,19
III.	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)**		
	At cost as on 31st March of preceding year	944,88,75	884,00,54
	Additions during the period/year	146,42,65	68,97,52
		1091,31,40	952,98,06
	Less:Deductions during the period/year	(52,04,64)	(8,09,31)
	Depreciation to date	(806,28,20)	(760,51,33)
	SUB-TOTAL :	**232,98,56**	**184,37,42**
IV.	**Intangible Assets**		
	Software		
	At cost as on 31st March of preceding year	104,88,30	98,35,47
	Additions during the period/year	5,88,92	6,52,83
		110,77,22	104,88,30
	Less: Deductions during the period/year		
	Amortisation to date	(102,31,17)	(98,94,31)
	SUB-TOTAL :	**8,46,05**	5,93,99
	TOTAL (I+II+III+IV)	**1293,08,85**	**1181,66,34**

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	Inter-Office Adjustments (net)	-	-
II.	Interest accrued	1086,71,04	1008,90,03
III.	Tax Paid in advance/Tax deducted at source	791,48,96	947,95,90
IV.	Stationery and Stamps	5,71,61	6,39,28
V.	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI.	Deferred Tax Assets (Net)	3246,27,00	1754,02,00
VII.	Others##	5199,05,36	3963,34,40
	TOTAL	**10329,23,97**	**7680,61,61**

As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16,2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in Priority sector Lending by should be included under Schedule 11-"Other Assets" under the sub head 'others' of the Balance sheet.

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2018 (Audited)	As on 31.03.2017 (Audited)
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	12,66,75	9,55,16
II.	Liability for partly paid investments	4,92,36	9,13,40
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1769,65,73	2546,78,04
IV.	Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin) :		
a)	In India	3523,31,91	3243,99,75
b)	Outside India	525,02,83	1168,40,02
c)	BG invoked but not paid (in India)	14,63,83	14,63,83
V.	Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)	1205,93,64	1610,47,01
VI.	Other items for which the Bank is contingently liable	788,85,63	89,73,09
	TOTAL :	**7845,82,68**	**8692,70,30**

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in thousand)

		Schedule	Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	8341,62,93	9427,91,19
	Other Income	14	2214,56,69	2186,61,84
	TOTAL :		**10556,19,62**	**11614,53,03**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	6848,75,79	7500,18,32
	Operating Expenses	16	2683,37,82	2561,46,13
	Provisions and Contingencies		2478,50,63	1333,37,96
	TOTAL :		**12010,64,24**	**11395,02,41**
III.	**PROFIT**			
	Net Profit for the year/period		-1454,44,62	219,50,62
	TOTAL :		**-1454,44,62**	**219,50,62**
IV.	**APPROPRIATIONS :**			
	Transfer to Statutory Reserve		-	54,87,65
	Transfer to Capital Reserve		99,91,36	98,39,50
	Proposed Dividend :			
	Equity		-	-
	PNCPS		-	-
	Tax on Dividend		-	-
	Transfer to Revenue Reserve		-1554,35,98	66,23,47
	Balance carried forward to Balance Sheet		-	-
		TOTAL :	**-1454,44,62**	**219,50,62**
	Basic & Diluted Earning per Share (Rs.)		-9.65	1.86

This is the part of Profit & Loss Account as on 31.03.2018

Pawan Bajaj
Managing Director & Chief Executive Officer

Ashok Kumar Pradhan
Executive Director

Sameer Kumar Khare	**Arnab Roy**	**S. Suryanarayana**	**Denesh Singh**	**Sidhartha Pradhan**
Director	Director	Director	Director	Director

Naresh Kapoor
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

Date : 28.05.2018
Place : Kolkata

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
I.	Interest / Discount on Advances/Bills	5060,19,13	6036,26,46
II.	Income on Investments	2639,39,16	3060,07,91
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	304,09,39	114,26,04
IV.	Others	337,95,25	217,30,78
	TOTAL :	**8341,62,93**	**9427,91,19**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
I.	Commission, Exchange and Brokerage	179,37,84	162,74,25
II.	Profit on sale of Investments	1522,30,11	1739,31,78
	Less : Loss on sale of Investments	(78,17,06)	(237,73,50)
III.	Profit on revaluation of Investments	-	-
	Less : Loss on revaluation of Investments	-	-
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets	3,09,83	7,79
	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	(23)	(6,27)
V.	Profit on exchange transactions	135,58,27	143,36,49
	Less : Loss on exchange transactions	-	-
VI.	Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and/or joint ventures abroad/in India	-	-
VII.	Miscellaneous Income	452,37,93	378,91,30
	TOTAL :	**2214,56,69**	**2186,61,84**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
I.	Interest on Deposits	6593,91,58	7127,49,32
II.	Interest on Reserve Bank of India/inter-Bank borrowings	61,12,50	122,72,79
III.	Others	193,71,71	249,96,21
	TOTAL :	**6848,75,79**	**7500,18,32**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
I.	Payments to and Provisions for Employees	1712,59,20	1624,18,27
II.	Rent, Taxes and Lighting	160,52,63	155,76,08
III.	Printing and Stationery	22,81,60	26,96,99
IV.	Advertisement and Publicity	4,32,52	7,63,21
V.	Depreciation on Bank's property	120,14,16	103,51,41
	Less : Transfer from Revaluation Reserve	–	–
		120,14,16	**103,51,41**
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	87,50	90,49
VII.	Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	15,17,68	1450,35
VIII.	Law Charges	10,41,95	9,07,01
IX.	Postage, Telegrams, Telephones etc.	33,60,15	33,45,43
X.	Repairs and Maintenance	28,07,31	24,26,69
XI.	Insurance	159,03,82	134,09,48
XII.	Other Expenditure	415,79,30	427,10,72
	TOTAL :	**2683,37,82**	**2561,46,13**

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the "Going Concern" concept and are in conformity to the Generally Accepted Accounting Principles(GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), applicable mandatory Accounting Standards (AS)/Guidance Notes/ pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE

3.1 The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income from Performing Assets is recognized on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized on realisation. The amount realised/recovered during the year is appropriated first to income on Sub-standard Assets. Amounts realized /recovered in Doubtful and Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.

3.3 Unrealized income on advances, classified as NPA, is reversed.

3.4 Income from Commission (except on Government Transactions and Bancassurance), exchange, brokerage, claims, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.

3.5 Performance linked incentive to whole time directors is accounted for on cash basis.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

4.1. Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Outstanding forward exchange contracts are revalued at the forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

4.2. Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.3. Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rates announced by FEDAI.

4.4. Representative Office of the Bank has been classified as 'Integral Foreign Operation' in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

4.5. Foreign currency transactions relating to 'Integral Foreign Operation' are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

4.6. Foreign currency non-monetary items that are carried in terms of historical costs are reported using the exchange rates on the dates of transactions.

5. INVESTMENTS

5.1 For the purpose of disclosure in the Financial Statements, the investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 as under:

a) Government Securities
b) Other approved securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries/Joint Ventures
f) Others

5.2 The Investment portfolio of the Bank is categorized, in accordance with the RBI guidelines, into:

a) "Held to Maturity" comprising Investments acquired with an intention to hold till maturity;
b) "Held for Trading" comprising Investments acquired with an intention to trade;
c) "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above.

Classification of an investment is done at the time of acquisition.

5.3 In determining acquisition cost of an investment:
- a) Brokerage, Commission and Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities;
- b) Brokerage, Commission etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses;
- c) Interest accrued upto the date of acquisition/ sale of securities i.e., broken period interest is credited/ charged to Profit and Loss Account.

5.4. The Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment transactions. Investments are valued as per RBI/ Fixed Income Money Market & Derivatives Association (FIMMDA) guidelines, on the following basis:
- a) "Held to Maturity" (HTM)
  - i) Investments under "HTM" category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity.
  - ii) Investments in Rural Infrastructure Development Fund, Short Term Co-operative Rural Credit Refinance Fund, Medium Small Micro Enterprise Refinance Fund - Small Industries Development Bank of India Limited, Medium Small Micro Enterprise Risk Capital Fund - Small Industries Development Bank of India Limited, Rural Housing Development Fund-National Housing Bank Limited, Micro Finance Development and Equity Fund - National Agricultural and Rural Development Bank Limited (classified as shares) are valued at carrying cost.
  - iii) Investments in sponsored Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
  - iv) Investment in venture capital is valued at carrying cost.
- b) "Held for Trading" and "Available for Sale"

a) Govt. Securities	
1. Central Govt. Securities	At prices published by FIMMDA
2. State Govt. Securities	On Yield to Maturity (YTM) basis by adding appropriate mark-up on the Base Yield Curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
b) Discounted Instruments (Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits)	At carrying cost
c) Bonds and Debentures	On (YTM) basis by adding appropriate Credit Spread on the Base Yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
d) Equity	
i) Quoted	At market price
ii) Un-quoted	At break-up value, as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re 1/ per company.
e) Preference Shares	At market price, if quoted or YTM basis by adding appropriate mark-up on the base yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
f) Security Receipt/Venture Capital Fund	At Net Asset Value (NAV) as per FIMMDA/RBI guidelines.
g) Mutual Funds	At Market Price, if quoted and at re-purchase price/NAV if unquoted.

5.5 Shifting of securities from and to "HFT" category is done in accordance with RBI guidelines with the approval of Board of Directors.

5.6. The individual scrip in the "HFT" and "AFS" category are marked to market at monthly or at more frequent intervals, if required. Under each category, net depreciation, if any, is provided for while net appreciation, if any, is ignored.

5.7. Income from Zero Coupon Bonds, being the difference between cost and face value, is recognized on a time proportion basis.

5.8. Profit or Loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss Account. In case of profit on sale of Investments in "HTM" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the year. For calculating the surplus / deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.

5.9. For the purpose of calculating holding period in case of "HFT" category, First in First out (FIFO) method is applied.

5.10. Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of RBI for "Non Performing Investment" (NPI) Classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities in accordance with RBI guidelines.

5.11. The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes and valuation has been done in accordance with RBI guidelines.

5.12. The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY (ARC)/ SECURITIZATION COMPANY (SC)

6.1 In the case of financial assets sold to ARC / SC, if the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV), the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC/SC. If the sale is at a price below the NBV the shortfall after adjusting the available surplus if any, is debited to the Profit and Loss Account.

6.2 The sale of financial assets to ARC/SC is recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC/SC for such sale or the net value of such financial assets.

6.3 The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable.

6.4 In case of written off Assets sold to ARC / SC, the cash proceeds are recognized as income.

7. ADVANCES

7.1. Advances are classified as Performing / Non-Performing Assets and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.

7.2. Non-performing assets are stated net of provisions and claims received from credit guarantee institutions.

7.3 Provision held for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions".

7.4. Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI guidelines.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

8.1. Premises (including leasehold), other fixed assets and Capital work in progress are stated at historical cost or amount substituted for historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount and the appreciation is credited to "Revaluation Reserve".

8.2 Leasehold assets are amortized over the period of lease.

8.3. Depreciation on assets other than Computers and Automated Teller Machines (ATMs) is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013 after retaining 5% residual value. However for the assets already in use as on 01.04.2014, Bank use straight-line method for charging depreciation after retaining 5% residual value.

Equivalent amount of depreciation on the revalued portion of the asset is transferred to General Reserves from Revaluation Reserve each year.

8.4. Depreciation on computers, ATMs and amortization of software are accounted for on straight-line method @33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.

8.5. Impairment Losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS -28 on "Impairment of Assets".

9. ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS

In accordance with AS-12 Government Grants/subsidies received is presented in the Balance Sheet by showing the Grant/Subsidy as a deduction from the Gross Value of the assets concerned in arriving at the book value. The grant/subsidy is recognized in the Profit & Loss Account over the useful life of the depreciable assets by way of reduced depreciation charged.

Government Grant/subsidies received, of revenue nature, is recognized in the Profit & Loss Account by reducing the related cost if received during the same financial year otherwise, the same is shown under "Other Income" if received after the close of the relevant financial year.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 Employee Benefits are recognized in accordance with AS-15 on "Employee Benefits".

10.2 Short term employee benefits namely Leave Fare Concession and Medical Aid are measured at cost.

10.3 Long term employee benefits and post-retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.

10.4 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.

10.5 Long Term employee benefits recognized in the Balance Sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain / loss to the extent recognized in Profit and Loss Account.

10.6 The transitional liability in respect of long term employee benefits, including pension benefits, is recognized as an expense on straight line basis over a period of five years.

10.7 In terms of RBI circular, expenditure on "Re-opening of Pension option to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits-Prudential Regulatory Treatment" is being amortized over a period of five years.

11. TAXATION

Provision for tax is made for both current and deferred taxes in accordance with AS-22 on "Accounting for Taxes on Income".

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with AS-29 on "Provisions. Contingent Liabilities and Contingent Assets," the Bank recognizes:

a) Provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

b) Contingent Liability is recognized/disclosed when a possible obligation from a past event, the existence of which is confirmed by the occurrence/non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of bank. Contingent Liability is also recognized/disclosed when there is a present obligation from past events but is not recognized because of a remote possibility of outflow of resources embodying the economic benefits to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made

c) Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.

13. NET PROFIT

The Net Profit is arrived at after accounting for the following:

a) Provision for Taxation

b) Provision on Standard Assets

c) Provision for NPAs and Depreciation on investments as per prudential norms of RBI

d) Other usual and necessary provisions.

This is the part of Schedule - 17 as on 31.03.2018

Pawan Bajaj
Managing Director & Chief Executive Officer

Ashok Kumar Pradhan
Executive Director

Sameer Kumar Khare	**Arnab Roy**	**S. Suryanarayana**	**Denesh Singh**	**Sidhartha Pradhan**
Director	Director	Director	Director	Director

Naresh Kapoor
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

Date : 28.05.2018
Place : Kolkata

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

1. Confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, SBI and other Banks, NOSTRO Accounts, Drafts Payable, Clearing Difference, Inter office adjustments, etc. are in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

2.1 **Capital**
a)

₹ in crore

Sl.	Particulars	Basel-III Year ended	
		31.03.2018	**31.03.2017**
1.	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.39	8.46
2.	Tier 1 Capital ratio (%)	9.87	8.94
3.	Tier 2 Capital ratio (%)	2.75	2.20
4.	Total Capital ratio (CRAR) (%)	12.62	11.14
5.	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank's equity capital	93.13%	85.23%
6.	Amount of equity capital raised	2620.36	735.49
7.	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	590	200.00
7.1	PNCPS:	NIL	NIL
7.2	PDI	590	200.00
8.	Amount of Tier 2 capital raised; of which:	990	NIL
8.1	Debt capital instrument;	990	NIL
8.2	Preference Share Capital Instruments:	NIL	NIL

As a Capital Planning measure, during FY 2017-18, the Bank has raised the following Capital:

a) Bank had received amount of Rs.2634 crore from Government of India on 29.03.2018 towards capital infusion under the PSBs recapitalization plan. As on 31.03.2018, Bank has allotted Rs.2620.36 crore by way of preferential allotment to Government of India. The balance of Rs.13.64 crore is lying in the "Share Application Money pending allotment" as on 31.03.2018. Bank has considered the same amount as part of Common Equity Tier1 (CET-1) capital fund as on 31.03.2018.

b) Bank raised Additional Tier 1(AT1) capital of Rs.590 crore in two tranches i.e Rs.490 crore on 10.11.2017 and Rs.100 crore on 27.12.2017 through issuance of Basel-III complied AT1 Bonds.

c) Bank also raised Tier 2 capital of Rs.990 crore in three tranches i.e Rs.500 crore on 23.08.2017, Rs.150 crore on 27.09.2017 and Rs.340 crore on 10.11.2017 through issuance of Basel-III complied Tier-2 Bonds.

2.2 Investments

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
1 Value of Investments		
i) Gross Value of Investments	51200.67	53355.37
a) In India	51200.67	53355.37
b) Outside India	0.00	0.00
ii) Provision for MTM Loss & NPI	798.87	319.88
a) In India	798.87	319.88
b) Outside India	0.00	0.00

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
iii) Net Value of Investments	50401.80	53035.49
a) In India	50401.80	53035.49
b) Outside India	0.00	0.00
2 Movement of provision held towards MTM Loss & NPI in investments		
i) Opening balance	319.88	210.64
ii) Add: Provisions made during the Year	480.46	112.34
iii) Less: Write-off/Write-back of excess provision during the year	1.47	3.10
iv) Closing balance	798.87	319.88

RBI vide its circular DBR No. BP. BC. 102/21.04.018/2017-18 dated April 02, 2018 granted Banks the option to spread provisioning for Mark to Market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The provisioning for each of these quarters may be spread equally over up to four quarters commencing with the quarter in which the loss is incurred. Accordingly, the Bank has spread 50% MTM losses for December 2017 quarter and 75% MTM losses for March 2018 quarter amounting to Rs.115.43 crores and Rs.105.95 crores respectively.

2.2.1 Repo transactions (in face value terms) :

₹ in crore

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2018
Securities sold under Repo				
i) Government securities	300.00	300.00	2.47	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government securities	20.33	1021.73	72.91	71.41
	(31.00)	(1219.99)	(108.58)	(0.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

2.2.2 Non-SLR Investments Portfolio

(i) Issuer composition of Non-SLR Investments:

₹ in crore

S.No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	3104.82	0.00	0.00	0.00	2.82
		(1693.51)	(1693.51)	(0.00)	(150.00)	(167.64)
2	FIs	1382.98	0.00	0.00	0.00	9.60
		(3405.85)	(3405.85)	(0.00)	(0.00)	(9.60)
3	Banks	5762.89	0.00	0.00	51.12	368.52
		(7620.53)	(7620.53)	(0.00)	(64.68)	(433.20)
4	Private Corporate	3312.92	905.33	0.00	251.11	494.90
		(1884.57)	(1884.57)	(0.00)	(117.34)	(365.80)

₹ in crore

S.No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Subsidiaries/Joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	Others (MF/CP/CD)	3742.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		(584.71)	(584.71)	(0.00)	(0.00)	(304.86)
7	Provision held towards	657.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depreciation / NPI	(319.88)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Total (1 to 6) - (7)	**16649.11**	**905.33**	**0.00**	**302.23**	**875.84**
		(14869.29)	**(15189.17)**	**(0.00)**	**(332.02)**	**(1281.10)**

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

(ii) Non-performing Non-SLR Investments:

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
Opening balance	166.08	166.69
Addition during the Year	665.87	12.41
Reductions during the Year	1.47	13.02
Closing balance	830.48	166.08
Total provisions held	**505.44**	**134.51**

2.2.3 Sale and Transfers to/from Held to Maturity (HTM) Category

1. Central Government Securities having face value of Rs.1055.00 crores (Book value Rs.1050.36 crores) & State Development Loan having face value of Rs.75.00 crores (Book Value Rs.74.57 crores) was sold from HTM category during the FY 2017-18. Surplus earned on sale of securities from HTM category for Central Government Securities & State Development Loan was Rs.92.27 crores and Rs.7.65 crores respectively.
2. Central Government Securities having face value of Rs.9071.63 crores (Book value Rs.9269.26 crores) was transferred from HTM to AFS Category and Central Government Securities having Face Value of Rs.2554.31 crores (Book Value Rs.2785.64 crores) was transferred from AFS to HTM Category during the first quarter of FY 2017-18.
3. State Development Loan Securities having Face Value of Rs.2645.27 Crores (Book Value Rs.2684.62 crores) was transferred from AFS to HTM Category during the first quarter of FY 2017-18.
4. Venture Capital Securities having Face Value of Rs.0.08 Crores (Book Value Rs.9.64 crores) were transferred from HTM to AFS Category.

2.2.4 Transactions involving Foreign Exchange

Monetary Assets and liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, except currency of Bangladesh (BDT 23,01,281.26 equivalent INR 15.78 lacs) which is valued at notional value due to non availability of spot rates, are revalued at the balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

2.3 Derivatives

2.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
(i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
(ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
(iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
(iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
(v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as at 31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

2.3.3 **Disclosures on risk exposure in derivatives**

A) Qualitative Disclosures

a) The Bank has undertaken derivative transactions in currency futures for trading (arbitrage) & hedging purposes.

b) Risk management of derivative transactions has been segregated into three functional areas namely,

i) Front-Office for undertaking transaction;

ii) Mid-Office for risk management and reporting; and

iii) Back-Office for settlement, reconciliation and accounting.

c) The risk measurement, reporting and monitoring function is undertaken by the mid-office. The Board of Directors is the apex body to oversee the overall risk measurement, monitoring and reporting functions of the Bank including derivative transactions through Risk Management Committee of the Board (RMCBOD). The bank also internally monitors risk management through in-house Risk Management Committee, Asset Liability Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Internal Committee on Investment (ICI).

d) Identification of underlying hedge items for hedging / mitigating credit risk, operational risk and market risk arising out of derivative transactions is done in accordance with the Board approved Integrated Treasury Policy. The customer related derivative transactions are covered with counter party banks, on back to back basis for identical amounts and tenure and the bank does not carry market risk for such transactions.

e) The Integrated Treasury Policy prescribes accounting for hedge and non-hedge transactions, income recognition and valuation procedure for outstanding contracts. The income recognition is done as per AS-11 on "The Effects of changes in Foreign exchange Rates" and the guidelines issued by RBI / FEDAI from time to time. The integrated Treasury Policy also prescribes various limits such as Client Level Limits, Trading Member Level Limits, Net Open Position Limits for credit risk mitigation.

B. Quantitative Disclosures

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018		Year ended 31.03.2017	
		Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	Marked to Market Positions (1)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

2.4 Asset Quality

2.4.1 Non-Performing Assets

₹ in crores

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
(i)	**Net NPAs to Net Advances (%)**	16.49	10.02
(ii)	**Movement of NPAs (Gross)**		
a)	Opening Balance	10951.99	9471.01
b)	Addition during the Year	8606.26	3533.08
c)	Reduction during the Year	3006.14	2052.10
d)	Closing Balance	**16552.11**	**10951.99**
(iii)	**Movement of Net NPAs**		
a)	Opening Balance	6591.85	6110.17
b)	Addition during the Year	4422.85	1281.67
c)	Reduction during the Year	698.40	800.53
d)	Closing Balance	**10316.30**	**6591.85**
(iv)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)		
a)	Opening Balance	4321.40	3299.91
b)	Addition during the Year	3945.97	2011.42
c)	Reduction during the Year	2065.80	989.93
d)	Closing Balance	**6201.57**	**4321.40**

2.4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs in compliance to Risk assessment Report (RAR) of RBI for the year 2016-17 are reported as under:
(ref DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. in Thousands)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	**109519900**
2.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	117546900
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	8027000
4.	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	**65918500**
5.	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	71573500
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	5655000
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	**43214000**
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	45586000
9.	Divergence in provisioning (8-7)	2372000
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	**2195062**
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning etc.	(3041938)

2.4.3 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2018)

(₹ in crore)

Sl N	Type of Restructuring -> / Asset Classification -> / Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Standard	Sub-Standard	Doubt-ful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April of the FY (Opening figures)*	No. of borrowers	19	2	23	1	45	295	21	1379	-1	1694	1394	52	4273	5	5724	1708	75	5675	5	7463
		Amount outstanding	1898.45	198.36	2623.02	70.33	4790.16	82.19	2.32	146.34	0.00	230.86	3532.30	116.30	1082.43	0.10	4731.13	5512.93	316.99	3851.79	70.43	9752.14
		Provision thereon	10.86	0.00	0.43	0.00	11.29	1.58	0.07	2.84	0.00	4.50	20.48	0.10	5.36	0.01	25.94	32.92	0.17	8.63	0.01	41.73
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	9	93	84	0	186	35	394	162	0	591	44	487	246	0	777
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.65	2.05	1.09	0	5.79	1.14	207.02	1.61	0	209.77	3.79	209.07	2.70	0	215.56
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	19	- 5	-14	0	0	23	-9	-14	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0	0	0.53	1.69	0.00	0	2.22	7.78	1.26	6.19	0	15.23	8.31	2.95	6.19	0	17.45
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	0				0	0				0	0				0	0				0
		Amount outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		Provision thereon	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2016)

(₹ in crore)

Sl No	Type of Restructuring -> / Asset Classification -> / Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-7	3	4	0	0	-31	27	4	0	0	-36	26	10	0	0	-74	56	18	0	0
		Amount outstanding	-1171.35	532.89	515.00	0	-123.46	-27.46	24.09	3.38	0	0.01	-1817.07	1002.40	665.52	0	-149.15	-3015.88	1559.38	1183.90	0	-272.6
		Provision thereon	-3.13	0.00	0.00	0	-3.13	-0.17	0.00	0.00	0	-0.17	-4.95	0.00	1.27	0	-3.68	-8.25	0.00	1.27	0	-6.98
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	5	5	0	0	0	2	2	0	0	0	814	814	0	0	0	821	821
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	2447.48	2447.48	0.00	0.00	0.00	2627.75	2627.75
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	12	5	27	-4	40	277	137	1467	-3	1878	1412	467	4431	-809	5501	1701	609	5925	-816	7419
		Amount outstanding	727.10	731.25	3138.02	-105.61	4490.76	57.91	30.15	150.81	-4.33	234.55	1724.18	1326.98	1755.75	-2447.38	2359.50	2509.15	2088.39	5044.58	-2557.32	7084.80
		Provision thereon	7.73	0.00	0.43	0.00	8.16	1.41	0.07	2.84	0.00	4.33	15.53	0.10	6.63	0.01	22.26	24.67	0.17	9.90	0.01	34.75

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

1. The above disclosures, including sacrifice, are as compiled and certified by the Bank's Management.
2. The quantum of economic sacrifice during the year on the restructured assets has been calculated by the NPV Method as on 31.03.2018 for Standard and NPA assets of Rs. 1 crore and above. For the remaining assets, economic sacrifice has been provided @ 5% of outstanding balance.
3. The increase in balance of restructured accounts as on 31.03.2018 has been included under up gradation and the decrease in balance of restructured accounts as on 31.03.2018 has been included under down gradation.

2.4.4 Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

₹ in crore

Sl.No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
(i)	No. of accounts	30	19
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	240.36	196.56
(iii)	Aggregate consideration	365.59	472.64
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	(+) 125.23	(+) 276.08

2.4.5

₹ in crore

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Book value of investments in security receipts	314.24	258.09	Nil	Nil	314.24	258.09

2.4.6 **Disclosure of investment in SRs as on 31/03/2018**

₹ in crore

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying.	798 .63	1.17	13.69
	Provision held against(i)	**77.19**	**0.00**	**13.69**
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions / non-banking financial companies as underlying.	0.00	0.00	0.00
	Provision held against(ii)	0.00	0.00	0.00
Total (i) + (ii)		798 .63	1.17	13.69

2.4.7 **Details of Non-performing financial assets purchased/sold**

A) Details of Non-performing financial assets purchased

₹ in crore

	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate Ourstanding	NIL	NIL

B) Details of Non-performing financial assets sold

₹ in crore

	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
1.	No. of accounts sold	30	19
2.	Aggregate Outstanding	641.18	563.15
3.	Aggregate consideration received	365.59	472.64

2.4.8 **Provision on Standard Assets**

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
Provision towards Standard Assets	238.47	789.17

2.4.9 In compliance with RBI directives on the Assets Quality Review (AQR) for their classification over the six quarters ending March 31, 2017, the Bank had made the classification of Advances and provisioning as per directives of RBI and IRAC norms as on 31.03.2017. The effect of AQR has fully provided till 31.03.2017.

2.4.10 During the year Bank has written back Rs.33.10 crores on account of written back of provision on Food Credit availed by State Government of Punjab as advised by RBI vide letter dated 08.02.2018, that Banks may write back the provision of 10% on account of (a) repayment of instalments upto 12 months and (b) authorization of the Punjab Government to RBI to debit its account. Accordingly, Bank has retained 5% provision on outstanding exposure of Rs.331.67 Crore as on 31.03.2018.

2.5 Business Ratios

₹ in crore

	Item	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	5.95%	7.01%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.58%	1.63%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	0.73%	1.16%
(iv)	Return on Assets	-1.04%	0.16%
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹in Crore)	13.22	13.04
(vi)	Gross Profit/(Loss) per employee (₹in Lacs)	6.91	10.38

2.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities*

₹ in crore

Assets/ Liabilities	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 Year	Over 1 Year & up to 3 Years	Over 3 Years & up to 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	2160.79	5042.71	4844.72	2331.22	6500.91	4471.53	16685.07	23507.30	10970.08	52812.05	**129326.38**
	(2398)	*(5251)*	*(4697)*	*(2265)*	*(4937)*	*(5028)*	*(16432)*	*(24155)*	*(10284)*	*(51493)*	***(126940)***
Advances	184.96	335.85	392.20	636.46	1180.88	1577.09	3829.43	12103.00	8249.89	34000.44	**62490.20**
	(464)	*(390)*	*(438)*	*(224)*	*(2260)*	*(5251)*	*(2985)*	*(10997)*	*(8698)*	*(34432)*	***(66139)***
Investments	9087.04	1022.18	919.58	865.91	3028.58	1993.69	1530.46	2841.68	2825.56	26287.12	**50401.80**
	(0)	*(156)*	*(20)*	*(113)*	*(4472)*	*(6928)*	*(5144)*	*(4479)*	*(2872)*	*(28851)*	***(53035)***
Borrowings	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97	305.97	162.52	2280.00	500.00	**3306.06**
	(1)	*(0)*	*(0)*	*(100)*	*(0)*	*(95)*	*(56)*	*(370)*	*(555)*	*(1375)*	***(2552)***
Foreign Currency Assets	294.19	403.06	19.26	162.36	476.90	283.05	489.82	0.00	18.38	0.33	**2147.35**
	(147)	*(1342)*	*(26)*	*(381)*	*(221)*	*(409)*	*(148)*	*(0)*	*(0)*	*(19)*	***(2693)***
Foreign Currency Liabilities	367.23	410.93	53.80	334.95	339.07	196.10	412.11	29.54	4.16	0.00	**2147.91**
	(259)	*(684)*	*(16)*	*(365)*	*(493)*	*(364)*	*(180)*	*(323)*	*(9)*	*(0)*	***(2693)***

**The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.*
Figures in bracket represent Previous Year's figures.

2.7. Exposures

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector*

₹ in crore

Category	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
a) Direct Exposure		
i) **Residential Mortgages –**		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	**10918.00**	**8943.00**
-of which, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**6190.00**	**5244.00**
ii) **Commercial Real Estate** Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	**180.16**	**235.15**
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential	**NIL**	**NIL**
b. Commercial Real Estate.	**NIL**	**NIL**
b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2398.31	2389.27
Total Exposure to Real Estate Sector	**13496.47**	**16811.42**

**(The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management)*

2.7.2 Exposure to Capital Market*

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
(i) Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts.	**102.06**	**92.07**
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	**NIL**	**NIL**
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	**34.85**	**16.38**
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures / units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	**NIL**	**NIL**
(v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	**NIL**	**NIL**
(vi) Loan sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	**NIL**	**NIL**
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	**NIL**	**NIL**
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	**NIL**	**NIL**
(ix) Financing to stock brokers for margin trading	**NIL**	**NIL**
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and un registered)	**45.94**	**62.65**
Total Exposure to Capital Market	**182.85**	**171.10**

**(The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management)*

2.7.3 Risk Category-wise Country Exposure

The Bank has analyzed its risk exposure to various countries as on 31st March, 2018 and such exposure is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank. In terms of RBI guidelines, no provision is required for this exposure.

The position of risk category-wise country exposure is given below: ₹ in crore

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017
Insignificant	259.34	0.00	159.66	0.00
Low	84.03	0.00	76.28	0.00
Moderate	21.04	0.00	15.03	0.00
High	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
Off Credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**364.41**	**0.00**	**250.97**	**0.00**

2.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by the Bank

₹ in crore

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling		Limit Sanctioned		Outstanding as on	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
A	**Single Borrower**						
		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B	**Group Borrower**						
		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.7.5 Unsecured Advances :

₹ in crore

Particulars	2017-18	2016-17
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	340.74	329.08
Estimated value of such intangible collateral securities	126.69	190.22

2.7.6 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans :

₹ in crore

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
2016-17 (Previous Financial Year)	4 Nos	843.70	0.00	36 Qtr	73 Qtr
Current Financial Year (From April'1 7 to March'18)	3 Nos	658.18	0.00	42 Qtr	85 Qtr

RBI vide circular No-RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated February12, 2018, has withdrawn the Flexible Restructuring Scheme. The scheme has been implemented in all the 3 (Three) accounts of FY 2017-18.

2.7.7 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

₹ in crore

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
01	85.42	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00

RBI vide circular No-RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12, 2018, has withdrawn the Strategic Debt Restructuring Scheme. The account is retained in SDR as permitted by RBI vide their mail dated 09.04.2018 to follow Standstill clause.

2.7.8 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

₹ in crore

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/in vocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7.9 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

₹ in crore

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
-		-	

2.7.10 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2018.

₹ in crore

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
2	278.66	124.21	154.45	41.12
Classified as NPA				
1	113.03	66.10	46.93	30.37

RBI vide circular No-RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12, 2018, has withdrawn the Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A). As per para-18 of that circular states that all accounts, including such accounts where any of the schemes have been invoked but not implemented, shall be governed by the revised framework. In our Bank S4A scheme has been invoked in case of 11 (eleven) accounts. However in case of 3 (Three) accounts the scheme has been implemented. In all other cases asset classification has been made as per prudential IRAC norms.

In compliance with RBI Circular No. DBR No. BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016 with respect to "Scheme for Stressed Assets-Revisions", unrealized interest amounting to Rs.6.27 Crore for the year 2017-18 (against Rs.224.90 crores for FY 2016-17) in respect of standard assets under Strategic Debt Restructuring (SDR) and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) has been provided for.

2.8 **Penalty Imposed by RBI**

During the financial year 2017-18, no penalty imposed on United Bank of India under Section 46(4) of Banking Regulation Act 1949.

3. **Disclosures as per Accounting Standards (AS) in terms of RBI guidelines:**

3.1. **AS 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in the Accounting Policies**

There is no change in accounting policy during the year. The impact of prior period items is immaterial in the opinion of the management.

3.2 **AS 9 - Revenue Recognition**

Revenue is recognized as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.3 **AS 10 – Accounting for Fixed Assets**

3.3.1 Accounting for Fixed Assets is done as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.4 **AS – 12 Government Grants**

During the year Rs. NIL Crores has been received in the form of subsidies/grants/incentives from RBI and State Government as below:

₹ in crore

		2017 - 18		2016 - 17	
Sn.	**Particulars**	**Revenue**	**Capital**	**Revenue**	**Capital**
1.	Government Grants/Subsidy	0.00	0.00	0.19	0.00

3.5 **AS – 15 Employee Benefits**

Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

₹ in crore

	Change in the present value of the obligations	**Pension**	**Gratuity**	**Other Benefits ***
	Present value of obligation as at the beginning of the Year	4893.10	448.01	120.68
	Interest cost	353.32	30.39	7.61
	Past Service cost	0.00	140.34	0.00
	Current Service cost	193.96	27.61	14.60
	Benefits Paid	488.37	108.65	44.19
	Actuarial Gain/Loss on Obligation	439.77	23.58	-4.60
	Present value of Obligations at the end of the Year	5391.78	561.28	94.10
b)	**Change in Fair Value of Plan Asset**			
	Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	4720.17	421.26	163.83
	Expected Return on Plan Asset	396.97	34.38	13.37
	Employer's contribution	527.48	68.07	2.05
	Benefits Paid	488.37	108.65	44.19
	Actuarial Gain/Loss on Plan Asset	77.64	-2.29	-2.93
	Fair Value of Plan asset at the end of the Year	5233.89	412.77	132.13
c)	**Estimated Present value of Obligations as at the end of the Previous Year**			
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	5233.89	412.77	132.13
	Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	-157.89	-148.51	38.02

₹ in crore

d) Expenses Recognized in Profit and Loss	Pension	Gratuity	Other Benefits *
Current Service Cost	193.96	27.61	14.60
Past Service Cost	0.00	140.34	0.00
Interest Cost	353.32	30.39	7.61
Expected return on Plan Asset	396.97	34.38	13.37
Net Actuarial Gain/Loss recognized in the Year	362.13	25.87	-1.66
Total Expenses recognized in Profit and Loss Account	512.44	189.83	7.18
e) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)			
Discount Rate	7.60%	7.72%	7.72%
Expected rate of return on Plan Assets	8.41%	8.16%	8.41%
Method Used	**Projected Unit Credit Method**		

* *Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC/LTC.*
Note: The above statement is based on the report of the Actuary.

3.6 AS 17 - Segment Reporting

The Banks operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:

Part A: Business Segments

₹ in crore

Business Segments	Treasury Operations		Banking Operations						Total	
			Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations			
Particulars	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.17**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.17**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.17**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.17**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.17**
Revenue	4523	4819	2858	3873	2806	2687	28	18	10215	11397
Result	1402	1614	519	821	1009	1029	28	18	2958	3482
Unallocated expenses									1934	1929
Operating Profit									1024	1553
Income Taxes									-1492	-1134
Extraordinary									-	-
profit/loss										
Net Profit / (loss)									**-1454**	**220**
Other Information									-	-
Segment Assets	64282	59335	35353	42866	27137	23274	-	-	126772	125475
Unallocated Assets									17977	15578
Total Assets									**144749**	**141053**
Segment Liabilities	61818	56790	33991	41006	26099	22276	-	-	121908	120072
Unallocated Liabilities									14165	13237
Capital Employed									**8676**	**7744**
Total Liabilities									**144749**	**141053**

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.

3.7 Related Party Disclosures (AS-18) (*As Compiled by the management)*

3.7.1 Names of the related parties and their relationship with the Bank:
Associates:

Sl. No.	Name	
1.	Assam Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
2.	Bangiya Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
3 .	Manipur Rural Bank	Regional Rural Bank
4.	Tripura Gramin Bank	Regional Rural Bank

Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Designation
1.	Mr. Pawan Kumar Bajaj	Managing Director & Chief Executive Officer (Joined on 19.08.2016)
2.	Mr. K. Venkata Ramamoorthy	Ex Executive Director (Retired on 30.08.2017)
3.	Mr. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director (Joined on 18.02.2017)
4.	Mr. S. Suryanarayana	Director
5.	Mr. Arnab Roy	Director
6.	Mr. Sameer Kumar Khare	Director
7.	Mr. Denesh Singh	Director
8.	Mr. Sidhartha Pradhan	Director

Relatives of Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Relative of:
1.	-	-

3.7.2 Related Party Disclosures

(₹ in crore)

Items/Related Party	Associates		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Borrowings	4670.00	3638.00	0.00	0.12	NIL	NIL	4670.00	3638.12
Deposit	473.82	1593.22	0.04	0.23	NIL	NIL	473.86	1593.44
Placement of deposits	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Advances	3297.00	3638.00	NIL	NIL	NIL	NIL	3297.00	3638.00
Investments : Equity Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Shares of RRB	368.53	368.53	NIL	NIL	NIL	NIL	368.53	368.53
RRB Bonds	51.12	64.68	NIL	NIL	NIL	NIL	51.12	64.68
Non-funded commitments	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements availed	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements provided	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Purchase of fixed assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Sale of fixed assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest paid	193.80	165.91	0.012	0.016	NIL	NIL	193.81	165.93
Interest received	137.50	87.18	0.015	0.015	NIL	NIL	137.51	87.19
Rendering of services	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Receiving of services :								
- Remuneration#	NIL	NIL	0.69	0.70	NIL	NIL	0.69	0.70
- Sitting Fees	NIL	NIL	0.07	0.10	NIL	NIL	0.07	0.10
Management contracts	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

#Remuneration Paid to Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Designation	Item #	Year ended 31.03.2018 ₹ in crore	Year ended 31.03.2017 ₹ In crore
1.	Mr. P. Srinivas	Managing Director & Chief Executive Officer (upto 30.06.2016)	Salary and emoluments	0.00	0.06
2.	Mr. Pawan Bajaj	Managing Director & Chief Executive Officer (Joined on 19.08.2016)	Salary and emoluments	0.27	0.17
3.	Mr. Sanjay Arya	Ex. Executive Director (upto 30.09.2016)	Salary and emoluments	0.00	0.13
4.	Mr. K. V. Ramamoorthy	Ex. Executive Director (upto 30.08.2017)	Salary and emoluments	0.19	0.23
5.	Mr. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director (Joined on 18.02.2017)	Salary and emoluments	0.23	0.02
6.	Sanjib Pati	Director	Salary and emoluments	0.00	0.09

Including performance linked incentive on cash basis.

Note: (a) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.
(b) No provision is required in respect of dues to related parties.

3.8 Leases (AS-19) (*As compiled by the Management*)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

b) Future Lease Rent Payable for operating lease: (As compiled and certified by Management)

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	As At 31.03.2018	As At 31.03.2017
a.	Not later than 1 year	70.88	70.54
b.	Later than 1 year but not later than 5 years	237.04	238.78
c.	Later than 5 years	182.60	202.00
	Total	**490.52**	**511.32**
	Amount charged to Profit & Loss Account	86.61	79.50

i) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

ii) At the expiry of the initial lease term, generally the bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

3.9 AS 20 - Earnings per Share

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
Net Profit/(Loss) after tax available for Equity Share Holders (₹ in crore)	(1454.45)	219.51
Weighted Average number of Equity Shares	150,79,52,887,22	118,22,75,274,64
Basic and Diluted Earnings per Share (₹)	(9.65)	1.86
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

3.10 AS 21 - Consolidated Financial Statements/AS-23-Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such, AS-21 and AS-23 are not applicable.

3.11 **AS 22 - Accounting for Taxes on Income**

(a) Provision for Tax during the year is given below: (₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Tax	NIL	NIL

(b) The major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows: (₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Deferred Tax Assets	3322.41	**1831.95**
Carry Forward Loss	1419.81	175.03
Provisions for Stressed assets	48,42	72.04
Employees benefits	0.00	Nil
Other items	194.30	432.69
Depreciation on Fixed Assets	36.34	15.68
Provision on NPA	1623.54	1136.50
Deferred Tax Liabilities	76.14	**77.92**
Depreciation on fixed assets	Nil	Nil
Special Reserve u/s.36(1)(viii) of the Income Tax Act. 1961	76.14	76.14
Loss on Sale of Assets to ARC	Nil	1.78

(c) The Bank has recognised net Deferred Tax Assets of Rs.1492.24 crores during the year 2017-18 on account of timing differences in accordance with Accounting Standard- 22 on "Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

3.12 **AS 28 - Impairment of Assets**

In the opinion of the Bank, there is no indication of any material impairment of fixed assets and consequently no provision is required.

3.13 **AS 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Movements in significant Provisions and Contingent Liabilities have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

3.14. **Strategy for Ind AS implementation and its progress**

The strategy adopted by Bank for Ind AS implementation vis-a-vis the progress made by the Bank is given below:

As per the RBI guideline, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Steering Committee has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. The Bank has appointed M/s. Deloitte Haskins & Sells, LLP as the consultant for assisting the bank in smooth implementation of Indian Accounting Standards. The pro-forma financial statement for the quarter ended 30.06.2017 has been submitted to RBI within the prescribed due date. In order to facilitate smooth transition to the application of Ind AS, Bank is in the process of identifying the changes required to be made in the IT system and other policies to comply with Ind AS. Bank is also in the process of developing Expected Credit Loss (ECL) Model in line with the requirements of IND AS 109.

4. **Additional Disclosures**

4.1 **Provisions and Contingencies**

The break-up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head "Expenditures in Profit and Loss Account" is as under:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
Provisions for depreciation on Investment	194.50	103.24
Provision towards NPA(Loans and Advances)	3906.16	2001.78
Provision towards Standard Assets including Restructured Standard Asset	(550.70)	152.85
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	(1494.24)	(1133.72)
Other Provisions and Contingencies		
- Provision for Non -Performing Investments	370.89	9.78
- Floating Provision	0.00	0.00
- Provision for Others	49.90	199.45
Total	**2478.51**	**1333.38**

4.2 **Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)**

(₹ in Crores)

	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
a)	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b)	The quantum of floating provisions made during year	0.00	0.00
c)	Accounting for draw down made during the year	0.00	0.00
d)	Closing balance in the floating provisions account	0.00	0.00

4.3 **Disclosure of complaints**

a) **Customer Complaints including Investors Complaints**

Sl.No.	Particulars	Nos
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	315
(b)	Complaints received during the Year	136323
(c)	Complaints redressed during the Year	135917
(d)	Complaints pending at the end of the Year	721

b) **Awards passed by the Banking Ombudsman**

Sl.No.	Particulars	Nos
(a)	Unimplemented Awards at the beginning of the Year	1
(b)	Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year	1
(c)	Awards implemented during the Year	2
(d)	Unimplemented Awards at the end of the Year	Nil

4.4 **Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank**

a) During the current financial year ended 31.03.2018, the Bank has issued 451 (previous year 550) Letter of Comforts/Letter of Undertakings amounting to Rs.1540.86 crores (previous year Rs.1578.25 crores).

b) There are 186 nos (previous year 204) of outstanding Letter of Comforts as on 31.03.2018 amounting to Rs.487.37 crores (previous year Rs.564.59 crores).

4.5 **Provision Coverage Ratio (PCR)**

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March 2018 is 53.48 %.

4.6 **Bancassurance Business**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03. 2018	31.03. 2017
Life Insurance Business	4.61	3.34
Non - Life Insurance Business	6.35	3.60
Mutual Funds	0.02	NIL
Others	0.03	0.06

4.7 **Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs**

4.7.1 **Concentration of Deposits**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Total Deposits of twenty largest depositors	5543.45	5633.31
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.28%	4.44%

4.7.2 **Concentration of Advances**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Total Advances to twenty largest borrowers	12359.12	11647.67
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	17.99%	16.52%

4.7.3 **Concentration of Exposures**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to twenty largest borrowers / Customers	10724.76	9818.16
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	10.09%	9.21%

4.7.4 **Concentration of NPAs**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to top four NPA accounts	2853.79	2128.34

4.8 Sector - wise NPAs

(₹ in crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2018 Outstanding Total Advances	31.03.2018 Gross NPAs	31.03.2018 Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector	31.03.2017 Outstanding Total Advances	31.03.2017 Gross NPAs	31.03.2017 Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector
A.	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and Allied activities	10324.25	978.13	9.47	9780.51	1136.92	11.62
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4076.91	639.01	15.67	4165.27	841.30	20.20
3.	Services	7004.73	1169.15	16.69	7016.66	869.18	12.39
	- Retail Trade	2654.28	379.77	18.08	2556.19	424.23	16.60
	- Others	5350.45	789.38	14.75	4460.47	444.95	9.98
4.	Personal Loans	7930.50	208.03	2.73	6731.57	239.42	3.56
	Sub-Total(A)	***29336.39***	***2994.32***	***10.21***	***27694.01***	***3086.82***	***11.15***
B.	**Non -Priority Sector**						
1.	Agriculture and Allied activities	246.17	20.21	8.21	374.72	11.21	2.99
2.	**Industry**	22136.06	12312.82	55.62	26084.24	6498.39	24.91
	- Iron & Steel	4056.63	3362.90	82.90	4539.05	3450.51	76.02
	- Power	8542.07	3982.81	46.63	10959.46	283.47	2.59
	- Others	9537.36	4967.11	52.08	10585.73	2764.41	26.11
3.	Services	8838.10	1006.08	11.38	9246.99	1175.44	12.71
	- NBFC	4931.62	-	-	4965.84	-	-
	- Banking & Finance Other than NBFC	2441.55	-	-	2398.42	-	-
	- Others	1464.93	1006.08	68.68	1882.73	1175.44	62.43
4.	Personal Loans	7553.67	218.68	2.78	6489.77	180.13	2.78
	Sub-Total(B)	***38774.00***	***13557.79***	***34.97***	***42195.72***	***7865.17***	***18.64***
C.	**Food Credit (FCI)**	581.38	-	-	613.17	-	-
	Sub-Total (C)	***581.38***	-	-	***613.17***	-	-
	Total (A+B+C)	***68691.77***	***16552.11***	***24.10***	***70502.90***	***10951.99***	***15.53***

4.9 **Movement of NPAs**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Gross NPAs as on 1st April, 2017/2016	10951.99	9471.01
Additions (Fresh NPAs) during the Year	8606.26	3533.08
Sub -total (A)	19558.25	13004.09
Less:		
(i) Upgradations	197.05	312.16
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded a/cs)	501.35	488.37
(iii) Technical/Prudential Write- offs	1760.14	641.15
(iv) Write -offs other than those under (iii) above	106.77	72.56
(v) Sale of Assets upto 31st March 2018/2017	440.83	537.86
Sub -total (B)	3006.14	2052.10
Gross NPAs as on 31st March, 2018 /2017 (A -B)	**16552.11**	**10951.99**

4.10 **Stock of technical write-offs and recoveries made thereon**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of Technical/Prudential written -off accounts as at April 1, 2017/2016	4203.17	3713.67
Add: Technical/Prudential write -offs during the year	1760.14	641.15
Sub- total (A)	5963.31	4354.82
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	317.77	151.65
Clos ing balance as at March 31, 2018 /2017	**5645.54**	**4203.17**

4.11 **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2018	31.03.2017
Total Assets (Nostro balance)	136.85	44.77
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	39.89	12.58

4.12 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

(₹ in crore)

Year Ended 31.03.2018 Name of the SPV sponsored		Year Ended 31.03.2017 Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

4.13. **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities**

The bank does not have any unamortised Pension

RBI vide its letter DBR No. BP.BC.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of the enhancement in gratuity limits from Rs.10 lakh to Rs.20 lakh from 29.03.2018 under Payment of Gratuity Act, 1972 over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. Accordingly, the Bank has exercised the option and provided Rs.35.09 crores in the quarter ended March 31, 2018 and deferred Rs.105.25 crores to subsequent three quarters of the ensuing financial year.

4.14. **Securitization**

Sl No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions		
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank		
3	**Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet**		
	a) Off balance sheet exposures		
	First loss		
	Others		
	b) On - balance sheet exposures		
	First loss		
	Othe rs		
4	**Amount of exposures to securitization transactions other than MRR**		
	a) Off Balance Sheet Exposures	**NIL**	**NIL**
	Exposure to own securitizations		
	i) First loss		
	Loss		
	Exposure to third party securitizations		
	ii) First loss		
	Others		
	b) **On Balance Sheet Exposures**		
	Exposure to own securitizations		
	i) First loss		
	Others		
	Exposure to third party securitizations		
	ii) First Loss		
	Others		

4.15 **Credit Default Swaps**

Bank has not undertaken any Credit Default Swaps in the year 2017-18 as well as in the year 2016-17.

4.16 **Intra-Group Exposures**

(₹ in Crore)

Sl No.	Particulars of Intra Group Exposures	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
1	Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
2	Total amount of top-20 intra -group exposures	Nil	Nil
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	Nil	Nil
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

4.17 **Transfer of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(₹ in crore)

Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
Opening balance of amounts transferred to DEAF	85.61	57.89
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	170.55	27.72
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	--	--
Closing balance of amounts transferred to DEAF	256.16	85.61

4.18 **Unhedged Foreign Currency Exposure**

The incremental provision/Capital requirement is arrived by considering likely loss & EBID of the borrowers as per RBI guidelines. The unhedged Foreign Currency Exposures, Incremental provisions and capital requirements that are provided by the bank as on 31st March 2018 are given below:

(₹ in crore)

Incremental Provisioning (over and above extant standard asset provisioning)	Incremental Capital requirement for Unhedged foreign currency exposures of borrowers
0.29	0.06

4.19 Liquidity Coverage Ratio*
4.19.1 Disclosure

(₹ in Crore)

		31.03.2018		31.03.2017	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1.	**Total High Quality Liquid Assets (HQLA)**		**29383.35**		**31864.04**
Cash Outflows					
2.	**Retail deposits and deposits from small business customers, of which:**	99637.77	5473.91	98525.48	5386.68
(i)	Stable deposits	89797.35	4489.87	89317.39	4465.87
(ii)	Less stable deposits	9840.42	984.04	9208.09	920.81
3.	**Unsecured wholesale funding, of which:**	14774.65	5877.58	14413.08	5638.21
(i)	Operational deposits (all counterparties)	215.19	53.80	243.16	60.79
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	14559.46	5823.78	14169.92	5577.43
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	**Secured wholesale funding**	87.48	0.00	1053.58	0.00
5.	**Additional requirements, of which**	22533.75	10014.77	16906.22	6815.35
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	Nil	Nil	Nil	Nil
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii)	Undrawn Credit and liquidity facilities	10050.40	3464.33	11028.43	4070.63
6.	Other contractual funding obligations	6116.40	183.49	3229.96	96.90
7.	Any other outflow	6366.95	6366.95	2647.82	2647.82
8.	**Total Cash Outflows**		21366.27		**17840.25**
Cash Inflows					
9.	Secured lending (e.g. reverse repos)	4055.89	0.00	4080.20	0.00
10.	Inflows from fully performing exposures	5164.13	4927.75	7166.01	6961.38
11.	Other cash inflows	2144.93	2144.93	1743.92	1743.92
12.	**Total Cash Inflows**		**7072.68**		**8705.30**
13.	**TOTAL HQLA**		**29383.35**		**31864.04**
14.	**Total Net Cash Outflows**		**14293.59**		**9134.95**
15.	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**205.57**		**348.81**

LCR as on last four quarters of the FY: 2017-18

Quarter Ended on	LCR (%)
June, 2017	329.00
September, 2017	245.58
December, 2017	256.69
March, 2018	205.57

* *The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.*

4.19.2 **Qualitative Disclosure around LCR**

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisor. Bank has implemented and is computing LCR since 1st January, 2015.

LCR is calculated as a ratio of HQLA to net cash outflow under stress scenario over the next 30 calendar days.

As per RBI guideline, Bank is required to maintain minimum 90% LCR as on 31.03.2018.

LCR of the Bank is assessed at 205.57% for the quarter ended on 31.03.2018 which is well above the minimum requirement as prescribed by Reserve Bank of India.

4.20 a) Registration formalities are pending in case of one properties consisting of Rs.1.50 Crores, WDV as on 31.03.2018: Rs.1.39 Crores (Previous Year Rs.1.36 Crores).

b) Premises include leased properties amounting to Rs.167.71 Crores (net of amortization) as at 31st March 2018 (Previous Year Rs.161.10 Crores).

5. Based on information available with the bank, there are few suppliers/services who are registered as Micro Small or Medium Enterprise under the Micro Small and Medium Enterprise development act 2006 (MSMED ACT, 2006)information in respect of micro and small enterprises as required by MSMED.

Sr. No.	Particulars	Current Year 31.03.2018	Previous Year 31.03.2017
1	Principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:		
	Principal :	NIL	NIL
	Interest :	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date, when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006.	NIL	NIL

6. During the year Bank has reported 81 numbers of fraud cases involving total amount of Rs.881.42 crores against which Bank has some existing provision. A further provision of Rs.15.30 crores has been made during the year, out of which Rs.2.40 crores is for non advance related frauds and Rs.12.90 crores is for advance related frauds. No amount is required against unamortised provision.

   Further, in view of fraud reported by certain banks in respect of two Gems and Jewellery borrower group accounts, the Bank has declared these accounts as fraud involving a total funded exposure of Rs.330.95 crores, out of which Rs.82.74 crore has been provided being 25% of funded exposure. The quantum of unamortised provision of Rs.248.21 crores being 75% of the funded exposure has been debited from Revenue & Other Reserve and will be provided in next three quarters.

7. In accordance with RBI letter DBR NO. BP 8756/21.04.048/2017-18 dated April 02, 2018, the provisioning requirements in respect of NCLT accounts is reduced from 50% of secured portion to 40% of secured portion as at March 31, 2018. The Bank has availed the option of dispensation available and as a result the provision of Rs.249.40 crores has been reduced in such accounts.

8. Previous Year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

This is the part of Schedule-18 as on 31.03.2018

Pawan Bajaj
Managing Director & Chief Executive Officer

Ashok Kumar Pradhan
Executive Director

Sameer Kumar Khare	**Arnab Roy**	**S. Suryanarayana**	**Denesh Singh**	**Sidhartha Pradhan**
Director	Director	Director	Director	Director

Naresh Kapoor
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(Rs.in '000)

		For the year ended 31st March 2018		31st March 2017	
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	Net Profit after Tax	**(14,544,462)**		21,95,062	
	Add: Income Tax	-		-	
	Less: MAT Recoverable	-		-	
	Add: Deffered Tax Assets	(14,922,400)		(1,13,37,100)	
	Profit before Tax	(29,466,862)		(91,42,038)	
	Adjustment for				
	Depreciation on Fixed Assets	1,201,416		1,035,141	
	Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(230,540)		(236,289)	
	Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	30,960		152	
	Depreciation/Provision for Investments (Net)	1,945,048		1,032,386	
	Provision for Standard Assets	(5,507,000)		15,28,500	
	Provision for NPA Advances	39,061,600		20,293,000	
	Other Provisions (Net)	(10,714,585)		(9,520,091)	
	Interest on Subordinated Bonds	1,548,315		2,096,700	
	Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	**(2,131,648)**		**7,087,461**	
	Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities				
	Decrease/(Increase) in Investment	24,391,817		(84,153,458)	
	Decrease/(Increase) in Advances	(2,570,647)		(10,83,947)	
	Increase/(Decrease) in Deposits	23,871,270		105,379,746	
	Increase/(Decrease) in Borrowings	4,393,035		(607,525)	
	Decrease/(Increase) in Other Assets	(12,152,336)		4,446,816	
	Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	12,448,468		8,186,727	
	Increase/(Decrease) in Revenue Reserve	(2,251,582)		7,73,754	
	Increase/(Decrease) in Other Reserve	830		-	
		45,999,207		**40,029,574**	
	Cash Generated from Operating Activities				
	Tax (Paid)/ Refund	588,500		12,00,000	
	Net Cash from Operating Activities (A)		46,587,707		41,229,574
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	Fixed Assets (Net)	(2,346,627)		(7,42,727)	
	Net Cash from Investing Activities (B)		(2,346,627)		(742,727)
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
	Issue of Share Capital	12,012,869		4,928,396	
	Share Premium	14,327,131		6,585,340	
	Subordinate Bonds Issued	3,150,000		(3,000,000)	
	Issue of innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI)	-		-	
	Capital from Government (PNCPS)	-		-	
	Subordinate Bonds Issued	-		-	
	Interest on Subordinated Bonds	(1,548,315)		(2,096,700)	
	Dividend and tax thereon paid	-		-	
	Net Cash from Financing Activities (C)		**27,941,685**		**6,417,036**
D	**Net increase in Cash and Cash equivalents (A+B+C)**		**721,82,765**		**4,69,03,883**
	Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
	Cash in hand	4,898,814		5,588,093	
	Balances with Reserve Bank of India	61,445,777		55,116,373	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	63,815,881	130,160,472	22,552,123	83,256,589
	Cash and Cash equivalents at the end of the year				
	Cash in hand	6,080,330		4,898,814	
	Balances with Reserve Bank of India	56,041,068		61,445,777	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	140,221,839	202,343,237	63,815,881	130,160,472

Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.

This is the part of Cash Flow Statement as on 31.03.2018

Pawan Bajaj
Managing Director & Chief Executive Officer

Ashok Kumar Pradhan
Executive Director

Sameer Kumar Khare	**Arnab Roy**	**S. Suryanarayana**	**Denesh Singh**	**Sidhartha Pradhan**
Director	Director	Director	Director	Director

Naresh Kapoor
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Rajesh Surolia	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Dinesh Kumar Jain**	**CA Sankaracharyya Mukhopadhyay**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 088008	M. No: 010807	M. No : 082033	M. No : 011517

Date : 28.05.2018
Place : Kolkata

Pillar-3 Disclosure under Basel-III Norms as on 31.03.2018

Table DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the Banking group to which the framework applies: United Bank of India

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under Regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reason if consolidated under only one of the scopes of consolidation*
NIL						

* The Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the Capital instruments of the entity	Total balance sheet assets(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation. The Bank has Four (4) Regional Rural Banks which are treated as associates for computation of capital adequacy ratio.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

Name of the entity/country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL			

d. The aggregate amount of Capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries/country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk- weighted:

Name of the insurance entities /country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method.
Not Applicable				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

Table: DF-2:
Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosures:

Bank's approach to assess the adequacy of its capital to support its current and future activities.

- With a view to assess its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile, to effectively manage its capital requirements and to meet the regulatory norms stipulated by RBI, the Bank has put in place a robust and well defined Risk Management Structure with due focus on capital optimization and the risk profile of its businesses.
- In line with RBI guidelines, as on 31.03.2018 Bank is required to maintain CET1 ratio at 5.5%, Capital conservation buffer (CCB) at 1.875% in the form of CET1 capital (CET1 + CCB at 7.375%). Further, Bank is required to maintain Tier 1 ratio at 7.0% and total Credit to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 10.875% including CCB of 1.875%.
- Bank has complied with all the regulatory limits and minima as prescribed under Basel-III Capital regulations. Bank's Capital Adequacy Ratio on standalone basis was computed at 12.62% as on 31.03.2018 with CET1 ratio of 8.39%, Tier-1 ratio of 9.87%, Tier -2 ratio of 2.75%.
- Bank maintains adequate capital to absorb the risk arising from financial and economic stress and also cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses.
- Under Basel-III norms, Bank has adopted the following methods for computing its CRAR :
  - Standardized Approach for Credit Risk.
  - Basic Indicator Approach for Operational Risk.
  - Standardized Duration Method for Market Risk.
- Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all types of risks and substantiate appropriate capital allocation. It's a forward looking process wherein the Bank calculates and calibrates its capital needs and resources in order to continue operations throughout a period of severely adverse conditions. The material risks are identified, measured and quantified so as to assess the level of capital required, commensurate with the institutions risk profile.
- To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel-III capital ratios, full regulatory adjustments deductions to the components of capital etc.

- Bank in its capital planning process, assesses the actual capital position of the Bank and the future required capital in terms of business planning and risk appetite and also the options available for raising capital along with the availability of headroom.
- On the basis of the business projection, Bank raises capital with the approval of the Board of Directors of the Bank.

As a Capital Planning measure, during FY 2017-18, the Bank has raised the following Capital:

a) Bank had received amount of Rs.2634 crore from Government of India on 29.03.2018 towards capital infusion under the PSBs recapitalization plan. As on 31.03.2018, Bank has allotted Rs.2620.36 crore by way of preferential allotment to Government of India. The balance of Rs 13.64 crore is lying in the "Share Application Money pending allotment" as on 31.03.2018. Bank has considered the same amount as part of Common Equity Tier1 (CET-1) capital fund as on 31.03.2018.

b) Bank raised Additional Tier 1(AT1) capital of Rs 590 crore in two tranches i.e Rs 490Cr on 10.11.2017 and Rs 100 crore on 27.12.2017 through issuance of Basel-III complied AT1 Bonds.

c) Bank raised Tier 2 capital of Rs 990 crore in three tranches i.e Rs 500Cr on 23.08.2017, Rs 150 crore on 27.09.2017 and Rs 340 crore on 10.11.2017 through issuance of Basel-III complied Tier-2 Bonds.

Quantitative Disclosures :

(₹ crore)

a) Capital requirements for Credit Risk @ 10.875% of RWA:	
• Portfolios subject to Standardised Approach:	6910.27
• Securitisation Exposures:	0.00
b) Capital requirements for Market risk:	
• Standardised Duration Approach;	
- Interest Rate Risk:	503.23
- Foreign Exchange Risk (including gold):	6.75
- Equity Risk:	140.58
c) Capital requirements for Operational Risk:	
• Basic indicator approach:	599.06
d) Common Equity Tier-1 Ratio (CET) (%)	8.39
Tier 1 Capital Ratio (%):	9.87
Total Capital Ratio (%):	12.62

Table DF-3
Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

(a) In order to reflect the actual financial health in its balance sheet, Bank has adopted definitions of past due and impaired (for accounting purpose) in line with the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning for the advance portfolio of the banks.

Non-Performing Assets (NPAs)

The Bank classifies its advances into performing and non-performing Assets (NPA) in accordance with the extant RBI guidelines. NPA is defined as a loan or an advance where:

1. Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
2. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
3. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
4. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
5. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'**.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

- A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.
- An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months.
- A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

Non-Performing Investments (NPIs)

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where

1. Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
2. This applies mutates-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
3. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
4. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
5. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

- **Policy and Procedures**

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system and developed various risk management policies like Lending Policy, Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management Policy and Stress Testing Policy etc to address the credit risk of the Bank. The main objectives of the policies are to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level.

The Policies stipulate prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank assesses the concentration risk by (a) fixing sectoral and prudential exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West. Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented software driven rating/scoring models across all Branches / Zonal Offices.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Portfolio analysis of major industries/sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry/sector on the credit portfolio of the Bank and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

The Bank has put in place a Board approved Stress Testing Policy which involves the usance of various techniques to assess the Bank's potential

vulnerability to extreme but tenable stressed business conditions. As per the policy, Stress Testing on Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book, Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market Risk - impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on Quarterly basis. The Capital maintained by the Bank is found to be adequate under such Stressed conditions as analyzed from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI/Bank's Board on half-yearly basis. The Bank has developed a software based credit risk rating model for rating of its borrowal accounts.

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

Quantitative Disclosures: (₹ crore)

	Fund Based	Non Fund Based	Total
(b) Total gross credit exposures	68691.77	5767.78	74459.55
(c) Geographic distribution of exposure			
Overseas	Nil	Nil	Nil
Domestic	68691.77	5767.78	74459.55

(d) Industry Type Distribution of Exposures (₹ crore)

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non-Fund Based Outstanding
1	Coal	**0.00**	**0.00**
2	Mining including coal	**75.34**	**0.10**
3	Basic Metal & Metal Products	**4144.96**	**197.51**
3.1	Iron & Steel	**4056.63**	**192.31**
3.2	Other Metal & Metal Products	**88.33**	**5.20**
4	All Engineering	**1150.50**	**160.01**
4.1	Of which Electronics	41.70	35.14
4.2	Of which Others	1108.80	124.87
5	Electricity	0.00	0.00
6	Textile	**1311.96**	**76.88**
6.1	Of which Cotton Textiles	272.38	67.64
6.2	Of which Jute Textiles	45.08	2.66
6.3	Of which Other Textiles	994.50	6.58
7	Food Processing	**2169.15**	**136.65**
7.1	Of which Sugar	24.71	0.00
7.2	Of Which Tea	633.08	7.66
7.3	Of which Vegetable Oil & Vanaspati	73.14	0.35
7.4	Of which others	1438.22	128.64
8	Tobacco & Tobacco Products	**287.69**	**1.11**
9	Paper & Paper Products	**164.76**	**21.78**
10	Rubber & Rubber Products	**215.02**	**13.79**
11	Infrastructure	**11891.66**	**1676.80**
11.1	Of which Power	8542.07	434.00
11.2	Of which Telecommunications	221.70	24.17
11.3	Of which Roads & Ports	2261.45	1132.32
11.4	Of which other Infra	866.44	86.31

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non-Fund Based Outstanding
12	Cement	**505.34**	**49.53**
13	Leather & Leather Products	**198.23**	**1.23**
14	Gems & Jewellery	**445.16**	**0.00**
15	Construction	**715.24**	**65.52**
16	Petroleum	**138.06**	**17.25**
17	Automobiles including Trucks	**636.21**	**13.78**
18	Computer Software	**11.56**	**0.32**
19	Chemical, Dyes, Paints etc.	**1158.40**	**312.22**
19.1	Of which Fertilizers	356.22	0.00
19.2	Of which Petro-chemicals	736.36	302.65
19.3	Of which Drugs & pharmaceuticals	65.82	9.57
20	NBFC	**4931.62**	**0.03**
21	Other Industries	**816.92**	**94.02**
22	Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	**37723.98**	**2929.27**
23	**Total**	**68691.77**	**5767.78**

Fund-based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund-based and total non-fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2018.

Fund Based (FB) Exposure			Non-Fund Based (NFB) Exposure		
Sl	**Industry Name**	**% of total FB**	**Sl**	**Industry Name**	**% of total NFB**
1	Power	12.44	1	Roads & Port	19.63
2	NBFC	7.18	2	Power	7.52
3	Iron & Steel	5.91	3	Petro-Chemicals	5.25

(e) Residual contractual maturity break down of assets

(₹ crore)

	Day1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Advances	185	336	392	637	1181	1577	3829	12103	8250	34000	62490
Investments	9087	1022	919	866	3028	1994	1530	2842	2826	26287	50401
Foreign Currency Assets	294	403	19	162	477	283	490	0.00	18.38	0.33	2147

f) Amount of NPAs (Gross)

	(₹ crore)
Category	**Amount**
Sub-Standard	4776.09
Doubtful - 1	3016.03
Doubtful - 2	6695.53
Doubtful - 3	2020.07
Loss	44.39
TOTAL	**16552.11**

(g)	**Net NPAs**	**10316.30**
(h)	**NPA Ratios**	(In %)
	(a) Gross NPAs to Gross Advances	24.10
	(b) Net NPAs to Net Advances	16.49
(i)	**Movement of Gross NPA**	(₹ crore)
	a) Opening balance as on 1st April, 2017	10951.99
	b) Additions upto 31st Mar, 2018	8606.26
	c) Reductions upto 31st Mar, 2018	3006.14
	d) Closing balance at the end of 31st Mar, 2018 (a+b-c)	16552.11

(j) Movement of Specific & General Provisions (₹ crore)

Movement of Provision	Specific Provisions	General Provisions
a) Opening balance as on 1st April, 2017	4321.40	789.17
b) Provisions made upto 31st Mar, 2018	3945.97	-
c) Write-off/ Write-back of excess provisions	1865.31	-
d) Other Adjustments	200.49	550.70
e) Closing balance at the end of 31st Mar, 2018 (a+b-c-d)	6201.57	238.47

		(₹ crore)
(k)	**Amount of write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement**	**99.53**
		(₹ crore)
(l)	**Amount of Non-Performing Investments**	**830.48**
		(₹ crore)
(m)	**Amount of provision held for Non-Performing Investment**	**505.44**
(n)	**Movement of provisions for depreciation on investments**	(₹ crore)
i)	Opening balance as on 1st April, 2017	185.33
ii)	Provisions made during the current FY	108.10
iii)	Write-off/ write-back of excess provisions	0.00
iv)	Closing balance at the end of 31st Mar, 2018 (i+ii-iii)	293.43

(o) Industry Type Distribution of Specific & General Provisions

(₹ crore)

Sl.No	Name of the Industry	As on 31st March , 2018			For quarter ended 31st March , 2018	
		Gross NPA	Specific Provision	General Provision	Write Off	Specific Provision
1	Coal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mining including Coal	22.78	9.25	0.00	1.55	-3.23
3	Basic Metal & Metal Products	3428.38	1541.82	3.00	708.76	-259.32
3.1	Iron & Steel	3362.90	1531.29	2.93	706.63	-250.69
3.2	Other Metal & Metal Products	65.48	10.53	0.07	2.13	8.63
4	All Engineering	376.39	95.38	2.92	34.65	-99.89
4.1	of which Electronics	2.92	1.36	0.12	0.00	-7.33
4.2	of which Others	373.47	94.02	2.80	34.65	-92.56
5	Electricity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Textile	720.01	361.64	1.87	7.55	-22.85
6.1	of which Cotton Textiles	76.31	31.73	0.69	0.00	-2.43
6.2	of which Jute Textiles	15.98	3.82	0.07	0.00	1.42
6.3	of which Other Textiles	627.72	326.09	1.11	7.55	-21.84
7	Food Processing	319.48	141.74	6.81	78.87	-62.50
7.1	of which Sugar	14.09	13.47	0.03	0.54	7.80
7.2	of Which Tea	15.67	4.36	2.46	4.16	-0.83
7.3	of which Vegetable Oil & Vanaspati	16.56	8.37	0.18	0.00	-0.10
7.4	of Which Others	273.16	115.54	4.14	74.17	-69.37
8	Tobacco & Tobacco Products	196.03	32.54	0.40	26.43	-3.11
9	Paper & Paper Products	7.42	3.33	0.57	0.00	0.08
10	Rubber & Rubber Products	34.60	12.62	0.63	4.50	-2.45
11	Infrastructure	5318.28	1540.48	26.27	69.86	512.41
11.1	of which Power	3982.81	911.97	18.23	0.00	465.00
11.2	of which Telecommunications	78.22	19.60	0.07	0.00	19.44
11.3	Of which Roads & Ports	686.36	365.82	6.19	47.67	40.73

S.No	Name of the Industry	As on 31st March, 2018 Gross NPA	Specific Provision	General Provision	For quarter ended 31st March, 2018 Write Off	Gross NPA
11.4	Of which other Infra	570.89	243.09	1.77	22.19	-12.75
12	Cement	73.55	19.69	1.74	0.00	1.10
13	Leather & Leather Products	40.91	22.46	0.47	0.00	3.78
14	Gems & Jewellery	348.06	58.40	0.26	0.00	51.07
15	Construction	380.66	150.61	1.26	2.32	-2.06
16	Petroleum	17.99	15.04	0.46	26.03	-26.16
17	Automobiles including Trucks	558.91	127.10	0.28	0.00	21.55
18	Computer Software	4.84	3.69	0.02	5.65	-5.85
19	Chemical, Dyes, Paints etc.	568.59	186.68	1.68	19.30	47.38
19.1	of which Fertilizers	348.22	52.49	0.02	0.00	52.13
19.2	of which Petro - chemicals	215.50	131.29	1.45	15.08	-1.91
19.3	of which Drugs & Pharmaceuticals	4.87	2.90	0.21	4.22	-2.84
20	NBFC	0.00	0.00	19.73	0.00	0.00
21	Other Industries	504.38	45.28	3.87	44.99	-7.87
22	Residuary Other Advances (to balance with Gross NPA)	3630.85	1833.82	166.23	372.54	- 304.02
23	**Total**	16552.11	6201.57	238.47	1403.00	-161.94

(p) Geographic wise distribution of Gross NPA, Specific Provision & General Provision (₹ crore)

Particulars	Overseas	Domestic	Total
Gross NPA	-	16552.11	16552.11
Specific Provision	-	6201.57	6201.57
General Provision	-	238.47	238.47

Table DF-4

Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosure

For portfolios under the standardized approach

As per RBI guidelines on Basel norms, Bank is using the External Ratings of the following domestic External Credit Rating Agencies (ECRA) accredited by RBI for the purpose of CRAR calculation:

1. CARE 2. CRISIL 3. ICRA 4. INDIA RATINGS (earlier known as FITCH) 5. BRICKWORK and 6. SMERA. and 7. INFORMERICS

Ratings assigned by ECRA's is used for the following exposures:

- For Short Term Loan (STL), i.e for exposures with contractual maturity of less than one year (except Cash Credit, Overdraft and Revolving Credit) short term rating assigned is considered.
- For Long term Loan (LTL), i.e contractual maturity of more than one year and for domestic Cash Credit, Overdraft and Revolving credits, long term ratings are considered.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.
Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weighted assets as per the RBI norms. Bank also rates its clients internally using an internal rating model.

Quantitative Disclosures:

The table below discloses the amount of the Bank's Gross outstanding for credit exposures (both fund and non-fund) net of specific provision in three major risk buckets:

(₹ crore)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.	• Below 100% risk weight:	41230.06
	• 100% risk weight:	15803.70
	• More than 100% risk weight:	5053.45

Table DF-5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- **Policies and processes for and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;**
- **Policies and processes for collateral valuation and management:**

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel- II & III norms/RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel- II & III norms /RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

- **Description of the main types of collateral taken by the bank:**

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii) Life Insurance Policies.

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:**

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are as follows:

- Central Government Guarantee
- State Government Guarantee
- CGTMSE
- ECGC

- **Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures:

	(₹ crore)
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	62087.21
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	4047.13

Table DF-6
Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures:

The Bank has not undertaken any securitization activity.

Quantitative Disclosures: NIL

Table DF-7
Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures

(a) Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest rate related instruments and equity related instruments) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the Market Risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices.

Quantitative disclosures

	(₹ crore)
(b) The capital requirements for:	
• Interest Rate Risk:	503.23
• Equity Position Risk:	140.58
• Foreign Exchange Risk:	6.75

Table DF-8
Operational Risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security; (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational risk losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

Calculation of Capital Charge

In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital charge for Operational Risk. Under this approach average of previous 3 financial years' positive gross income is taken into consideration for arriving at Capital charge for Operational Risk.

Operational Risk Capital Charge

₹ in Crore

Capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2018	599.06

Table DF-9
Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

(a) Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet composition. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates through Earnings at Risk approach and Duration Gap approach.

Quantitative Disclosures

(b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, is provided below:

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK:

(₹ cr)

	Particulars	Condition	Total
1.	Earnings At Risk (EAR)	Increase by 200 bps	-537.62
		Decrease by 200 bps	537.62
2.	Economic Value of Equity at Risk	Increase by 200 bps	153.00
		Decrease by 200 bps	-153.00

Table DF-10
General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

- **Qualitative Disclosures**

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions.

Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Bank ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

Quantitative Disclosures

(₹ crore)

Particulars	Notional Amount	Current Credit Exposure
Forward Contracts	3220.35	63.44

Table DF-11
Composition of Capital- As on 31.03.2018

(₹ crore)

	Basel-III common disclosure template	Amount	Ref No
	Common Equity Tier 1 capital : Instruments and Reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	7183.71	A1+ A4+ B1
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	970.77	B2+ B3+ B5
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies) Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**8154.48**	

	Basel-III common disclosure template	Amount	Ref No
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	8.46	L2
11	Cash-flow hedge reserve	2578.82	M3
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitization gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted-off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	Of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
24	Of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	Of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d+26e)	236.22	
26.a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non- financial subsidiaries	0.00	
26.b	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial Entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26.c	Of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Insurance Subsidiaries	0.00	
26.d	Of which: Un-amortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Common Equity Tier 1 In Respect of amounts subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	Of Which : Operating loss in the current period	0.00	
26.e	Regulatory Adjustment due to recognition of DTA and significant investments in CET1	236.22	

27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier1**	**2823.50**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1) (6-28)**	**5330.98**	
Additional Tier 1 Capital: Instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	940.00	D4
31	Of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	Of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	940.00	D4
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT 1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	940.00	
Additional Tier-1 Capital: Regulatory adjustments:			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	J1
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majorit owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Additional Tier 1 In Respect of Amounts Subject To Pre-Basel 3 treatment	0.00	
	Of Which: Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	L3
	Of Which: Deferred Tax Assets	0.00	
	Of Which: Unamortized Expenses for Pension Fund Expenditure	0.00	
	Of Which: Operating Loss in the current period	0.00	
	Of Which: Phasing out of PNCPS	0.00	
	Of Which: Investment in Non common equity capital instrument of associates (RRBs)	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Add. Tier 1 capital**	**0.00**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**940.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**940.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)**	**6270.98**	

Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1490.00	D5
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	120.00	D5
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions & Revaluation Reserves	229.13	Template ref. no.-50
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**1839.13**	
Tier-2 Capital: Regulatory Adjustments:			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	J2
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	91.12	
56a	Of Which: Investments in the Tier 2 capital of associates	51.12	J3
56b	Of Which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in Respect of Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment.	40.00	
	Of which: Phase out of Tier-2 Bonds	40.00	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**91.12**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**1748.01**	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**1748.01**	
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy row(58a+row58b)**	**1748.01**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**	**8018.99**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b +60c)**	**63542.67**	
60a	*of which: total credit risk weighted assets*	47922.49	
60b	*of which: total market risk weighted assets*	8131.94	
60c	*of which: total operational risk weighted assets*	7488.25	
Capital Ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.39	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.87	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.62	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	

68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	8.39	
National minima (if different from Basel III) Including CCB requirement			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00	
71	National total capital minimum ratio including CCB (if different from Basel III minimum)	10.875	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	229.13	Template ref. no.-50
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	229.13	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
Capital Investments subject to phaseout arrangements (only applicable between April 01, 2018 & March 31, 2022)			
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	

Notes to the Template:

Row No of template Particular	Particular	₹ Cr
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses net of deferred tax liability	1387.27
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	1191.55
	Total as indicated in row 10	**2578.82**
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible provisions included in Tier 2 capital	229.13
	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	**229.13**
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00

Table - DF 12
Composition of Capital - Reconciliation Requirements (Step-1)

(₹ crore)

SL No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2018	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2018
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	3000.00	3000.00
	Share Application Money Pending Allotment	13.64	13.64
	Reserves & Surplus	5661.59	5661.59
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	**8675.23**	**8675.23**
ii	**Deposits**	**129326.38**	**129326.38**
	Of which		
	Deposits from Banks	1804.85	1804.85
	Customer Deposits	127521.53	127521.53
	Other Deposits	0	0
iii	**Borrowings**	**3306.06**	**3306.06**
	Of which		
	From RBI	-	-
	From Banks	1.59	1.59
	From other institutions & agencies	3304.47	3304.47
	Others	-	-
	Capital instruments	-	-
iv	Other liabilities & Provisions	**3440.98**	**3440.98**
	Total	**144748.65**	**144748.65**

(₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2018	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2018
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
B	**Assets**		
i)	Cash and balances with RBI	6212.14	6212.14
	Balance with banks and money at call and short notice	14022.18	14022.18
ii)	Investments:	**50401.80**	**50401.80**
	Of which		
	Government Securities	36645.93	36645.93
	Other Approved Securities	-	-
	Shares	925.53	925.53
	Debentures & Bonds	6067.55	6067.55
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	-	-
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	6762.79	6762.79
iii)	Loans and advances	**62490.20**	**62490.20**
	Of which		
	Loans and advances to Banks	382.93	382.93
	Loans and advances to customers	62107.27	62107.27
iv)	Fixed Assets	**1293.09**	**1293.09**
v)	Other Assets	**10329.24**	**10329.24**
	Of which		
	Goodwill and intangible assets	-	-
	Deferred tax assets	3246.27	3246.27
vi)	Goodwill on consolidation	-	-
vii)	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**144748.65**	**144748.65**

DF-12: Composition of Capital - Reconciliation Requirements-STEP 2

(₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2018	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2018	Ref No.
A	**Capital & Liabilities**			
1)	Paid-up Equity Capital	**3000.00**	**3000.00**	A
	a) Of which amount eligible for CET1	3000.00	3000.00	A1
	b) of which amount eligible for AT1	0.00	0.00	A2
	Of which amount deducted from AT1	0.00	0.00	A3
	Share Application Money	13.64	13.64	
	Of which amount eligible for CET1	13.64	13.64	A4
	Reserves and Surplus	5661.59	5661.59	B
	Of which amount eligible for CET1: Share premium	4170.07	4170.07	B1
	Of which amount eligible for CET1: Statutory Reserves,	544.69	544.69	B2
	Revenue Reserves and Capital Reserves			
	Of which amount eligible for Tier 2: Revaluation	426.08	426.08	B3
	Reserves discounted @ 55%			
	Of which Capital that is not qualified as	520.75	520.75	B4
	Balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	
	of which : deduction from AT1	0.00	0.00	
	Total Capital	**8675.23**	**8675.23**	
ii)	**Deposits**	129326.38	129326.38	
	Of which			
	Deposits from Banks	1804.85	1804.85	
	Customer Deposits	127521.53	127521.53	
	Other Deposits	0	0	
iii)	**Borrowings:**	3306.06	3306.06	D
	Of which			
	From RBI	0.00	0.00	D1
	From Banks	1.59	1.59	
	From other institutions & agencies	3304.47	3304.47	D2
	Of which Capital instruments	3180.00	3180.00	D3
	Amount eligible for AT1	940.00	940.00	D4
	Amount eligible for Tier 2	1570.00	1570.00	D5
	Capital that is not qualified as Regulatory Capital	670.00	670.00	D6
	as per Basel-III			
	Of Which Others	124.47	124.47	D7
	Other Borrowings	0.00	0.00	D8
iv)	Other liabilities & provisions	**3440.98**	**3440.98**	E
	Of which			
	DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	Total Capitals & Liabilities	**144748.65**	**144748.65**	

(₹ cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2018	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2018	Ref No.
B	**Assets**			
I)	Cash and balances with RBI	6212.14	6212.14	
	Balance with banks and money at call and short notice	14022.18	14022.18	
	Total	**20234.32**	**20234.32**	
ii)	Investments:	**50401.80**	**50401.80**	F
	Of which			
	Government Securities	36645.93	36645.93	G
	Other Approved Securities	0.00	0.00	H
	Shares	925.53	925.53	I
	Debentures & Bonds	6067.55	6067.55	J
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of AT1	0.00	0.00	J1
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of Tier 2	0.00	0.00	J2
	Of Which: Investment in Non Common Equity			
	Capital instruments of other Banks	51.12	51.12	J3
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	0.00	0.00	
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	6762.79	6762.79	K
iii)	Loans and advances	**62490.20**	**62490.20**	
	Of which			
	Loans and advances to banks	382.93	382.93	
	Loans and advances to customers	62107.27	62107.27	
iv)	Fixed Assets	**1293.09**	**1293.09**	L
	Of which Intangible assets	8.46	8.46	L 1
	Of Which deduction from CET1	8.46	8.46	L 2
	Of Which deduction from AT1	0.00	0.00	L 3
v)	Other Assets	**10329.24**	**10329.24**	M
	Of which			
	a) Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	M 1
	b) Deferred Tax Assets (Net of DTL)	3246.27	3246.27	M 2
	Of Which deduction from CET1	2578.82	2578.82	M 3
	Of Which deduction from AT1	-	-	M 4
vi)	Goodwill on consolidation	-	-	M 5
	Total Assets	**144748.65**	**144748.65**	

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table on Composition of Capital - DF 11

Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
Sl. No.	**Particulars**	**Component of regulatory capital reported by Bank**	**Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from Step-2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	7183.71	A1+A4+B1
2	Retained earning	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	970.77	B2+B3+B5
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	8154.48	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

TABLE-DF-13: Main Features Template for Regulatory Capital
Series-I : IPDI (BASEL-II) of Rs. 300 Cr.

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09095
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Ineligible
5	Post-transitional Basel-III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 1 Capital Instrument
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr. as of 31.03.2018)	0.00
9	Par value of instrument	₹10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	05-12-2012
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	05.12.2022 with prior RBI approval
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05.12.2022 with prior RBI approval
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.27% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Does not have loss absorbency features.

Series-I: PDI (BASEL - III) Rs. 150 Cr. (Additional Tier-I)

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08014
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2018)	150.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	29.09.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the 5th anniversary from the date of Allotment or on any anniversary date thereafter.
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Every anniversary date of Allotment after expiry of 1st anniversary from the date of Allotment
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.95% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Tigger event or CET Tigger event as applicable
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially occurrence of the PONV Tigger/CET Tigger event as applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series-II: PDI (BASEL-III) of Rs.200 Cr (Additional Tier1)

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08022
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2018)	200.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	29.03.2007
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of Allotment or on any anniversary date thereafter.
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Every anniversary date of allotment after expiry of 1st anniversary from the date of allotment.
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	12% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET1 trigger event as applicable
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger

Series-II: PDI (BASEL-III) of Rs.200 Cr (Additional Tier1)

33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series-III: PDI (BASEL-III) of Rs.490 Cr (Additional Tier1)

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-III
1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08055
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2018)	490.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	10.11.2017
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of allotment or on any anniversary date thereafter.
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Every anniversary date of allotment after expiry of 1st anniversary from the date of allotment.
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.95% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET1 trigger event as applicable
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger / CET1 trigger as applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidlines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Series-IV: PDI (BASEL-III) of Rs.100 Cr (Additional Tier1)

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08071
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2018)	100.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	27.12.2017
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of allotment or on any anniversary date thereafter.
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Every anniversary date of allotment after expiry of 1st anniversary from the date of allotment.
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.00% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET1 trigger event as applicable
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger / CET1 trigger as applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidlines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-VI, Rs. 250 Cr	Series-VII Rs. 200 Cr
1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09079	INE695A09087
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2018)	0.00	80.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2009	28.12.2011
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2019	28.12.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.30% (annual)	9.20% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Series - VIII : Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs.500 Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09103
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2018)	500.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.06.2013
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.06.2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.75% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent / Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series - IX : Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs.500 Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08030
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2018)	500.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	23.08.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	23.08.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent / Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series - X : Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs.150 Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08048
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2018)	150.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	27.09.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27.09.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.50% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent / Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series - XI : Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs.340 Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08063
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2018)	340.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	10.11.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	10.11.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent / Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-14

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Instruments	Full Terms and Conditions	
Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series-I under Basel - II norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments- Tier I Bonds	Date of Allotment	05.12.2012
	Date of Redemption	05.12.2022 with prior approval of RBI
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (₹ in Cr)	300.00
	Coupon Rate (Annual)	9.27%
	Rating	A- by CARE and A by CRISIL
	Special Features:	
	No Put and Step - up Option. Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.	
Perpetual Debt Instrument (PDI) Series - I under Basel - III norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments - Tier I Bonds	Date of Allotment	29.09.2015
	Date of Redemption	Perpetual
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (₹ in Cr)	150.00
	Coupon Rate (Annual)	11.95%
	Rating	IND BBB
	Special Features:	
	No Put Option. The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of Allotment or on any anniversary date thereafter.	
Perpetual Debt Instrument (PDI) Series - II under Basel - III norms Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated perpetual Debt instruments - Tier I Bonds	Date of Allotment	29.03.2017
	Date of Redemption	Perpetual
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (₹ in Cr)	200.00
	Coupon Rate (Annual)	12.00%
	Rating	A- By BRICKWORK
	Special Features:	
	No Put Option. The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of Allotment or on any anniversary date thereafter.	

Instruments	Full Terms and Conditions	
Perpetual Debt Instrument (PDI) Series - III under Basel - III norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments- Tier 1 Bonds	Date of Allotment	10.11.2017
	Date of Redemption	Perpetual
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (₹ in Cr)	490.00
	Coupon Rate (Semi-Annual)	10.95%
	Rating	BBB+ by CRISIL
	Special Features: No Put Option. The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of Allotment or on any anniversary date thereafter.	
Perpetual Debt Instrument (PDI) Series - IV under Basel - III norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments- Tier 1 Bonds	Date of Allotment	27.12.2017
	Date of Redemption	Perpetual
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (₹ in Cr)	100.00
	Coupon Rate (Semi-Annual)	11.00%
	Rating	BBB+ by CRISIL
	Special Features: No Put Option. The Issuer Call which is discretionary may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Date of Allotment or on any anniversary date thereafter.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-VI Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	25.03.2009
	Date of Redemption	25.03.2019
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	250.00
	Coupon Rate (Annual)	9.30%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	

Instruments	Full Terms and Conditions	
Lower Tier -2 Bonds, Series- VII Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	28.12.2011
	Date of Redemption	28.12.2021
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	200.00
	Coupon Rate (Annual)	9.20%
	Rating	A+ by CARE and AA- by CRISIL
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-VIII Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	25.06.2013
	Date of Redemption	25.06.2023
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	500.00
	Coupon Rate (Annual)	8.75%
	Rating	AA- by CRISIL & A+ by BRICKWORK
	Special Features: 1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments. 2. Instrument, may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV). 3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital, subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-IX **Unsecured, Non Convertibility Redeemable Debt instrument Tier -2 Bonds**	Date of Allotment	23.08.2017
	Date of Redemption	23.08.2027
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	500.00
	Coupon Rate (Annual)	9.00%
	Rating	A+ by BRICKWORK & AA- by CRISIL
	Special Features: 1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments. 2. Instrument, may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV). 3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital, subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.	

Instruments	Full Terms and Conditions	
Lower Tier -2 Bonds, Series-X **Unsecured, Non Convertibility Redeemable Debt instrument Tier -2 Bonds**	Date of Allotment	27.09.2017
	Date of Redemption	27.09.2027
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	150.00
	Coupon Rate (Annual)	10.50%
	Rating	AA- by CRISIL

Special Features:

1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments.
2. Instrument, may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV).
3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital, subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.

Lower Tier -2 Bonds, Series-XI **Unsecured, Non Convertibility Redeemable Debt instrument Tier -2 Bonds**	Date of Allotment	10.11.2017
	Date of Redemption	10.11.2017
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	340.00
	Coupon Rate (Annual)	9.05%
	Rating	AA- by CRISIL

Special Features:

1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments.
2. Instrument, may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV).
3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital, subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.

Table DF-15
Disclosure Requirement for Remuneration

Qualitative & Quantitative Disclosure: Not Applicable

Table DF-16
Equities – Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosure: **General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.**

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.

- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.

- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Particulars	₹cr
1	Equity Investments in Banking Book	
	a) Value disclosed in the balance sheet of investments	368.52
	b) Fair value of the investments	368.52
	As per RBI guidelines investment in RRB is to be valued at carrying cost (i.e. book value) on a consistent basis.	
2	The types and nature of investments including the amount that can be classified as :	
	a) Publicly traded	Nil
	b) Privately held (Unlisted)	368.52
3	The cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealized gains (losses)*	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)**	Nil
6	Any amounts of the above included in Tierl and Tier II capital	Nil
7	Capital requirement broken down by appropriate equity grouping, consistent with the Banks Methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirement.	Investment in associates are risk weighted @ 250% under Basel-III norms.

* Unrealized gains (losses) recognized in the balance sheet but not through the profit and loss account.
** Unrealized gains (losses) not recognized either in the balance sheet or through the profit and loss account.

Table DF 17- Summary comparison of
Accounting Assets vs. Leverage ratio Exposure Measure

S.N	Particulars	(₹Cr)
1	Total consolidated assets as per published financial statements.	144748
2	Adjustment for investments in Banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.	NA
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	123
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e repos and similar secured lending).	0
6	Credit equivalent amounts of off balance sheet exposures.	5220
7	Other Adjustments.	(2823)
8	Leverage ratio exposure	**147268**

Table DF 18: Leverage ratio Common Disclosure Template

Sl	Item	(₹Cr)
	On-Balance sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	130868
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(2823)
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**128045**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	63
5	Add -on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	60
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**123**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	13880
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**13880**
	Other Off-Balance Sheet Exposures	
17	Off -balance sheet exposure at gross notional amount	13470
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(8250)
19	**Off -balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**5220**
	Capital and Total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**6271**
21	**Total Exposures** (Sum of lines 3,11,16 and 19)	**147268**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**4.26**

उप–महाप्रबंधकगण

श्री राजेश कुमार अरोड़ा
श्री संजय चौधुरी
श्री बिश्वजीत बंद्योपाध्याय
श्री वित्तेश कुमारा
श्री धनंजय प्रताप सिंह
श्री रामेंदु भट्टाचार्य
श्री बिबेकानंद बिश्वास
श्री सुधीर कुमार सिन्हा
श्री श्यामल बिश्वास
श्री के. सुधींद्र राज
श्री कोविलुर राममूर्ति भास्करन
श्री शिव शंकर सिंह
श्री संजय कृलवाल
श्री अनुराग श्रीवास्तव
श्री अलोक सिन्हा
श्री पार्थ प्रतिम पाल
श्री दिलीप कुमार दुर्लभराम नायक
श्री मुक्ति रंजन राय
श्री नबीन कुमार दाश
श्री सुशील कुमार शुक्ला
श्री समीर कुमार राय
श्री महेंद्र दोहरे
श्री परविंदर पाल सिंह
श्री मनीष अग्रवाल
श्री अश्विनी कुमार झा
श्री उपेंद्र सबर
श्री कोलांदिवेल मीनाक्षीसुंदरम
श्री आर इलांगो
श्री नारायण प्रधान
श्री अविनाश मोहन
श्री उमेश चंद्र
श्री चंदन कुमार धर
श्री प्रबीर कुमार ताह
श्री जोसेफ लॉरेंस टोबियस
श्री अतिश कुमार राउत
श्री बिक्रमजीत सोम
श्री अमिताभ सेनगुप्ता
श्री राज किशोर नायक
श्री साक्षी गोपाल साहा
श्री नीरज वर्मा

Dy. General Managers

Shri Rajesh Kumar Arora
Shri Sanjay Chaudhary
Shri Biswajit Bandyopadhyay
Shri Vittesh Kumar
Shri Dhananjay Pratap Singh
Shri Ramendu Bhattacharjee
Shri Bibekananda Biswas
Shri Sudhir Kumar Sinha
Shri Shyamal Biswas
Shri K Sudhindra Raj
Shri Kovilur Ramamurthy Baskaran
Shri Shio Shankar Singh
Shri Sanjay Koolwal
Shri Anurag Srivastava
Shri Alok Sinha
Shri Partha Pratim Pal
Shri Dilipkumar Durlabharam Nayak
Shri Mukti Ranjan Ray
Shri Nabin Kumar Dash
Shri Sushil Kumar Shukla
Shri Samir Kumar Ray
Shri Mahendra Dohare
Shri Parvinder Pal Singh
Shri Manish Agrawal
Shri Ashwini Kumar Jha
Shri Upendra Sabar
Shri Kolandaivel Meenakshisundaram
Shri R Elango
Shri Narayan Pradhan
Shri Abinash Mohan
Shri Umesh Chandra
Shri Chandan Kumar Dhar
Shri Prabir Kumar Tah
Shri Joseph Lawrence Tobias
Shri Atish Kumar Rout
Shri Bikramjit Shom
Shri Amitabha Sengupta
Shri Raj Kishore Nayak
Shri Sakshi Gopal Saha
Shri Niraj Verma

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ:

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

59-सी, चौरंगी रोड , कोलकाता-700 020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit : United Bank of India

59C, Chowringhee Road, Kolkata-700 020

UNITED BANK OF INDIA

11, Hemanta Basu Sarani

Head Office: Kolkata – 700001

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2017-18

Pursuant to Regulation 34(2)(f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Directors of the Bank present the Business Responsibility Report (BRR) for the financial year 2017-18.

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE BANK

United Bank of India (UBI) is a public sector commercial Bank offering a wide range of Banking and financial products and services to both large and mid-corporate,micro, small and medium enterprises ("MSME"), agricultural and retail customers. The Bank provides a wide range of products and services aimed at different kind of consumers and companies across a wide range of sectors of the economy. The Bank's business is principally divided into Retail Banking, Agricultural Banking, Corporate Banking, International Banking, MSME Banking, Priority sector lending, Treasury operations and other financial services such as demat /trading services and merchant Banking services, debenture trustees, distribution of third party products such as insurance, mutual fund products, money transfer services, merchant acquiring services, pension and tax collection services.

UBI is one of the 14 major Banks which were nationalized on July 19, 1969. Its predecessor the United Bank of India Ltd., was formed in 1950 with the amalgamation of four Banks viz. Comilla Banking Corporation Ltd. (1914), Bengal Central Bank Ltd. (1918), Comilla Union Bank Ltd. (1922) and Hooghly Bank Ltd. (1932) (which were established in the years indicated in brackets after the names). The origin of the Bank thus goes as far back as to 1914.

After nationalization, the Bank expanded its branch network in a big way and actively participated in the developmental activities, particularly in the rural and semi-urban areas in conformity with the objectives of nationalization. In recognition of the role played by the Bank, it was designated as Lead Bank in several districts and at present it is the Lead Bank in 43 districts in the States of West Bengal, Assam, Manipur and Tripura. The Bank is also the Convener of the State Level Bankers' Committees (SLBC) for the States of West Bengal and Tripura.

UBI plays a significant role in the spread of Banking services in different parts of the country, more particularly in Eastern and North-Eastern India and has till date sponsored 4 Regional Rural Banks (RRB) one each in West Bengal, Assam, Manipur and Tripura. These four RRBs together have 1168branches. UBI is also known as the 'Tea Bank' because of its age-old association with the financing of tea gardens. It has been the largest lender to the tea industry.

Your Bank aims to emerge as a dynamic, techno savvy, customer-centric, progressive and financially sound premier Bank of the country with pan-India presence and sharply focuses on business growth and profitability with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, Trust and transparency.

Other details about the Bank:

Corporate Identity No.	**UTBI**
Name of the Organisation	**United Bank of India**
Registered address :	United Tower 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001
Website :	www.unitedBankofindia.com
E-mail id :	co.sec@unitedBank.co.in
Financial Year reported :	1st April, 2017 to 31st March, 2018
Sector(s) that the Bank is engaged in (industrial activity code-wise) :	Section : K - Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) – 2008. Group : 641 Class : 6419 Description : Monetary Intermediation Other Monetary Intermediation
List three key products / services that the Bank manufactures / provides (as in balance sheet) :	1. Wholesale banking 2. Retail banking 3. Treasury Operations
Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank: Number of International Locations: Number of National Locations:	 Two (2) – Bangladesh and Myanmar 2057 branches
Markets served by the Bank:	Domestic : 2057 Branches Pan India International : Representative Offices in Bangladesh and Myanmar

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE BANK

1.	Paid up Capital:	Rs.3000 Crore
2.	Total Income:	Rs.10556.20 Crore
3.	Total profit after taxes:	(Rs.1454.45 Crore)
4.	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%):	NA (Bank incurred loss during FY 2017-18)
5.	List of activities in which CSR expenditures have been incurred:	The Bank has contributed in 7 (Seven) Social welfare Projects through United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) amounting to Rs.24.04lac.

Activities under CSR Initiatives:

CSR Project or activity Identified	**Sector in which the project is covered**	**Amount spent on the projects or programs**	**Amount spent: Direct or through implementing agency**
Promoting gender equality, empowering women & measures for reducing inequalities faced by socially & economically backward group.	Women Empowerment & Social upliftment	Rs.5.27 lac	Through UBSEDF
Promoting education, research & studies including special education & employment, enhancing vocation skills especially among children, women, elderly & the differently abled.	Education, Social Support & Development	Rs.15.77 lac	
Other initiatives such as promoting preventive health care, sanitation, making available safe drinking water, infrastructure development, rural development, providing good hospital facilities, etc.	Health & Sanitation, Drinking Water, etc.	Rs.3.00 lac	
Total Amount Spent		**Rs.24.04 lac**	

SECTION C: OTHER DETAILS

The Bank does not have any subsidiary. The Bank sponsors four Regional Rural Banks ("RRBs") in collaboration with the Central Government and the State Governments of West Bengal, Assam, Manipur and Tripura which participate in the Business Responsibility initiatives of the Bank. Total business of the four Banks was Rs.41616crore as on 31st March 2018. The Bank also encourages its suppliers, distributors, service providers and other stakeholders to conduct business in a responsible manner.

SECTION D: BUSINESS RESPONSIBILITY (BR) INFORMATION

1. Details of Director responsible for BR:

(a).	Details of the Director responsible for implementation of the BR policy / policies:
	DIN Number: 03291906
	Name: Pawan Kumar Bajaj
	Designation: Managing Director & CEO
(b).	Details of the BR head:
	Name: Vinod Babbar
	Designation: General Manager , Planning& Development
	Telephone Number: 033-22312047
	E-mail id: gmpd@unitedbank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies

The National Voluntary Guidelines (NVGs) on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business released by the Ministry of Corporate Affairs has adopted nine areas of Business Responsibility. These briefly are as under:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.
P2	Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
P3	Businesses should promote the wellbeing of all employees.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.
P7	Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
P8	Businesses should support inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

(a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1$$	Do you have a policy/ policies for (each principle as stated in NVG)	Y*	Y^	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Yes for all except P7.All policies followed by the bank are in conformity with the guidelines issued by various Regulators and other Statutory bodies such as the Reserve bank of India, Ministry of Finance, SEBI, the Constitution of India and other applicable legal or statutory requirements. Hence, these conform to the National Standards.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Yes for all except P1 & P7. Policies are being signed by the competent authority.								
5	Does the Bank have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Yes for all except P7 (the same is reviewed periodically as specified under the different policies)								
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Link: http://www.unitedbankofindia.com**								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8	Does the Bank have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9	Does the Bank have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Yes for all except P7								
10	Has the Bank carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N

$$.There are several policies formally put in place by the Bank that governs various functions of the Bank and directly and indirectly support & promote ethics & transparency in conduct of business, preserve human rights of employees and other stakeholders at work place, ensures employee welfare, take cares of disadvantageous, vulnerable & marginalized, support inclusive growth with concern for the society and provide value to the customers in a responsible manner.
*Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Domestic Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

**Various activities under Principle 3 (Staff welfare) are covered by Internal Policies and therefore cannot be viewed online.

Reason for not having policy for P7

While there is no written policy for Principle 7, the Bank being one of the largest banks in the country is associated with policymakers and regulators for the advancement of public good, especially in the areas of governance and administration, economic, especially banking sector reforms, inclusive development policies etc.

(b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	The Bank has not understood the Principles	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	The Bank is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	The Bank does not have financial or manpower resources available for the task	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	It is planned to be done within next 6 months	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	It is planned to be done within the next 1 year	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Any other reason (please specify)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. Governance related to BR

a.	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Bank.	Annually
b.	Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	BR report is published annually and uploaded on the Bank's website **through the weblink:** https://www.unitedbankofindia.com/english/Annual-Report.aspx

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?

   Yes, it covers bank only.

   The bank has mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlements & misappropriation of fund.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

	Particulars	Nos
	Customers	
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	315
(b)	Complaints received during the Year	136296
(c)	Complaints redressed during the Year	135890
(d)	Complaints pending at the end of the Year	721
	Particulars	Nos
	Shareholders	
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	0
(b)	Complaints received during the Year	27
(c)	Complaints redressed during the Year	27
(d)	Complaints pending at the end of the Year	0

Principle 2: Sustainability of Products & Services

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

a) Self Help Group (SHGs)

Bank has used SHG as an effective way to reach out to the poor and empower them by inculcating saving habits amongst them as well as encouraging them to undertake income generating activities through bank credit. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of Rs.1 lakh on 1st grading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal.

b) UBRSETI (United Bank Rural Self Employment Training Institute)

Bank has so far set up 16 RSETIs in the states of West Bengal, Assam and Tripura to impart training to the prospective entrepreneurs from the downtrodden community of the society.

c) FLCs (Financial Literacy Centre)

Bank has set up FLCs 38 in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counselling services to the poorer section of the society.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

(a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable

(b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable

3. Does the Bank have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

(a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

(a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Not Applicable

5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3: Employees' Well-being

1. Please indicate the Total number of employees. 15317 as on 31.03.18
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.Nil
3. Please indicate the Number of permanent women employees. 3399
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities 239
5. Do you have an employee association that is recognized by management. Yes
6. What percentage of your permanent employees is member of this recognized employee association? 91.22%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.
8.

No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour/forced labour/involuntary labour	NA	NA
2	Sexual harassment	Nil	Nil
3	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

(a) Permanent Employees: **4.7%**
(b) Permanent Women Employees: **4.97 %** (out of permanent women employees)
(c) Casual/Temporary/Contractual Employees: NA
(d) Employees with Disabilities: **5%** (out of employees with disability)

Principle 4: Stakeholder Engagement

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes
2. Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders. YES
3. Are there any special initiatives taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

The Bank practices Policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias of caste, creed and religion. The bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the internal disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders like no-frill accounts, Kisan Credit Cards, Loans to Self Help Groups, Direct Benefit Transfers, Social Security pension, Loans to women entrepreneurs etc.

I. **Employee Grievance Redressal Mechanism**

A two tier Grievance Redressal Committee for staff members to look into the grievance of the employees has been functioning.

II. **Welfare of SC/ST employee:**

The Bank has been meticulously following the Government guidelines for reservation in employment/zone of consideration in promotion in respect of specific reserved categories.

Principle 5: Respecting Human Rights

1. Does the policy of the Bank on human rights cover only the Bank or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The Bank's various Policies protecting the Human Rights directly or indirectly covers only the operations of the Bank and do not extend to its external parties.
The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal and that the basic human rights of individuals must be respected
The Bank understands well the human rights of employees at the work place. The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at the work place in the service condition there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work place. Accordingly, for addressing issue related specifically to women employees at work places, the Bank has adequate mechanism in place. The Bank has in place the "Internal Complaint Committee" headed by a General Manager to look after these issues.

Dissemination of Information to Public through the Bank's website

The Bank places up-to-date information about its product /services /facilities available to public /any other information which can be disclosed in public domain. Being a listed Company, the Bank disseminates its financial results in the public domain for information to public.
United Bank of India is a Public Authority in the right to information Act 2005, and thus under obligation to provide information to members of public.

Redressal of Complaints

In order to facilitate quicker and fair non-discriminatory redressal of grievance, bank has introduced "**Comprehensive Complaint Management System"(CCMS)** by leveraging technology. Under this system the complaints received by Branches, Regional Offices and Departments at Head Office have to be uploaded/ entered by the concerned Branch/Regional Office/Head office Department in the "On Line Grievance Redressal" portal, available at Intranet link and the status of redressal/settlement is also to be uploaded on Real Time Basis. The complaint lodged by the customer online will be added by the system in the outstanding data base of CCMS.

The Comprehensive Complaint Management System helps us to track the status of each complaint and to take a comprehensive look with regard to the total complaints received by the bank during the period and status thereof. The necessary follow-up measures would be taken immediately for expeditious disposal of the complaints and grievances. The system enables to classify the nature of complaints along with the products and services to which the complaints are related. The analysis of data will help the bank management to take appropriate action to improve front line service directly which includes updating customer service standard, improving communication, providing additional training to staff on product and services, taking remedial action for systemic issues etc.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

During the year bank received 136296 customers' complaints and 315complaints were pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 136296 compliant, 99.70% were satisfactorily redressed by the Bank satisfactorily during the year.

During the year bank received 27 complaints from Shareholders and no complaint was pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 27 complaints, 100% were satisfactorily redressed by the Bank satisfactorily during the year.

Principle 6: Caring for Environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.

   The policy covers the Bank only.

2. Does the Bank have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.
   Yes

a) As per Bank's Lending Policy, the Bank is not extending any finance to environmentally hazardous industries likeozone depleting substances CFC.

b) In case of manufacturing units emitting toxic pollutant, Bank ensures that borrower has necessary NOC from Pollution control Board.

3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks?

   Yes, in TEV (Techno Economic viability) study, potential Environmental hazards & it's mitigation part for the project appraisal.

4. Does the Bank have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

   The bank has adopted various technology to promote paperless banking like Internet Banking, Mobile Banking, Core Banking Solutions, emails for internal & external communication which enable minimal use of paper & also significantly reduces travelling their by saving petrol/ diesel etc. thereby reducing carbon footprint.

5. Has the Bank undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

   Bank has taken a green initiative by consolidating few physical servers into virtual environment for non-critical applications. By enabling virtual services, Bank has reduced the power consumption, carbon footprint and thereby enabling better server management in the Data Centre.

6. Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

   Not Applicable

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

   Not Applicable

Principle 7: Responsible Advocacy

1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with: **Yes.**

- Indian Banks Association(IBA)
- Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI)
- Bharat Chamber of Commerce (BCC)
- Bengal National Chamber of Commerce & Industry (BNCCI)
- Institute of Banking Personal Selection
- The Clearing Corporation of India Limited(CCIL)
- National Payment Corporation of India(NPCI)
- Indian Institute of Banking and finance

- National Institute of Bank Management

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

   Yes, In IBA Bank Continuously advocate for general improvement in conduct of Business

Principle 8: Enabling Inclusive Growth and Equitable Development

1. Does the Bank have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

   The Bank has undertaken several initiatives / programs / projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

   Financial Inclusion:

   The Bank has implemented Financial Inclusion Project to provide the Banking service in unbanked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. The Bank has covered 13250 un-banked villages through 4252 BankMitras to deliver basic banking services to the excluded population.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

   The financial inclusion project has been undertaken by the in-house team.The Bank has setup a separate department headed by General Manager for this purpose.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

   Yes

4. What is your Bank's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken.

   Bank has extended financial assistance in 87 various welfare activities involving a total sum of Rs.294.42 Lakh towards its CSR activities till 31.03.2018. During the financial year 2017-18, focus was on extending assistance to the proposals under Health care, Library room construction, distribution of e-slates, blankets and vehicle for social activities. In the year, Bank has disbursed Rs.24.04 Lakh for 7 projects for implementation by the respective organizations towards cause of the society.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Bank has initiated Community Development programme like 16 **UBRSETI** (United Bank Rural Self Employment Training Institute) and 38**FLC**(Financial Literacy Centre). Activities of these institute/centres are monitored from the Head Office. Under UBRESTI scheme, training was imparted to rural youths/women. Total 75% of trainees have been settled by establishing own economic venture. Similarly, FLCs are promoting financial literacy and credit counselling services to the poorer section of the society in the State of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur.

Principle 9: Providing Consumers Value

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

   During the year bank received 136296 Customers' complaints and 315complaint were pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 136296 compliant, 99.70% were satisfactorily redressed by the Banksatisfactorily during the year.

   During the year bank received 27 complaints from Shareholders and no complaint was pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 27 complaints, 100% were satisfactorily redressed by the Banksatisfactorily during the year.

2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

   NA

3. Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

   NIL

4. Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

   No.

Sd/-
Pawan Bajaj
Managing Director & CEO
DIN:03291906

----------oo----------